समाज की सेवा
Serving Society
उत्कृष्टता की परंपरा
Delivering Excellence

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2020-21

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

महाबैंक एमएसएमई ऋण योजनाएं
Mahabank MSME Loan Schemes

महाबैंक जीएसटी क्रेडिट योजना
MAHABANK GST Credit Scheme

महाबैंक एमएसएमई प्रोजेक्ट ऋण योजना
MAHABANK MSME Project Loan Scheme

महाबैंक एमएसएमई नकदी ऋण योजना
MAHABANK MSME Cash Credit Scheme

महाबैंक एमएसएमई हॉस्पीटैलिटी फाइनांस
Mahabank MSME Hospitality Finance

डॉक्टर, सीए, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट के लिए महाबैंक ऋण योजना
Mahabank Loan Scheme for Doctor, CA, Engineer & Architect

महाबैंक कॉन्ट्रैक्टर योजना
Mahabank Contractor Scheme

हमारे अन्य एमएसएमई ऋण उत्पाद
Our other MSME Loan Products

स्मॉल रोड ट्रांस्पोर्ट ऑपरेटर के लिए महाबैंक वाहन ऋण
Mahabank Vehicle Loan for Small Road Transport Operator

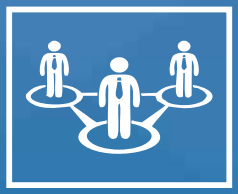

पीएमईजीपी
PMEGP

पीएसबी–59
PSB-59

स्टैंड अप इंडिया
Stand Up India

मुद्रा ऋण
Mudra loan

Give Missed Call : 8010 614 614 Or Apply @ : www.bomloans.com

Follow us @mahabank

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधकगण	General Managers	3
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	4
4.	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक	Key Performance Indicators	6
5.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	7
6.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	8
	- कार्य-निष्पादन विशेषताएं 2020-21	- Performance Highlights 2020-21	8
	- संसाधन: शाखा नेटवर्क, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहकर अनुक्रियाशीलता और अन्य	- Resources: Branch Network, Human Resources, It Infrastructure, Customers Responsiveness and Others	15
	- सामाजिक / सूक्ष्म आर्थिक विकास	- Socio/Micro Economic Development	21
	- बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं	- Important Schemes/ Projects of the Bank:	24
	- निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	26
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	28
	- सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	29
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	30
	- सुरक्षा	- Security	31
	- सचिवीय लेखा परीक्षा	- Secretarial Audit	31
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	31
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors:	32
	- लाभांश वितरण नीति	- Dividend Distribution Policy	32
	- व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	- Business Responsibility Report	32
	- आभार	- Acknowledgement	32
7.	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	39
8.	तुलनपत्र	Balance Sheet	70
9.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	71
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	81
11.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	88
12.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	121
13.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	123
14.	बेसल III प्रकटन	Basel III Disclosures	137
15.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	170

18 वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न
NOTICE FOR 18TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

मैसर्स रोडी डबरी एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN: 108846W
Chartered Accountants

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय :** 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31-03-2021 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2021

श्री ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

श्री हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक

Shri Hemant Tamta
Executive Director

श्री ए.बी विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक

Shri A.B. Vijayakumar
Executive Director

श्रीमती वंदिता कौल
Mrs. Vandita Kaul

श्री एम. के. वर्मा
Shri M K Verma

श्री आर. तामोधरन
Shri R. Thamodharan

श्री लक्ष्मीनारायण रथ
मुख्य सतर्कता अधिकारी

Shri Laxminarayan Rath
Chief Vigilance Officer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31-03-2020 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2020

श्री वी. पी. श्रीवास्तव
Shri V. P. Srivastava

श्री प्रशांत आर. खटावकर
Shri Prashant R Khatawkar

श्री उन्नम आर. राव
Shri Unnam R. Rao

श्री एम.जी. महाबलेश्वरकर
Shri M G Mahabaleshwarkar

श्री संजय रूद्र
Shri Sanjay Rudra

श्री एस. के. हणमशेट
Shri S K Hanamshet

श्री पी. आर. दातार
Shri P R Datar

श्री वी. एन. कांबळे
Shri V N Kamble

श्री वी. डी. कोल्हटकर
Shri V D Kolhatkar

श्री एन.एस. देशपांडे
Shri Deshpande

श्री विवेक घाटे
Shri Vivek Ghate

श्री एम.ए. काबरा
Shri M.A. Kabra

श्रीमती चित्रा दातार
Mrs. Chitra Datar

श्री आर. एस. बंसल
Shri R.S. Bansal

श्री ए.एफ. कबाड़े
Shri A.F. Kabade

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID-19 महामारी का अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। महामारी के कारण विभिन्न स्तरों पर लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप जीवन के सभी पक्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। अनौपचारिक रोजगारवाले व्यक्ति और गहन-संपर्क क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति सबसे ज्यादा इस महामारी की चपेट में हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महामारी से उबरना चिकित्सा सहायता की उपलब्धता, टीकाकरण अभियान में प्रगति और केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा। महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता में तेजी लाने हेतु वैश्विक समुदाय को निधियन बढ़ाकर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय तरलता के लिए उच्च ऋण स्तर वाले विकासशील देशों के सहयोग हेतु भी मजबूत सहकारिता की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 जीवन और व्यवसाय दोनों ही के लिए एक कठिन वर्ष था। 2019-20 में 4.0% की वृद्धि की तुलना में 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8.0% के संकुचन का अनुमान है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत INR 20 लाख करोड़ (भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर) के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन, नई पीएसयू नीति, कोयला खनन का वाणिज्यिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में उच्च एफडीआई सीमा भी शामिल है। अन्य कदम जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 2.0 का आरंभ और कोविड-19 के कारण उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली आस्ति वर्गीकरण राहत की घोषणा की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नानुसार नई व्यावसायिक पहलें की हैं :

- कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए व्यवसाय, कृषि और वैयक्तिक खर्चों के लिए ऋण उत्पादों की शुरूआत ने नकदी प्रवाह की कठिनाइयों को सहज बनाया।
- **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) -** नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करके नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी करने के लिए बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की।

STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

I extend a very warm welcome to each one of you to the 18th Annual General Meeting of your Bank. Global and Indian economy in FY 2020-21 have been adversely affected due to COVID-19 pandemic. Lockdowns of varied degree imposed due to pandemic resulted in adverse impacts on all sections of life. The informally employed, and those who work in contact-intensive sectors are hit hard by this pandemic. Recovery from the pandemic in various regions will depend on access to medical support, progress in vaccination drive and effectiveness of support given by the Central Bank and the Government. The global community will require to work closely to bring the pandemic under control by increasing funding to accelerate access to vaccines. Strong Cooperation is also required to support developing countries with high debt levels for international liquidity.

FY 2020-21 was a difficult year for life and business. Gross Domestic Product (GDP) during 2020-21 is estimated to contract by 8.0% as compared to growth of 4.0% in 2019-20. The Government announced a package of INR 20 lakh crores (equivalent of 10% of India's GDP) under Atmanirbhar Bharat. The package also included change in definition of MSMEs, new PSU policy, commercialization of coal mining, and higher FDI limits in various sectors. Other steps such as launch of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 2.0 and asset classification relief provided to borrowers on account of COVID-19 were announced.

During the year, the bank has taken new business initiatives as under:

- Introduction of loan products for business, agriculture and personal expenses to deal with COVID-19 pandemic inflicted cash flow difficulties.
- **National Common Mobility Card (NCMC) –** The Bank partnered with NPCI for issuance of National Common Mobility Card (NCMC) using Near Field Communication.

- **भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)**: बीबीपीएस सभी बिलों के भुगतान के लिए वन-स्टॉप इकोसिस्टम है, जो भारत के सभी ग्राहकों को निश्चितता, विश्वसनीयता और संव्यवहार की सुरक्षा के साथ एक इंटरऑपरेबल और सुलभ "कभी भी कहीं भी" बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है।
- **क्विक पे:** स्कैन और पे के माध्यम से संव्यवहार प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड हेतु स्व-पंजीकरण करने के लिए मर्चेन्ट हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।
- **डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (डीडीई)**: डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) प्लेटफ़ॉर्म के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ समन्वय किया है, यह ऋण दस्तावेजों के ई-हस्ताक्षर और ई-स्टैम्पिंग के लिए एक वेब एपीआई आधारित प्लेटफॉर्म/सेवा है।
- **क्रेडिट कार्ड:** बैंक ने तेजी से बढ़ते डिजिटल व्यवसाय का लाभ उठाने के लिए कई विशेषताओं के साथ अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया।
- कोविड-19 महामारी की स्थिति के प्रभावों को देखते हुए तत्काल **महाबैंक एसएचजी राहत योजना-** कोविड-19 शुरू की गई ताकि नियमित रूप से पुनर्भुगतान करने वाले एसएचजी को रु.1.00 लाख तक का अतिरिक्त ऋण देकर राहत प्रदान की जा सके।

आपके बैंक का कार्यनिष्पादन :

प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट रहा।

- निवल लाभ वित्तीय वर्ष 20 के ₹ 389 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में ₹ 550 करोड़ हो गया। इसमें 41.39% की वार्षिक वृद्धि हुई।
- परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 20 के ₹ 2847 करोड़ से 39.02% बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में ₹ 3958 करोड़ हो गया।
- सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) अनुपात 31.03.2020 के क्रमशः 12.81% और 4.77% की तुलना में 31.03.2021 को क्रमशः 7.23% और 2.48% रहा।
- बैंक का कुल कारोबार 31.03.2020 के ₹ 2,44,955 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को ₹ 2,81,659 करोड़ हो गया। बैंक के कारोबार में 14.98% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।
- बैंक की कुल जमा राशियां 31.03.2020 के ₹ 1,50,066 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को ₹ 1,74,006 करोड़ हो गईं। कुल जमाराशियों में 15.95% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई।
- कासा जमाराशियां 31.03.2020 के ₹ 75,475 करोड़ से 24.47% की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2021 को बढ़कर ₹ 93,945 करोड़ हो गईं।
- सकल अग्रिम 31.03.2020 के ₹ 94,889 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को ₹ 1,07,654 करोड़ हो गए। सकल अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष 13.45% की वृद्धि प्रदर्शित हुई।

भविष्य की ओर :

बैंक नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऐसे समय में प्रवेश कर रहा है, जब महामारी की दूसरी लहर का व्यापक रूप से प्रसार हो रहा है। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोत्साहन उपायों और सुधारों तथा आरबीआई द्वारा तरलता उपायों से औद्योगिक गतिविधि और मांग को समर्थन मिलना संभावित है। जनवरी 2021 में शुरू किया गया कोविड- 19 टीकाकरण कार्यक्रम आर्थिक सुधार में और सहयोग करेगा। इन कठिनाइयों के दौरान, हम अपने ग्राहकों को नवीनतम उत्पाद विकसित करना और श्रेष्ठतम सेवाएं प्रदान करना जारी रखेंगे। इन अनिश्चित समय में नेविगेट करते हुए हमारा बैंक अपनी व्यावसायिक स्थिति में सुधार करना जारी रखेगा।

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

- **Bharat Bill Pay System (BBPS):** BBPS is a one-stop ecosystem for payment of all bills providing an interoperable and accessible "Anytime Anywhere" bill payment service to all customers across India with certainty, reliability and safety of transactions.
- **QUICK pay:** A mobile app has been developed for merchant to do self-registration for QR code to acquire transactions through Scan & Pay.
- **Digital Document Execution (DDE):** Bank has integrated with National E-Governance Services Ltd (NeSL) for implementation of Digital Document Execution (DDE) Platform is a Web API based platform/service for e-signing and e-stamping of Loan documents.
- **Credit Card:** Bank introduced its own Credit Card with plethora of features to tap the burgeoning digital business.
- **MahaBank SHG Rahat Yojana-** COVID-19 was introduced immediately after foreseeing the effects of COVID-19 pandemic situation to extend relief to regular repaying SHGs by extending additional loan up to ₹ 1.00 Lakh.

Performance of your bank:

Bank's performance during FY 2020-21 was outstanding despite all odds.

- Net Profit increased to ₹ 550 Cr in FY21 from ₹ 389 Cr in FY20. There was an annual increase of 41.39%
- Operating Profit increased 39.02% to ₹ 3,958 Cr. in FY21 from ₹ 2,847 in FY20
- Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio and Net Non-Performing Assets (NNPA) ratio improved to 7.23% and 2.48% respectively as on 31.03.2021 as compared to 12.81% and 4.77% respectively as on 31.03.2020
- Total Business of the bank has increased from ₹ 2,44,955 Cr. as on 31.03.2020 to ₹ 2,81,659 Cr as on 31.03.2021. Business of the Bank showcased annual growth of 14.98%.
- Total deposits of the bank increased from ₹ 1,50,066 Cr. as on 31.03.2020 to ₹ 1,74,006 Cr. as on 31.03.2021. Total deposits have showcased annual growth of 15.95%.
- CASA deposits have increased form ₹ 75,475 Cr as on 31.03.2020 to ₹ 93,945 Cr as on 31.03.2021 showcasing annual growth of 24.47%.
- Gross advances have increased from ₹ 94,889 Cr as on 31.03.2020 to ₹ 1,07,654 Cr as on 31.03.2021. Gross Advances have shown year on year growth of 13.45%.

Way forward:

Bank is entering the new financial year 2021-22 at a time when second wave of pandemic is spreading widely. The stimulus measures and reforms initiated by the Government and liquidity measures by the RBI are expected to support industrial activity and demand. COVID-19 vaccination program launched in January 2021 will further help with economic recovery. During these difficulties, we will continue to evolve and provide latest products and Superior services to our customers. Our bank will continue to improve its business position while navigating these uncertain times.

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

मुख्य कार्य निदर्शन संकेतक / KEY PERFORMANCE INDICATORS

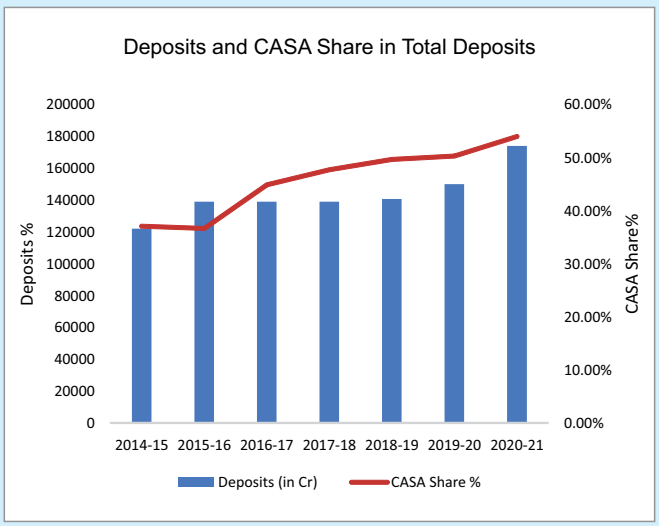

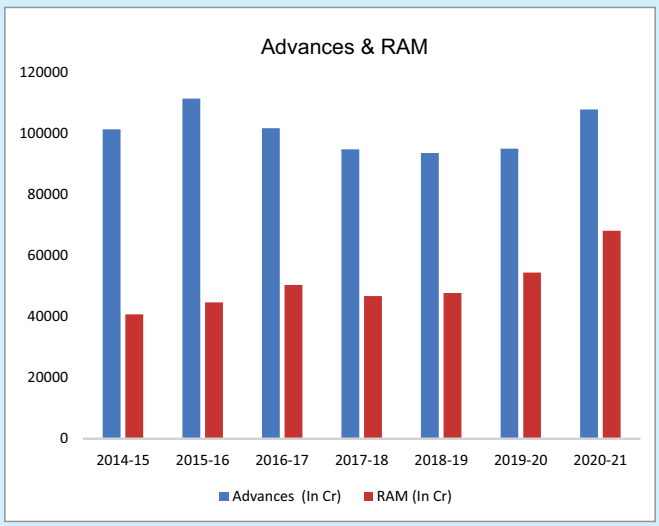

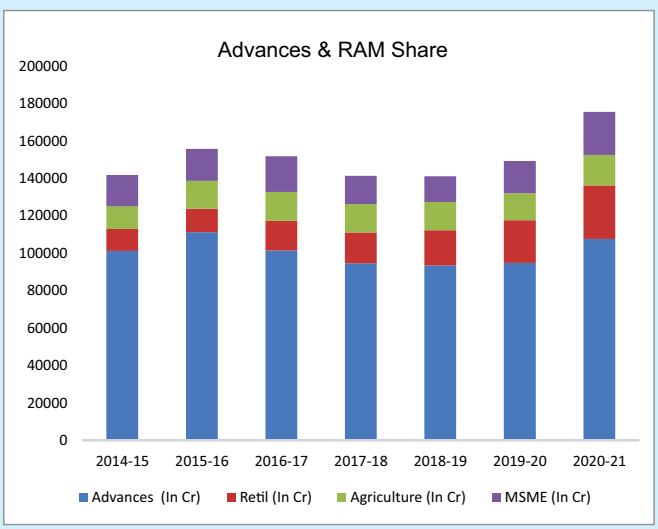

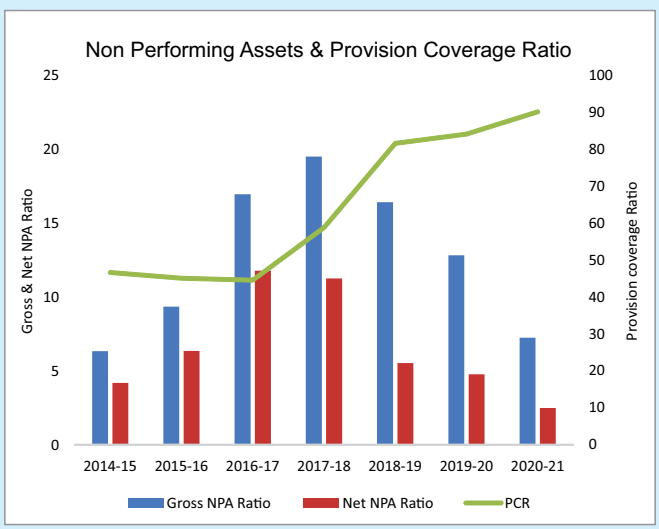

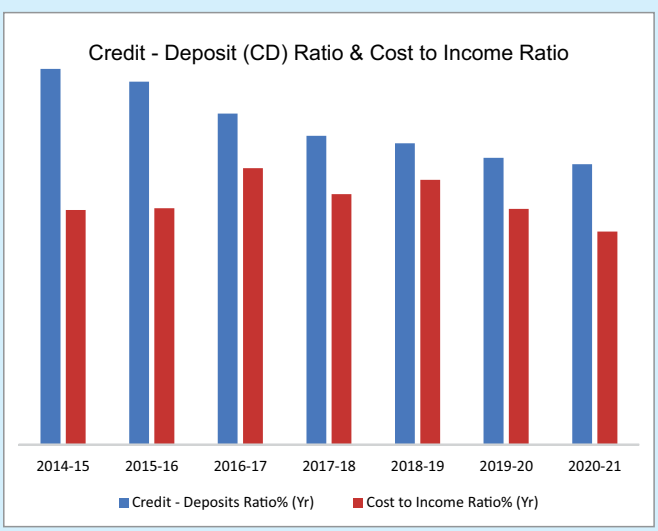

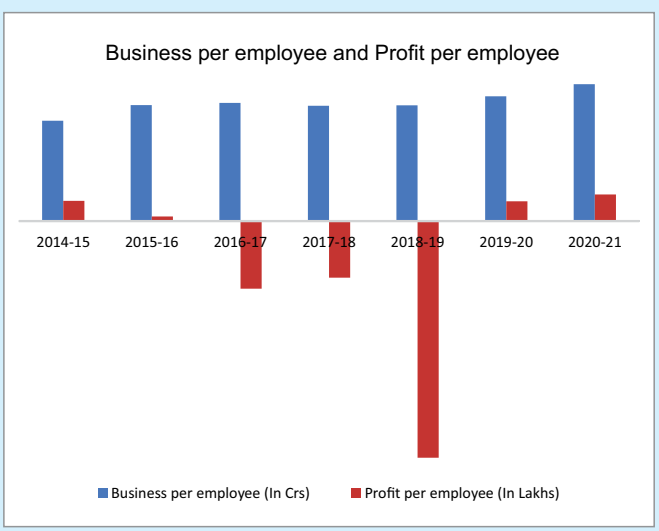

प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1168	2598	2753	5824	6560
आरक्षितियां Reserves	6211	7346	2986	4931	5573
कुल जमाराशियां Total Deposits	**139053**	**138981**	**140650**	**150066**	**1,74,006**
वृद्धि % Growth %	0.05	-0.05	1.20	6.69	15.95
कुल जमाराशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	44.89	47.74	49.65	50.29	53.99
अग्रिम Advances	**101537**	**94645**	**93467**	**94889**	**1,07,654**
वृद्धि % Growth %	-8.72	-6.79	-1.24	1.52	13.45
रिटेल अग्रिम Retail Advances	15792	16547	18805	22810	28,651
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	**40388**	**40709**	**35426**	**38,900**	**49109**
कृषि Agriculture	17960	17199	15120	14385	16,202
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	**20419**	**15940**	**13727**	**17164**	**23,133**
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	2921	2887	2923	3017	3813.63
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1738	2333	2317	2530	2911.31
निर्यात ऋण Export Credit	1213	1210	1200	1167	1310.99
कुल आय Total Income	13570	12602	12397	13145	14,494
कुल व्यय Total Expenditure	11743	10411	10199	10298	10,536
परिचालन लाभ Operating Profit	1827	2191	2198	2847	3,958
निवल लाभ Net Profit	-1373	-1146	-4784	389	550
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1897	1846	1832	1833	1,915
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1878	1864	1858	1851	1,950
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)					
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल II(%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%)	11.18	11	11.86	13.52	14.49
प्रति शेयर आय Earning Per Share	-11.75	-8.98	-14.26	0.67	0.88
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	46.96	23.73	10.24	11.99	12.22
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	18.54	18.07	18.13	19.55	21.45
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	-10.58	-8.86	-37.04	3.1	4.19
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	-0.86	-0.73	-3.01	0.23	0.3
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	60.98	55.24	58.39	51.97	47.39
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	16.93	19.48	16.4	12.81	7.23
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	11.76	11.24	5.52	4.77	2.48
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	44.48	58.71	81.49	83.97	89.86
एएनबीसी को प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	34.99	38.63	40.7	42.47	54.23

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1) आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2020-21:

कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभूतपूर्व आर्थिक मंदी देखी गई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों ने विकास की गति को कम कर दिया। 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पहली बार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संकुचन देखा गया। लॉकडाउन के दौरान कमजोर लोगों को राहत देने और अनलॉकिंग के दौरान खपत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैलिब्रेटेड वित्तीय और मौद्रिक सहायता प्रदान की गई। मौद्रिक नीति संचरण को खोलते हुए देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत सुनिश्चित करते हुए एक अनुकूल मौद्रिक नीति तैयार की गई। महामारी के कारण भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 21 की Q1 में 23.90% और Q2 में 7.50% संकुचित हुई। जैसे ही कोविड -19 महामारी की पहली लहर का असर कम हुआ और अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोला गया, भारत की जीडीपी में Q3 में वार्षिक आधार पर 0.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण उपभोक्ता खर्च, सरकारी पूंजीगत व्यय में सुधार और निर्माण क्षेत्र में विस्तार था।

महामारी की वजह से आपूर्ति पक्ष में व्यवधान के कारण वित्तीय वर्ष 2011 में रिटेल मुद्रास्फीति 6.16 प्रतिशत तक पहुंच गई। हालांकि, खाद्य कीमतों में कमी के कारण अप्रैल 2021 में यह घटकर 4.29 प्रतिशत रह गई। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति उदार बनी रही। 2020-21 के दौरान आरबीआई द्वारा तरलता समर्थन और आरबीआई नीति रेपो दर में 115 बीपीएस की कटौती की गई। इस बीच, वित्तीय वर्ष 21 में वर्ष दर वर्ष बैंक ऋण वृद्धि (5.6 प्रतिशत) जमा वृद्धि (11.4 प्रतिशत) से कम बनी रही।

1.2) 2021-22 के लिए आउटलुक

कई देशों में बहुविध वैक्सीन अनुमोदन और टीकाकरण अभियान शुरू होने से महामारी का प्रभाव कम रहने की आशा जगी है। WEO ने 2020 की दूसरी छमाही में क्षेत्रों में अनुमानित औसत से अधिक मजबूत गति का पूर्वानुमान दिया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित कुछ देशों में 2021 के लिए घोषित बड़े वित्तीय सहयोग से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कोविड -19 की दूसरी लहर के अपेक्षा से अधिक परिमाण ने आर्थिक गतिविधियों के तीव्र सुधार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अभी तक परिदृश्य अस्पष्ट है और यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरी लहर के क्या परिणाम होते हैं। सितंबर 2021 से कोविड -19 की दूसरी लहर कम होने और पर्याप्त संख्या में टीकों की उपलब्धता के साथ, वित्तीय वर्ष 22 की दूसरी छमाही में वृद्धि का संवेग बढ़ने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 22 में भारतीय जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है और आरबीआई का अपने उदार रुख को जारी रखने की संभावना है।

2. व्यवसाय व जमाराशियों का कार्यनिष्पादन 2019-20

1. बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2020 को ₹ 2,44,955 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹ 2,81,659 करोड़ रहा। बैंक के कारोबार में 14.98% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
2. कुल जमाराशियां 31.03.2020 के ₹ 1,50,066 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31.03.2021 को ₹ 1,74,006 करोड़ रही, जो 15.95% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।
3. कासा जमाराशियां 31.03.2020 के ₹ 75,475 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹ 93,945 करोड़ रही, जिसमें 24.47% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2021.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.1 Economic and Banking Scenario 2020-21

The global economy witnessed an unprecedented economic downturn in FY 2020-21 due to Covid-19 pandemic. The lockdowns and social distancing norms have reduced the growth momentum. Global economic output was estimated to fall by 3.5 percent in 2020. Indian economy also witnessed contraction in gross domestic product (GDP) for the first time since independence. Calibrated fiscal and monetary support was provided, cushioning the vulnerable during the lockdown and boosting consumption and investment during the unlocking. A favorable monetary policy ensured abundant liquidity and immediate relief to debtors while unclogging monetary policy transmission. India's GDP due to pandemic contracted by 23.90% in Q1 and 7.50% in Q2 of FY21. As the first wave of Covid-19 pandemic eased and economy was slowly opened up India's GDP grew by 0.40 percent YoY in Q3 mainly attributed to improvement in Consumer Spending, Government Capital Expenditure and expansion in Construction Sector.

Retail inflation firmed up to 6.16 percent in FY21 due to supply side disruptions caused by the pandemic. However, it reduced to 4.29 percent in April 2021 owing to decrease in food prices. Monetary policy remained accommodative during the year. RBI policy repo rate was cut by 115 bps and liquidity support by RBI during 2020-21 was significantly enhanced. Meanwhile, year on year bank credit growth (5.6 percent) continued to lag behind deposit growth (11.4 percent) in FY21.

1.2 Outlook for 2021-22

Multiple vaccine approvals and the launch of vaccination drives in many countries have raised hopes for less impact of the pandemic. WEO forecast suggest stronger-than-projected momentum on average across regions in the second half of 2020. The sizable fiscal support announced for 2021 in some countries, including most recently in the United States and Japan, will help lift economic activity among advanced economies. With respect to Indian economy the larger than expected magnitude of Covid-19 second wave has posed a serious threat to the faster recovery of economic activities. As of now the outlook is hazy and will largely depend on how the second wave pans out. With the Covid-19 second wave starting to wane and availability of sufficient number of vaccines from September 2021, growth in second half of FY22 is likely to pick up. Indian GDP is expected to grow around 10 percent in FY22 and RBI is likely to continue with its accommodative stance.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2020-21

i. Total Business of the bank has increased from ₹ 2,44,955 crore as on 31.03.2020 to ₹ 2,81,659 crore as on 31.03.2021. Business of the Bank showcased annual growth of 14.98%.

ii. Total deposits of the bank increased from ₹ 1,50,066 crore as on 31.03.2020 to ₹ 1,74,006 crore as on 31.03.2021. Total deposits have showcased annual growth of 15.95%.

iii. CASA deposits have increased form ₹ 75,475 crore as on 31.03.2020 to ₹ 93,945 crore as on 31.03.2021 showcasing annual growth of 24.47%.

4. सकल अग्रिम 31.03.2020 के ₹ 94,889 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹ 1,07,654 करोड़ रहे। सकल अग्रिमों में 13.45% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रदर्शित हुई ।

5. परिचालन लाभ 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के ₹ 2847.06 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए 39.01% बढ़कर ₹ 3957.68 करोड़ रहा। इसी अवधि के दौरान निवल लाभ 41.61% वृद्धि के साथ ₹ 388.58 करोड़ से बढ़कर ₹ 550.25 करोड़ हो गया.

2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

विनियोजित ऋण	31.03.2021 को बकाया (₹ करोड़ में)	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2020 को बकाया (₹ करोड़ में)	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
उद्योग	34,129.68	31.70%	30,113.57	31.74%
इसमें से				
i. अवसंरचनात्मक	14,347.11	13.33%	7,370.82	7.77%
ii. रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1,121.67	1.04%	1,430.82	1.51%
iii. पेट्रोलियम	588.66	0.55%	688.76	0.73%
iv. लोहा व स्टील	859.89	0.80%	1,609.59	1.70%
v. एनबीएफसी व व्यापार	9,232.69	8.58%	10,759.03	11.34%
vi. इंजीनियरिंग	1,245.15	1.16%	2,336.55	2.46%
vii. निर्माण	80.94	0.08%	1.78	0.00%
viii. अन्य उद्योग	6,653.57	6.18%	5,916.35	6.24%
कृषि	16,201.98	15.05%	14,384.66	15.16%
एमएसएमई	23,132.87	21.49%	17,163.92	18.09%
आवास	17,909.07	16.64%	14,915.71	15.72%
शिक्षा	1,287.66	1.20%	1,227.70	1.29%
निर्यात	1,310.99	1.22%	1,167.11	1.23%
वाणिज्यिक भूसंपदा	1,508.58	1.40%	1,611.34	1.70%
सकल अग्रिम	**1,07,653.77**		**94,888.98**	

2.2 गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

- बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में "आस्ति वसूली कक्षों (एआरसी)" की स्थापना की है ताकि उन्नयन और एनपीए वसूली के लिए ध्यान केंद्रित करने के प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।
- बैंक ने अपने अंचलों में बड़े एनपीए खातों, विशेषकर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है तथा जहां बैंक को अनुवर्तन की दृष्टि से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है,के लिए बारह आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) भी स्थापित की हैं, ताकि अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- इसके साथ ही बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग के माध्यम से दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत बैंक ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में 4 (चार) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं की स्थापना की हैं, जहां ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के शेषवाले एनपीए की निगरानी की जाती है। एनपीए वसूली में सुधार हेतु केन्द्रित अनुवर्तन किया जाएगा।
- लोन ट्रैकिंग कक्ष की स्थापना की गई है, जहां बैंक स्लिपेजेस/ दबावग्रस्त खातों के उधारकर्ताओं के साथ दैनिक आधार पर टेलिफोन से अनुवर्तन करता है और अतिदेयों के पुनर्भुगतान पर जोर दिया जाता है। ऐसा अपेक्षित है कि इसके परिणामस्वरूप वसूली में सुधार और एनपीए में कोटिउन्नयन होगा।
- इरादतन चूककर्ताओं की पहचान, डीआरटी/ सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में अलग कक्षों की भी स्थापना की है।

iv. Gross advances have increased from ₹ 94,889 crore as on 31.03.2020 to ₹ 1,07,654 crore as on 31.03.2021. Gross Advances have shown year on year growth of 13.45%.

v. Operating Profit increased 39.01% to ₹ 3957.68 crore in year ended 31.03.2021 from ₹ 2847.06 crore in year ended 31.03.2020. During the same period Net Profit increased 41.61% to ₹ 550.25 crore from ₹ 388.58 crore.

2.1 Sectoral Deployment of Credit

Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2021 (in ₹ Crore)	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2020 (in ₹ Crore)	Percentage to total O/s
Industry	34,129.68	31.70%	30,113.57	31.74%
Of which				
i. Infrastructure	14,347.11	13.33%	7,370.82	7.77%
ii. Chemicals & Chemical Products	1,121.67	1.04%	1,430.82	1.51%
iii. Petroleum	588.66	0.55%	688.76	0.73%
iv. Iron and Steel	859.89	0.80%	1,609.59	1.70%
v. NBFCs and Trading	9,232.69	8.58%	10,759.03	11.34%
vi. Engineering	1,245.15	1.16%	2,336.55	2.46%
vii. Construction	80.94	0.08%	1.78	0.00%
viii. Other Industries	6,653.57	6.18%	5,916.35	6.24%
Agriculture	16,201.98	15.05%	14,384.66	15.16%
MSME	23,132.87	21.49%	17,163.92	18.09%
Housing	17,909.07	16.64%	14,915.71	15.72%
Education	1,287.66	1.20%	1,227.70	1.29%
Exports	1,310.99	1.22%	1,167.11	1.23%
Commercial Real estate	1,508.58	1.40%	1,611.34	1.70%
Gross Advances	1,07,653.77		94,888.98	

2.2 Asset Quality and NPA Management

- The Bank has set up “Asset Recovery Cells (ARC)” at all zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery.
- Twelve Asset Recovery Branches (ARBs) have also been set up across the Bank’s Zones for large NPA accounts, more particularly where legal actions are in progress so as to make focused follow up.
- Further, Bank has established Stressed Assets Management Vertical by way of a separate department at Head Office under which Bank has started 4 (four) Stressed Assets Management (SAM) branches in Delhi, Mumbai, Hyderabad and Pune, where NPAs with balance of ₹ 5 crore and above are being monitored. Focused follow up is undertaken to improve NPA recovery.
- Loan Tracking Cell has been established where Bank undertakes telephonic follow up on daily basis with borrowers of stressed accounts / slippages and repayment of over dues is ensured. This has resulted in improving recovery and upgradation of NPAs.
- The Bank has also set up separate Cells at Head Office for identification of Wilful Defaulters and gearing up actions under DRT/ SARFAESI Acts.

- बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने ऐसी निम्नलिखित ओटीएस योजनाओं की शुरूआत की है:

  क. **महा राहत योजना 2020-21:** संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, संदिग्ध- III, हानि और TWO श्रेणी में NPA खातों के निपटान के लिए योजना, जिनमें 31.03.2020 को लेजर बैलेंस ₹ 1.00 करोड़ तक है। यह योजना 01.06.2020 से प्रभावी थी।

  ख. **महा समाधान योजना 2020-21:** निम्नलिखित के अंतर्गत एनपीए खातो के निपटान के लिए योजना :

  i. संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, संदिग्ध- III, हानि और TWO श्रेणी जिनमें 31.03.2020 को लेजर बैलेंस ₹ 1.00 करोड़ से अधिक से ₹ 25.00 करोड़ तक है।

  ii. संदिग्ध- III, हानि और TWO श्रेणी जिनमें 31.03.2020 को लेजर बैलेंस ₹ 25.00 करोड़ से अधिक से ₹ 50.00 करोड़ तक है।

- बैंक ने दौरे, पत्र, नोटिस, वसूली शिविर, लोक अदालतों, महाबैंक अदालतों, सरफेसी / डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है। रिजॉल्यूशन एजेंटों/ वसूली एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, ताकि शीघ्र निपटान हो सके। बैंक ने दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 के प्रवाधानों के अंतर्गत भी विभिन्न बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:

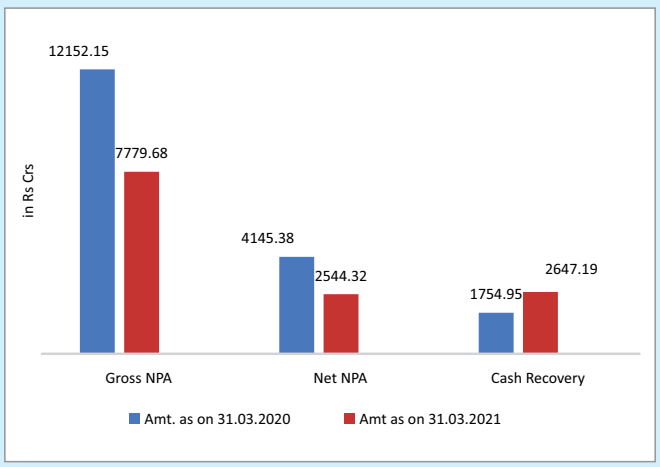

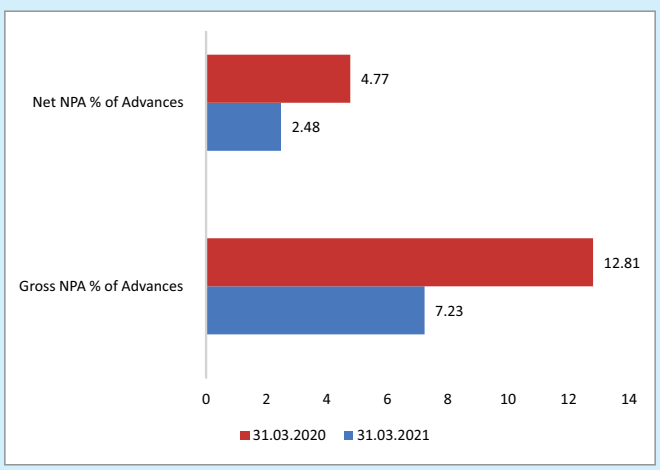

- Bank has been implementing suo-moto non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) schemes. During 2020-21 the Bank introduced following OTS schemes:

  a. **Maha Rahat Yojana 2020-21:** Scheme for the settlement of NPA accounts in Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss and TWO category having Ledger Balance up to ₹ 1.00 crore as of 31.03.2020. This scheme was effective from 01.06.2020.

  b. **Maha Samadhan Yojana 2020-21:** Scheme for the settlement of NPA accounts under:

  i. Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss and TWO category having Ledger Balance above ₹ 1.00 crore and up to 25.00 crore as of 31.03.2020.

  ii. Doubtful-III, Loss and TWO category having Ledger Balance above ₹ 25.00 crore and up to 50.00 crore as of 31.03.2020.

- Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, Mahabank Adalats, actions under SARFAESI / DRT Act. Services of Recovery Agents / Resolution Agents are engaged so as to have an early resolution. The Bank has also initiated action under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code 2016 against various large NPA borrowers.

Position of Non- Performing Assets was as under:

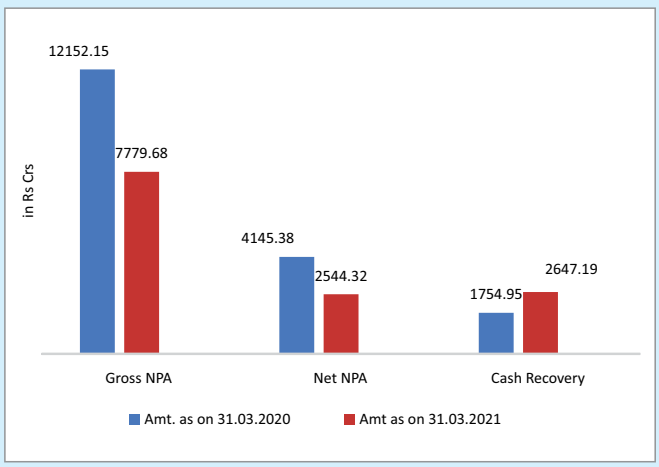

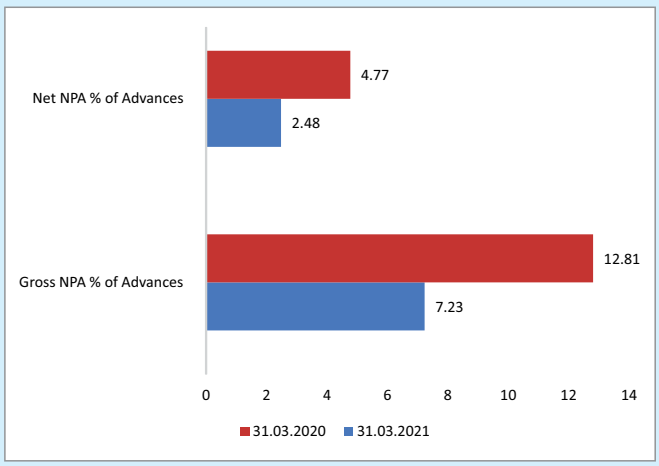

2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

'ए' श्रेणी के रूप में मुंबई स्थित खजाना व अंतर्राष्ट्रीय शाखा (टीआईबीबी) के अतिरिक्त बैंक के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास वर्तमान में देश भर में 36 बी श्रेणी की शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मर्चेन्ट व्यवसाय ₹ 30,451.46 करोड़ रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20	प्रतिशत (+/-)
कुल एफईएक्स व्यवसाय टर्नओवर	634389.59	568236.68	11.64%
व्यापारी व्यवसाय टर्नओवर	30451.46	35127.77	-13.31%
एफईएक्स व्यवसाय में लाभ	153.09	166.07	-7.82%

2.4 निवेश

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2021 को सकल निवेश ₹ 68,646.70 करोड़ रहा, जिसमें से ₹ 52,196.56 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और ₹16,450.14 करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं। 31.03.2021 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां ₹ 21,498.85 करोड़ रही।
- निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) 31.03.2020 के ₹ 57,740.85 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹ 68,111.65 करोड़ रहा। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 69.35% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) 31.03.2021 तक कुल निवेश पोर्टफोलियो का 30.65% शामिल है। निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान ₹ 4,203.89 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹ 4,158.32 करोड़ रही (1.08% की कमी).
- 31.03.2021 को गैर-निष्पादन निवेश ₹ 446.97 करोड़ रुपए रहा.

2.3 Foreign Exchange Business

Currently, the bank has 36 "B" Category Branches across the country catering to the international business needs of the customers of the Bank apart from Treasury and International Banking Branch (TIBB) at Mumbai as "A" category Branch. The Merchant Business for FY 2020-21 stood at ₹ 30,451.46 crore. The performance during the year 2020-21 can be seen below:

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20	Percentage of (+/-)
Total FEX Business Turnover	634389.59	568236.68	11.64%
Merchant Business Turnover	30451.46	35127.77	-13.31%
Profit in FEX Business	153.09	166.07	-7.82%

2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- The Gross Investments as on 31.03.2021 stood at ₹ 68,646.70 crore, of which ₹ 52,196.56 crore are SLR securities and ₹ 16,450.14 crore are Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2021 stood at ₹ 21,498.85 crore.
- The net investments (net of provisions) stood at ₹ 68,111.65 crore as on 31.03.2021 as compared to ₹ 57,740.85 crore as on 31.03.2020. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 69.35%, while Available for Sale (AFS) comprised of 30.65% of total investment portfolio as of 31.03.2021. The net interest income from investment activity stood at ₹ 4,158.32 crore in year ended 31.03.2021 as compared to ₹ 4,203.89 crore during the last year (down by 1.08%).
- The Non-Performing Investments stood at ₹ 446.97 crore as on 31.03.2021.

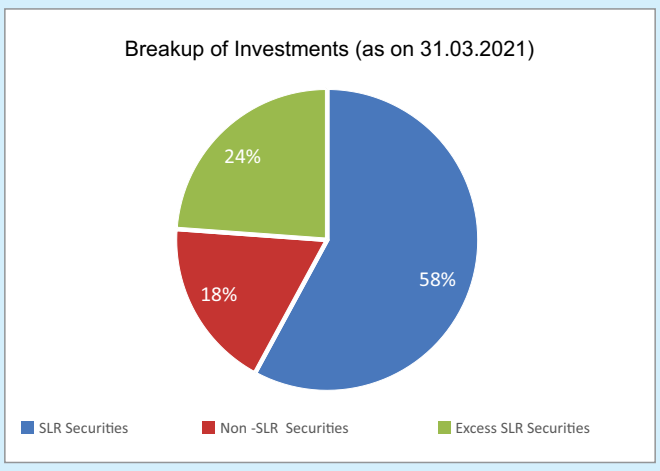

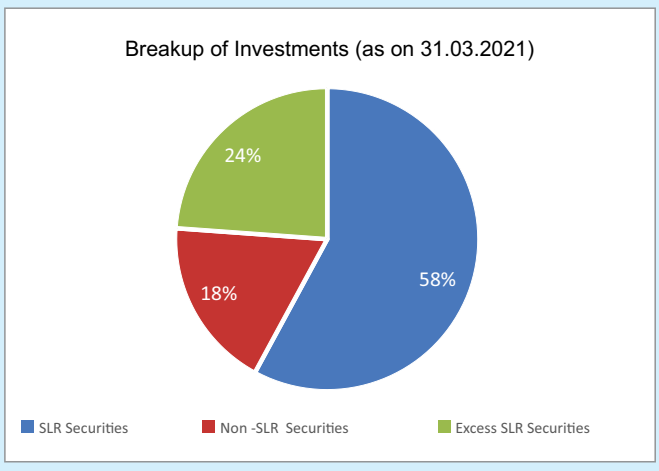

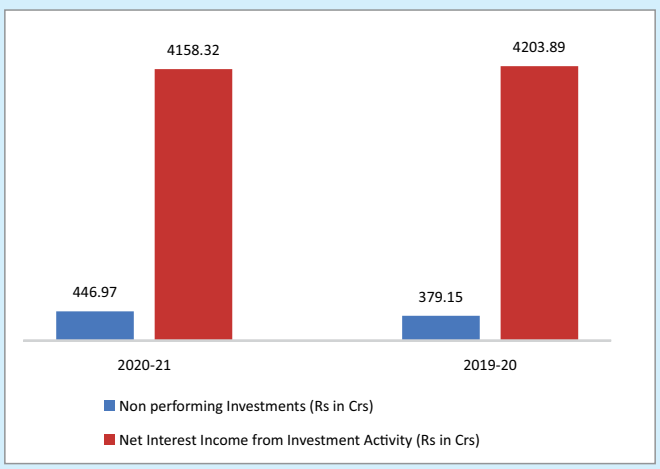

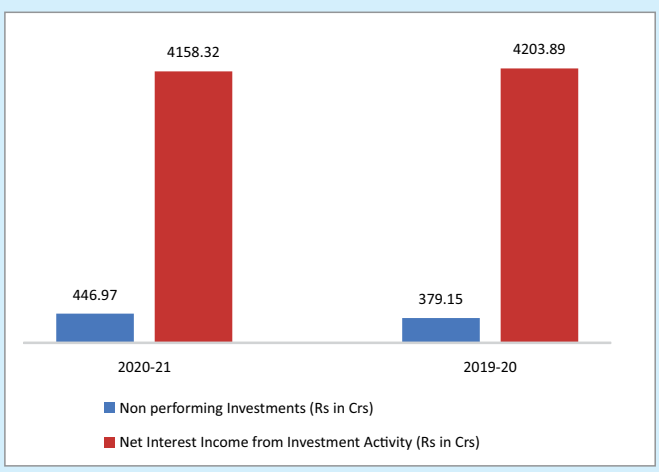

2.5 व्यापारी बैंकिंग :

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹ 32,745 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22,220 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 44 मामले (पिछले साल 63 मामले) का संचलन किया है।

2.6 उधारियां :

31 मार्च 2021 को बैंक की उधारियां निम्नानुसार पुनःवित्त सहित, ₹ 4238.75 करोड़ रही;

विवरण	31.03.2021 को राशि	31.03.2020 को राशि	प्रतिशत (+/-)
कुल उधारियां	4,238.75	3,670.03	15.50%
जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबैं उधारियां	500.00	478.00	4.60%
जिनमें से बाजार आरईएफओ उधारियां	0.00	0.00	-
जिनमें से टीआरईपीएस (जी-सेक) उधारियां	0.00	0.00	-
जिसमें से पुनःवित्त			
नाबार्ड	0.00	0.00	-
एक्जिम बैंक	0.00	0.00	-
एनएचबी	0.00	0.00	-
मुद्रा	0.00	0.00	-
सिडबी	51.55	85.75	-39.88%
जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	3,605.70	3,100.00	16.31%
भारत से बाहर उधारियां	81.45	6.23	1207.38%
अन्य	0.05	0.05	0.00%

2.7 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है.
- बैंक ने बुनियादी सेवाएं डीमैट खाता सुविधा (बीएसडीए) भी शुरू की है।
- बैंक ने नेट-बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से एएसबीए की शुरुआत की है।

2.8 बैंकएश्योरेन्स

- बैंक एश्योरेंस व्यवसाय करने हेतु बैंक तीनों सेग्मेंट अर्थात जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा हेतु कॉर्पोरेट एजेंट है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार देखा जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

बीमा	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम (₹ करोड़)	कमीशन (₹ करोड़)
जीवन	8,728	46.75	8.65
सामान्य	1,35,996	49.84	6.06
स्वास्थ्य	55,518	46.18	6.92
कुल	**2,00,242**	**142.77**	**21.63**

2.5 Merchant Banking

The Bank handled 44 issues (previous year 63 issues) of Commercial Paper amounting to ₹ 32,745 crore (previous year ₹ 22,220 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

2.6 Borrowings

The borrowing of the Bank as on March 31, 2021 stood at ₹ 4238.75 crore including re-finance as under:

Particular	Amount as at 31.03.2021	Amount as at 31.03.2020	Percentage of (+/-)
Total Borrowing	4,238.75	3,670.03	15.50%
of which Borrowing RBI under LAF	500.00	478.00	4.60%
of which Borrowing Market REPO	0.00	0.00	–
Of which Borrowing TRePS (G-Sec)	0.00	0.00	–
Of which Refinance from			–
NABARD	0.00	0.00	–
EXIM BANK	0.00	0.00	–
NHB	0.00	0.00	–
MUDRA	0.00	0.00	–
SIDBI	51.55	85.75	-39.88%
Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	3,605.70	3,100.00	16.31%
Borrowings outside India	81.45	6.23	1207.38%
Others	0.05	0.05	0.00%

2.7 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has also introduced Basic Services DEMAT Account Facility (BSDA).
- Bank has introduced ASBA through net-banking and UPI.

2.8 Bancassurance

- Bank is corporate agent for carrying out Bancassurance business under all three segments i.e. Life Insurance, General Insurance and Health Insurance.
- Performance during the year 2020-21

(₹ in Crore)

Insurance	No. of Policies	Premium (₹ Cr)	Commission (₹ Cr)
Life	8,728	46.75	8.65
General	1,35,996	49.84	6.06
Health	55,518	46.18	6.92
Total	**2,00,242**	**142.77**	**21.63**

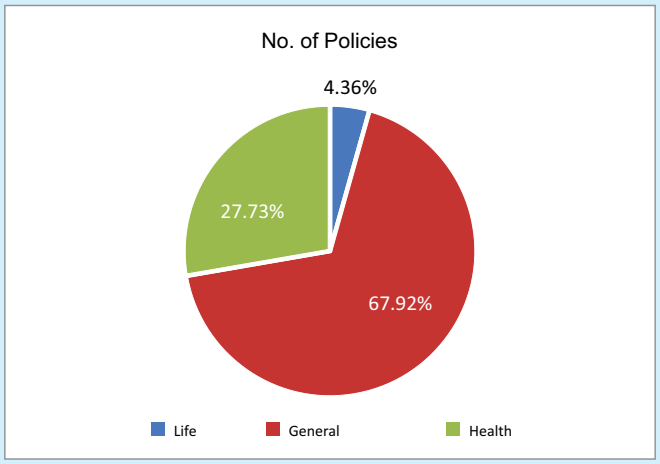

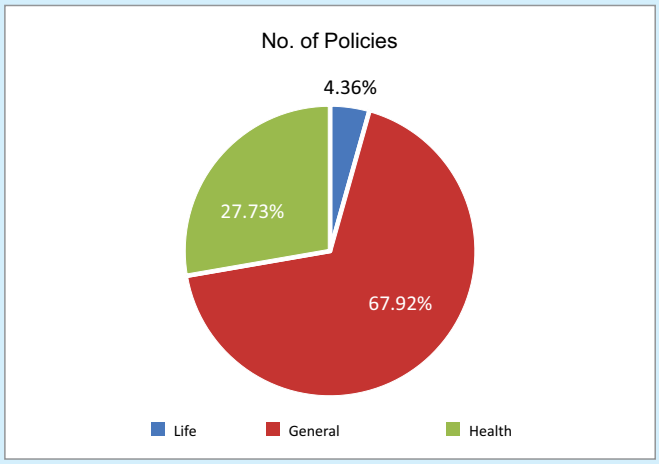

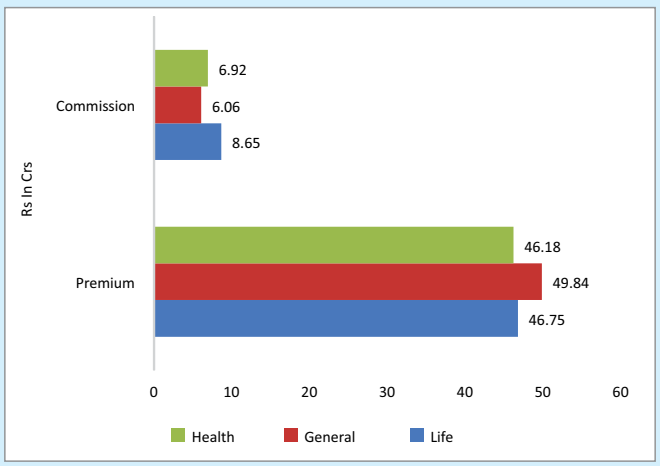

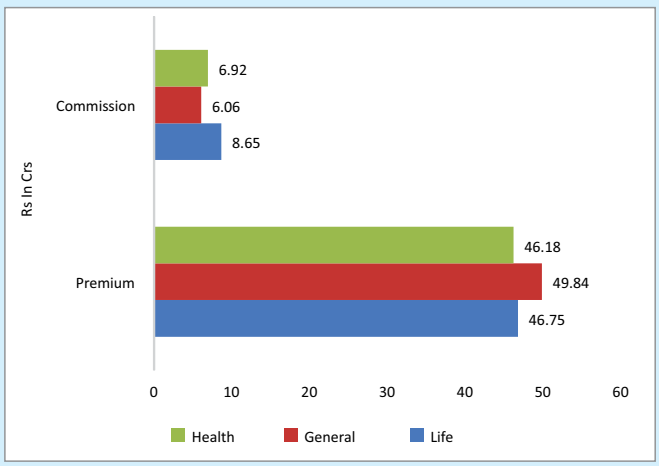

2.9 सरकारी कारोबार

- बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल 4,67,399 प्रत्यक्ष कर चालान और 31,963 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए। चालू वर्ष के दौरान केंद्र/ राज्य सरकार से कर वसूली व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से ₹ 3.74 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ।
- वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में, बैंक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 107307 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹ 10.81 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ। .
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,14,517 नए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते खोले हैं।

2.9 Government Business

- During the Year 2020-21, 4,67,399 Challans of direct taxes and 31,963 Challans of Indirect taxes were collected by the branches. Total Commission to the tune of ₹ 3.74 Crore was received on tax collection business from Central/state government and other business in current Year.
- As a service to senior citizens, the bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 107307 at Central government, Defense, Railway and Telecom pensioners at central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2020-21 is ₹ 10.81 Crores.
- Bank has opened 1,14,517 new Public Provident fund (PPF) accounts in FY 2020-21.

2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 13144.68 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 14,493.80 करोड़ रही. विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

ब्योरा	2019-20	2018-19	अंतर (% में)
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	7153.93	6409.27	11.62%
निवेशों पर आय	4153.4	4202.69	-1.17%
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	561.21	883.49	-36.48%
कुल ब्याज आय	**11868.54**	**11495.45**	**3.25%**
गैरब्याज आय	2625.26	1649.23	59.18%
कुल आय	**14493.8**	**13144.68**	**10.26%**
जमा पर ब्याज	6525.95	6757.19	-3.42%
उधारी पर ब्याज	49.65	20.56	141.49%
अन्य ब्याज व्यय	395.47	438.90	-9.90%
कर्मचारी व्यय	2255.21	1743.82	29.33%
अन्य प्रचालनगत व्यय	1309.84	1337.15	-2.04%
कुल गैर ब्याज व्यय	**3565.05**	**3080.97**	**15.71%**
कुल व्यय	**10536.12**	**10297.62**	**2.32%**
प्रचालनगत लाभ	3957.68	2847.06	39.01%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3407.43	2458.48	38.60%
निवल लाभ/ (हानि)	550.25	388.58	41.61%

2.11 वित्तीय अनुपात :

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के विभिन्न वित्तीय मानकों को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

विवरण	2020-21	2019-20
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	0.88	0.67
आय से लागत का अनुपात (%)	47.39	51.97
आस्तियों पर आय (%)	0.30	0.23
इक्विटी पर आय (%	7.17	6.32
प्रतिशेयर बही मूल्य (₹)	12.22	11.99
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	28.02	21.20
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	4.19	3.10
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	143.11	133.64
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	21.45	19.55
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.42	6.78
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजीआय	1.42	0.97
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)*	2.84	2.60
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	2.14	1.68
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.22	1.03
लाभांश (प्रतिशत)	0.00	0.00
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	8019.20	6985.74
सीआरएआर (%) बेसल II	14.49	13.52
जिसमें से टियर -I सीआरएआर (%) (बेसल II)	10.98	10.67

2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank stood at ₹ 14,493.80 crore in FY 2020-21 as compared to ₹ 13,144.68 crore in FY 2019-20. The detailed income/expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20	Variation (in %)
Interest / discount on advances / bills	7153.93	6409.27	11.62%
Income on investments	4153.4	4202.69	-1.17%
Interest on interbank lending & other Interest	561.21	883.49	-36.48%
Total interest income	**11868.54**	**11495.45**	3.25%
Non-interest income	2625.26	1649.23	59.18%
Total Income	**14493.8**	**13144.68**	10.26%
Interest on deposits	6525.95	6757.19	-3.42%
Interest on borrowings	49.65	20.56	141.49%
Other Interest expenditure	395.47	438.90	-9.90%
Staff expenses	2255.21	1743.82	29.33%
Other Operating expenses	1309.84	1337.15	-2.04%
Total Non-interest expenses	**3565.05**	**3080.97**	15.71%
Total Expenses	**10536.12**	**10297.62**	2.32%
Operating Profit	3957.68	2847.06	39.01%
Provisions and Contingencies	3407.43	2458.48	38.60%
Net Profit	550.25	388.58	41.61%

2.11 Financial Ratios

The various financial parameters of the Bank during the year 2020-21 can be seen below:

Particulars	2020-21	2019-20
EPS (₹)	0.88	0.67
Cost to Income Ratio (percent)	47.39	51.97
Return on assets (percent)	0.30	0.23
Return on equity (per cent)	7.17	6.32
Book value per share (₹)	12.22	11.99
Profit per Branch (₹ in lakh)	28.02	21.20
Profit per employee (₹ in lakh)	4.19	3.10
Business per Branch (₹ in crore)	143.11	133.64
Business per employee (₹ in crore)	21.45	19.55
Interest income as per cent to Average working funds	6.42	6.78
Non-Interest income as per cent to average working funds	1.42	0.97
Net Interest Margin (per cent)*	2.84	2.60
Operating Profit as per cent to average working Funds	2.14	1.68
Staff expenses as a percent to average working funds	1.22	1.03
Dividend (per cent)	0.00	0.00
Net worth (₹ in crore)	8019.20	6985.74
CRAR (%)	14.49	13.52
Of which, Tier I CRAR (%)	10.98	10.67

2.12 पूंजी

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 831 करोड़ के पूंजी प्रवाह के बदले भारत सरकार को 25 अगस्त, 2020 को ₹ 11.29 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर बैंक के ₹ 10/- के 73,60,49,601 इक्विटी शेयर आवंटित किए। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 505.70 करोड़ की टियर II पूंजी भी जुटाई।

2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2020 के ₹ 6,985.74 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹ 8019.20 करोड़ रहा.

2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 10.87% (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2021 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.49% रहा। सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात 10.98% रहा।

3. संसाधन : बैंकिंग आउटलेट, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य

3.1 शाखा आउटलेट / एटीएम नेटवर्क

31.03.2020 को 1833 की तुलना में 31.03.2021 को, बैंक के 1964 बैंकिंग आउटलेट सभी राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए थे। बैंकिंग आउटलेट्स में 1915 शाखाएं और 49 फिक्स्ड पॉइंट आउटलेट्स शामिल हैं, जिन्हें बैंक मित्र द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जिन्हें ग्राहक सेवा बिंदु (CSP) नाम दिया गया है।

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 86 नई शाखाएँ खोली और 69 अतिरिक्त जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बैंक ने ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी) के नाम से बैंक मित्र द्वारा सेवा प्रदान किए गए 46 फिक्स्ड पॉइंट आउटलेट भी खोले। इसी अवधि में 3 शाखाओं को सीएसपी में परिवर्तित किया गया और एक शाखा को दूसरी शाखा में मिला दिया गया। शाखा परिवर्तन और विलय के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती गई कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में कोई असुविधा न हो।

बैंक शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं. दिनांक 31.03.2021 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.	वर्गीकरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	ग्रामीण	611	616
2	अर्ध-शहरी	461	428
3	शहरी	372	331
4	महानगरीय	471	458
	कुल	**1915**	**1833**

एटीएम / सीआरएम नेटवर्क

31.03.2020 को 1851 की तुलना में 31.03.2021 को बैंक के पास 1950 स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और कैश रिसाइकलर मशीन (सीआरएम) थे। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 499 सीआरएम स्थापित किए।

	31.03.2021	31.03.2020
ऑफसाईट	445	545
ऑनसाईट	1505	1381
कुल	**1950**	**1926**

2.12 Capital

During the year, Bank has allotted 73,60,49,601 equity shares of ₹ 10/- each of Bank to Government of India at issue price of ₹11.29 per equity share on 25th August, 2020 against the capital infusion of ₹831 crore. Bank also raised Tier II capital of ₹ 505.70 crore in financial year 2020-21.

2.13 Net worth

The Bank's Net Worth stood at ₹ 8019.20 crore as on 31.03.2021 as against ₹ 6985.74 crore as on 31.03.2020.

2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 14.49% as on 31.03.2021, against the minimum requirement of 10.87% (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 capital ratio stood at 10.98%.

3. RESOURCES: BANKING OUTLETS, HUMAN RESOURCES, IT INFRASTRUCTURE, CUSTOMER RESPONSIVENESS AND OTHERS:

3 .1 Banking Outlet/ ATM Network

As on 31.03.2021, the Bank had 1964 banking outlets spread across all the States and six union territories as compared to 1833 as on 31.03.2020. The banking outlets comprised of 1915 branches and 49 fixed point outlets served by Bank Mitras, named as Customer Service Point (CSP).

During the year ended 31.03.2021 the Bank opened 86 new branches and set its footprint in 69 additional districts. Bank also opened 46 fixed point outlets served by Bank Mitras, named as Customer Service Points (CSP). In the same period 3 branches were converted into CSPs and one branch was merged with another branch. During the branch conversion and merger utmost care was taken to ensure that customers not put into any inconvenience in availing banking services.

The branch network includes specialized branches in the area of Foreign Exchange, Government Business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Micro Small and Medium Enterprises, Hi-tech agriculture etc. Area wise classification of branches as on 31.03.2021 is as under:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
1	Rural	611	616
2	Semi-Urban	461	428
3	Urban	372	331
4	Metro	471	458
	Total	**1915**	**1833**

ATM / CRM Network

The Bank had 1950 automated teller machines (ATMs) and cash recycler machines (CRM) as on 31.03.2021 as compared to 1851 as on 31.03.2020. During the year ended 31.03.2021 the Bank installed 499 CRMs.

	31.03.2021	31.03.2020
Offsite	445	545
Onsite	1505	1381
Total	**1950**	**1926**

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्य बल नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्यसंवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है.

भर्ती : वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार कर्मचारियों की भर्ती की :

वेतनमान I में 152 अधिकारी, वेतनमान II में 138 अधिकारी (जिसमें 23 विधि अधिकारी, 31 आईटी अधिकारी, 01 सुरक्षा और 83 सामान्य अधिकारी शामिल हैं), वेतनमान III संवर्ग में 29 सामान्य अधिकारी और 220 क्लर्क शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 926 कर्मचारी सेवानिवृत्ति, वीआरएस, इस्तीफा, बर्खास्तगी और मृत्यु के कारण सेवा से बाहर हो गए।

वर्ष के दौरान, 926 कर्मचारी सेवानिवृत्ति, वीआरएस, इस्तीफा, बर्खास्तगी और मृत्यु के कारण सेवा से बाहर हो गए।

2020-21 के दौरान अधिकारियों की अंतर-स्तरीय पदोन्नति की गई। निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत किया गया।

कप्रवेश्रे-I से मप्रवेश्रे- II	मप्रवेश्रे- II से मप्रवेश्रे- III	मप्रवेश्रे- III से वप्रवेश्रे- IV	वप्रवेश्रे-IV से वप्रवेश्रे-V	वप्रवेश्रे-V से वप्रवेश्रे- VI	वप्रवेश्रे- VI से उकावेश्रे- VII
55	259	87	20	12	4

वर्ष के दौरान 57 लिपिकों को स्केल I में अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया और 221 अंशकालिक उप-कर्मचारियों को उप-कर्मचारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया। लिंगानुपात प्रतिशत के साथ 31.03.2021 तक संवर्ग वार कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है:

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	4784	71.93	1867	28.07	6651
लिपिक	2700	66.13	1383	33.87	4083
अधीनस्थ कर्मचारी	1463	88.51	190	11.49	1653
अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	680	91.77	61	8.23	741
कुल	**9627**	**73.33**	**3501**	**26.67**	**13128**

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है. आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग सार्वजनिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की है.

अनुकंपा नियुक्ति - भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए अक्षमता के कारण दोहन या निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के 'अनुकंपा नियुक्तियों'/ एक्स ग्रेशिया एकमुश्त रकम का भुगतान करने की योजना को कार्यान्वित किया गया. वर्ष 2020-21 के लिए अनुकंपा नियुक्तियों का विवरण और पूर्व-अनुदान एकमुश्त राशि का भुगतान निम्नानुसार है:

अनुकंपा नियुक्तियां	
संवर्ग	**कर्मचारियों की संख्या**
लिपिक	13
अधीनस्थ कर्मचारी	10
कुल	**23**

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के पाठ्यक्रमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए, एफआरएम, बर्ड, पीआरएम, सीएफए के पाठ्यक्रमों के संबंध में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा नकद प्रोत्साहन/मानधन का भुगतान किया जाता था, जिसमें पाठ्यक्रमों की सूची में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place comprehensive HRM Policies that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

Recruitment: During the year 2020-21 the Bank has recruited employees as under:

152 Officers in Scale I, 138 Officers in Scale II (which includes 23 Law Officers, 31 IT Officers, 01 Security & 83 Generalist Officers), 29 Generalist Officers in Scale III cadre and 220 Clerks.

During the year, 926 employees exited from service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death.

Inter scale promotions of officers were carried out during 2020-21. Following number of Officers were promoted.

JMGS-I to MMGS-II	MMGS-II to MMGS III	MMGS-III to SMGS-IV	SMGS-IV to SMGS-V	SMGS-V to SMGS-VI	SMGS-VI to TEGS-VII
55	259	87	20	12	4

During the year 57 Clerks were promoted to Officer cadre in Scale I and 221 Part time Sub-staffs were promoted to Sub-staff cadre. The cadre wise staff position as of 31.03.2021 with gender ratio percentage is as under:

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	4784	71.93	1867	28.07	**6651**
Clerks	2700	66.13	1383	33.87	**4083**
Sub-staff	1463	88.51	190	11.49	**1653**
Part Time Sub-staffs	680	91.77	61	8.23	**741**
Total	**9627**	73.33	**3501**	26.67	**13128**

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all its Zonal Offices.

Compassionate Appointments - A Scheme for 'Compassionate Appointments'/ Payment of Ex-gratia lump-sum amount" to /of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented. Details of compassionate appointments for the year 2020-21 is as under:

Compassionate Appointments	
Cadre	**No. of employees**
Clerk	13
Sub-staff	10
Total	**23**

The reimbursement of examination fees & payment of cash incentive / Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed Institutions, FRM, BIRD, PRM, CFA etc. has been widened by adding courses in the list of courses for reimbursement of fees thereby making

जिनके परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी. जिसके साथ अब परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 38 पाठ्यक्रम पात्र हो गए हैं. किसी स्थान पर ड्यूटी के दौरान अधिकारी की दुर्घटना/ जख्मी होने पर अस्पतालीकरण व्ययों की 100% प्रतिपूर्ति किए जाने के साथ ही उसे विशेष छुट्टी प्रदान करने की नीति लागू की गई है.

प्रशिक्षण और विकास :

वर्तमान एवं उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण, विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया. कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट (एलएंडडी) रणनीति को वर्चुअल/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को समृद्ध बनाने के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे वे कहीं से भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

एमएसएमई के वित्तपोषण, खुदरा ऋण, कृषि वित्त, एनआरआई ग्राहक सेवा, सॉफ्ट स्किल्स और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्ग-वार विवरण निम्नानुसार है-

संवर्ग	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षित कर्मचारी
अधिकारी	139	474	4339
लिपिक	118	268	2359
अधीनस्थ कर्मचारी	118	268	2359
कुल	285	794	7135

कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाने के लिए बैंक द्वारा की गई पहलें / सावधानियां:

कोविड -19 के प्रकोप की पृष्ठभूमि में हमारे कर्मचारियों के हित में और व्यवसाय की निरंतरता में कई सावधानी उपाय किए गए हैं।

i. कोरोना वायरस के संचरण को कम करने के लिए निवारक उपायों के बारे में विभिन्न दिशानिर्देश जारी करके कर्मचारियों/ ग्राहकों के बीच जागरूकता उत्पन्न की गई है।

ii. कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना वायरस के संपर्क में आने की संभावना को कम करने के लिए लगभग 50% कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी गई, जबकि शेष कर्मचारियों को घर से काम (WFH) करने की अनुमति दी गई ।

iii. दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई थी और उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। इसी तरह, गर्भवती महिलाओं को बैक एंड में काम करने की अनुमति दी गई ताकि वे कम से कम एक्सपोज हों।

iv. ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों को ₹ 20.00 लाख की आपदा राहत प्रदान की गई।

v. सभी कर्मचारियों से अपने आश्रितों के साथ कोविड वैक्सीन लेने और टीकाकरण खर्च की प्रतिपूर्ति की अपील की गई।

vi. मौजूदा कर्मचारियों को कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति।

total 38 courses eligible for reimbursement of examination fees. A policy for granting special leave and 100% reimbursement of hospitalization expenses to officers when he/ she meets with an accident/ injury while on duty is in place.

Learning & Development:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, Forex, business development, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year. To meet the requirements of the lockdown imposed due to Covid-19 pandemic, Learning and Development (L&D) strategy has been customized for enriching employees through virtual/ online training programs, enabling them to avail these services from anywhere.

Training programs were also held on thrust areas like financing MSMEs, retail lending, agriculture finance, NRI customer service, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 01.04.2020 to 31.03.2021 are as under-

Cadre	No. of Programmes Training Days	Employees Trained	Cadre
Officers	139	474	4339
Clerks	118	268	2359
Clerks	118	268	2359
Total	**285**	**794**	**7135**

Initiatives/ Precautions taken by Bank to Protect Employees from Covid-19

In the backdrop of Covid-19 outbreak several precautionary measures in the interest of our employees and business continuity have been taken.

i. Awareness has been created among employees/ customers by issuing various guidelines about preventive interventions for reducing transmission of the Corona virus.

ii. In order to maintain social distancing at work place and reduce chances of contacting Corona virus about 50% of Employees were allowed to attend office while the remaining employees were allowed to work from home (WFH).

iii. Differently abled person employees were exempted from attending office and were allowed to work from home. Similarly, pregnant ladies were allowed to work in the backend so that they are least exposed.

iv. Distress relief of ₹ 20.00 Lakh to employees on account of loss of life due to COVID-19 while discharging duties was provided.

v. Appealed to all employees to take COVID vaccine along with their dependents and reimbursement of Vaccination expenses

vi. Reimbursement of hospitalization expenses for existing employees for the treatment of COVID-19.

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

2020-21 के दौरान बैंक द्वारा विभिन्न आईटी परियोजनाएं शुरू की गई और सफलतापूर्वक आरंभ/ उन्नत की गई, जो निम्नानुसार सूचीबद्ध की गई है:

- एमईआईटीवाय - डिजिटल स्कोर कार्ड: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)ने डिजिटल संव्यवहार के लिए 42.12 करोड़ का लक्ष्य रखा था और बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 41.99 करोड़ डिजिटल संव्यवहार प्राप्त किए। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1,03,201 के मर्चेंट ऑन बोर्डिंग लक्ष्य के समक्ष 76566 मर्चेन्ट ऑनबोर्ड किए। एमईआईटीवाय मासिक आधार पर डिजिटल भुगतान संव्यवहारों, मर्चेंट अधिग्रहण, यूपीआई और एईपी सिस्टम प्रणाली की प्रगति की निगरानी करता है और बैंकों को स्कोर बताता है। हमारे बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष में ''बेहतर'' श्रेणी कार्यनिष्पादन को बनाए रखा।
- बैंक में विभिन्न स्थलों पर बैंक ने 1050 स्व-अद्यतन पासबुक प्रिंटर कियोस्क, और 4 ऑफ साइट तथा 495 ऑन साइट री साइकलर्स का कार्यान्वयन किया।

  बैंक ने अपनी वर्तमान लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत करने के लिए बीएसएनएल से गठबंधन किया है. 31.03.2021 को 1759 लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत किया गया है. हमारी प्रणाली को अधिक लचीला बनाने के लिए, बैंडविड्थ को अतिरिक्त नेटवर्क सेवा प्रदाताओं से उपलब्ध कराया गया है. अब तक 1743 शाखाओं में दोहरी सेवा प्रदाता हैं.
- **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) -** बैंक ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है.एनसीएमसी में ऑनलाइन-ऑफलाइन संव्यवहारों और प्री-पेड वॉलेट सक्षमता दोनों ही विशेषताएं हैं. बैंक ने अब तक ग्राहकों को 6,22,570 एनसीएमसी कार्ड जारी किए हैं.
- **भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)** : बीबीपीएस संपूर्ण भारत में सभी ग्राहकों को संव्यवहार की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ एक अंतर-सुलभ और सहज "कभी भी कहीं भी" बिल भुगतान सेवा प्रदान करनेवाला सभी बिलों के भुगतान के लिए वन-स्टॉप इकोसिस्टम है. बैंक बिल भुगतान प्लैटफॉर्म पर पुणे नगर निगम (पीएमसी) एमएसईडीसीएल बिल भुगतान के लिए कॉर्पोरेट बिल भुगतान समाधान की पेशकश कर रहा है. बीबीपीएस सेवा बीसी (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) चैनल पर भी लाइव है.
- हमारे आईटी डिवीजन के लिए अगस्त 2015 में आईएसओ 27001: 2013 प्रमाणन प्राप्त किया गया, जिसमें प्र.का.-आईटी, डीसी, डीआर और सीबीएस परियोजना कार्यालय भी शामिल हैं. बैंक सतत रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है और बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए भी आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की निरंतरता के लिए सर्विलेंस लेखा परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है.
- पहला पीसीआई डीएसएस प्रमाणपत्र बैंक को डेबिट कार्ड पर्यावरण सुरक्षा के अनुपालन के लिए 12.09.2014 को प्रदान किया गया था और यह आज तक जारी है।
- ग्राहकों को बेहतर सुविधा और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए, DFS ने EASE (संवर्धित एक्सेस और सेवा उत्कृष्टता) एजेंडा और सुधार पेश किए हैं। बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन में अतिरिक्त 5 सेवाओं और 39 सुविधाओं का और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में 5 सेवाओं और 42 सुविधाओं का कार्यान्वयन किया। 'होम एंड मोबाइल' आधारित चैनलों के माध्यम से वित्तीय संव्यवहार की हिस्सेदारी 72% से बढ़कर 79% हो गई। साथ ही बैंक ने डिजिटल चेनलों में बीमा और ऋण मोड्यूल को शामिल किया ।

  बैंक सक्रिय रूप से भीम आधार पे भुगतान चैनल को बढ़ावा दे रहा है और 31.03.2021 को 38152 व्यापारी ऑन-बोर्ड हैं.
- बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) लागू की है, सरकारी एजेंसियां सीधे प्राप्तकर्ता बैंक खाते में भुगतान करने के लिए

3.3 Technology Initiatives

The Bank had taken up & successfully initiated/ upscaled various IT projects during 2020-21 which are enumerated as under:

- MeitY - Digital Score Card: As against the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) target of 42.12 crore digital transactions the Bank achieved 41.99 crore digital transactions during the year ended 31.03.2021. With respect to merchant onboarding Bank on boarded 76,566 merchants against the target of 1,03,201 in FY 2020-21. The MeitY monitors progress of digital payment transaction, merchant acquisitions, UPI and AEPS system resilience on monthly basis and communicates the scores to Banks. Our bank has maintained "Good" category performance in year ended 31.03.2021.
- The Bank has implemented 1050 Self Update Pass Book Printing Kiosks and 4 off-site and 495 Onsite Cash Recyclers at various locations across the Bank.
- The Bank has a tie up with BSNL for upgrading the Bandwidth of the existing Leased Lines to 2 Mbps. As on 31.03.2021, bandwidth of 1759 leased lines is upgraded to 2 Mbps. In order to make our systems more resilient, bandwidth is made available from Additional Network Service Providers. So far 1743 branches have dual service providers.
- **National Common Mobility Card (NCMC) –** The Bank partnered with NPCI for issuance of National Common Mobility Card (NCMC) using Near Field Communication. NCMC has features of both Online-Offline transactions and prepaid wallet capabilities. Bank has so far issued 6,22,570 NCMC cards to customers.
- **Bharat Bill Pay System (BBPS):** BBPS is a one-stop ecosystem for payment of all bills providing an interoperable and accessible "Anytime Anywhere" bill payment service to all customers access India with certainty, reliability and safety of transactions. Bank is offering corporate bill payment solution to Pune Municipal Corporation (PMC) MSEDCL bill payments on BBPS platform. BBPS service is also live on BC (Business Correspondent) Channel.
- The ISO 27001: 2013 certification was achieved for our IT division covering HO-IT, DC, DR and CBS Project Office in August 2015. Bank is ensuring continued compliance & successfully completed the Surveillance Audit for the continuation of ISO 27001: 2013 Certification for the year 2020-21 as well.
- The first PCI DSS certificate was awarded towards compliance of Debit Card environment security to the Bank on 12.09.2014 and is continued till date.
- In order to provide better improved access and service quality to customers, DFS has introduced EASE (Enhanced Access and service Excellence) agenda and reforms. Bank have implemented additional 5 services & 39 features in Internet Banking and 5 services and 42 features in Mobile banking. The share of financial transactions through 'Home and Mobile' based channels increased from 72% to 79%. Also bank has incorporated Insurance and Loan module in digital channels.
- The Bank is actively promoting BHIM Aadhaar Pay payment channel and 38152 Merchants are on-boarded as on 31.03.2021.
- Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS) which is used by Government Agencies

इसका उपयोग करती हैं.

- बैंक अपने ग्राहकों के लिए अलग-अलग वेरिएंट जैसे वीजा इएमवी, रूपे क्लासिक, रूपे प्लैटिनम आदि में रूपे और वीजा डेबिट कार्ड जारी करता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड EMV चिप आधारित हैं. बैंक का कुल कार्ड आधार 31.03.2020 को 76.44 लाख और 31.03.2021 को 96.31 लाख रहा.
- हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करों के ऑनलाइन भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग / ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ई-एसबीटीआर आदि की सुविधा और बैंक के साथ डीमैट खाता खोलने और कर जमा विवरण 26AS देखने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
- व्हाइट लेबल पेमेंट गेटवे (WLPG): बैंक ने हमारे व्यापारियों के लिए व्हाइट लेबल पेमेंट गेटवे समाधान पेश किया है। यह समाधान बैंक को अपने नाम का उपयोग करके भुगतान प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है
- ऑनलाइन खाता खोलना: इस समाधान के साथ ग्राहक सीमित केवाईसी बचत बैंक खाते अपनी सुविधानुसार कहीं भी कभी भी खोल सकते हैं।
- टैब बैंकिंग समाधान: इस समाधान के साथ ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी समय, कहीं भी असिस्टेड मोड में वेतन बचत बैंक खाता खोलने में सक्षम हैं।
- बैंक ने अत्याधुनिक तकनीकी के साथ साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (CSOC) लागू किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है -
  - क. सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (SIEM) समाधान
  - ख. उन्नत हमलों का मुकाबला करने के लिए एंटी-एडवांस परसिसटेंट थ्रेट (एंटी-एपीटी) समाधान.
  - ग. सर्वर पर महत्वपूर्ण फ़ाइलों हेतु अनधिकृत परिवर्तनों का पता लगाने के लिए फ़ाइल अखंडता निगरानी (FIM)
  - घ. विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन उपकरण (पीआईएम) जो लॉगिन के लिए दो कारक प्रमाणीकरण वाले सभी विशेषाधिकार उपयोगकर्ताओं के लिए विशेषाधिकार उपकरणों, सर्वरों और अनुप्रयोगों तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल-आधारित समेकन है.
  - ङ. नेटवर्क विसंगतियों की पहचान करने के लिए नेटवर्क बिहेवियरल एनॉमली डिटेक्शन (NBAD) उपकरण.
- क्विक पे : स्कैन और भुगतान के माध्यम से संव्यवहार प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड के लिए स्व-पंजीकरण करने के लिए व्यापारी हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप स्कैन और पे का उपयोग करके ग्राहकों द्वारा किए गए संव्यवहार का विवरण भी प्रदान करता है।
- डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (डीडीई): डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (डीडीई) प्लेटफ़ॉर्म के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ एकीकरण किया है, यह ऋण दस्तावेजों के ई-हस्ताक्षर और ई-स्टैम्पिंग के लिए एक वेब एपीआई आधारित प्लेटफॉर्म/सेवा है।

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहल

i. बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. एस.एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके. भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है.

ii. बैंक ने 'माई फोल्डर' नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभारों पर जानकारी, सरकार के

to make payments directly into the recipients Bank Account.

- The Bank issues Rupay and Visa debit cards in different variants such as Visa EMV, Rupay Classic, Rupay Platinum etc. to its CASA Accounts. As per RBI guidelines, all the cards are EMV Chip based. The total card base of the bank increased from 76.44 lakh as on 31.03.2020 to 96.31 lakh as on 31.03.2021.
- Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, e-SBTR etc. and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.
- White Label Payment Gateway (WLPG): Bank has introduced White label payment gateway solution for our merchants. This solution allows Bank to provide payment processing services using its own name.
- Online Account Opening: With this solution customers are able to open limited KYC savings bank accounts anytime anywhere at their convenience.
- Tab Banking Solution: With this solution customers are able to open salary savings bank account anytime, anywhere in assisted mode at their convenience.
- Bank has implemented Cyber Security operations Centre (CSOC) with state of the art technologies including,
  - a) Security Information and Event Management (SIEM) solution
  - b) Anti-Advanced Persistent Threat (Anti-APT) Solution for combatting advanced attacks.
  - c) File Integrity Monitoring (FIM) for detecting unauthorized changes to critical files on Servers.
  - d) Privilege Identity Management Tool (PIM) a centralized portal-based console to access the privilege devices, servers and applications for all privilege users with two factor authentication for login.
  - e) Network Behavioral Anomaly Detection (NBAD) tool for detecting network anomalies.
- QUICK pay: A mobile app has been developed for merchant to do self-registration for QR code to acquire transactions through Scan & Pay. This app also provides details of the transactions performed by customers using Scan & Pay.
- Digital Document Execution (DDE): Bank has integrated with National E-Governance Services Ltd (NeSL) for implementation of Digital Document Execution (DDE) Platform is a Web API based platform/service for e-signing and e-stamping of Loan documents.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

i. The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee. As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), the Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.

ii. Bank has printed folder called as "My Folder" containing all customer service policies, information on service

योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश,लोकपाल एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है. इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है.

iii. 'जमा', 'चेकों की वसूली', 'शिकायतों का निपटान', 'मुआवजा', 'मृतक जमाकर्ताओं के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि' एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है.

iv. ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित आयोजित की जाती हैं. प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती है तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती है.

v. ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है.

vi. ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दाखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव/ प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं/ शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इंटरनेट आधारित तंत्र, मानकीकृत जन शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का आरंभ किया है.

क्र.	विवरण	2020-21	2019-20
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	296	145
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	3760	8740
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	4037	8589
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	19	296

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण प्रणाली

बैंक की निदेशक मंडल से अनुमोदित केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीति हैं. इन नीतियों के आधार पर बैंक केवाईसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है. पूर्ण केवाईसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवाईसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवाईसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां बनाई हैं जो इसे कुशलतापूर्वक जोखिम की पहचान करने, मापन, निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाती हैं और बैंक की समग्र जोखिम एपेटाइट के अनुरूप नियंत्रण प्रणाली स्थापित करती हैं। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी के लिए बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बैंक के शीर्ष प्रबंधन की अध्यक्षता में बैंक ने उप-समितियां भी गठित की हैं।

बैंक बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

3.7 विपणन व प्रचार

charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

iii. Duly documented policies approved by the Board, on "Deposit", "Collection of Cheques", "Redressal of Grievances", "Compensation", "Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors" and Customer Rights Policy are in place.

iv. Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.

v. The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redressal of customer grievances and to ensure customer satisfaction.

vi. Bank has well established grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has internet based mechanism, Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS) for lodging of complaints or to give suggestions/ feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback/ complaints as per the directions of Government of India.

Sr. No.	Particulars	2020-21	2019-20
1	Customer complaints at the beginning of the year	296	145
2	Complaints received during the year	3760	8740
3	Complaints redressed during the year	4037	8589
4	Complaints pending at the end of the year	19	296

3.5 KYC/ AML

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures are based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the Bank takes various measure on a regular basis. A comprehensive list of eligible KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies which enables it to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. Bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

The Bank is compliant to the RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations.

3.7 Marketing & Publicity

बैंक ने रिटेल, कृषि, एमएसएमई उत्पादों और आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत विपणन रणनीति अपनाई। मार्केटिंग टीम ने हमारी उपस्थिति और व्यापार को बढ़ाने के लिए रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक और आभासी मोड में विभिन्न एक्सपो में भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, बैंक ने सभी माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, डिजिटल, प्रिंट, ओओएच (आउट ऑफ होम) आदि में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित की। बैंक के बारे में जागरूकता पैदा करने और विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए बैंक विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी, रेडियो, डिजिटल चैनलों से जुड़ा। बैंक ने लीड जनरेशन के साथ रिटेल, एमएसएमई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति, कार और ई-कॉमर्स के प्रमुख पोर्टलों के साथ भागीदारी की। उन क्षेत्रों में बैंक की दृश्यता बढ़ाने के लिए जहां बैंक अपने बैंकिंग आउटलेट का विस्तार कर रहा है, मार्केटिंग टीम आवश्यक प्रचार के लिए प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल में अग्रणी क्षेत्रीय मीडिया से जुड़ी ।

वेब पर एक डिजिटल फुटप्रिंट स्थापित करने और ग्राहकों की सहायता के लिए लोकल सर्च पावर का लाभ उठाने के लिए, बैंक ने विभिन्न सर्च इंजनों और सोशल नेटवर्क साइटों पर बैंक शाखाओं और एटीएम (मानचित्र, समीक्षा, संपर्क विवरण, उत्पादों और सेवाओं) की जानकारी को अद्यतन करके लोकशन मैनेजमेंट सोलूशन लागू किया।

ग्राहकों को सहजता और सुविधा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को नया रूप दिया।

3.8 नागरिक अधिकार पत्र

बैंक ने 2000-01 से सिटीजन चार्टर को अपनाया है, जो अपने ग्राहकों के प्रति बैंक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण देता है। चार्टर सभी शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, खुदरा व्यापारियों, पेशेवर और स्वरोजगारी, महिला उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उद्यमियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए समय पर और परेशानी मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा न्यायसंगत और सतत आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करना बैंक का निरंतर प्रयास रहा है। 31 मार्च, 2021 को प्राथमिकता क्षेत्र उधार (निवेश सहित) के अंतर्गत बकाया 40% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 58.05% था। 31 मार्च, 2021 को प्राथमिकता क्षेत्र (निवेश को छोड़कर) के अंतर्गत बकाया अग्रिम कुल ऋण के 45.62% के साथ ₹ 49,109 करोड़ हो गया।

4.2 कृषि

बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹ 5,824 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। 31.03.2021 को कृषि क्षेत्र का कुल बकाया ₹ 16202 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। कुल कृषि (निवेश सहित) एएनबीसी का 19.91% था। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि के अंतर्गत सभी अनिवार्य लक्ष्यों (तिमाही औसत आधार पर) को प्राप्त किया है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों के उप-लक्ष्य, गैर-कॉर्पोरेट किसानों को प्रत्यक्ष ऋण आदि शामिल हैं।

बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और ₹ 1,799 करोड़ का वितरण किया। बैंक ने कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र आधारित योजनाएं भी तैयार की हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने कोविड राहत योजनाओं की शुरुआत की है यथा किसानों के लिए महाबैंक किसान राहत योजना (MKRY), कृषि आधारित उद्योगों / इकाइयों के लिए MKRY और COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति से निपटने के लिए उधारकर्ताओं का सहयोग करने के लिए महाबैंक SHG राहत योजना। बैंक ने उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 325 करोड़ का ऋण वितरित किया है।

Bank adopted an integrated marketing strategy to promote Retail, Agri, MSME products, and IT services. Marketing Team participated in various expos in physical and virtual mode under Retail, Agri & MSME sector for increasing our presence and business mobilization. In FY 2020-21, Bank established its presence across all mediums like TV, Radio, Digital, Print, OOH (out of home), etc. Bank associated with various National & Regional TV, Radio, Digital Channels for creating awareness about Bank and promotion of various products & services. Bank partnered with leading property, car and e-commerce portals for promotion of Retail, MSME products along with lead generation. In order to increase visibility of the Bank in the areas where Bank is expanding its banking outlets, marketing team associated with leading regional media in print, radio, TV and digital for required publicity.

With a view to establish a digital footprint across the web and in order to leverage the power of local search for helping customers, Bank implemented Location Management solution by updating the information of Bank Branches and ATMs (maps, reviews, contact details, products and services) on various search engines and social network sites.

To facilitate ease and convenience for the customers, Bank revamped its corporate website.

3.8 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Citizen's Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charger is displayed at all the branches and Bank's website.

4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections. The outstanding under Priority Sector Lending (including investments) as of March 31, 2021 stood at 58.05% of adjusted net bank credit (ANBC) as against the mandatory target of 40%. The outstanding advances under Priority Sector (excluding investment) as of March 31, 2021 aggregated to ₹ 49,109 crore constituting 45.62% of total credit.

4.2 Agriculture

Bank sanctioned loans of ₹ 5,824 Crore for Agriculture and allied activities during the year 2020-21. Total outstanding advances to agriculture sector reached a level of ₹ 16,202 Crore as on 31.03.2021. Total Agriculture (including investments) stood 19.91% of ANBC. Bank has achieved all mandatory targets (on Quarterly average basis) under Agriculture including sub-targets of Small and Marginal Farmers, Direct lending to non-Corporate farmers, etc. during the FY 2020-21.

The bank focused on growth of Investment Credit under Agriculture during the year 2020-21 and disbursed ₹ 1,799 Crore. The bank also devised Area Based schemes to meet the needs of Agriculture and Agro based industries.

During the year 2020-21, Bank has introduced Covid relief schemes viz. Mahabank Kisan Rahat Yojana (MKRY) for Farmers, MKRY for Agro Based industries/ units & Mahabank SHG Rahat Yojana to support the Borrowers to cope with the tough situation arisen due to outbreak of COVID-19 pandemic. Bank has disbursed total loan of ₹ 325 crore under the aforesaid schemes.

पिछले कुछ वर्षों में, कृषि क्षेत्र बार-बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि की चपेट में रहा है। विनियामक दिशानिर्देशों के भीतर, बैंक समय-समय पर किसानों के लिए राहत के उपाय करता रहा है। हमारे बैंक ने भी महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने MJPSKY-2019 (महाराष्ट्र राज्य की ऋण माफी योजना) के अंतर्गत ₹ 1770 करोड़ जमा किए। इसके साथ ही, बैंक ने संबंधित राज्यों द्वारा घोषित विभिन्न अन्य कृषि ऋण माफी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया है। बैंक ने किसानों को परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करके कृषि को अग्रिम बढ़ाने के लिए शाखाओं के लिए जागरूकता / संवेदीकरण कार्यक्रम और स्थानीय प्रशिक्षण दिया।

Over last few years, Agriculture sector has been repeatedly hit by vagaries of natural calamities like drought, flood, hailstorms, etc. Within the regulatory guidelines, Bank has been extending relief measures to farmers from time to time. Our bank also successfully implemented farm loan waiver scheme of Govt. of Maharashtra. During the year Bank credited ₹ 1770 crore under MJPSKY-2019 (debt waiver scheme of Maharashtra State). Along with this, Bank has efficiently implemented various other Farm Loan Waiver schemes declared by respective states. The Bank undertook awareness/sensitization program and locational trainings for the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

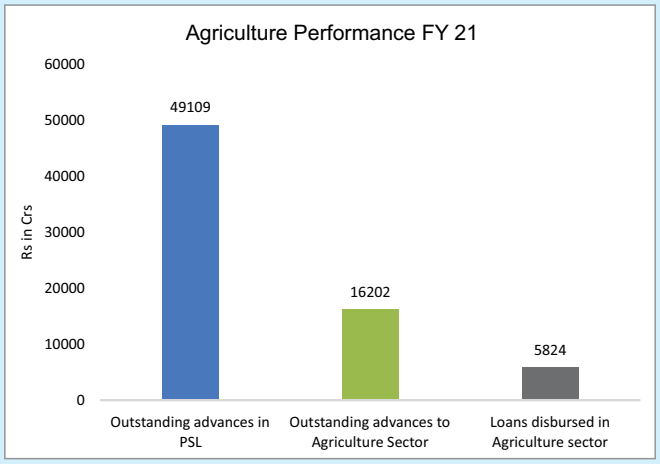

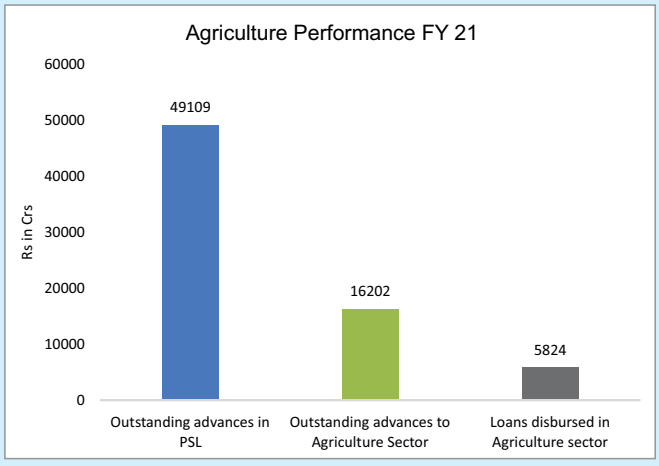

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है. बैंक ने देश भर में खरीफ, 2020 मौसम के दौरान ऋण शिविरों का आयोजन किया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, किसानों को कुल 3.89 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मंजूर किए गए, जिनकी राशि ₹ 5,557 करोड़ है। एमकेसीसी लाभार्थियों को क्रेडिट प्रवाह 31.03.2021 तक ₹ 7,502 के स्तर तक पहुंच गया. विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने किसानों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी जारी करने के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया है. यह योजना छोटे और सुदूर स्थित डेयरी किसानों, मछुआरों और पशुपालन में उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रही है.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The bank organized Credit Camps during Kharif 2020 season across the country. During FY 2020-21 the bank sanctioned total 3.89 lakh Kisan Credit Cards (KCC) to farmers amounting to ₹ 5,557 crore. Credit flow to MKCC beneficiaries reached to a level of ₹ 7,502 Crore as on 31.03.2021. As per regulatory guidelines, Bank has also implemented a special Drive for issuing KCCs to farmers for Agriculture as well as for Animal Husbandry and Fisheries. The scheme is helping small and scattered dairy farmers, fishermen and entrepreneurs in animal husbandry to grow their business.

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में इनका योगदान सबसे अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 से संबंधित आपदा, लॉकडाउन, मजदूर पलायन आदि के कारण एमएसएमई सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एमएसएमई को सहयोग प्रदान किया जा रहा है और भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए प्रदान की जा रहे विभिन्न राहत उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

i. 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच जिन उधारकर्ताओं का पुनर्भुगतान देय था,उन्हें किश्तों के पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन प्रदान किया गया।

ii. उपरोक्त अधिस्थगन अवधि के दौरान सीसी/ओडी, ब्याज के संबंध मेंविस्तारित कार्यशील पूंजी सीमा को एफआईटीएल के रूप में परिवर्तित किया गया।

iii. पात्र उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान की गई।

iv. एडहॉक लाइन ऑफ क्रेडिट कोविड-19 योजना के अंतर्गत अतिरिक्त वित्त प्रदान किया गया।

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

MSMEs are the growth engine for the Indian economy. They have highest contribution in generating employment both directly as well as indirectly.

During FY 2020-21, MSMEs were most affected due to COVID-19 related distress, lockdown, labor migration etc. Bank has extended support to MSMEs and has implemented various relief measures given to MSME borrowers by Government of India and the Reserve Bank of India.

i. Moratorium on repayment of instalments granted to the borrowers whose repayment were falling due between 01.03.2020 and 31.08.2020.

ii. For working capital limits extended in terms of CC/OD, interest during the above moratorium period was carved out as FITL.

iii. Additional funding extended under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to eligible borrowers.

iv. Additional finance extended under Adhoc line of credit Covid-19 scheme.

v. उधारकर्ताओं के लंबे कार्यशील पूंजी चक्र के कारण उदारीकृत कार्यशील पूंजी मूल्यांकन (एलडबल्यूसीए) योजना लागू की गई।

vi. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय सुधारने हेतु पीएम स्वनिधि योजना द्वारा ऋण प्रदान किया है।

मार्च 2020 की तुलना में बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदान किए गए ऋण में 35% की वृद्धि हुई और मात्रा की दृष्टि से ₹ 5969 करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। 31.03.2021 को बैंक का कुल एमएसएमई अग्रिम ₹ 23,132.87 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 21 में एमएसएमई पोर्टफोलियो में बैंक का प्रदर्शन :

क्र.	विवरण	वास्तविक	लक्ष्य
1	एएनबीसी को माइक्रो का %	15.94%	7.50%
2	माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि	66.76%	10%
3	माइक्रो और लघु इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि बकाया	34.55%	20%
4	एमएसई के समक्ष माइक्रो का हिस्सा बकाया	89.90%	60%

4.3.1 मुद्रा :

बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के माध्यम से ₹ 10 लाख तक विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में संलग्न छोटे व्यवसायों और गैर-कृषि उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने पीएमएमवाई के अंतर्गत लक्ष्य ₹ 2375 करोड़ के स्थान पर ₹2560.38 करोड़ की मंजूरी प्रदान की और लक्ष्य का 107.80% प्राप्त किया।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां

- बैंक ने 17.10.2020 से 31.12.2020 तक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके दौरान 7230 एमएसएमई उधारकर्ताओं को ₹ 2076 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई और कुल संवितरण ₹ 1810 करोड़ रहा। इस अवधि में बैंक ने 40 वेबिनार और 185 एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।
- एमएसएमई अग्रिमों को बढ़ाने के लिए बैंक ने महा एमएसएमई मैराथन अभियान (एम3 अभियान (04.01.2021 से 25.02.2021 तक) का आयोजन किया। अभियान के दौरान कुल मिलाकर ₹ 2094.54 करोड़ के ऋणों को मंजूरी प्रदान की गई। बैंक ने ₹ 1500 करोड़ के संवितरण लक्ष्य के स्थान पर ₹ 1796.53 करोड़ (लगभग 120%) का संवितरण किया। इस एम 3 अभियान के हिस्से के रूप में बैंक ने एमएसएमई उद्यमों और उद्योग संगठनों से संपर्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एमएसएमई एक्सपो, वेबिनार का आयोजन किया।
- बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी एमएसएमई पुनर्गठन दिशानिर्देशों को लागू किया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 861.98 करोड़ राशि के 11470 खातों का पुनर्गठन किया है।
- बैंकों की विभिन्न ग्राहक संगत योजनाओं यथा महा जीएसटी, महा कंडक्टर,महा हॉस्पिटैलिटी योजनाओं के अंतर्गत अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दर के साथ वित्त का विस्तारण किया जा रहा है।एमएसएमई जीएसटी योजना के अंतर्गत वित्तीय सीमा को ₹ 3 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ किया गया। इससे महाजीएसटी योजना के अंतर्गत उधारी को 80.25% बढ़ाकर ₹ 1276.89 करोड़ करने में मदद मिली।
- विभिन्न वितरण चैनलों- फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी, सह-उधारी,चैनल वित्तपोषण, आदि और अन्य रणनीतियों के माध्यम से एमएसएमई पोर्टफोलियो में अच्छी वृद्धि हासिल की।
- बैंक ने "लोन टैप" (एनबीएफसी) के साथ सह-उधार व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल उधारी उत्पाद लॉन्च किया है जो एमएसएमई ऋणों का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने में सक्षम बनाता है।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमएसएमई को एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए फिंच कंपनी मैसर्स अत्याती टेक्नोलॉजीज के साथ टाइ-अप किया

v. Liberalised working capital assessment (LWCA) scheme implemented due to the elongated working capital cycle of borrowers.

vi. For street vendors, Bank of Maharashtra has extended loans via PMSVANidhi scheme to revive their business.

Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises increased by 35% as compared to Mar 2020 and recorded growth of ₹ 5969 crore in absolute terms. Total MSME advances of the bank stood at ₹ 23,132.87 crore as on 31.03.2021.

Bank's performance in MSME portfolio in FY'21:

S. No	Particulars	Actual	Target
1	% of Micro to Adj. Net Bank Credit	15.94%	7.50%
2	YOY growth under Micro Enterprises	66.76%	10%
3	YOY Growth under Micro & Small enterprises O/s	34.55%	20%
4	Share of Micro against to MSE O/s	89.90%	60%

4.3.1 MUDRA

Bank is supporting credit needs of small business and non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade and services up to ₹ 10 lakh by way of Pradhan Matri Mudra Yojana (PMMY). During the year ended 31.03.2021 the Bank sanctioned ₹ 2560.38 crore under PMMY against the target of ₹ 2375 crore, thereby achieving 107.80% of target.

Other Major Achievements

- Bank has conducted credit outreach programme from 17.10.2020 to 31.12.2020 during which, loans to 7230 MSME borrowers amounting to ₹ 2076 cr were sanctioned and total disbursement was ₹ 1810 Cr. During this period, Bank has organized 40 webinars and 185 MSME credit outreach programmes.
- In order to accelerate the growth of MSME advances, Bank has conducted MAHA MSME MARATHON CAMPAIGN (M3 Campaign (from 04.01.2021 to 25.02.2021. Overall, ₹ 2094.54 Cr loans were sanctioned during the campaign. Against the disbursement target of ₹ 1500 Cr, bank has achieved disbursement of ₹ 1796.53 Cr (approx 120%). As part of this M3 campaign, Bank organised MSME expos, webinars on PAN India basis to contact MSME enterprises and industry associations.
- Bank has implemented the MSME restructuring guidelines issued by RBI and has restructured 11470 accounts amounting to ₹ 861.98 crore during FY' 2020-21.
- Finance is being extended with very competitive RoI under Banks various customized schemes like Maha GST, Maha Conductor, Maha Hospitality schemes. Increased the financial limit under MSME GST scheme from ₹ 3 Cr to ₹ 10 Cr. This helped in increasing the lending under MAHA GST scheme by 80.25% to ₹ 1276.89 Cr.
- Achieved good growth in MSME portfolio through various delivery channels - partnering with Fintech companies, Co-lending, channel financing, etc. and other strategies.
- Bank has launched Digital lending products under co-lending arrangement with "Loan Tap" (NBFC) which enable end to end digitisation of MSME loans.
- Bank has a tie-up with finch company M/s Atyati Technologies for providing end to end services to

है। यह टाइ-अप सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बैंक सुविधाओं तक आसानी से पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा।

- बैंक ने महाबैंक चैनल वित्तपोषण योजना की शुरूआत की है जो कॉरपोरेट्स और उनके एमएसएमई चैनल भागीदारों की ऋण मांगों को पूरा करती है।बैंक ने योजना के अंतर्गत विभिन्न कॉरपोरेट्स के लिए पैरेंट्स सीमा के ₹ 1345 करोड़ की मंजूरी दी।
- ई-टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का विकेंद्रीकरण: पंजिम शाखा, गोवा अंचल को ई-टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के लिए एक नए नोडल केंद्र के रूप में जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप टीआरईडीएस के अंतर्गत ₹ 474 करोड़ का वित्त संग्रहण हुआ।
- बैंक ने एमएसएमई उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50 शाखाओं को विशेष एमएसएमई शाखाओं के रूप में नामित किया है।
- एक संगठनात्मक परिवर्तन पहल के रूप में, बैंक ने ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली के स्वचालन और अभिलेखों/दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए एक उद्यम वाइड ऋण लाइफसाइकल प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) का कार्यान्वयन किया है।

4.4 चयनित खंडों को बैंक का विगोपन

(₹करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	31.03.2021 को	31.03.2020 को	वृद्धि % (+/-)
1	सूक्ष्म/ एसएचजी वित्त	365	217	68.00%
2	कमजोर वर्ग	11,863	10,481	13.19%
3	अजा/ अजजा लाभार्थी	2,911	2,530	15.07%
4	ओबीसी लाभार्थी	7,605	6,661	14.17%
5	अल्पसंख्यक समुदाय	3,814	3,017	26.40%

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं:

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय संपत्तियां/ जमीन खरीदने, घर की मरम्मत/ नवीनीकरण, उपभोक्ता वस्तुओं, दुपहिया/ चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं आदि हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है। 31.03.2021 को बैंक का कुल रिटेल पोर्टफोलियो ₹ 28,650.93 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 21 को पोर्टफोलियो	एनपीए %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	आवास क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र होने के कारण सभी आर्थिक खंडों की प्राप्ति हेतु बैंक के पास विभिन्न आवास ऋण योजनाएं हैं। बैंक ''नए/ वर्तमान आवास के निर्माण/ खरीदी, वर्तमान घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीकरण/ तबदीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण'' के लिए आवास ऋण प्रदान करता है।	17909.07	2.75
2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) हेतु नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), एसयूवी के खरीदी के लिए योजनाएं आरंभ की।	1799.94	2.43

MSMEs. This tie-up would enable micro and small enterprises to access Bank facilities with ease.

- Bank has launched Mahabank Channel financing scheme which meets the credit demands of corporates and their MSME channel partners. Bank has sanctioned ₹ 1345 crore of parents limits to various corporates under the scheme.
- Decentralisation of E-TReDS platform: Panjim brach, Goa Zone has been added as a new nodal centre for E-TReDS platform which has resulted into mobilisation of ₹ 474 crore finance under TReDS.
- Bank has designated 50 branches as special MSME branches, to cater the needs of MSME entrepreneurs.
- As an organisational transformation initiative, Bank has implements an Enterprise wide Loan Lifecycle Management System (LLMS) for automation of Loan Life Cycle Management Process and towards digitisation of records/document.

4.4 Bank's Exposure to Select Segments

(₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020	% incease (+/-)
1	Micro / SHG Finance	365	217	68.00%
2	Weaker Section	11,863	10,481	13.19%
3	SC/ ST Beneficiaries	2,911	2,530	15.07%
4	OBC Beneficiaries	7,605	6,661	14.17%
5	Minority Communities	3,814	3,017	26.40%

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK:

5.1 Credit Flow to Retail Sector

Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. Total Retail portfolio of the Bank as on 31.03.2021 stood at ₹ 28,650.93 Crore.

(Amt. in ₹ Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '21	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all economic segments. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs/ renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon"	17,909.07	2.75
2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank has launched schemes for purchase of New four wheelers i.e. Car, Jeep, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV etc. for personal use (i.e. not for hiring/ferrying passengers) for individuals (18 years and above).	1,799.94	2.43

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 21 को पोर्टफोलियो	एनपीए %
3	मॉडल शिक्षा ऋण योजना	बैंक आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है और भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा/ अध्ययन प्राप्त करने के लिए सभी मेधावी एवं योग्य छात्रों को झंझटमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करता है।	1287.66	4.32
4	स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण	बैंक द्वारा स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत संपत्ति के बदले उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण का अंतिम उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं यथा बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा / दौरा व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट की खरीद, अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करना है।	911.15	1.81
5	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना	मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ता को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करने के साथ-साथ टॉप-अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के मौजूदा आवास ऋण का अधिग्रहण करने के लिए बैंक ने ''महाबैंक टॉप अप ऋण योजना'' शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत घर की मरम्मत / नवीनीकरण / साज-सज्जा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, वाहन या हाई-टेक गैजेट्स खरीदने और अन्य घरेलू जरूरतों आदि के लिए ऋण दिया जाता है।	425.15	1.04
6	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना	वैयक्तिक खर्चों की पूर्ति हेतु जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें शादी, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आपात स्थिति, और व्यापार यात्रा इत्यादि जैसी विभिन्न जरूरतों के लिए वैयक्तिक व्यय शामिल हैं, बैंक के पास "महाबैंक गोल्ड लोन योजना" के रूप में एक खुदरा ऋण उत्पाद है।	1939.38	0.30
7	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे मौजूदा पेंशन खाताधारकों के वैयक्तिक खर्चों, तीर्थयात्रा, चिकित्सा और घरेलू जरूरतों आदि को पूरा करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ''महाबैंक आधार ऋण योजना'' प्रदान करता है।	596.76	0.98

5.2 ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने समयबद्ध ऋण के लिए टीएटी में सुधार हेतु अपने सभी अंचलों में वाणिज्यिक अग्रिमों की प्रोसेसिंग और मंजूरी हेतु केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्षों (सीपीसी) की स्थापना की है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुणे अवस्थित सभी सीपीसी रिटेल यथा पुणे शहर, पुणे पूर्व और पुणे पश्चिम रिटेल को मिलाकर एक महा बैंक रिटेल प्वॉइंट बनाया गया है ताकि पुणे के मैप्ड शाखाओं और प्रत्यायोजित मंजूरी अधिकारों से अधिक के लिए अनमैप शाखाओं के सभी बंधक आधारित ऋणों की प्रोसेसिंग एक ही स्थान पर की जा सके। इसी प्रकार, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर को मिलाकर एक महा बैंक रिटेल प्वॉइंट बनाया गया है।

(Amt. in ₹ Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '21	NPA %
3	Model Education Loan Scheme	Bank is implementing Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines and provides hassle free Education loan to all meritorious and deserving students for pursuing higher studies /education in India and abroad.	1,287.66	4.32
4	Loan Against Self-Occupied Property	Bank has introduced Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets, other domestic needs etc.	911.15	1.81
5	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrower as well takeover of existing housing loans of other banks with additional facility of Top-up Loan. Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme". Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, marriage of children, medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets and other domestic needs etc.	425.15	1.04
6	Mahabank Gold Loan Scheme	To cater to the needs of meeting personal expenses, whatsoever which include personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, and business travel etc., Bank has a retail loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme".	1,939.38	0.30
7	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc. Bank offers "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	596.76	0.98

5.2. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralised Processing Cells (CPCs) for processing and sanctioning of commercial and retail advances at all its zones to improve the turnaround time (TAT) in facilitating timely credit.

In the financial year 2020-21 all three Pune based CPC Retail i.e. Pune City, Pune East and Pune West CPCs were merged into one Maha Bank Retail Point for processing all the mortgaged based loans in Pune at a single place for mapped branches and above the delegated sanctioning powers of unmapped branches. Similarly, Mumbai City & Mumbai Suburb are also merged into one Maha Bank Retail Point.

5.3 द्वार पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक द्वारा अपनी 555 शाखाओं के माध्यम से पहचान किए गए 100 शहरों में अपने रिटेल ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय संव्यवहार यथा नकदी आहरण, गैर वित्तीय संव्यवहार जैसे कि खाता विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र/ फार्म 16 पहुंचाने के साथ-साथ चेक, 15जी/ एच फॉर्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जीवन प्रमाणपत्र आदि पीक-अप सुविधा शामिल है। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए ग्राहकों द्वारा द्वार पर मूलभूत वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओंकी बहुत सराहना की गई है।

5.4 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.4.1 इंटरनेट

1. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में 6.82% की वृद्धि हुई। 31.03.2021 के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए कुल 15.31 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया।
2. आईबी उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्योर के माध्यम से नेट सुरक्षा में वृद्धि और लगातार अनुवर्तन के फलस्वरुप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ ऑनलाईन संव्यवहारों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है।
3. वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग में अधिक ग्राहक ईज और सुविधा को लिए अतिरिक्त 5 सेवाओं तथा 39 कार्यक्षमताओं को जोड़ा गया है।

5.4.2 मोबाइल बैंकिंग :

1. वर्ष के दौरान 63.91% मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में वृद्धि हुई। 31.03.2021 को कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 13.64 लाख है।
2. पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाइल कार्य प्रणाली को 5 सेवाओं तथा 42 कार्यक्षमताओं के साथ ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत किया गया है।

6. निगमित सामाजिक दायित्व :

ग्रामीण नागरिकों, कमजोर वर्गों, वंचितों के उत्थान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने की सदियों पुरानी परंपरा की विरासत का पालन करते हुए बैंक ने सरकार से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां संपादित कीं। यथाः

- **एमएसएमई को सहयोग** : बैंक द्वारा एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने हेतु मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग व कृषि (एमसीसीआईए) द्वारा गठित ''एमएसएमई के लिए वित्त'' पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- **पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा** : शिक्षा संस्थानों में जल संचयन प्रणाली की शुरूआत की गई।
- **शिक्षा का संवर्धन** : बैंक ने पुलगांव के शिक्षा केन्द्रों के लिए पुस्तकें एवं प्रजेक्टर उपलब्ध कराया, विभिन्न स्कूलों औक कॉलेजों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वेब सम्मेलन को प्रायोजित किया तथा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षा सामान उपलब्ध कराया।
- **कोविड - 19 से मुकाबला करने के लिए हाथ बढ़ाया** : बैंक के कर्मचारियों ने विभिन्न राज्यों के लिए पीएम केयर्स फंड में ₹ 5.00 करोड़ तथा सीएम केयर्स फंड में ₹ 1.66 करोड़ दान किया। बैंक ने देश के विभिन्न स्थानों में कोरोना वारियर्स यथा मेडिकल स्टाफ, पुलिस एवं सैनिटाइजेशन कर्मियों के बीच सैनिटाइजेसन किट, फूड पैकेट और पेय जल वितरित किया।

ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण:

बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) तथा बैंक के दो ट्रस्टों यथा-महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के माध्यम से कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं.

5.3 Door Step Banking Services

Bank is providing Door Step Banking Services for its retail customers in 100 identified cities through its 555 branches. The services include financial transactions like cash withdrawal. Non-financial transactions like delivery of account statement and TDS certificate/ Form 16 as well as pickup services of cheque, 15 G/H form, standing instructions, life certificate etc are also made available. Looking at the Covid-19 pandemic the basic financial and non-financial services at doorstep has been widely appreciated by customers.

5.4 Alternate Delivery Channels

5.4.1 Internet Banking

1. There was an increase of 6.82% in Internet Banking users over the previous year. As of 31.03.2021 total 15.31 lakh total customers were enrolled for internet banking facility .
2. With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IB users, substantial rise in users/online transactions is expected.
3. In the internet Banking, additional 5 services and 39 functionalities were added during the year for more customer ease and convenience.

5.4.2 Mobile Banking

1. Mobile Banking users increased by 63.91% during the year. Total enrolled uses were 13.64 lakhs as on 31.03.2021.
2. Maha Mobile functionality has been customized and simplified with addition of 5 services and 42 functionalities for increasing enrolments.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the legacy of the age-old tradition of contributing to socio-economic development & upliftment of underprivileged, weaker sections and rural citizens, Bank undertook varied activities aligned to Govt. guidelines viz.:

Helping MSMEs: Bank organized Online event on "Finance for MSMEs" organized by Mahratta Chamber of Commerce, Industries & Agriculture (MCCIA) for helping out the MSMEs

Promoting eco-friendly initiatives: Installation of Water Harvesting System in educational institutions

Promotion of Education: Bank provided books and projector for study center at Pulgaon, sponsored International & National Web conference in various schools and colleges and provided study materials to the visually challenged students.

Helping Hand in Combating Covid-19: Bank's employees donated ₹ 5.00 Crore to PM CARES Fund and ₹ 1.66 Crore to CM CARES Funds of several states. At different places across the country the Bank distributed sanitization kits, food packets and drinking water to the Corona warriors like medical staff, police personnel and sanitization workers.

Rural Development & Women Empowerment:

Bank is undertaking various social activities through Rural Development Centre (RDCs) and two trusts of Bank i.e. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) in the areas of Agriculture, Rural development & women empowerment.

क) महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमआरसेटी) के माध्यम से गतिविधियां-

- वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने निर्धारित लक्ष्य 3375 की तुलना में 3698 प्रशिक्षणार्थियों को ईडीपीऔर कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया।
- इन प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा कुल 3016 नए व्यवसाय शुरू किए गए, 81.16% का सेटेलमेंट अनुपात प्रदर्शित हुआ; क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 62.14% उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए 1901 इकाईयां क्रेडिट लिंक हो चुकी हैं।

ख) आरडीसी के माध्यम से गतिविधियाँ:-

- किसानों को उनकी ऋण आवश्यकताओं हेतु समर्थन देने के अतिरिक्त, बैंक ने 143 किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया, जिसमें 4394 किसानों को विभिन्न आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- आरडीसी भिगवण के माध्यम से किसानों के लाभ के लिए मिट्टी और पानी का परीक्षण किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, 2625 मिट्टी और पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया और आवश्यक सिफारिशों के साथ किसानों को रिपोर्ट प्रदान की गई।
- 774 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 46597 प्रतिभागियों को बैंकिंग, डिजिटल संव्यवहार, यूपीआई, भीम ऐप का उपयोग तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाईआदि के लिए प्रशिक्षित किया गया।

ग) अन्य गतिविधियां: -

- महाबैंक एसएचजी राहत योजना- कोविड-19 महामारी की स्थिति के प्रभावों को देखते हुए तत्काल शुरू की गई थी ताकि नियमित रूप से चुकौती करने वाले एसएचजी को ₹ 1.00 लाख के अतिरिक्त ऋण देकर राहत प्रदान की जा सके।
- महिला एसएचजी सदस्यों को GMBVM ट्रस्ट और MR-SETI के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास गतिविधियों जैसे परिधान बनाना, फाइलें और लिफाफा बनाना, दुग्ध उत्पाद तैयार करना, मसाले, अचार, जैम और जेली, हैण्ड वॉश, अगरबत्ती निर्माण और हस्तनिर्मित गहने बनाने आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की तैयारी का प्रशिक्षण दिया गया।
- बैंक का एसएचजी उत्पादों की बिक्री के लिए ''सावित्री'' नाम का एक आउटलेट भी है और राज्य स्तरीय/जिला स्तर की प्रदर्शनियों/मेलों में उनकी भागीदारी के लिए एसएचजी को हैंड होल्डिंग भी प्रदान कर रहा है। उन्होंने भीमथडी जात्रा, गणेश कला-क्रीड़ा मंदिर में आयोजित प्रदर्शनियों, दिवाली की पूर्व संध्या पर लोकमंगल परिसर और गणेश उत्सव, भिगवण में पक्षी अभयारण्य समारोह आदि में भाग लिया है।
- जीएमबीवीएम के माध्यम से महिला एसएचजी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी आयोजन किया गया।

घ) अन्य पहलें:-

- बैंक ने ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल ट्रस्ट (जीएमवीबीएम) तथा आरसेटी के माध्यम से सितंबर 2020 की ''पोषण माह'' के रूप में आयोजित किया जिसमें बैंक ने पोषण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की और चयनित गांवों में पोषण आहार के पैकेंट बांटे।
- बैंक को भारत सरकार की डीएवाय एनआरएलएम योजना के अंतर्गत एसएचजी वित्तपोषण में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ।
- 15,470 एसएचजी (राशि ₹ 255.10 करोड़) के लक्ष्य की तुलना में 21,803 एसएचजी (राशि ₹ 283.74 करोड़) निर्मित और क्रेडिट लिंक किए गए।
- बैंक ने शाखाओं, बीसी और अन्य डिजिटल मोड्स के माध्यम से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय, एपीवाय इत्यादि का भी कार्यान्वयन किया।
- जीएमबीवीएम ट्रस्ट ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार गतिविधियों यथा अगरबत्ती, मोमबत्ती आदि बनाने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे नया व्यवसाय आरंभ करने में सक्षम हों। ये महिलाएं वैयक्तिक साथ ही एसएचजी माध्यम से अपना व्यवसाय चला रही हैं।

a) Activities through Mahabank Rural Self Employment Training Institutes (MRSETIs)-

- During the year 2020-21 Bank imparted EDP & skill based training to 3698 trainees as against set target of 3375.
- A total of 3016 new businesses were started by these trained entrepreneurs, showing settlement ratio of 81.16%; 1901 units are credit linked, showing 62.14% achievement under credit linkage.

b) Activities through RDCs:-

- Besides advocating farmers for their credit needs, Bank organized 143 Farmer Training Camps wherein 4,394 farmers were given specialized training on various modern Agricultural technologies.
- Soil and water testing was carried out for the benefit of the farmers through RDC Bhigwan. During the year 2020-21, 2625 soil and water samples are tested and reports were provided to farmers along with necessary recommendations.
- 774 Financial Literacy Camps were organized wherein 46597 participants were educated for banking, digital transactions, use of UPI, BHIM App and social security schemes like PMJJBY, PMSBY, APY, etc.

c) Other Activities: -

- **MahaBank SHG Rahat Yojana- COVID-19** was introduced immediately after foreseeing the effects of COVID-19 pandemic situation to extend relief to regular repaying SHGs by extending additional loan up to ₹ 1.00 Lakh.
- Women SHG members were **imparted training on various skill developments activities** like Garment making, files and envelop making, preparation of milk products, preparation of various items like spices, pickles, jam & jellies, hand wash, incense stick Manufacturing and handmade jewelry making etc. through GMBVM Trust and MRSETIs.
- Bank is also providing an outlet for sale of SHG products named "Savitree" and also hand holding to SHGs for their participation in State Level / District level exhibitions / melavas. They have participated in Bhimthadi Jatra, Exhibitions arranged at Ganesh Kala-Krida Mandir, Lokmangal premises on eve of Diwali & Ganesh Utsav, Bird sanctuary function at Bhigwan etc.
- Health check-up camps were also arranged for women SHG members through GMBVM.

d) Other initiatives: -

- Bank has celebrated the September 2020 as a "Poshan Month" through Gramin Mahila Va Bal Vikas Mandal Trust (GMVBM) & RSETIs in which Bank created awareness about nutrition and distributed high nutrition food packets in select villages.
- Bank received National Award for best performance in SHG financing under DAY NRLM scheme of Govt of India.
- Formed and credit linked 21,803 SHGs amounting to ₹ 283.74 Cr. as against the target of 15,470 SHGs amounting to ₹ 255.10 crore (111%).
- Bank is also implementing the social security schemes of Govt. like PMJJBY, PMSBY, APY, etc. through Branches, BCs and other digital modes.
- GMBVM trust provided skill based training to rural women for self-employment activities like Agarbatti, Candles, etc. to empower them for starting new business. These women are running their business on individual as well as through SHGs.

7. अग्रणी बैंक

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पालघर, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधिकारियों के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। एसएलबीसी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों, सदस्य बैंकों, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि से विचार-विमर्श कर राज्य वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना ₹ 4,74,511 करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी योजना में से एक थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 16,827 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। 31.03.2021 के अनुसार, राज्य में कुल 300 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। पीएमजेडीवाई खाता खोलने की प्रक्रिय जारी है। एसएलबीसी द्वारा राज्य में केन्द्र सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का संयोजन भी किया जाता है।

7.3 वित्तीय समावेशन / पीएमजेडीवाई :

	ब्योरे	2019-20	2020-21
एफआई योजना	बीसीए द्वारा किए गए संव्यवहार (लाख में)	168.33	186.01
	संव्यवहार की राशि (करोड़ में)	10003.76	12896.05
पीएमजेडीवाई	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (लाख में)	61.74	68.15
	उसमें से आधार सीडिंग किए गए (लाख में)	56.03	62.80
	आधार सीडिंग का % (लाख में)	90.75%	92.10%
	उसमें से मोबाइल सीडिंग (लाख में)	49.81	56.47
	मोबाइल सीडिंग का % (लाख में)	80.68%	82.86%
	उसमें से जारी रूपे कार्ड (लाख में)	19.17	26.71
	जारी रूपे कार्ड का % (लाख में)	31.04%	39.20%
	पीएमजेडीवाई खाते में शेष (करोड़ में)	2057.37	2545.14
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	3332	3735
	पीएमजेडीवाई ३॰ ओडी संख्या (लाख में)	2.53	2.66
	पीएमजेडीवाई ३॰ ओडी राशि (लाख में)	2774.01	3202.08
	शून्य शेष पीएमजेडीवाई खाते (लाख में)	14.82	11.47
(सामाजिक सुरक्षा योजनाएं)	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में)	12.87	16.41
	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में)	22.72	31.12
	एपीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में)	2.03	2.83
बीएसबीडी खाते	कुल बीएसबीडी खाते (लाख में)	85.20	93.53
	बीएसबीडी खाते में बकाया शेष (करोड़ में)	2635.39	3223.00
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	3093	3445
	बीसी सेवाओं के लिए दिया गया कमीशन (करोड़ में)	27.88	34.23

7. LEAD BANK

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year District Credit Plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other member banks as well as in coordination with District Collectors of respective districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra. SLBC prepares State Annual Credit Plan in consultation with Lead District Managers, Member Banks, NABARD, Reserve Bank of India, etc. The Priority Sector plan for the year 2020-21 was for ₹ 4,74,511 crore, which was one of the highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra.

SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to review the implementation of State Annual Credit Plans, Priority Sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between Member Banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC Maharashtra coordinates a network of more than 16,827 bank branches in the state.

As the SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated for implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. As of 31.03.2021, total of 300 lakh PMJDY accounts have been opened in the State. The process of opening of PMJDY accounts is continued. SLBC also coordinates implementation of other Social Security Schemes of the Central Government in the State.

7.3 FINANCIAL INCLUSION / PMJDY:

	Particulars	2019-20	2020-21
FI Plan	No of Transactions by BCA (in lakhs)	168.33	186.01
	Amt of transactions (in Cr)	10003.76	12896.05
PMJDY	No. of PMJDY accounts (in lakhs)	61.74	68.15
	Of Which Aadhaar Seeded (in lakhs)	56.03	62.80
	% OF Aadhaar Seeding (in lakhs)	90.75%	92.10%
	Of Which Mobile Seeding (in lakhs)	49.81	56.47
	% of Mobile Seeding (in lakhs)	80.68%	82.86%
	Of Which Ru-Pay Card issued (in lakhs)	19.17	26.71
	% of Ru-Pay Card issued (in lakhs)	31.04%	39.20%
	Balance in PMJDY A/c (in Cr)	2057.37	2545.14
	Average Bal. per account (actual)	3332	3735
	PMJDY – OD Count (in lakhs)	2.53	2.66
	PMJDY – OD Amount (in lakhs)	2774.01	3202.08
	Zero Bal. PMJDY A/cs (in lakhs)	14.82	11.47
Social Security Schemes	Enrolment under PMJJBY (in lakh)	12.87	16.41
	Enrolment under PMSBY (in lakh)	22.72	31.12
	Enrolment under APY (in lakh)	2.03	2.83
BSBD Accounts	Total BSBD Accounts (in lakhs)	85.20	93.53
	O/S Balance in BSBD A/c (in Cr)	2635.39	3223.00
	Average bal. per account (actual)	3093	3445
	Commission Paid towards BC Services (in Crore)	27.88	34.23

बैंक के पास पीएमजेडीवाई शिकायतों का निवारण करने हेतु 18001022636 टोल फ्री क्रमांक वाला पूर्ण विकसित कॉल सेंटर है। वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासों की सराहना के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में श्रेष्ट कार्य-निष्पादन के लिए अपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में भी बैंक की प्रशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 39.32% वृद्धि प्रदर्शन के साथ रूपे कार्ड जारी करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- 14.08.2020 से 30.09.2021 तक आयोजित एपीवाई फाइनांशियल फ्रीडम फाइटर अभियान के अंतर्गत प्रशंसा प्रमाणपत्र।
- 18.01.2021 से 28.02.2021 के दौरान एपीवाई लीडरशिप कैपिटल 3.0 अभियान तथा 01.03.2021 से 3103.2021 के दौरान एपीवाई बिग बिलिवर्स अभियान के अंतर्गत क्वालिफाई किया।
- मार्च 2021 माह के लिए बुधवार अभियान विजय के अंतर्गत क्वालिफाई किया।
- सितंबर 2020 माह के लिए एपीवाई पॉवर टू परसिस्ट अभियान के अंतर्गत प्रशंसा प्रमाणपत्र।

8. सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं :

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 412 थीं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन शाखाओं पर नियंत्रण रखा जाता है।

सभी 412 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अधीन हैं।

कार्य निष्पादन विशेषताएं निम्नलिखित है:

- कुल व्यवसाय ₹ 20682.70 करोड़ रहा।
- कुल जमाराशियां ₹13540.64 करोड़ तथा कासा शेयर 57% रहा।
- बैंक द्वारा ₹ 261.70 करोड़ का परिचालन लाभ प्राप्त किया गया।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख कार्य-निष्पादन बिंदु मानदंडों में प्रायोजक बैंक द्वारा दिए गए एमओयू डीएपी के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है।

अनु.	कार्यनिष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य	31.03.2021 को वास्तविक
1.	कुल जमाराशियां	12700.00	13540.64
2.	कासा जमाराशियां	7000.00	7736.11
3.	कुल व्यवसाय	20360.00	20682.70
4.	ब्याज आय	910.00	979.49
5.	गैर-ब्याज आय	115.00	167.82
6.	परिचालनगत लाभ	226.00	261.70
7.	बट्टे खातों में वसूली	5.00	11.52

एमजीबी ने ग्राहकों को द्वार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1320 व्यवसाय प्रतिनिधि तैनात किए हैं। बैंक ने 23.44 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं और इन खातों में 11.48 लाख डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक

The Bank has a full-fledged call center with toll free number 18001022636 for redressal of PMJDY grievances. In appreciation of its efforts towards financial inclusion, the Bank was also recognized by the Govt of India in FY 2020-21 for excellent performance in the field of financial inclusion, which included:

- Secured 1st position for issuance of RuPay cards showing 39.32% growth in financial year 2020-21.
- Certificate of Appreciation under the APY Financial Freedom Fighters Campaign held from 14.08.2020 to 30.09.2021.
- Qualified under APY Leadership Capital 3.0 Campaign, held from 18.01.2021 to 28.02.2021 & APY Big Believers 3.00 Campaign, held from 01.03.2021 to 31.03.2021.
- Qualified under winning Wednesday campaign, for the month of March 2021.
- Certificate of Appreciation under APY Power to Persist Campaign, for the month of September 2020.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS:

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no. of branches as on March 31, 2021 stood at 412 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra state. These branches are controlled through 7 Regional Offices.

All 412 branches and controlling offices are under core banking solution (CBS).

Performance highlights of Maharashtra Gramin Bank for the FY 2020-21 (Pre Audit) are as under:

- Total Business level was ₹ 20682.70 Crore.
- Total deposit was ₹ 13540.64 Crore and CASA share was 57 %.
- Bank has achieved operating profit of ₹ 261.70 Crore.

Bank has achieved most of the targets under MoU DAP given by sponsor Bank for the financial year 2020-21 in major key performance areas.

(₹ in Crore)

Sr. No.	Performance Parameter	Target FY 2020-21	Actual as on 31.03.2021
1.	Total Deposits	12700.00	13540.64
2.	CASA deposits	7000.00	7736.11
3.	Total Business	20360.00	20682.70
4.	Interest Income	910.00	979.49
5.	Non-Interest Income	115.00	167.82
6.	Operating Profit	226.00	261.70
7.	Recovery in Write Off	5.00	11.52

MGB has deployed 1320 Business correspondents in rural areas to provide door step service to the customers. Bank has opened 23.44 Lakh PMJDY accounts and 11.48 Lakh debit cards are issued to in these accounts. Bank is actively

ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा घोषित पीएमएमवाई योजना में भी सक्रियता से भाग लिया।

8.2 मेटको का कार्य-निष्पादन

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100 % अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

» वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना

» निजी न्यासों/ सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना

» एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन

» अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता

» संपत्ति की खरीदी/ बिक्री के लिए परामर्श देना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं। कंपनी लगभग 1111 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है। वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 23 रही, इसप्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1306 हो गई है। कंपनी द्वारा वर्तमान में 21 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 99 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 2 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है। कंपनी द्वारा करीब-करीब 20 न्यासों के प्रबंधकीय न्यासी के रूप में कार्य किया गया तथा गरीब लोगों की मदद कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को उत्प्रेरक बनाया।

कंपनी द्वारा कोविड-19 के दौरान भारत सरकार/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन किया गया। कंपनी ने अपने ट्रस्टों के माध्यम से 857 लाभार्थियों को ₹ 305 लाख दान किया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मेटको का निवल लाभ ₹ 70.85 लाख रहा।

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं :

i. बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंकिंग उद्योग में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बैंक बनने का श्रेय हमारे बैंक को प्राप्त हुआ।

ii. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों के अंतर्गत पूर्व क्षेत्र के लिए हमारे कोलकाता अंचल कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

iii. अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक के कोलकाता, गोवा, जयपुर, पटना अंचल कार्यालयों तथा वाराणसी शाखा (लखनऊ अंचल) एवं जोधपुर शाखा (जयपुर अंचल) को पुरस्कार प्रदान किए गए।

iv. बैंक की मासिक ई-पत्रिका 'राजभाषा ई-प्रगति' प्रति माह नियमित रूप से प्रकाशित की गई। एक नई पहल के रूप में दिव्यांगजनों के लाभ हेतु 'राजभाषा ई-प्रगति' का ब्रेल लिपि में भी प्रकाशन किया गया।

v. बैंक मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जलगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों की बैठक और विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से निर्धारित अनुसूची के अनुसार संपन्न की गई।

participating in PMJJBY, PMSBY and APY as well as the PMMY scheme declared by the Government of India.

8.2 Performance of METCO

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra, was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

» Consultation, Drafting & Execution of will

» Consultation, Drafting and Management of private Trusts / Public Trusts

» Management of investments & house properties as attorney

» Guardianship of minor's property

» Consultation for sale/purchase of property

The company is located at Pune having its branch units at Pune, Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1111 Public & Private Trusts. During the year, additional 23 wills were added making total 1306 will in its custody for execution. At Present, the company manages properties both movable and immovable of 21 Clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustee in respect of 99 policies under Married Women's Property Act and as court appointed Guardian of Minor's property in 2 cases. The company also acts as Managing Trustee of nearly 20 trusts and catalysts its social responsibility by extending help to poor people.

Company has followed all the instructions regarding safety during COVID-19 issued by Government of India/ Ministry of Corporate Affairs. The Company has also donated through its trusts ₹ 305 lacs to 857 beneficiaries.

The net profit of METCO for FY 2020-21 stood at ₹ 70.85 lakhs.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2020-21, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

i. Bank was awarded Skoch Order-of-Merit 2021 award for Better Implementation of Rajbhasha and became the first bank to receive this award for implementation of official language.

ii. Our Kolkata Zonal Office received second prize for Eastern Region in Regional Rajbhasha Puraskar from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

iii. Various Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) convened by other Banks awarded our Kolkata, Goa, Jaipur, Patna Zonal Offices and Varanasi Branch (Lucknow Zone), Jodhpur Branch (Jaipur Zone) for excellent implementation of Official Language.

iv. Monthly Rajbhasha e-Magazine 'Rajbhasha E-Pragati' is being regularly published every month. As a new initiative Rajbhasha E-Pragati in Brail script is also published for the benefit of visually challenged employees of the Bank.

v. Bank is the convener Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per schedule.

vi. "Hindi Karya Diwas" (Hindi Working Day) is being

vi. प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बैंक की सभी शाखाओं व कार्यालयों में ''हिंदी कार्य दिवस'' मनाया जाता है। इस दिन सभी कर्मचारी अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं।

vii. बैंक का मोबाइल बैंकिंग प्लैटफॉर्म महा-मोबाइल का हिंदी वर्जन उपलब्ध कराया गया है। बैंक की वेबसाइट पर जानकारियां हिंदी में भी उपलब्ध कराई गई हैं।

viii. कर्मचारियों के उपयोग हेतु बैंक के इंट्रानेट पर ''ऑनलाइन राजभाषा कोश'' और ''ऑनलाइन हिंदी रोस्टर'' सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ix. दिनांक 09 मार्च, 2021 को हैदराबाद में आयोजित राजभाषा सम्मेलन के दौरान श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ महोदय ने ''महाकोश मोबाइल ऐप'' और ''महाबैंक प्रगति मोबाइल ऐप'' लाँच किया। यह कर्मचारियों को अपने मोबाइल के माध्यम से दोनों ''ऐप'' के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करेगा।

10. सुरक्षा

बैंक द्वारा बैंक की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा नीति बनाई गई है। नीति के अंतर्गत निम्नलिखित का समावेश किया गया है :-

- शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, करंसी चेस्ट, डेटा सेंटर, अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंक की संपत्तियों जैसे नकदी, स्वर्ण, दस्तावेज व मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करना तथा नकदी व मूल्यवान वस्तुओं हेतु सुरक्षा के उपाय करना।
- बैंकिंग व्यवसाय को सहज व सामान्य रूप से चलाने के लिए स्टॉफ, भेंटकर्ताओं तथा ग्राहकों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उपाय।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आनेवाले खतरे, वर्तमान अपराधिक परिदृश्यों, अपराध पैटर्न, बैंक डकैती के तौर तरीकों व सुरक्षा भंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक में भौतिक सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु सक्रिय कदम उठाए गए तथा आगजनी की घटनाओं से बचाव तथा सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य बैंक कर्मचारियों को किसी भी संभावित घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

11. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 24ए तथा सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र क्र.परी./सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में बैंक ने मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, पुणे को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। पुनरीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई सचिवीय लेखा परीक्षा क्वालिफ़िकेशन नहीं है।

12. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

क) यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनका पालन किया किया गया तथा निदेशकों द्वारा इन लेखा नीतियों का चयन किया गया एवं सतत आधार पर लागू किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए बैंक की लाभ व हानि की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।

ग) निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी की पहचान करने व उससे तथा अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए बैंक

observed by all the branches & offices of the Bank on the third Saturday of every month. All the staff are doing their maximum work in Hindi on this day.

vii. Hindi version of Bank's mobile banking platform Maha-Mobile has been made available. Information on Bank's website are also provided in Hindi.

viii. The facility of "Online Rajbhasha Kosh" & "Online Hindi Roster" is made available on Bank's intranet for the use of employees.

ix. "Maha Kosh Mobile App" and "Mahabank Pragati Mobile App" were launched by Shri A. S. Rajeev, MD & CEO during the Rajbhasha Conference on 9th March, 2021 at Hyderabad. This will facilitate the employees to access both these "Apps" through their mobiles.

10. SECURITY

The Bank has put in place a comprehensive Security Policy covering the entire Security arrangements in the Bank. The policy covers the following:

- Protect the Bank's assets such as cash, gold, documents and valuables at branches, administrative offices, currency chests, data centre, other critical centres and security measures for cash and valuables.
- Create a secure, safe and conducive environment for, Staff, visitors and customers to conduct smooth and normal banking business.
- Measures to counter manmade disasters and natural calamities.

During the FY 2020-21, proactive steps were taken on the physical security requirements in the Bank after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any eventuality.

11. SECRETARIAL AUDIT:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s. Joshi & Joshi, Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake secretarial audit of Bank for the financial year 2020-21. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report. There is no secretarial audit qualification for the year under review.

12 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2021:

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the

हेतु लागू प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ) निदेशकों द्वारा सतत आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए।

ङ) निदेशकों ने सुनिश्चित किया है कि बैंक द्वारा पालन किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हैं; और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है यह प्रणाली पर्याप्त हैं तथा उचित रूप से कार्य कर रहा है।

13. निदेशक मंडल में परिवर्तन :

वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं.

भारत सरकार द्वारा श्री ए. बी. विजयकुमार को दिनांक 10.03.2021 से श्री नागेश्वर राव वाई. के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल 21.01.2021 को पूर्ण किया था।

14. लाभांश वितरण नीति:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसरण में बैंक द्वारा लाभांश वितरण नीति बनाई गई और वह बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

15. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2020-21 बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

16. आभार

निदेशक मंडल ने निवर्तमान निदेशक श्री नागेश्वर राव वाई. द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना को अभिलेखित किया।

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, दिशानिर्देश एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व हितधारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और बैंक के समग्र विकास में उनके योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान: पुणे
दिनांक: 29 अप्रैल, 2021

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e) The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

13 CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year 2020-21, the following changes took place in the Board of Directors:

Shri A.B. Vijayakumar was appointed as an Executive Director of the Bank by the Government of India w.e.f 10.03.2021 in place of Shri Nageswara Rao Y., who completed his term as an Executive Director of the Bank on 21.01.2021.

14 DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY:

In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

15 BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT:

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Business Responsibility Report (BRR) 2020-21 of the Bank is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

16 ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors place on record their appreciation for the contribution made by the outgoing Director Shri Nageswara Rao Y.

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association, Stock Exchanges and Depositories for their valuable advice, guidance and support; to the Customers and Stakeholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Pune
Date 29th April, 2021

(A.S. RAJEEV)
Managing Director and CEO

फॉर्म नंबर MR-3

सचिवीय लेखा परिक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[धारा 204 (1) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों के
नियम 2014 के नियम 9 (कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक)
और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र
परि/सीएफडी/सीएमडी1/ 27/2019 के अनुसार]

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचार / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के दौरान निम्न में उल्लेखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्तपुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, लागू सीमा तक;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गएनियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गतनिम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिकव्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमऔर शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992;

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार सहभागी) विनियम, 1996/2018;

ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

(ढ) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:

(i) बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित ।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(iii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2004

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(v) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

(vi) बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, 1891

(vii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

(viii) बैंकिंग कंपनियाँ (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985

(ix) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी)तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक लागू नहीं

(ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीबद्धता करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के मद क्र.9.6 में घोषित किए गए प्रलंबित शुल्क/ प्रभारों अथवा प्रदत्त पेनाल्टी तथा जहां बैंक को कारण बताओ नोटिस मिले हैं उन्हें छोड़कर बैंक ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए।

साथ ही, बोर्ड की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार कम से कम 15 दिन पूर्व भेजे गए, केवल कुछ मामलों को छोड़कर न्यूनतम सात दिन पूर्व भेजे गए जैसा कि एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है, और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगामी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक समूचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसकी निगरानी के लिए बैंक के परिचालनों और आकार के अनुसरण में बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और पद्धतियां है। तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कतिपय मामलों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है और इसे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के मद क्र.9.6 में घोषित किया गया है।

मैं/ हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने

(i) अधिमान आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर जारी किए;

(ii) पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान टियर II बॉण्ड जारी किए ;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए।

(iv) कोई विलय/ समामेलन / पूनर्संरचना, आदि नहीं किया,

(v) कोई विदेशी तकनिकी समझौता नहीं किया।

कृते जोशी एंड जोशी
(पूर्व में आप्टे जोशी और असोसिएट के नाम से जाने जाते थे)
कंपनी सचिव

हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस: 9897 सीपी: 10450
यूडीआईएन : F009897C000211571

दिनांक : 29 अप्रैल, 2021
स्थान : पुणे

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2021.
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule
No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel)
Rules, 2014 and as per SEBI Circular No CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2021

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of Maharashtra (hereinafter called the "Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed, and other records maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder, to the extent applicable;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 – Not Applicable during the period under review;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client -Not applicable during the period under review;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009- Not applicable during the period under review;
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (not applicable during the year)
- (j) Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- (k) Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;
- (l) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996/2018;
- (m) Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
- (n) other laws applicable specifically to the Bank:
  - (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949.
  - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
  - (iii) Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004.
  - (iv) Reserve Bank of India Act, 1934.
  - (v) Banking Regulations Act, 1949.
  - (vi) Banker's Book Evidence Act, 1891.
  - (vii) Banking Ombudsman Scheme, 2006.
  - (viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985.
  - (ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFESI) Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

(x) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. - Not Applicable

(ii) The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above except that the Bank has received show cause notices and awarded penalty or delayed fees/ charges as disclosed by the Bank in point no.9.6 of Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank for FY 2020-2021.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the applicable provisions of the Act.

Further, adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance as required under LODR 2015, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines. However, penalties have been imposed on the Bank by Regulatory Authorities in certain cases during the period under review and same is disclosed by Bank in point no.9.6 of Schedule 18 of financial statements for FY 2020-2021.

We further report that during the audit period, the Bank has

(i) Issued Equity Shares to Government of India on Preferential basis;

(ii) Issued Tier II Bonds during the period under review.

(iii) taken no major decisions by the members in pursuance to Section 180 of the Companies Act, 2013

(iv) No Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

(v) No Foreign Technical Collaborations

For Joshi & Joshi,
(Formerly known as Apte Joshi & Associates),
Company Secretaries

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 9897 CP: 10450
UDIN: F009897C000211571

Date: April 29,2021
Place: Pune

अनुलग्नक - ए

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमारी संदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है -

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषयवस्तु की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।
7. लॉकडाउन के कारण चालू वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा ज्यादातर ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग करके कंप्यूटर पर की गई है। COVID-19 संबंधित उपायों के कारण लगाए गए प्रतिबंध के कारण, हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों को बैंक के प्रबंधन द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार सत्यापन उद्देश्यों के लिए अंतिम माना गया था। सीमित दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

कृते जोशी एंड जोशी
(पूर्व में आप्टे जोशी और असोसिएट के नाम से जाने जाते थे)
कंपनी सचिव

हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस: 9897 सीपी: 10450
यूडीआईएन : F009897C000211571

दिनांक : 29 अप्रैल, 2021
स्थान : पुणे

Annexure - A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and book of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
7. Secretarial audit for the current year has been mostly conducted on computer using audio visual means because of the lockdown. The documents provided to us were treated as final for verification purposes as per the declaration given by the Management of the Bank, because of the restriction imposed due to COVID-19 related measures. Limited documents have been verified physically.

For Joshi & Joshi,
(Formerly known as Apte Joshi & Associates),
Company Secretaries

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 9897 CP: 10450
UDIN: F009897C000211571

Date: April 29,2021
Place: Pune

वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होता है।

बैंक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या सक्षमता विनिर्दिष्ट करते हैं :

(i) लेखांकन, (ii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (iii) बैंकिंग, (iv) सहकारिता, (v) अर्थशास्त्र, (vi) वित्त, (vii) विधि, (viii) लघु उद्योग, (ix) सूचना प्रौद्योगिकी, (x) सार्वजनिक नीति आदि, अथवा किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव जोकि रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल तथा अनुभव है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य सृजन हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है- नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2020-21

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Financial Services, Ministry of Finance. The nomination and appointment of all categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

(i) Accountancy, (ii) Agriculture and Rural Economy, (iii) Banking, (iv) Co-operation, (v) Economics, (vi) Finance, (vii) Law, (viii) Small-scale industry, (ix) Information Technology (x) Public Policy etc., or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge, skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

31 मार्च 2021 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2021 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	निदेशक का नाम और पदनाम Name and Designation of Director	31.03.2021 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखतों की संख्याा No. of equity shares/convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2021	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of member ship in Sub Committees of the Bank	सूचीबद्ध इकाइयों (बैंक सहित) की एसी/ एसआरसी# में अध्यक्ष/ सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ member ship in AC/ SRC# of listed entities (including Bank)	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (nature of appointment in the Bank/other Companies
1	श्री ए. एस. राजीव Shri A.S. Rajeev प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	29907 29907	10	दी न्यू एशोरेंस कंपनी लिमिटेड: एसी- अध्यक्ष एसआरसी- सदस्य The New Assurance Company Limited: AC - Chairman SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। **अन्य कंपनियों में निदेशक:** (i) आप दी न्यू एशोरेंस कंपनी लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) के बोर्ड में निदेशक हैं। (ii) आप भारतीय निर्यात आयात बैंक (गैर सूचीबद्ध बैंक) के बोर्ड में निदेशक हैं। Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 02.12.2018 by the Central Government. **Directorship in other Companies:** i) He is Director on the Board of The New India Assurance Company Limited (Listed Company) ii) He is Director on the Board of Export Import Bank of India (Unlisted Bank).
2	श्री हेमन्त टम्टा कार्यपालक निदेशक Shri Hemant Tamta Executive Director	49846 49846	12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसआरसी- सदस्य Bank of Maharashtra SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। **अन्य कंपनियों में निदेशक:** (i) आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष/ निदेशक भी हैं। Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2018 by the Central Government. **Directorship in other Companies:** i) He is also the Chairman.Director on the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3.	श्री ए. बी. विजयकुमार कार्यपालक निदेशक Shri A.B. Vijayakumar Executive Director	शून्य NIL	12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- सदस्य एसआरसी- सदस्य Bank of Maharashtra AC – Member SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10.03.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। **अन्य कंपनियों में निदेशक:** शून्य Appointed as the Executive Director w.e.f. 10.03.2021 by the Central Government. **Directorship in other Companies:** Nil
4	श्रीमती वंदिता कौल निदेशक (गैर- कार्यपालक) सरकार द्वारा नामित Mrs. Vandita Kaul Director (Non-Executive) Government Nominee	शून्य NIL	09	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- सदस्य Bank of Maharashtra AC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा 11.05.2017 से निदेशक के रूप में नामित की गईं। **अन्य कंपनियों में निदेशक:** (i) आप भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री के बोर्ड में निदेशक हैं। (ii) आप दी न्यू एशोरेंस कंपनी लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) के बोर्ड में निदेशक हैं। Nominated as a Director w.e.f. 11.05.2017 by the Central Government. **Directorship in other Companies:** i) She is Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security and Interest of India. ii) She is Director on the Board of The New India Assurance Company Limited (Listed Company)
5	श्री एम. के. वर्मा निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित Shri Manoj Kumar Verma Director (Non-Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	04	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- सदस्य Bank of Maharashtra AC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा 13.08.2019 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। **अन्य कंपनियों में निदेशक:** शून्य Nominated as a Director of Bank w.e.f. 13.08.2019 by the Central Government. **Directorship in other Companies:** Nil
6	श्री आर. तामोधरन निदेशक (गैर- कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Shri R. Thamodharan Director (Non-Executive) Representing Shareholders	100 100	11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- अध्यक्ष एसआरसी- अध्यक्ष Bank of Maharashtra AC-Chairman SRC- Chairman	दिनांक 30.06.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए। **अन्य कंपनियों में निदेशक:** (i) आप मेसर्स टिडेल पार्क लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 30.06.2018. **Directorship in other Companies:** i) He is Nominee Director on the Board of Tidel Park.

एसी अर्थात लेखा परीक्षा समिति और एसआरसी अर्थात हितधारक संबंध समिति # AC means Audit Committee and SRC means Stakeholder Relationship Committee

2.3 वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

- श्री ए. बी. विजयकुमार को 10.03.2021 से केन्द्र सरकार द्वारा श्री नागेश्वर राव वाई. के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री नागेश्वर राव वाई. ने 21.01.2021 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.4 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल:

2.4.1 श्री ए. बी. विजयकुमार

नाम	श्री ए. बी. विजयकुमार
जन्म दिनांक	27.10.1963
आयु	58 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम, एल.एल.बी.,सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत दिनांक 10.03.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
अनुभव	• आपके पास लार्ज कॉर्पोरेट, रिटेल बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र, विदेशी मुद्रा संचालन, अनुपालन, बोर्ड सचिवालय, मानव संसाधन और सतर्कता प्रणाली सहित बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव है। • आपने 1984 में बैंक ऑफ इंडिया से अपने करियर की शुरुआत की और वर्ष 2018 में महाप्रबंधक के पद पर पहुंचे। आपने देशभर में बैंक की शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों और स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज में तथा हांगकांग केन्द्र में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। आपने वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। • बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले, आपने इंडियन ओवरसीज बैंक में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया। • आपने लीडरशिप डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट क्रेडिट आदि में देश और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankof-maharashtra.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.6 बैंक के पास अपने निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

2.3 Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2020-21:

- Appointment of Shri A.B. Vijayakumar as an Executive Director of Bank by the Central Government w.e.f 10.03.2021 in place of Shri Nageswara Rao Y., who completed his term of Executive Director of Bank on 21.01.2021.

2.4 Profile of Directors appointed on the Board of Bank during the financial year 2020-21:

2.4.1 Shri A.B. Vijayakumar

Name	Shri A.B. Vijayakumar
Date of Birth	27.10.1963
Age	58 years
Qualification	B.Com, LL.B, CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director of Bank w.e.f 10.03.2021 under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
Experience	• He has rich experience of more than three decades covering spectrum of banking operations including Large Corporate, Retail Banking, Priority Sector, Forex operations, Compliance, Board secretariat, HR and Vigilance mechanism. • He started his banking career in Bank of India in the year 1984 and rose to the rank of General Manager in the year 2018. He served in various capacities in branches, administrative offices & Staff Training College of the Bank across the length and breadth of the country and as a Compliance Officer at Hong Kong centre. He has also worked as Chariman of Madhya Pradesh Gramin Bank in year 2018. • Before joining Bank of Maharashtra, he worked as Chief Vigilance Officer of Indian Oversea Bank. • He has also attended various training programs both in India and abroad in Leadership development, Corporate credit etc.,
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

2.6 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by

ब्यौरा बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

2.7 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

3. वार्षिक साधारण बैठक:

बैंक के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2020 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 से विडियो कांन्फ्रेंस/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से संपन्न हुई, जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री हेमन्त टम्टा	कार्यपालक निदेशक
3	श्री नागेश्वर राव वाई.	कार्यपालक निदेशक
4	श्री मनोज कुमार वर्मा	भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक
5	श्री आर. तामोधरन	शेयरधारक निदेशक

4. निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 14 बैठकें संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/ 1980 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

12.05.2020	16.06.2020	29.06.2020	10.07.2020	23.07.2020	25.08.2020	23.09.2020
19.10.2020	24.11.2020	30.12.2020	19.01.2021	11.02.2021	05.03.2021	20.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	14	12
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	11	11
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.03.2021 से 31.03.2021	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14
श्री एम. के. वर्मा	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14

5. निदेशक मंडल की समितियां:

बैंक के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अधिकारों को प्रत्यायोजित किया।

5.1 प्रबंधन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क) ऋण और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देना,

ख) ऋण समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना

ग) परिसर/ क्वार्टर्स को अधिग्रहित करने व अन्य खरीद से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन करना

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

the Directors of the Bank during the financial year 2020-21 are available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in.

2.7 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. Annual General Meeting:

The 17th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 11th August, 2020 from Head office of Bank through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), where following Directors attending the meeting:

1	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO
2	Shri Hemant Tamta	Executive Director
3	Shri Nageswara Rao Y.	Executive Director
4	Shri Manoj Kumar Verma	RBI Nominee Director
5	Shri R. Thamodharan	Shareholder Director

4. Board Meetings:

During the Financial Year 2020-21, 14 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.1980.

12.05.2020	16.06.2020	29.06.2020	10.07.2020	23.07.2020	25.08.2020	23.09.2020
19.10.2020	24.11.2020	30.12.2020	19.01.2021	11.02.2021	05.03.2021	20.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	14	12
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	11	11
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14
Shri M.K. Verma	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14

5. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

5.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.1980. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of credit and investment proposals,

b) Sanction of loan compromise . write off proposals,

c) Approve proposals relating to acquiring of premises. quarters and other procurements

d) Any other matter referred by the Board.

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 14 बैठकें हुईं:

06.5.2020	03.06.2020	24.06.2020	30.06.2020	20.07.2020	10.08.2020	04.09.2020
11.09.2020	28.09.2020	15.10.2020	31.10.2020	01.12.2020	19.12.2020	18.01.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	14	14
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00
श्री एम. के. वर्मा	01.04.2020 से 31.03.2021	14	14

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iv. श्री एम. के. वर्मा सदस्य

5.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/ सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता-प्रणाली की पर्याप्तता, गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के मिलान की स्थिति, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।

घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।

ङ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत रिपोर्टों पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के अवलोकनों का अनुपालन करती है।

च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक

The Committee met 14 times during the period under review on the following dates:

06.05.2020	03.06.2020	24.06.2020	30.06.2020	20.07.2020	10.08.2020	04.09.2020
11.09.2020	28.09.2020	15.10.2020	31.10.2020	01.12.2020	19.12.2020	18.01.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	14	14
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00
Shri M.K .Verma	01.04.2020 to 31.03.2021	14	14

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii. Shri Hemant Tamta Member
iv. Shri A.B. Vijayakumar Member
v. Shri M.K. Verma Member

5.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory and external audit of the Bank and inspection of RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection and audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

e) ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.

f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual, half-yearly,

केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा भी करती है। यह समिति लॉंग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।

छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

12.05.2020	16.06.2020	29.06.2020	23.07.2020	23.09.2020	19.10.2020	14.12.2020
29.12.2020	19.01.2021	05.03.2021	20.03.2021			

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	11	11
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	11	10
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	09	08
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	11	10
श्री एम. के. वर्मा	01.04.2020 से 31.03.2021	11	11

** श्री हेमन्त टम्टा एसीबी बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।*

श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
iv. श्री एम. के. वर्मा — सदस्य

5.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोजर शामिल हैं, के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

29.06.2020	22.09.2020	24.11.2020	22.02.2021

quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

g) ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 11 times and the dates of the meetings are as under:

12.05.2020	16.06.2020	29.06.2020	23.07.2020	23.09.2020	19.10.2020	14.12.2020
29.12.2020	19.01.2021	05.03.2021	20.03.2021			

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	11	11
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	11	10
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	09	08
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	11	10
Shri M.K. Verma	01.04.2020 to 31.03.2021	11	11

**Shri Hemant Tamta attended the ACB Meetings as invitee member.*

Shri. Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri R. Thamodharan — Chairman
ii. Shri A.B. Vijayakumar — Member
iii. Mrs. Vandita Kaul — Member
iv. Shri M.K. Verma — Member

5.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 04 times during the year as under.

29.06.2020	22.09.2020	24.11.2020	22.02.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	03
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन सदस्य

5.4 हितधारकों की संबंध समिति:

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण की देखरेख के लिए 'हितधारकों की संबंध समिति' का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

15.06.2020	22.09.2020	24.11.2020	20.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	02
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	01	01

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	04	03
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii. Shri Hemant Tamta Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar Member
iv Shri R. Thamodharan Member

5.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board to oversee the grievances redressal of Shareholders. Investors of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under.

15.06.2020	22.09.2020	24.11.2020	20.03.2021

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	04	02
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri R. Thamodharan Chairman
ii. Shri Hemant Tamta Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar Member

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	50
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	50
31.03.2021 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

5.5 शेयर अंतरण समिति:

निदेशक मंडल ने 'हितधारकों की संबंध समिति' के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति' का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। समिति में 3 सदस्य हैं। निदेशक मंडल ने आवेदनों के तत्काल निपटान हेतु 05.11.2016 से कार्यपालकों की शेयर अंतरण संवीक्षा समिति को शेयरों के संबंध में अंतरण, हस्तांतरण और नाम हटाने इत्यादि आवेदनों के अनुमोदन हेतु प्राधिकार प्रत्यायोजित किए हैं।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की 02 बैठकों का आयोजन किया गया।

24.11.2020	20.03.2021

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	02	02
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	02	00
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	01	01
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	02	02

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन सदस्य

5.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

15.06.2020	22.09.2020	24.11.2020	05.03.2021

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2020	0
Number of complaints received during the year	50
Number of complaints resolved during the year	50
Number of complaints pending as on 31.03.2021	0

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank.

5.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve. note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of three members. The Board has delegated the authority to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares to Share Transfer Scrutiny Committee of Executives w.e.f 05.11.2016 for speedy disposal of applications.

The Committee met 02 times on following dates as under.

24.11.2020	20.03.2021

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	02	02
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 30.03.2021	02	00
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to.21.01.2021	01	01
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii Shri Hemant Tamta Member
iii Shri A.B. Vijayakumar Member
iv Shri R. Thamodharan Member

5.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹ 1.00 crore and above.

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2020	22.09.2020	24.11.2020	05.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	03
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन सदस्य

5.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति :

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांचों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

15.06.2020	22.09.2020	29.12.2020	05.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	04	03
श्री एम. के वर्मा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य
v. श्री एम. के वर्मा सदस्य

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 30.03.2021	04	03
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii . Shri Hemant Tamta Member
iii Shri A.B. Vijayakumar Member
iv Shri R. Thamodharan Member

5.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director. Managing Director and CEO the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2020	22.09.2020	29.12.2020	05.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	04	03
Shri M. K. Verma	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under.

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii. Shri Hemant Tamta Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar Member
iv. Mrs. Vandita Kaul Member
v. Shri M.K. Verma Member

5.8 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

15.06.2020	22.09.2020	30.12.2020	20.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	03
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iv. श्री आर. तामोधरन — सदस्य

5.9 प्रौद्योगिकी समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था। समिति के चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 05 बैठकें हुईं:

15.06.2020	24.08.2020	22.09.2020	29.12.2020	22.02.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	05	05
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	05	05
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	04	04
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	05	03
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	05	05

5.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2020	22.09.2020	30.12.2020	20.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	04	03
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri Hemant Tamta — Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar — Member
iv. Shri R. Thamodharan — Member

5.9 Technology Committee:

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans. The Committee consist of four members.

The Committee met 05 times during the year as under:

15.06.2020	24.08.2020	22.09.2020	29.12.2020	22.02.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	05	05
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	05	05
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 30.03.2021	04	04
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	05	03
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	05	05

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री ए. एस. राजीव	अध्यक्ष
ii.	श्री हेमन्त टम्टा	सदस्य
iii.	श्री ए. बी. विजयकुमार	सदस्य
iv.	श्रीमती वंदिता कौल	सदस्य
v.	श्री आर. तामोधरन	सदस्य

5.10 ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी, 2012 को किया गया। समिति को व्यक्तिगत हेतु रु.250.00 करोड़, समूह एक्सपोजर हेतु रु.500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ii. कार्यपालक निदेशकगण
iii. महाप्रबंधक, ऋण
iv. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
v. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
vi. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
vii. महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं

वर्ष के दौरान समिति की 26 बैठकें निम्नानुसार दिनांकों को हुईं।

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	22.05.2020	11	08.10.2020	21	04.02.2021
02	10.06.2020	12	15.10.2020	22	22.02.2021
03	13.07.2020	13	20.10.2020	23	04.03.2021
04	31.07.2020	14	10.11.2020	24	08.03.2021
05	14.08.2020	15	24.11.2020	25	24.03.2021
06	26.08.2020	16	10.12.2020	26	31.03.2021
07	05.09.2020	17	28.12.2020		
08	11.09.2020	18	31.12.2020		
09	25.09.2020	19	20.01.2021		
10	30.09.2020	20	01.02.2021		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	26	26
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	26	25
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	19	18
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i.	Shri A. S. Rajeev	Chairman
ii.	Shri Hemant Tamta	Member
iii.	Shri A.B. Vijayakumar	Member
iv.	Mrs. Vandita Kaul	Member
v.	Shri R. Thamodharan	Member

5.10 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs.250.00 crore for individual, Rs.500.00 crore for group exposure and loan compromise.write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

i. Chairman & Managing Director/MD & CEO
ii. Executive Directors
iii. General Manager, Credit
iv. General Manager, Integrated Risk Management
v. General Manager, Financial Management & Accounts
vi. General Manager, Credit Priority
vii. General Manager, Recovery and Legal Services.

The Committee met 26 times during the year on the dates given below.

Sr. No.	Date	Sr. No.	Date	SR NO	Date
01	22.05.2020	11	08.10.2020	21	04.02.2021
02	10.06.2020	12	15.10.2020	22	22.02.2021
03	13.07.2020	13	20.10.2020	23	04.03.2021
04	31.07.2020	14	10.11.2020	24	08.03.2021
05	14.08.2020	15	24.11.2020	25	24.03.2021
06	26.08.2020	16	10.12.2020	26	31.03.2021
07	05.09.2020	17	28.12.2020		
08	11.09.2020	18	31.12.2020		
09	25.09.2020	19	20.01.2021		
10	30.09.2020	20	01.02.2021		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	26	26
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	26	25
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	19	18
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	02	02

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

i. महाप्रबंधक, ऋण
ii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
iii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
v. महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

5.11 मानव संसाधन पर संचालन समिति :

समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है। बैंक ने निदेशक मंडल के परामर्शक के रूप में एचआर क्षेत्र में 2 विशेषज्ञों को शामिल किया है जो समिति के सदस्य भी हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुईं :

22.09.2020	29.12.2020	20.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	03	03
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	03	02
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	02	02
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	03	02

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा — सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
v. श्रीमती एस. ए. पानसे — आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ
vi. श्रीमती गीतिका कपूर — आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ

5.12 एनपीए वसूली पर निगरानी हेतु बोर्ड की समिति :

यह समिति बैंक में एनपीए वसूली की पुनरीक्षा व निगरानी करती है और संग्रहण प्रणाली तथा ऋणों व अग्रिमों की वसूली पर पर्यवेक्षण कर बड़े मूल्य के एनपीए खातों में वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

22.09.2020	24.11.2020	30.12.2020	11.02.2021

The meetings were also attended by the following executives.

i. General Manager, Credit
ii. General Manager, Integrated Risk Management
iii. General Manager, Financial Management & Accounts
iv. General Manager, Credit Priority – As per requirement
v. General Manager, Recovery- As per requirement

5.11 Steering Committee on HR:

The Committee discusses various matters.issues related to Human Resources. Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board, who are also members of the Committee.

The Committee met 03 times during the year as under:

22.09.2020	29.12.2020	20.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	03	03
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	03	02
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	02	02
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	03	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri Hemant Tamta — Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar — Member
iv. Mrs. Vandita Kaul — Member
v. Mrs. S.A. Panse — Invitee outside expert
vi. Mrs. Geetika Kapoor — Invitee outside expert

5.12 Committee of Board for monitoring NPA Recovery:

The Committee reviews and monitors NPA Recovery in the Bank provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

22.09.2020	24.11.2020	30.12.2020	11.02.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	03
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य

5.13 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति:

यह समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षा हेतु गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

15.06.2020	22.09.2020	30.12.2020	05.03.2021

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार*	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	04	04

* श्री ए. बी. विजयकुमार आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री हेमन्त टम्टा अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iii. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	04	03
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii. Shri. Hemant Tamta Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar Member
iv. Mrs. Vandita Kaul Member

5.13 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India:

The Committee have been constituted to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India.

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2020	22.09.2020	30.12.2020	05.03.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2021 to 21.01.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar*	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	04	04

* Shri A.B. Vijayakumar attends the meeting as invitee member.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri Hemant Tamta Chairman
ii. Shri A.B. Vijayakumar Member
iii. Mrs. Vandita Kaul Member

5.14 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति :

यह समिति बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 07 बैठक हुई:

15.06.2020	10.11.2020	03.12.2020	14.12.2020	18.12.2020
11.02.2021	05.03.2021			

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	07	07
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	06	06
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	07	07

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य
iii. श्री आर. तामोधरन सदस्य

5.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति :

यह समिति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभारी महाप्रबंधकगण (जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा) के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2019 के सम्प्रेषण क्र.एफ.क्र. 9/5/2009-आईआर के अनुसार गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 02 बैठकें हुईं :

15.06.2020	25.08.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2020 से 31.03.2021	02	02
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2020 से 31.03.2021	02	02
श्री एम. के. वर्मा	01.04.2020 से 31.03.2021	02	02

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन अध्यक्ष
ii. श्रीमती वंदिता कौल सदस्य
iii. श्री एम. के. वर्मा सदस्य

5.14 Committee for identification of Willful defaulters:

This Committee is constituted as per RBI guidelines to identify the willful defaulters of the Bank.

The Committee met 07 times during the year as under:

15.06.2020	10.11.2020.	03.12.2020	14.12.2020	18.12.2020
11.02.2021	05.03.2021			

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	07	07
Mrs. Vandita Kaul	29.06.2020 to 31.03.2021	06	06
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	07	07

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii. Mrs. Vandita Kaul Member
iii. Shri R. Thamodharan Member

5.15 Committee for Performance Evaluation

This Committee has been constituted as per Ministry of Finance communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 to undertake the process of Performance Evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the Bank.

The Committee met 02 times during the year as under:

15.06.2020	25.08.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2020 to 31.03.2021	02	02
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2020 to 31.03.2021	02	02
Shri M.K. Verma	01.04.2020 to 31.03.2021	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri R. Thamodharn Chairman
ii. Mrs. Vandita Kaul Member
iii. Shri M.K. Verma Member

5.16 निदेशक मंडल की निर्गम समिति :

यह समिति शेयरों के निर्गम और आबंटन करने संबंधी मामलों की निगरानी करने हेतु गठित की गई।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 01 बैठक हुई :

25.08.2020

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2020 से 31.03.2021	01	01
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2020 से 31.03.2021	01	01
श्री नागेश्वर राव वाई.	01.04.2020 से 21.01.2021	01	01
श्री ए. बी. विजयकुमार	10.03.2021 से 31.03.2021	00	00

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष

ii. श्री हेमन्त टम्टा सदस्य

iii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य

5.17 अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में बोर्ड की समिति:

यह समिति सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की पुनरीक्षा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में करती है।

यद्यपि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्रीमती वंदिता कौल अध्यक्ष

ii. श्री आर. तामोधरन सदस्य

5.18 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है। यह समिति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित प्रक्रिया करती है। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2021 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. तामोधरन अध्यक्ष

नोट : भारत सरकार की ओर से रिक्त पदों पर निदेशकों की नियुक्ति होने पर बोर्ड इस समिति के सदस्यों को नामित करेगा।

6. अन्य समितियां:

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरियों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, शीर्ष प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं।

5.16 Issue Committee of the Board:

This Committee is constituted to look after the matters related to issue and allotment of shares:

The Committee met 01 times during the year as under:

25.08.2020

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2020 to 31.03.2021	01	01
Shri Hemant Tamta	01.04.2020 to 31.03.2021	01	01
Shri Nageswara Rao Y.	01.04.2020 to 21.01.2021	01	01
Shri A.B. Vijayakumar	10.03.2021 to 31.03.2021	00	00

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri A. S. Rajeev Chairman

ii. Shri Hemant Tamta Member

iii. Shri A.B. Vijayakumar Member

5.17 Committee of Board as Appellate and Reviewing Authority:

This Committee deals with review of vigilance, non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines.

However, no meeting of this Committee was held during the financial year 2020-21.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Mrs. Vandita Kaul Chairman

ii. Shri R. Thamodharan Member

5.18 Nomination & Remuneration Committee:

This Committee is constituted as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India guidelines, Bank had constituted. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. However, no meeting of this Committee was held during the financial year 2020-21.

The composition of the Committee as on 31st March, 2021 is as under:

i. Shri R. Thamodharan Chairman

Note: Board will nominate Directors as members of this Committee upon appointment of Directors against the vacant posts by Government of India.

6. Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

7. निदेशकों का पारिश्रमिक :

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) वर्ष 2020-21 के दौरान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹ में)
1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	30,37,308.30
2	श्री हेमन्त टम्टा	कार्यपालक निदेशक	26,14,634.10
3	श्री नागेश्वर राव वाई.	कार्यपालक निदेशक*	23,00,067.90
4	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक	1,96,989.47

* बैंक में निदेशक के रूप में कार्यकाल 21.01.2021 को समाप्त हुआ।

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक कर्मचारियों और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प का प्रस्ताव नहीं दिया गया।

घ) सीटिंग शुल्कः भारत सरकार के दिनांक 18 जनवरी, 2019 के परिपत्र के अनुसार बोर्ड और इसकी उपसमितियों की बैठक में सहभाग हेतु सीटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

क. बोर्ड बैठक : ₹ 40,000/- प्रति बैठक

ख. समिति बैठक : ₹ 20,000/- प्रति बैठक

ग. बोर्ड की बैठक की अध्यक्षताः (क) के अतिरिक्त ₹ 10,000/- प्रति बैठक

घ. समिति की बैठक की अध्यक्षता : (ख) के अतिरिक्त ₹ 5,000/- प्रति बैठक

वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार हैः (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सीटिंग शुल्क देय नहीं है)।

अनु. क्र	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
01	श्री आर. तामोधरन	15,00,000.00
02	श्री एम. के. वर्मा	11,80,000.00
	कुल	**26,80,000.00**

इसके अलावा, दिनांक 22.09.2020, 29.12.2020 और 20.03.2021 को मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की बैठक में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे और श्रीमती गीतिका कपूर को क्रमशः ₹ 60,000/- और ₹ 40,000/- सीटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

7. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director/ MD & CEO and two Executive Directors (3 Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2020-21 are as under:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (in ₹)
1	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO	30,37,308.30
2	Shri Hemant Tamta	Executive Director	26,14,634.10
3	Shri Nageswara Rao Y.	Executive Director*	23,00,067.90
4	Shri A.B. Vijayakumar	Executive Director	1,96,989.47

*ceased to be Director of Bank on 21.01.2021.

B) No Performance linked Incentive was paid to the Directors during the Financial Year 2020-21:

C) No stock option was offered to Bank's Employees and Whole Time Directors of Bank during the FY 2020-21.

D) Sitting fees: Government of India vide its communication dated 18th January, 2019 has revised sitting fees for attending meetings of Board and its sub-committees as under:

a. Board meeting: ₹ 40,000/- per meeting

b. Committee meeting: ₹ 20,000/- per meeting

c. Chairing Board meeting: ₹10,000/- per meeting in addition to (a).

d. Chairing Committee meeting: ₹ 5,000/- per meeting in addition to (b).

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2020-21 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
01	Shri R. Thamodharan	15,00,000.00
02	Shri M.K. Verma	11,80,000.00
	Total	**26,80,000.00**

Besides this, sitting fees of Rs.60,000/- & ₹ 40,000/- was paid to External experts i.e. Mrs.S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 22.09.2020, 29.12.2020 and 20.03.2021 respectively.

8. सर्वसाधारण बैठकें:

8.1 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	पारित संकल्प
पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक	21 जून, 2018 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट् इश्यू /क्यूआईपी/अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iii) 31.03.2018 तक बैंक के संचित घाटे का समंजन करना (विशेष संकल्प)। iv) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन।
असाधारण सामान्य बैठक	25 मार्च 2019 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर जारी करना (विशेष संकल्प)
सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक	27 जून, 2019 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट् इश्यू /क्यूआईपी/अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iii) 31.03.2019 तक बैंक के संचित घाटे का समंजन करना (विशेष संकल्प)।
सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक	11 अगस्त, 2020 को प्रातः 11.00 बजे	पुणे स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में	i) वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर बैंक के प्रत्येक रू.10/- के ईक्विटी शेयर जारी करना (विशेष संकल्प) iii) एफपीओ/ राईट् इश्यू /क्यूआईपी/अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iv) 31.03.2020 तक बैंक के संचित घाटे का समंजन करना (विशेष संकल्प)।

8.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि बैंक की साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

8. General Body Meetings:

8.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three financial years are given below:

Particulars	Date & Time	Venue	Resolutions passed
Fifteenth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 21st June, 2018	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2017-18. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2018. (Special Resolution). iv) Election of one Shareholder Director.
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 25th March, 2019	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Issue of equity shares to Government of India on preferential basis (Special Resolution).
Sixteenth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 27th June, 2019	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2018-19. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2019. (Special Resolution).
Seventeen Annual General Meeting	At 11.00 a.m. on 11th August, 2020	Head office of Bank located at Pune. The meeting was conducted through VC/ OAVM	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2019-20. ii) Issue of Equity shares of Rs.10/- each of the Bank to Government of India on preferential basis (Special Resolution). iii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iv) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2020. (Special Resolution).

8.2 The Ministry of Finance, Government of India sends their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

9.0 पोस्टल बैलेट :

9.1 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने कंपनियां (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने हेतु अप्रैल, 2020 में पोस्टल बैलट प्रक्रिया आरंभ की। किन्तु बाद में पोस्टल बैलट की प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 11 अगस्त, 2020 को आयोजित 17 वीं वार्षिक साधारण बैठक के उपर्युक्त कार्यसूची हेतु बैंक के शेयरधारकों से अनुमोदन लिया गया था।

9.2 प्रस्तावित पोस्टल बैलट के ब्यौरे :

आगामी वार्षिक साधारण बैठक को या उससे पूर्व पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

10. संप्रेषण के साधन:

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ ही साथ उपलब्ध कराया जाता है और शेयर बाजार को प्रस्तुत किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों और भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए बैंक विश्लेषक/ संस्थागत निवेशक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस/प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि भी आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	अंग्रेजी संस्करण	मराठी संस्करण	
जून 2020	फिनांशियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	24.07.2020
सितंबर 2020	फिनांशियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	20.10.2020
दिसंबर 2020	फिनांशियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	20.01.2021
मार्च 2021	फिनांशियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	30.04.2021

निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कार्पोरेट घोषणाएं, मीडिया, विज्ञप्तियां इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कार्पोरेट कम्पलायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द लिस्टिंग सेंटर) और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) प्रचार हेतु दर्ज किए गए।

11. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:

11.1 अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

वित्तीय वर्ष	2020-21
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों (एकल व समेकित) पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	29 अप्रैल, 2021
अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	विडियो कॉन्फरेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों से दिनांक 24 जून, 2021 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	02 जून, 2021
बहियों के बंद होने का दिनांक	18 जून, 2021 से 24 जून, 2021

9.0 Postal Ballot:

9.1 During the year under review, the Bank has initiated the process for conduct of Postal ballot in April, 2020 for seeking Shareholder's approved for issue of equity shares to Government of India on preferential basis as per provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. However, the process of Postal ballot was withdrawn lateron. Further, approval of shareholders of Bank was obtained for the aforesaid agenda in 17th Annual General Meeting of Bank held on 11th August, 2020.

9.2 Details of Proposed Postal Ballots:

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

10. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the Listing Regulations. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The results are simultaneously displayed on the Bank's website *www.bankofmaharashtra.in* and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Analysts/ Institutional Investor meets, press conference/releases etc., for announcing Bank's financial results and its future plans.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	English Edition	Marathi Edition	
June 2020	Financial Express	Loksatta	24.07.2020
September 2020	Financial Express	Loksatta	20.10.2020
December 2020	Financial Express	Loksatta	20.01.2021
March 2021	Financial Express	Loksatta	30.04.2021

Channels of Communication with the investors:

All periodical compliance Filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

11. General Shareholder Information:

11.1 Particulars of the Seventeenth Annual General Meeting:

Financial Year	2020-2021
Board Meeting for considering Annual Audited Accounts (Standalone & Consolidated) for Financial year ended 31st March, 2021	29th April, 2021
Date, Time and Venue of Seventeenth AGM.	On 24th June, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video conference or Other Audio Video Means
Posting of Annual Report	02nd June, 2021
Dates of Book Closure	18th June, 2021 to 24th June, 2021

11.2 वित्तीय कैलेंडर 2021-22 (अनंतिम):

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2021	14 अगस्त 2021 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2021	14 नवंबर 2021 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2021	14 फरवरी 2022 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2022 (वार्षिक)	18 मई 2022 को या इससे पूर्व

11.3 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्योरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई): पता : फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400001	532525
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएससी) पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ॐ 400051	MAHABANK EQ
इंटरनैशनल सिक्युरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (ISIN):	**INE457A01014**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है।

11.4 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह	बीएसई			एनएसई			सेंसेक्स	निफ्टी
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	समापन मूल्य	समापन मूल्य
अप्रैल, 2020	10.99	8.66	875615	10.95	8.65	12556583	33718	9860
मई, 2020	10.20	8.32	936730	9.45	8.35	8085807	32424	9580
जून, 2020	11.90	8.60	11785458	11.95	8.65	93799101	34916	10302
जुलाई, 2020	12.88	10.00	22111301	12.80	10.25	134614337	37607	11073
अगस्त, 2020	15.34	11.73	15704803	15.35	11.70	114454467	38628	11388
सितंबर, 2020	13.75	10.55	5413536	13.75	10.55	34260581	38068	11248
अक्तूबर, 2020	12.56	10.75	2991777	12.60	10.80	23439665	39614	11642
नवंबर, 2020	12.51	10.99	3656614	12.50	11.00	33128984	44150	12969
दिसंबर, 2020	16.00	11.56	13293529	16.00	11.00	11489605	47751	13982
जनवरी, 2021	16.45	13.10	18192038	16.45	13.05	142677449	46286	13635
फरवरी, 2021	27.73	13.20	61799662	27.60	14.60	402224929	49099	14529
मार्च, 2021	25.20	18.05	30878997	25.30	18.10	212047068	49509	14691

11.2 Financial Calendar 2021-22 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2021	On or Before 14th August 2021
30th September 2021	On or Before 14th November 2021
31st December 2021	On or Before 14th February 2022
31st March 2022 (Annual)	On or Before 18th May 2022

11.3 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

Name of Stock Exchange	Scrip code
BSE Limited (BSE): Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	532525
National Stock Exchange of India Limited (NSE) Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MAHABANK EQ
International Security Identification Number (ISIN):	**INE457A01014**

The annual listing fees for the financial year 2020-21 has been paid to the Stock Exchanges.

11.4 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

Month	BSE			NSE			SENSEX	NIFTY
	High	Low	Volume	High	Low	Volume	Closing price	Closing price
April, 2020	10.99	8.66	875615	10.95	8.65	12556583	33718	9860
May, 2020	10.20	8.32	936730	9.45	8.35	8085807	32424	9580
June, 2020	11.90	8.60	11785458	11.95	8.65	93799101	34916	10302
July, 2020	12.88	10.00	22111301	12.80	10.25	134614337	37607	11073
August, 2020	15.34	11.73	15704803	15.35	11.70	114454467	38628	11388
September, 2020	13.75	10.55	5413536	13.75	10.55	34260581	38068	11248
October, 2020	12.56	10.75	2991777	12.60	10.80	23439665	39614	11642
November, 2020	12.51	10.99	3656614	12.50	11.00	33128984	44150	12969
December, 2020	16.00	11.56	13293529	16.00	11.00	11489605	47751	13982
January, 2021	16.45	13.10	18192038	16.45	13.05	142677449	46286	13635
February, 2021	27.73	13.20	61799662	27.60	14.60	402224929	49099	14529
March, 2021	25.20	18.05	30878997	25.30	18.10	212047068	49509	14691

11.5 प्रति शेयर डाटा :

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (रु.)	0.88	0.67
लाभांश (%)	शून्य	शून्य
बही मूल्य (रु.)	12.22	11.99
निवल लाभ के % के रूप में लाभांश पे-आउट (लाभांश कर को छोड़कर)	शून्य	शून्य

11.6 बैंक द्वारा समय-समय विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा इंफ्रा बॉण्ड जारी किए गए। 31.03.2021 को बकाया बॉण्ड्स और उनकी क्रेडित रेंटिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.	बॉण्ड्स के प्रकार	आईएसआईएन	आंबटन/ जारी करने का दिनांक	मूलधन राशि (रु. करोड़ में)	अवधि (माह में)	कूपन दर % (प्रतिवर्ष)	ऋण रेटिंग
1	गौण टीयर 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	CRISIL A+ & ICRA A+
2	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	CARE A+ & ICRA A+
3	इंफ्रा बॉण्ड	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40	CARE A+ ICRA A+
4	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08050	06.03.2020	600.00	120	8.70	CARE A+ & ICRA A+
5	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08068	14.12.2020	200.70	120	7.75	ACUITE AA BWR AA
6	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08076	11.02.2021	205.00	120	8.00	ACUITE AA BWR AA
7	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08084	23.03.2021	100.00	120	8.00	ACUITE AA BWR AA
			कुल	3605.70			

11.7 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहयोग :

बैंक ने शेयरों/ बॉण्डों के अंतरण, लाभाशों/ ब्याज के भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों को अभिलेखित करने, शेयरो/ बॉण्डों जारी करने से संबद्ध अन्य गतिविधियों के साथ निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को अधिदेश के साथ अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें आरटीए के साथ निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट :	निवेशक सेवाएं विभाग :
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ऑफिस क्र. 201, डी विंग, दूसरी मंजिल, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट बिल्डिंग, सागबाग, मारोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच टाइम स्क्वेयर, अंधेरी पूर्व, मुंबई -400 059 फोनः 022 28516020/21/22/23 ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com subodh@mcsregistrars.com	**बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग** लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : 020 25511360 ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

11.5 Per Share Data:

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	0.88	0.67
Dividend (%)	Nil	Nil
Book Value (₹)	12.22	11.99
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	Nil	Nil

11.6 The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2021 are given as below:

Sr. No.	Type of Bonds	ISIN	Date of Allotment/ Issue	Principal Amount (₹ In cr)	Tenor (in Months)	Coupon Rate% (p.a)	Credit Ratings
1	Subordinate Tier 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	CRISIL A+ & ICRA A+
2	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	CARE A+ & ICRA A+
3	Infra Bond	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40	CARE A+ ICRA A+
4	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08050	06.03.2020	600.00	120	8.70	CARE A+ & ICRA A+
5	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08068	14.12.2020	200.70	120	7.75	ACUITE AA BWR AA
6	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08076	11.02.2021	205.00	120	8.00	ACUITE AA BWR AA
7	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08084	23.03.2021	100.00	120	8.00	ACUITE AA BWR AA
			Total	3605.70			

11.7 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

The Bank has appointed MCS Share Transfer Agent Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address.

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, **(Unit: Bank of Maharashtra)** Office no.201, D Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri East, Mumbai – 400 059 **Tel:** 022 28516020/ 21/ 22/ 23 **Email:** helpdeskmum@mcsregistrars.com subodh@mcsregistrars.com	**Bank of Maharashtra,** **Investor Services Department** Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune 411 005 **Tel:** 020 25511360 **Email:** investor_services@mahabank.co.in

निजी तौर पर रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने निम्नानुसार डिबेंचर ट्रस्टी को भी नियुक्त किया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलनी (राइट) कोथरूड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	020-25280081
फैक्स नंबर	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई ॐ 400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	022- 62260054/ 50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, पुणे में निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना की है। शेयरधारक अपने किसी अनुरोध/ शिकायत के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव
निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
निवेशक सेवाएं विभाग
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
फोन : 020 25511360
ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

उपर्युक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान 6(2)(डी) के अनुसरण में केवल निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

11.8 शेयरधारिता का वितरण :

31.03.2021 को बैंक की शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	241940	82.2461	32677915	0.4981
501-1000	23931	8.1352	20623848	0.3144
1001-2000	11914	4.0501	18921995	0.2884
2001-3000	4547	1.5457	11898726	0.1814
3001-4000	1898	0.6452	6956695	0.106
4001-5000	2865	0.9739	13896673	0.2118
5001-10000	3910	1.3292	31740029	0.4838
10000* से अधिक	3161	1.0746	6423443020	97.916
कुल	**294166**	**100**	**6560158901**	**100**

[* भारत सरकार द्वारा धारित 6122627927 शेयरों का समावेश है]

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

Name of the Debenture Trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited
Address	GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India.
Phone Number	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

Name of the debenture Trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg,Worli Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.
Phone Number	022- 62260054/50
E -mail	debenturetrustee@axistrustee.com

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Pune. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Department for any of their requests / complaints:

Company Secretary
Investor Services Department
Bank of Maharashtra,
Investor Services Department
Lokmangal, 1501, Shivajinagar
Pune 411 005
Tel: 020 25511360
Email: investor_services@mahabank.co.in

The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

11.8 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding of Bank as on 31.03.2021 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	241940	82.2461	32677915	0.4981
501 -1000	23931	8.1352	20623848	0.3144
1001-2000	11914	4.0501	18921995	0.2884
2001-3000	4547	1.5457	11898726	0.1814
3001-4000	1898	0.6452	6956695	0.106
4001-5000	2865	0.9739	13896673	0.2118
5001-10000	3910	1.3292	31740029	0.4838
Above 10000*	3161	1.0746	6423443020	97.916
Total	**294166**	**100**	**6560158901**	**100**

[* Includes 6122627927 shares held by the Government of India]

11.09 शेयरधारिता का स्वरूप :

दिनांक 31.03.2021 तथा 31.03.2020 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	31.03.2021 को		31.3.2020 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %
भारत सरकार	6122627927	93.33	5386578326	92.49
बीमा कंपनियां	126517011	1.93	157015234	2.70
भारतीय निवासी व्यक्ति	212659597	3.24	189259499	3.25
बैंक/ वित्तीय संस्थान	67600551	1.03	72843807	1.25
घरेलू कंपनियां	17141042	0.26	4983421	0.09
अनिवासी भारतीय व्यक्ति	5422340	0.08	4032610	0.07
विदेशी संस्थागत निवेशक	5150316	0.08	7650809	0.13
म्युचुअल फंड/ यूटीआई	2927582	0.04	1633069	0.03
न्यास (ट्रस्ट)	112435	0.00	112425	0.00
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	**6560158901**	**100.00**	**5824109300**	**100.00**

11.10 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन और तरलता :

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

31.03.2021 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	43628	14.83	6601758	0.10
डीमैट:				
1. एनएसडीएल	108031	36.72	304533796	4.64
2. सीडीएसएल*	142507	48.44	6249023347	95.26
उप जोड़	**250538**	**85.17**	**6553557143**	**99.90**
कुल	**294166**	**100.00**	**6560158901**	**100.00**

(*भारत सरकार द्वारा धारित 6122627927 इक्विटी शेयरों सहित)

11.11 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन - प्रक्रिया :

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयरों को शीघ्र डीमैटरलाइजेशन कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में व्यवहार करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डीमैटरलाइजेशन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

क. डीमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।

ख. शेयरधारक अपने डीपी को डीमैटरलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।

11.09 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2021 and 31.03.2020 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2021		As on 31.03.2020	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	6122627927	93.33	5386578326	92.49
Insurance Companies	126517011	1.93	157015234	2.70
Resident Individuals	212659597	3.24	189259499	3.25
Banks/Financial Institutions	67600551	1.03	72843807	1.25
Domestic Companies	17141042	0.26	4983421	0.09
Non Resident Individuals	5422340	0.08	4032610	0.07
Foreign Institutional Investors	5150316	0.08	7650809	0.13
Mutual Fund/UTI	2927582	0.04	1633069	0.03
Trust	112435	0.00	112425	0.00
Overseas Corporate Bodies	100	0.00	100	0.00
Total	**6560158901**	**100.00**	**5824109300**	**100.00**

11.10 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2020-21 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2021 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	43628	14.83	6601758	0.10
Demat:				
1. NSDL	108031	36.72	304533796	4.64
2. CDSL*	142507	48.44	6249023347	95.26
Sub-total	**250538**	**85.17**	**6553557143**	**99.90**
Total	**294166**	**100.00**	**6560158901**	**100.00**

(* Including 6122627927 equity shares held by the Government of India)

11.11 Dematerialization of Shares – Process:

Shareholders who continue to hold shares in physical form are requested to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

a) Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).

b) Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.

ग. डीपी डीआरएफ को प्रोसेस करेंगे और डीमैटरलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित करेंगे।

घ. डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड है।

ङ. आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/ डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि या निरस्त करेगा।

च. अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या का जमा प्राप्त होगा।

तथापि, दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा आगे के संशोधनों में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डीमैटरलाइज्ड रूप में धारित न हों। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डीमैटरलाइजेशन करने हेतु कार्रवाई करें।

11.12 फोलियो का समेकन :

वैसे निवेशक, सदस्य जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि सेवाएं प्रदान के लागत और प्रयासों के दोहराव को कम करने के लिए बैंक को सक्षम बनाने हेतु अपनी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करें। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों को लिखें।

11.13 नामांकन :

भौतिक रूप में एकल या संयुक्त रूप से शेयर धारित करने वाला वैयक्तिक शेयरधारक किसी ऐसे व्यक्ति का नामांकन कर सकता है, जिसके नाम पर पंजीकृत शेयरधारक (शेयरधारकों) की मृत्यु होने पर शेयर अंतरण किया जा सके। नामांकन फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में नामांकन सुविधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास उपलब्ध है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल को लागू उप-नियमों और व्यवसाय नियमों के अनुरूप है।

11.14 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार, बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सचिवीय (सेक्रेटेरियल) लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती हैं कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डीमैटरलाइजेशन रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) में शेयरों की कुल संख्या के समग्र के साथ समझौते में है।

11.15 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) :

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि, शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है, जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों

c) DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).

d) DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.

e) RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.

f) Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.

11.12 Consolidation of Folios:

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

11.13 Nomination:

Individual shareholders holding shares singly or jointly in physical form can nominate a person in whose name the shares shall be transferable in case of death of the registered shareholder(s). Nomination forms can be obtained from the Company's Registrar and Share Transfer Agent.

Nomination facility in respect of shares held in Demat form is available with the Depository Participants as per the bye-laws and business rules applicable to NSDL and CDSL.

11.14 Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Secretarial Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

11.15 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form.

ने अपने शेयर डीमैटरलाइजेशन रूप में धारित किए हुए हैं, वे अपने बैंक खातों के ब्यौरों का अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

11.16 अदत्त लाभांश :

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/ बिना दावे के खाते में पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी (1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित ''निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि'' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में अंतरित किया गया है।

12. अन्य विगोपन :

12.1 बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर, बैंक अपने प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है जो समग्र रूप से बैंक के हितों पर कोई संभावित विवाद न डालें। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

12.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के बिंदु क्र. 9.6 में प्रकट किया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने के कोई दंड नहीं लगाया गया है।

12.3 प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग हैं।

12.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 29 अप्रैल, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।

12.5 बैंक द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और वह बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। यह भी बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को समुचित प्राधिकारियों से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।

12.6 बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध कराया गया है।

12.7 अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक ने आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध कराया गया है।

Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

11.16 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial year 2014-15 may contact the RTAs / Bank on the above address for revalidation of the warrants and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years prior to the financial yerar 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

12 Other Disclosures:

12.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

12.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in point no.9.6 of Schedule 18 of the financial statements for FY 2020-21.

12.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

12.4 CEO and CFO Certification:

The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2020-21 to the Board of Directors at their meeting held on 29th April, 2021 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

12.5 Bank had framed Whistle Blower Policy based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.

12.6 Bank had framed Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in

12.7 Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

12.8 बैंक ने मटेरियल सब्सिडियरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध कराया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडियरी नहीं है।

12.9 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय तंत्र, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं

12.10 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

अनुसूची क्र. 18 - खातों पर टिप्पणियां में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।

12.11 विनियमन **32 (7** ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण

बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता और अपने व्यवसाय वृद्धि निधि में सुधार हेतु वर्ष 2020-21 के दौरान उगाही गई निधियों का उपयोग किया गया है।

12.12 लागू सीमा तक सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग निर्मित करता है।

12.13 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:

लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स जोशी एंड जोशी (पूर्व में मैसर्स आप्टे जोशी एंड एसोसिएट्स, के नाम से जाने जाते थे) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे के श्री राघवेंद्र जे. जोशी को एक सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में सेबी लिस्टिंग विनियम, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग विनियम, 1949 के अनुपालन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। बैंक के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के एक अनुलग्नक के रूप में इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा निर्मित करती है।

12.14 कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र का प्रचलन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या इसप्रकार की किसी अन्य सांविधिक संस्था द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है। प्रचलन के अनुसार कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और उसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

12.15 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी सिफारिश को नहीं माना हो।

12.16 सांविधिक लेखा परीक्षक जिस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई से संबंधित हैं, उसके सभी सांविधिक लेखा परीक्षकों और सभी इकाईयों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियां द्वारा दी गई सेवाओं हेतु कुल शुल्क :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्योरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

12.17 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन :

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या और 31 मार्च, 2021 तक लंबित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

12.18 अनिवार्य और गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के ब्योरे :

बैंक ने लागू सीमा तक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं

12.8 Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. However, Bank does not have any material subsidiary at present.

12.9 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

12.10 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

12.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).

Bank had utilized the funds raised during FY 2020-21 to improve the capital adequacy and fund its business growth.

12.12 The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable forms part of the Annual Report.

12.13 Secretarial Audit for Financial Year 2020-21:

M/s. Joshi & Joshi (formerly known as M/s Apte Joshi & Associates), Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as a Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2021 as per the provisions of Listing Regulations. The firm has carried out an independent assessment of the compliance of Banking Regulations, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI Listing Regulations as a part of the secretarial audit. The Secretarial Audit Report addressed to the members of the Bank forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

12.14 A Certificate from Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority. The Certificate obtained from Company Secretary in practice in annexed to this report.

12.15 There was no such instance during FY 2020-21 when the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board.

12.16 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2020-21 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

12.17 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The details of number of complaints filed and disposed of during the year and pending as on 31st March, 2021 is given in the Directors' report.

12.18 Details of compliance with mandatory and non - mandatory requirements:

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation

का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के बोर्ड में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति भारतीय बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	**निदेशक मंडल** सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति भी दी जा सकती है।	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ख.	**शेयरधारक के अधिकार** पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित की जा सकती है।	बैंक के तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से इसप्रकार की जानकारी नहीं भेजी जाती है।
ग.	**ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की ओर अग्रसर हो सकती है।	बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं है।
घ.	**अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद विभक्त कर दिए गए हैं। बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ड़.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा को रिपोर्ट करते हैं।

12.19 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल :

''हरित पहल'' के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/ मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें / अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 11 अगस्त, 2020 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 125628 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई।

(2) of Regulation 46 of the Listing Regulations to the extent applicable.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance, Government of India. The nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Company has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	**The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank is not having a non-executive Chairperson.
B.	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Quarterly/ Half yearly / Annual Financial Results of Bank are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is not sent individually.
C.	**Modified opinion(s) in audit report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
D.	**Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and MD & CEO has been split. The Chairman on the Board of Bank will be appointed by Government of India.
E.	**Reporting of Internal auditor** The internal auditor may report directly to the audit committee.	General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board.

12.19 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/mails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank held on 11th August, 2020 were sent to 125628 shareholders by electronic mode.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूं कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आचारसंहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिनांक : 29 अप्रैल, 2021
स्थान : पुणे

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2021.

For Bank of Maharashtra

Date: 29th April, 2021
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों के लिए लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
1501, लोकमंगल,
शिवाजी नगर, पुणे - 411005

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्ताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की लागू सीमा तक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एतदद्वारा बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जोशी एंड जोशी
(पूर्व में आप्टे जोशी और असोसिएट के नाम से जाने जाते थे)
कंपनी सेक्रेटरी

हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस: 9897 सीपी: 10450
यूडीआईएन : एफ009897C000211615

दिनांक : अप्रैल 29, 2021
स्थान : पुणे

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

The Members of
The **Bank of Maharashtra**
1501, Lokmangal,
Shivaji Nagar, Pune - 411005

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the **"The Bank"**), for the financial year ended on March 31, 2021, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Joshi &Joshi,
(Formerly known as Apte Joshi & Associates),
Company Secretaries,

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS 9897, CP 10450
UDIN: F009897C000211615

Date: April 29,2021
Place: Pune

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

सेवा में,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
हम प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.

(2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरूद्ध हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.

(2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.

(3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

पी.आर. खटावकर
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 29 अप्रैल 2021
स्थान : पुणे

CEO/ CFO Certificate
[Regulation 17(8)]

To the Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2021 and that to the best of our knowledge and belief:

(1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

(1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

P. R. Khatavkar
General Manager
(FM&A & CFO)

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

Date: 29th April, 2021
Place: Pune

निदेशकों का गैर अयोग्यता प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V परिछेद सी खंड 10(i) के अनुसरण में

सदस्यगण

बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

1501, लोकमंगल, शिवाजी नगर, पुणे - 411005

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V परिछेद सी खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बाद में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण, संबन्धित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म और विवरणी की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, जहां भी लागू हो) आवश्यकतानुसार बैंक और इसके अधिकारियों द्वारा हमें जानकारी व स्पष्टीकरण दिए गए। हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए निदेशकों में से किसी को भी कंपनियों/ सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या निदेशक के रूप में बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति का दिनांक
1	श्री ए. एस. राजीव	07478424	02-12-2018
2	श्री हेमन्त कुमार टम्टा	08359559	31-12-2018
3	श्री ए. बी. विजयकुमार	लागू नहीं *	10-03-2021
4	श्रीमती वंदिता कौल	07854527	11-05-2017
5	श्री मनोज कुमार वर्मा	लागू नहीं *	13-08-2019
6	श्री आर. तामोधरन	07097220	30-06-2018

**बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए, डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया जाता है जिनके पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है और उन निदेशकों के लिए जिनके पास डीआईएन नहीं है, यहाँ ऊपर 'लागू नहीं ' उल्लेख किया गया है*

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते जोशी एंड जोशी
(पूर्व में आप्टे जोशी और असोसिएट के नाम से जाने जाते थे)
कंपनी सेक्रेटरी

हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार
एफसीएस: 9897 सीपी: 10450
यूडीआईएन : एफ009897C000211551

दिनांक : अप्रैल 29, 2021
स्थान : पुणे

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The Members of
The **Bank of Maharashtra,**
1501, Lokmangal,
Shivaji Nagar, Pune - 411004

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as 'the Bank') having Head office at Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies/ listed entities by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority :

Sr. No.	Name of Director	DIN	Appointment Date
1	Shri A.S. Rajeev	07478424	02-12-2018
2	Shri Hemant Kumar Tamta	08359559	31-12-2018
3	Shri A.B. Vijayakumar	Not Applicable*	10-03-2021
4	Mrs. Vandita Kaul	07854527	11-05-2017
5	Shri Manoj Kumar Verma	Not Applicable*	13-08-2019
6	Shri R. Thamodharan	07097220	30-06-2018

**The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply on the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.*

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Joshi & Joshi,
(Formerly known as Apte Joshi & Associates),
Company Secretaries

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 9897 CP: 10450
UDIN: F009897C000211551

Date: April 29,2021
Place: Pune

This page has been intentionally left blank

वित्तीय विवरण
Financial Statements

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2020 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**6560,15,89**	5824,10,93
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**5573,02,02**	4931,17,01
जमाराशियां Deposits	3	**174005,61,91**	150066,40,46
उधारियां Borrowings	4	**4238,75,12**	3670,03,18
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**6287,46,35**	4375,46,66
कुल TOTAL		**196665,01,29**	**168867,18,24**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**12882,48,23**	10353,68,49
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**59,24,85**	93,28,22
निवेश Investments	8	**68111,64,45**	57740,85,12
अग्रिम Advances	9	**102405,16,68**	86871,65,09
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1674,00,23**	1676,19,16
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**11532,46,85**	12131,52,16
कुल TOTAL		**196665,01,29**	**168867,18,24**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**31127,72,44**	29491,84,83
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**4988,84,18**	7037,69,24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर. तामोधरन
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

वंदिता कौल
निदेशक
VANDITA KAUL
Director

एम. के. वर्मा
निदेशक
M. K. Verma
Director

ए. बी. विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक
A. B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

सुनील धूत
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUNIL DHOOT
ASST. GEN. MANAGER, FM & A

पी. आर. खटावकर
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा और मुविअ
P. R. KHATAVKAR
GENERAL MANAGER, FM&A & CFO

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Previous Year)
I. **आय INCOME**			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**11868,54,08**	11495,44,71
अन्य आय Other Income	14	**2625,26,89**	1649,22,67
कुल TOTAL		**14493,80,97**	**13144,67,38**
II. **व्यय EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**6971,06,82**	7216,64,98
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**3565,05,72**	3080,96,07
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		**3407,43,27**	2458,48,23
कुल TOTAL		**13943,55,81**	**12756,09,28**
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		**550,25,16**	388,58,10
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-7349,50,10**	-7360,29,22
जोड़ें : शेयर प्रीमियम और विशेष आरक्षिती के समक्ष शेष अग्रेषित समेकित हानियां Add: b/f. losses adjusted against Share premium and Special Reserve		**7349,50,10**	–
कुल TOTAL		**550,25,16**	**-6971,71,12**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**137,56,29**	97,14,52
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**184,52,91**	53,64,46
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**–**	–
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**–**	–
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		**176,00,00**	227,00,00
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		**–**	–
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		**–**	–
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**–**	–
तुलन पत्र में आगे लाया शेष Balance carried over to Balance Sheet		**52,15,96**	-7349,50,10
कुल TOTAL		**550,25,16**	**-6971,71,12**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		**0.88**	0.67

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **As per our report of even date attached.**

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी **एफआरएन: 000956एस** **सनदी लेखाकार** **for M/s. K Gopal Rao & Co** **FRN: 000956S** **Chartered Accountants**	**कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित** **एफआरएन: 101048डब्ल्यू** **सनदी लेखाकार** **for M/s. Batliboi & Purohit** **FRN: 101048W** **Chartered Accountants**	**कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन** **एफआरएन: 000003एस** **सनदी लेखाकार** **for M/s. Abarna & Ananthan** **FRN: 000003S** **Chartered Accountants**	**कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी** **एफआरएन: 108846डब्ल्यू** **सनदी लेखाकार** **for M/s. Rodi Dabir & Co.** **FRN:108846W** **Chartered Accountants**
सीए बी. मीरा गोपालन भागीदार सदस्यता क्र.: 029471 **CA B. Meera Gopalan** Partner Membership No: 029471	**सीए रमन हंगेकर** भागीदार सदस्यता क्र.: 030615 **CA Raman Hangekar** Partner Membership No: 030615	**सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन** भागीदार सदस्यता क्र.: 207867 **CA (Mrs) Lalitha Rameswaran** Partner Membership No: 207867	**सीए आशीष बडगे** भागीदार सदस्यता क्र.: 121073 **CA Aashish Badge** Partner Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 300,00,00,000) of ₹10/- each		**10000,00,00**		**10000,00,00**
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
प्रत्येक ₹10/- के 656,01,58,901 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 582,41,09,300) 656,01,58,901 Equity Shares (Previous year 582,41,09,300) of ₹10/- each		**6560,15,89**		5824,10,93
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. a. केंद्र सरकार द्वारा धारित Held by Central Government	**6122,62,79**		5386,57,83	
₹10/- के 612,26,27,927 (पिछले वर्ष 538,65,78,326) ईक्विटी शेयर 612,26,27,927 (Previous year 538,65,78,326) Equity shares of ₹10/- each				
ख. b. जनता व अन्य द्वारा धारित Held by the Public & Others	**437,53,10**		437,53,10	
₹ 10/- के 43,75,30,974 (पिछले वर्ष 43,75,30,974) ईक्विटी शेयर 43,75,30,974 (Previous year 43,75,30,974) Equity Shares of ₹10/- each				
		6560,15,89		5824,10,93
कुल TOTAL		**6560,15,89**		**5824,10,93**

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	**सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1349,63,81**		1252,49,29	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**137,56,29**	**1487,20,10**	97,14,52	1349,63,81
II.	**पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**417,04,17**		363,39,71	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**184,52,91**		53,64,46	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**601,57,08**	**–**	417,04,17
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**6902,76,12**		5343,99,91	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**94,95,04**		1558,76,21	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year - Utilised for writing off of b/f. losses	**6902,76,12**	**94,95,04**	–	6902,76,12
IV.	**राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
	क) **राजस्व आरक्षिति** a) **REVENUE RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1621,70,84**		1515,56,85	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**88,54,64**		106,13,99	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**1710,25,48**	–	1621,70,84

	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
ख) **विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी-अग्रेषित हानियों के बट्टे खाते के लिए प्रयुक्त Deduction during the year - utilised for writing off b/f. losses	**446,73,96**	**51,26,04**	–	498,00,00
ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1264,52,17**		1373,10,41	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**91,89,85**	**1172,62,32**	108,58,24	1264,52,17
घ) **निवेश अस्थिर आरक्षिति खाता** d) **INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE ACCOUNT**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**227,00,00**		–	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**176,00,00**		227,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**403,00,00**	–	227,00,00
V. **लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**-7349,50,10**		-7349,50,10	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**52,15,96**		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी-अग्रेषित हानियों के बट्टे खाते के लिए प्रयुक्त deductions - b/f. losses set of against Share premium and Special Reserv	**7349,50,10**	**52,15,96**	–	-7349,50,10
कुल TOTAL		**5573,02,02**		12280,67,11

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
क A.	I. **मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
	i) बैंकों से From Banks	**64,56,44**		83,84,03	
	ii) अन्यों से From others	**18478,61,76**	**18543,18,20**	14305,40,44	14389,24,47
	II. **बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**75402,01,79**		61085,55,15
	III. **मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
	i) बैंकों से From Banks	**242,38,92**		205,97,69	
	ii) अन्यों से From others	**79818,03,00**	**80060,41,92**	74385,63,15	74591,60,84
	कुल TOTAL (I, II & III)		**174005,61,91**		150066,40,46
ख B.	(i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		**174005,61,91**		150066,40,46
	(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India		–		–
कुल TOTAL			**174005,61,91**		150066,40,46

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)
I. **भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**		
i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India	**500,00,00**	**478,00,00**
ii) अन्य बैंक Other Banks	**–**	**–**
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies	**51,59,79**	85,79,79

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
	iv) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)				
	a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	–		–	
	ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें				
	b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	–		–	
	ग) गौण ऋण बांड				
	c) Subordinated Debt Bonds	**2605,70,00**		2100,00,00	
	घ) इंफ्रा बांड				
	d) Infra Bonds	**1000,00,00**	**4157,29,79**	1000,00,00	3663,79,79
II.	भारत से बाहर उधारियां				
	BORROWINGS OUTSIDE INDIA		**81,45,33**		6,23,39
	कुल TOTAL (I & II)		**4238,75,12**		3670,03,18
III.	उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां				
	SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		**500,04,79**		478,04,79

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	देय बिल				
	Bills Payable		**726,94,18**		486,92,01
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)				
	Inter-office adjustments (net)		**644,22,49**		–
III.	उपचित ब्याज				
	Interest Accrued		**318,35,84**		309,67,31
IV.	अन्य (प्रावधान सहित):				
	Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान				
	Provision against standard assets	**1339,57,47**		698,54,47	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित)				
	Other liabilities (including provisions)	**3258,36,37**	**4597,93,84**	2880,32,87	3578,87,34
कुल	**TOTAL**		**6287,46,35**		4375,46,66

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)				
	Cash in hand (including foreign currency notes)		**1006,85,56**		812,11,19
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष				
	Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में				
	In Current Accounts	**6390,62,67**		3741,57,30	
	ii) अन्य खातों में				
	In other Accounts	**5485,00,00**	**11875,62,67**	5800,00,00	9541,57,30
कुल	**TOTAL (I & II)**		**12882,48,23**	,,	10353,68,49

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खाते				
	(a) Current Accounts	**26,15,09**		39,35,61	
	(ख) अन्य जमा खाते				
	(b) Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**41,33,65**	15,18,56	54,54,17
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
	(क) बैंकों के पास				
	(a) With Banks	**–**		–	
	(ख) अन्य संस्थानों के पास				
	(b) With Other Institutions	**–**	**–**	–	–
	कुल TOTAL (i & ii)		**41,33,65**		54,54,17
II.	भारत के बाहर Outside India				
	बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खाते				
	(a) Current Accounts	**–**		–	
	(ख) अन्य जमा खाते				
	(b) Other Deposit Accounts	**17,91,20**		38,74,05	
	(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	(c) Money at Call & Short Notice	**–**	**17,91,20**	–	38,74,05
कुल TOTAL			**17,91,20**		38,74,05
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)			**59,24,85**		93,28,22

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)
क I	भारत में निवेश		
A.I	Investments in India in		
	क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित)		
	a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	**61114,16,88**	45638,07,74
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	b) Other approved securities	–	–
	ग) शेयर्स		
	c) Shares	**292,61,34**	277,71,29
	घ) डिबेंचर्स और बांड		
	d) Debentures and Bonds	**4985,23,01**	2547,27,47
	ड़) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम		
	e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**73,42,11**	73,42,11

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
	च) अन्य f) Others				
	i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**373,36,27**		384,77,13	
	ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**1272,84,84**		8819,59,38	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**–**		–	
	iv) पीटीसी PTCs	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	**1646,21,11**	–	9204,36,51
	कुल TOTAL		**68111,64,45**		57740,85,12
II.	**भारत से बाहर निवेश** Investments outside India		**–**		–
	कुल TOTAL		**–**		–
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**68111,64,45**		57740,85,12
ख B.	क) भारत में सकल निवेश				
	a) Gross Investments in India	**68646,69,87**		58171,33,86	
	घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	**12,07,71**		15,33,80	
	घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	**522,97,71**	**68111,64,45**	415,14,94	57740,85,12
	निवल निवेश Net Investment		**68111,64,45**		57740,85,12
	ख) **भारत के बाहर सकल निवेश**				
	b) Gross Investments outside India		**–**		–
कुल	**TOTAL (क एवं ख) (a & b)**		**68111,64,45**		57740,85,12

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**801,41,17**		494,70,10	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**34428,65,34**		39427,00,65	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	**67175,10,17**	**102405,16,68**	46949,94,34	86871,65,09
	कुल TOTAL		**102405,16,68**		86871,65,09
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमें सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**87752,12,98**		71104,64,03	
	ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**476,47,29**		204,07,43	
	iii) अप्रत्याभूत Unsecured	**14176,56,41**	**102405,16,68**	15562,93,63	86871,65,09
	कुल TOTAL		**102405,16,68**		86871,65,09

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**45549,81,00**		35908,48,14	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**15264,01,06**		8006,79,63	
	iii) बैंक Banks	**47,50**		6,29,07	
	iv) अन्य Others	**41590,87,12**	**102405,16,68**	42950,08,25	86871,65,09
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
कुल	**TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)**	**–**	**102405,16,68**	–	86871,65,09

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	**1661,51,26**		1663,97,11	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**42,61,37**		,8,46	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	**1704,12,63**		1664,05,57	
	4. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	**–**		2,54,31	
		1704,12,63		1661,51,26	
	5 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**402,10,25**	**1302,02,38**	310,98,61	1350,52,65
II	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress		**52,01,01**		71,77,44
III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1384,86,10**		1328,71,25	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**166,27,84**		76,32,64	
		1551,13,94		1405,03,89	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**22,69,17**		20,17,79	
		1528,44,77		1384,86,10	
	4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**1208,47,93**	**319,96,84**	1130,97,03	253,89,07
जोड़	**TOTAL (I & II)**		**1674,00,23**		**1676,19,16**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	–	657 ,94 ,63
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	1409 ,17 ,77	1088 ,39 ,01
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1740 ,08 ,19	291 ,36 ,93
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	2 ,45 ,35	3 ,19 ,63
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	–
VI.	अन्य Others *	8380 ,75 ,54	10090 ,61 ,96
	कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	11532 ,46 ,85	12131 ,52 ,16

* नोट: ₹ हजार में 2,90,81,088 (पिछले वर्ष निवल डीटीए के ₹ हजार में 3,31,19,870 की निवल आस्थगित कर आस्ति सहित अन्य आस्तियां
* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ in thousands 2,90,81,088 (Previous Year Net DTA ₹ in thousands 3,31,19,870)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		1396,64,66		1062,30,50
II.	आंशिक चुकता निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		–		–
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		19947,68,29		18636,28,47
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	7959,46,35		8352,25,64	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	76,72,98	8036,19,33	122,16,63	8474,42,27
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations		1252,30,69		889,77,57
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		494,89,47		429,06,02
	कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		31127,72,44		29491,84,83

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2020 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		7153,92,92		6409,27,01
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	4296,64,53		4321,25,12	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	143,24,07	4153,40,46	118,55,92	4202,69,20
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		315,07,38		240,98,13
IV.	अन्य Others		246,13,32		642,50,37
	कुल TOTAL (I, II, III & IV)		11868,54,08		11495,44,71

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2020 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		**1001,50,45**		851,24,28
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**602,09,48**		358,52,93	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**35,93,60**	**566,15,88**	19,14,89	339,38,04
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**–**		–	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**–**	**–**	–	–
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**2,15,15**		6,55,03	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,70,27**	**,44,88**	1,74,10	4,80,93
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**153,34,10**		164,68,16	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	**–**	**153,34,10**	14	164,68,02
VI.	भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,35,27**		1,71,56
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**902,46,31**		287,39,84
कुल	**TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)**		**2625,26,89**		1649,22,67

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year ended 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2020 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**6525,94,83**	6757,18,90
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**49,65,06**	20,56,03
III.	अन्य Others	**395,46,93**	438,90,05
कुल	**TOTAL (I, II & III)**	**6971,06,82**	7216,64,98

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year ended 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2020 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**2255,21,04**	1743,82,05
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**218,23,32**	214,97,71
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**17,68,15**	21,61,83
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**39,28,74**	25,69,21
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित मूल्यहास निवल) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	**188,11,12**	210,94,81
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**33,46**	77,75
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditors' fees and expenses	**19,59,18**	17,57,88
VIII.	विधि प्रभार Law Charges	**18,35,83**	19,65,81
IX.	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**56,69,55**	54,54,11
X.	मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	**168,25,62**	180,26,51
XI.	बीमा Insurance	**198,67,14**	151,03,12
XII.	अन्य व्यय Other expenditure	**384,62,57**	440,05,28
कुल TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)		**3565,05,72**	3080,96,07

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2020-21

अनूसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.

1.2 **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्तियां और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है. भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो.

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

2. विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार:

2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

2.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए ठनियतआय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघड (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है.

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है.

2.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी.

3. निवेश :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

3.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म-ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

Bank of Maharashtra 2020-21

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)

b. Available for sale (AFS)

c. Held for trading (HFT)

3.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

घ. डिबेंचर तथा बांड

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है. ''व्यापार के लिए धारित'' (एचएफटी) श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाज़ार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा.

3.4 **रेपो/ रिवर्स रेपो** :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है. लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है.

3.5 भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत का निर्धारण किया जाता है.

स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय/ आय के रूप में माना जाएगा.

निवेश की राशि से निवेश की बिक्री/ खरीद के समय प्रदत्त/ प्राप्त प्रोत्साहन राशि/ ब्रोकरेज की कटौती/ योग किया गया है.

3.6 **निवेशों का मूल्यन** :

क. **परिपक्वता तक धारित**

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है. निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है.

ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षिति का निवल) को ''आरक्षित पूंजी खाते'' में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

a. Government Securities

b. Other approved Securities

c. Shares

d. Debentures and Bonds

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

3.6 **Valuation of investments:**

a. Held to Maturity:

i. Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

ख. **बिक्री हेतु उपलब्ध** :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ''नियतआय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/ शेयर किया गया है.

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, ज़ीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.

''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एएफएस) में जमा किया गया है.

बशर्ते, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के परिणामी आबंटित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे ऋण के इक्विटी में परिवर्तन की तारीख से सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों से अधिक के लिए प्रदान किए जाएंगे।

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

ग. **व्यापार हेतु धारित :**

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है. राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है.

ii. बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है. प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है.

iii. निवल समूहवार मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु

b. **Available for Sale:**

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

i. If it results in appreciation, the same is ignored.

ii. If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.

iii. The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. **Held for Trading:**

i. The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on

धारित) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है. यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है.

iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है.

ङ. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि ब्रोकरेज, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है.

3.7 **डेरिवेटिव्ज :**

ब्याज दर स्वैप :

i) मूल्यांकन :

क) हेजिंग स्वैप : आस्तियां और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है.

ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है.

ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) हेजिग स्वैप: आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है.

ख) ट्रेडिंग स्वैप : निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है.

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

क) हेजिंग स्वैप : समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.

ख) ट्रेडिंग स्वैप : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है.

3.8 **निवेश अस्थिर रिज़र्व:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के 2 अप्रैल, 2018 की परिपत्र संख्या RBI / 2017-18 / 147 DBR.No.BP BC .102 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से पैदावार में वृद्धि के समक्ष बैंक को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भंडार बनाने के लिए निवेश में अस्थिर रिज़र्व (IFR) बनाया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि IFR की राशि HFT और AFS पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है.

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से अधिक किया गया है -

उप-मानक - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

3.7 **Derivatives:**

Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

a. Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

b. Trading Swaps: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. Accounting of income on derivative deals:

a. Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

b. Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

a. Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

b. Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

3.8 **Investment Fluctuation Reserve:**

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP BC .102/21.04.048/2017-18 *dated* April 2, 2018, Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields with effect from FY 2018-19.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

4. Advances:

4.1 Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को ''अन्य देयताओं व प्रावधान'' शीर्ष में दर्शाया गया है.

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

एसडीआर के तहत अग्रिमों के संबंध में, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकतम चार तिमाहियों के भीतर प्रावधान किया जाता है।

4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है. यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (अर्थात बकाया घटाएं धारित प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है. तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा. एनपीए की बिक्री के कारण किसी प्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न किए जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा.

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/ एसआर/ पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो. आस्तियों के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा के लिए ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है.

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय (व्ययों) केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

5.2 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य रुपया एक लिखा जा सके।

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)	मूल्यह्रास की पद्धति
1	भवन और परिसर	5.00	डीबीएम
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10	डीबीएम
3	इलेक्ट्रिकल उपकरण	13.91	डीबीएम
4	ऑफिस मशीनरी	13.91	डीबीएम
5	मोटर वाहन	25.89	डीबीएम
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91	डीबीएम
7	बाईसिकल	20.00	डीबीएम
8	कम्प्यूटर और लैपटॉप	33.33	एसएलएम
9	एटीएम	14.29	एसएलएम
10	यूपीएस	20.00	एसएलएम
11	बीएनए	14.29	एसएलएम
12	कैश-रिसाइक्लर्स	14.29	एसएलएम

*डीबीएम अर्थात घटती हुई संतुलन विधि

* एसएलएम अर्थात स्ट्रेट लाइन मेथड

5.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है।

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

5.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)	Method of depreciation
1	Building & Premises	5.00	DBM
2	General items including Safe	18.10	DBM
3	Electrical Equipment's	13.91	DBM
4	Office Machinery	13.91	DBM
5	Motor Vehicles	25.89	DBM
6	Safe Deposit Vault	13.91	DBM
7	Bicycle	20.00	DBM
8	Computer & Laptops	33.33	SLM
9	ATM	14.29	SLM
10	UPS	20.00	SLM
11	BNA	14.29	SLM
12	Cash Re-cycler	14.29	SLM

*DBM means Diminishing Balance Method

*SLM means Straight Line Method

5.4 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

5.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज़ पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षिति को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल आस्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यह्रास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षिति की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित कर दी जाती है।

5.5 पट्टेवाली परिसरों के संबंध में, लीज प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है.

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :-

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज

घ. बीमा दावे

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

6.3 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लॉकर किराए से प्राप्त आय के उसी तिमाही में, जिस तिमाही में वह प्राप्त हुई है, निर्धारण की पद्धति को वर्ष की शेष तिमाहियों में इसे आनुपातिक रूप से निर्धारित करने की पद्धति में परिवर्तित कर किया है।

7. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/ अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एएस -15 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक (एक्टुअरीज) द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

Similarly in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

4.5 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

5.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis.

6. Revenue Recognition

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual maintenance charges for cards and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

6.3 During the year ended March 31, 2021, the Bank has changed the method of recognizing the income from locker rent in the quarter in which it is received to method of recognizing the same proportionately over the remaining quarters of the year.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity and Pension schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave fare Concession, Privilege Leave, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

8. खंड रिपोर्टिंग:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

9. आस्तियों की हानि

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 ''प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है, जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो.

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

आस्थगित कर आस्तियां और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं.

आस्थगित कर आस्तियों को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्रदान की जाती और फिर से मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी वसूली को उचित रूप में माना जाता है।

कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे लाई गई हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग उस पर ब्याज सहित तब प्रदान की गई जब ऐसी मांग को उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया.

13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट दी गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है. प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है.

इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है.

8. Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

9. Impairment of Assets:

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

10. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event not it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld by High Court.

13. Earnings per Share:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. **पूंजी:** (₹ करोड़ में)

क्र.	मदें	31.03.2021	31.03.2020
i)	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात(%)	10.975	10.666
ii)	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	10.975	10.666
iii)	टियर- 2 पूंजी का अनुपात(%)	3.518	2.850
iv)	कुल पूंजी का अनुपात - (सीआरएआर) (%)	14.493	13.516
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	93.336	92.49
vi)	उगाही गई/ भारत सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	–	962.70
vii)	अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमीयादी ऋण लिखतों के माध्यम से)	–	0.00
viii)	उगाही गई टियर- 2 पूंजी की राशि	505.70	0.00

क. भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2020 क्र. एफ. क्र. 4(16)-बी(डबल्यू एंड एम)/2019 के माध्यम से ₹ 831 करोड़ की पूंजी अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर आवेदन हेतु प्रदान की है। उक्त राशि की गणना 31 मार्च 2020 को आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि के रुप में की गई थी। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹ 94.95 करोड़ के प्रीमियम पर प्रति ₹ 10 के 73,60,49,601 इक्विटी शेयर आवंटित किए।

ख. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 क्र. सीजी- डीएल-ई 23032020-21 -218862 के अनुक्रम में एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2020 तथा 3 फरवरी 2021 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसरण में बैंक ने अपनी संचित हानि ₹ 7349.50 करोड़ के समंजन बाबत 31 मार्च 2020 को ₹ 6902.76 करोड़ शेयर प्रीमियम तथा अपनी विशेष आरक्षिति से शेष ₹ 446.74 करोड़ राशि का इस्तेमाल किया। 31 मार्च 2021 को असमायोजित हानि शून्य रही।

ग. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न कूपन दरों पर ₹ 505.70 करोड़ राशि के गौण बेसल - III टियर II बॉन्डों की उगाही की। इसकी जानकारी निम्नानुसार है :

क्र.	प्रकार	आईएसाईएन क्र.	जारी करने का दिनांक	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कूपन दर (% में)	मांग दिनांक/ मोचन दिनांक
I	बेसल III टियर II (सीरीज-1)	INE457A08068	14.12.20	120	200.70	7.75	12.12.2025
II	बेसल III टियर II (सीरीज -2)	INE457A08076	11.02.21	120	205.00	8.00	11.02.2026
III	बेसल III टियर II (सीरीज -3)	INE457A08084	23.03.21	120	100.00	8.00	23.03.2026

घ. वित्तीय वर्ष 2020-21 को दौरान, बैंक ने किसी बेसल II / बेसल III शिकायत बॉंड का मोचन नहीं किया है।

2. **निवेश:**

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः ' परिपक्वता तक धारित ' (एचटीएम), ' बिक्री हेतु उपलब्ध ' (एएफएस) और ' व्यापार हेतु धारित ' (एचएफटी) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है।

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021	31.03.2020
एचटीएम	47234.95	38041.90
एएफएस	20875.80	19693.17
एचएफटी	0.90	5.78
कुल निवेश	**68111.65**	**57740.85**

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं, सभी निवेश भारत में किए गए हैं और भारत के बाहर निवेश नहीं किए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	68646.70	58171.34
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	535.05	430.49
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	68111.65	57740.85
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	430.49	466.63
(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	149.79	62.22
(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए / बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	0.0	7.48
(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	45.05	7.57
(v) प्रतिभूतियों को परिवर्तित करते समय प्रयुक्त प्रावधान	0.18	83.31
(vi) अंतिम शेष	535.05	430.49

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. **Capital:** (₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio including CCB (%)	10.975	10.666
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.975	10.666
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.518	2.850
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	14.493	13.516
v)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	93.336	92.49
vi)	Amount of Equity Capital raised /Infused by GoI	–	962.70
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	–	0.00
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	505.70	0.00

a. The Government of India vide its notification F. No. 4(16)-B(W & M)/2019 dated March 17, 2020 infused ₹ 831 crore for preferential allotment of equity shares. The said amount was accounted for as share application money pending for allotment as on March 31, 2020. During year ended March 31, 2021 the Bank has allotted 73,60,49,601 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 94.95 Crores to Government of India

b. In line with the Government of India Notification No. CG-DL-E 23032020-21 -218862 dated March 23, 2020, and as permitted by RBI vide its letter dated Nov 27, 2020 and Feb 3, 2021, the Bank has utilized the Share Premium of ₹ 6902.76 Crores, as on March 31, 2020 and balance amount of ₹. 446.74 Crores from its Special Reserve towards setting off its ac-cumulated loss of ₹ 7349.50 crores. The unadjusted accumulated losses as on March 31, 2021 is NIL.

c. The Bank has raised Subordinate Basel – III Tier II bonds amounting to ₹ 505.70 crores at different coupon rates during the F.Y. 2020 – 21. The details of which are as under:

Se-ries	Type	ISIN No	Date of Issue	Ten-ure	Amount (₹ in Crores)	Coupon Rate (In %)	Call date / Redemp-tion date
I	Basel III Tier II (Series-1)	INE457A08068	14.12.20	120	200.70	7.75	12.12.2025
II	Basel III Tier II (Series-2	INE457A08076	11.02.21	120	205.00	8.00	11.02.2026
III	Basel III Tier II (Series-3)	INE457A08084	23.03.21	120	100.00	8.00	23.03.2026

d. During the FY 2020-21, Bank has not redeemed any Basel II / Basel III Compliant Bonds.

2. **Investments:**

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(₹ in Crore)

Category	31.03.2021	31.03.2020
HTM	47234.95	38041.90
AFS	20875.80	19693.17
HFT	0.90	5.78
Total Investment	**68111.65**	**57740.85**

2.1 The Total Investments of the Bank, as under, are made in India and no Investments are made outside India:

(₹ in Crore)

Items	31.03.2021	31.03.2020
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	68646.70	58171.34
(ii) Provisions for Depreciation	535.05	430.49
(iii) Net Value of Investments	68111.65	57740.85
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	430.49	466.63
(ii) Add: Provisions made during the year	149.79	62.22
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	0.0	7.48
(iv) Provision used for Written-off	45.05	7.57
(v) Provision used for while shifting securities	0.18	83.31
(vi) Closing balance	535.05	430.49

2.1.1 एचएफटी से एएफएस श्रेणी तथा एएफएस व एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूति के परिवर्तन से संबंधित ब्यौरे :
Details regarding shifting of securities from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM category.

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	**वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20**
एचएफटी से एएफएस HFT to AFS	शून्य Nil	95.40
एएफएस से एचटीएम AFS to HTM	546.98	2013.00

2.1.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के लिए एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूतियों से संबंधित ब्यौरे :
Details regarding securities transferred from HTM category to AFS for FY 2020–21 and 2019–20

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	**वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20**
एचटीएम से एएफएस HTM to AFS	3385.71	4042.00

2.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में) **Repo Transactions** (In face value terms)

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

ब्यौरे Particulars	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year**	**31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021**
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
a) रेपो उधारियां (एलएएफ) Repo Borrowing (LAF)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	1192 (350)	358 (21)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
b) रेपो उधारियां (मीयादी) Repo Borrowing(Term)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	1670 (1500)	763 (82)	500 (478)
रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	20825 (14627)	8779 (2775)	5485 (5800)

2.2.2 एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार (त्रि-पक्षीय रेपो सहित) **Repo Transactions other than LAF** (including Tri party Repo):

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

ब्यौरे Particulars	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year**	**31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021**
बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	1288 (8064)	74 (3736)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	1686 (5176)	44 (843)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग: Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र Issuer composition of Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबध्द प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	644.46 (636.53)	639.95 (625.32)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाए FIs	1624.90 (3439.62)	1575.07 (3389.79)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक Banks	855.11 (6156.59)	839.56 (6154.42)	15.00 (21.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	2047.55 (1191.81)	2031.06 (1164.24)	800.78 (689.78)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य Others	11194.59 (10030.38)	11157.61 (9993.50)	535.86 (180.86)	131.03 (121.03)	378.75 (399.72)
	उप जोड़ SUB TOTAL	**16450.14 (21538.46)**	**16326.78 (21410.80)**	**1351.64 (891.64)**	**131.03 (121.03)**	**378.75 (399.72)**
(vii)	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards					
	(i) मूल्यह्रास Depreciation	18.27 (21.08)				
	(ii) एनपीआई NPI	336.85 (181.24)				
	(iii) पुनर्संरचित खाते एफआईटीएल इत्यादि Restructured Account FITL etc	54.16 (54.39)				
	(iv) एसडीआर खातों में एमटीएम मूल्यह्रास पर किया गया प्रावधान Provision Made on MTM Depreciation in SDR Accounts	125.77 (167.29)	XXX	XXX	XXX	XXX
	(v) अन्य प्रावधान (आरपी लागू नहीं किए गए आईसीए हस्ताक्षरित खाते पर प्रावधान) Other Provision (Provision on ICA signed Account where RP not implemented)	0.0 (6.49)				
	उपजोड़ Sub Total	**535.05 (430.49)**				
	कुल TOTAL	**15915.09 (21107.97)**	**16326.78 (21410.80)**	**1351.64 (891.64)**	**131.03 (121.03)**	**378.75 (399.72)**

टिप्पणी :

i. उक्त (v) में 'सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम' होने के कारण तथा (vi) में 'अन्य' होने के कारण निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है।

ii. कॉलम 4, 5, 6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबद्ध नहीं है।

iii. कुल ₹ 15915.09 करोड़ (₹ 21107.97 करोड़) के कुल गैर एसएलआर निवेश में ₹ 589.12 करोड़ (₹ 661.87 करोड़) के राजस्थान स्टेट स्पेशल बॉण्ड, ₹ 58.32 करोड़ (₹ 73.17 करोड़) के यूपी स्टेट पॉवर बॉण्ड, ₹ 89.67 करोड़ (₹ 89.67 करोड़) के हरियाणा स्टेट स्पेशल बॉन्ड, ₹ 123.49 करोड़ (₹ 123.49 करोड़) के पंजाब स्टेट स्पेशल बॉन्ड और ₹ 8057 करोड़ (₹ 8057 करोड़) के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड शामिल हैं। तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

Note:

i. Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures, & (vi) being "Others" are exempt from rating & listing requirements as per RBI guidelines.

ii. Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.

iii. The total Non SLR investment of ₹ 15915.09 crores (₹ 21107.97 crores) includes Rajasthan State Special Bonds of ₹ 589.12 crores (₹ 661.87 crores), UP State Power Bonds of ₹ 58.32 crores (₹ 73.17 crores), Haryana State Special Bonds ₹ 89.67 crores (₹ 89.67), Punjab State Special bonds ₹ 123.49 crores (₹ 123.49) and Recapitalization Bonds ₹ 8057 crores (₹ 8057 crore). The same have been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

2.3.2 अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	389.15	266.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन	148.95	138.14
वर्ष के दौरान कमी	91.13	15.03
अंतिम शेष	446.97	389.15
किए गए कुल प्रावधान	**336.85**	**181.24**

2.4 एचटीएम श्रेणी में/ से स्थानांतरण एवं बिक्री

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल ₹ 184.52 करोड़ (₹ 53.64 करोड़) की एक राशि पूंजी आरक्षिति के लिए अंतरित की गई है।

बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹ 108.61 करोड़ (₹ 108.27 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने एचएफटी श्रेणी से एएफएस श्रेणी को रु.शून्य (₹ 95.40 करोड़) की प्रतिभूतियां अंतरित की। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी को ₹ 546.98 करोड़ (₹ 2013 करोड़) (बही मूल्य) की प्रतिभूतियां अंतरित की।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी को ₹ 3385.71 करोड़ (₹ 4042 करोड़) (बही मूल्य) की राशि की प्रतिभूतियां अंतरित की और लाभ व हानि को प्रभारित किया, दिनांक 01.07.2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों भा.रि.बैंक/ 2015-16/ 97 डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसार इस अंतरण के दौरान मूल्यह्रास की राशि रु. शून्य करोड़ (रु.शून्य करोड़) रही।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/ से प्रतिभूतियों के अंतरण और विक्रय का मूल्य जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ एकबारगी अंतरण को छोड़कर है, पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.4.1 एचटीएम श्रेणी से पूंजी आरक्षिति में निवेश की बिक्री पर लाभ के अंतरण की गणना

(₹ करोड में)

ब्यौरे	2020-21	2019-20
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	378.20	109.95
एचटीएम पर हानि	0.00	0.00
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर निवल लाभ	378.20	109.95
घटाएं: आयकर @ 34.944%	132.16	38.42
उप- जोड़	**246.04**	**71.53**
घटाएं: 25.00% के समानुपातिक सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	61.51	17.89
पूंजी आरक्षिति में निवल अंतरण	**184.53**	**53.64**

2.4.2 एएफएस और एचएफटी का निवेश आरक्षिति में निवेश पर एमटीएम मूल्यह्रास के कारण प्रतिलेखन के अंतरण की गणना

(₹ करोड में)

ब्यौरे	2020-21	2019-20	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर
एमटीएम मूल्यह्रास एएफएस	12.08	14.13	-2.05
एमटीएम मूल्यह्रास एचएफटी	0.00	1.21	-1.21
एमटीएम मूल्यह्रास एनपीआई	6.19	5.51	0.68
एसडीआर/ एस4ए के अंतर्गत एमटीएम मूल्यह्रास	125.77	167.29	-41.52
कुल	**144.04**	**188.14**	**-44.10**
निवेश आरक्षिति से गिरावट			
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एमटीएम हानियों के लिए किए गए प्रावधान			शून्य
घटाएं: आयकर @ 34.94%			शून्य
उप-जोड़			शून्य
घटाएं: 25% की दर पर सांविधिक आरक्षिति को अंतरण			शून्य
निवेश आरक्षिति खाते से निवल गिरावट			**शून्य**

* वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता न होने के कारण निवेश आरक्षिति खाते से से शून्य गिरावट हुई।

2.3.2 Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance	389.15	266.04
Additions during the year	148.95	138.14
Reductions during the year	91.13	15.03
Closing balance	446.97	389.15
Total provisions held	**336.85**	**181.24**

2.4 Sale and transfers to / from HTM category

As per RBI guidelines, an amount of ₹184.52 crore (₹ 53.64 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

The Bank has amortized ₹ 108.61 crore during the year (₹ 108.27 Crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

During the FY 2020-21, the Bank has shifted securities from HFT category to AFS category for ₹ Nil (₹ 95.40 crore). Also, during the FY 2020-21, the Bank has shifted securities from AFS categories to HTM category for ₹ 546.98 crore (₹ 2013 Crore) (Book value).

During the FY 2020-21, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to ₹ 3385.71 crores (₹ 4042 crores) (Book value) and charged to Profit & Loss depreciation amounting to Rs. NIL crore (₹ NIL crore) due to such transfer taking in terms of RBI guidelines RBI/2015-16/97 DBR No BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated 1.7.2015.

The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2020-21, excluding one-time transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI does not exceed 5 percent of the book value of investments in HTM category at the beginning of financial year

2.4.1 Computation of Transfer of Profit on Sale of Investment in HTM Category to Capital Reserve

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Profit on sale of HTM Securities	378.20	109.95
Loss on HTM	0.00	0.00
Net Profit on sale of HTM Securities	378.20	109.95
Less: Income Tax @34.944%	132.16	38.42
Sub- Total	**246.04**	**71.53**
Less: 25.00% proportionate to Transfer to Statutory Reserves	61.51	17.89
Net Transfer to Capital reserve	**184.53**	**53.64**

2.4.2 Computation of Transfer of Write Back on account of MTM Depreciation on Investment in AFS and HFT to Investment Reserve

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20	Diff. over per year
MTM Depreciation AFS	12.08	14.13	-2.05
MTM Depreciation HFT	0.00	1.21	-1.21
MTM Depreciation NPI	6.19	5.51	0.68
MTM Depreciation under SDR/S4A	125.77	167.29	-41.52
Total	**144.04**	**188.14**	**-44.10**
Draw down from Investment Reserve			
Provision made for MTM losses during FY 2020-21			Nil
Less: Income Tax at 34.94%			Nil
Sub-Total			Nil
Less: Transfer to Statutory reserve @ 25%			Nil
Net draw down from Investment Reserve Account			**Nil**

* During the current financial year 2020-21, there is nil drawdown from Investment reserve account on account of no additional provision required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

2.4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर. क्र. बीपी. बीसी. 102/ 21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार निवेश की बिक्री हेतु लाभ को निवेश अस्थिर आरक्षिति (आईएफआर) को अंतरण करना

(₹ करोड में)

ब्यौरे	2020-21	2019-20
निवेश की बिक्री पर लाभ	561.24	338.18
विनियामक विनियोजन के बाद निवल लाभ	228.16	237.79
जो भी कम हो	228.16	237.79
न्यूनतम :- (एएफएस और एचएफटी) का 2%	402.78	227.00
वर्ष के अंत तक अंतरित	403.00	227.00

बैंक ने वर्तमान वर्ष के लाभ में से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) के लिए ₹ 176.00 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 227 करोड़) का विनियोजन किया है।

3 डेरिवेटिव्ज:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	शून्य	शून्य

बैंक ने आईआरएस/ एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/ एफआरए की अनुमोदित सीमा ₹ 2000.00 करोड़ है। 31 मार्च 2021 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के शून्य बकाया स्वैप रहे।

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2020-21	2019-20
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क. ब्याज दर भविष्य	शून्य	185.18
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

i) डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।

ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।

iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।

iv) डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।

2.4.3 Transfer of Profit for Sale of Investment to Investment Fluctuation Reserve (IFR) as per RBI Circular RBI/2017-18/147 DBR. No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated 2nd April 2018

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Profit on Sale of Investment	561.24	338.18
Net Profit after Statutory Appropriation	228.16	237.79
Whichever is lower	228.16	237.79
Min :- 2% of (AFS and HFT)	402.78	227.00
Transferred up to year end	403.00	227.00

The Bank has made an appropriation of ₹ 176.00 crores (₹ 227 crores for F.Y. 2019-20) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year.

3 Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Items	31.03.2021	31.03.2020
i) The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	Nil	Nil

Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is ₹ 2000.00 crore. As on 31st March 2021, the Bank had no outstanding swaps.

3.2 Exchange Traded Interest Rate:

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2020-21	2019-20
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) Interest Rate Future	Nil	185.18
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures

i) Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.

iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.

v) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.7 (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि)	19947.68	18636.28	शून्य	शून्य
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	4142.71	7036.14	शून्य	शून्य
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	15804.97	11600.14	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां [1]				
	(क) आस्ति (+)	129.47	315.31	शून्य	शून्य
	(ख) देयताएं (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण विगोपन [2]	528.42	688.04	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0	0	शून्य	शून्य
	(ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	0	0	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर				
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधि.: 0.03 न्यून.:0.0003	अधि.:0.02 न्यून.:0.0047	शून्य	शून्य
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधि. : 0.14 न्यून. : 0.04	अधि.:0.05 न्यून.:0.0012	शून्य	शून्य

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान: (₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	
		ऋण विगोपन(*)	31.03.2021 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	528.42	2.11
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	**528.42**	**2.11**

* ऋण विगोपन की गणना बेसल III के जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.5 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) :

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2021 को शून्य है।

v) Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.7 (ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 Quantitative Disclosures: (₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate deriva-tives	
		2020- 21	2019- 20	2020- 21	2019- 20
(i)	Derivatives (Notional Princi-pal amount)	19947.68	18636.28	Nil	Nil
	(a) For hedging	4142.71	7036.14	Nil	Nil
	(b) For Trading	15804.97	11600.14	Nil	Nil
(ii)	Marked to Market Position [1]				
	(a) Asset (+)	129.47	315.31	Nil	Nil
	(b) Liability (-)	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii)	Credit Exposure [2]	528.42	688.04	Nil	Nil
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	Nil	Nil	Nil	Nil
	(a) On hedging derivatives	0	0	Nil	Nil
	(b) On trading derivatives	0	0	Nil	Nil
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(a) On hedging	Max: 0.03 Min: 0.0003	Max:.0.02 Min: 0.0047	Nil	Nil
	(b) On trading	Max:0.14 Min:0.04	Max:0.05 Min:0.0012	Nil	Nil

3.4 Standard provision on derivative exposure:

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2021	
		Credit Expo-sure(*)	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2021
1	Interest Rate Derivative	NIL	NIL
2	Foreign Exchange Derivative	528.42	2.11
3	Gold Contract	NIL	NIL
4	Credit Default Swaps	NIL	NIL
	Total	**528.42**	**2.11**

*Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no Credit Default Swaps during the year 2020-21 or as on March 31, 2021 is NIL.

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	2.48%	4.77%
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	12152.15	15324.49
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2202.39	4040.60
(ग) वर्ष के दौरान कमी	6574.86	7212.94
(घ) अंतिम शेष	7779.68	12152.15
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	4145.38	4559.33
जोडें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी द्वारा निपटाये गये खाते	31.01	28.73
सकल प्रारंभिक शेष	4176.39	4588.06
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1260.85	2110.10
(ग) वर्ष के दौरान कमी	2863.70	2521.77
(घ) सकल अंतिम शेष	2573.54	4176.39
घटायें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	29.22	31.01
निवल अंतिम शेष	2544.32	4145.38
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	7973.36	10721.73
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	2213.79	2952.94
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	4982.15	5701.31
(घ) अंतिम शेष	5205.00	7973.36

4.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण में अंतर और अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र 32/21.04.018/2016-19 दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार बैंक द्वारा अपने वित्तीय विवरण के खातों के नोट में आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया को आस्ति वर्गीकरण में भिन्नताओं और आगामी प्रावधानों का प्रकटन करना आवश्यक है, जहां निम्नलिखित में से दोनों या कोई एक शर्त लागू होती हो: (क) संदर्भित अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण आकस्मिक व्ययों और प्रावधानों के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ से 10 प्रतिशत अधिक हो। (ख) संदर्भित अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिह्नित अतिरिक्त सकल एनपीए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत अधिक हो। ऊपर उल्लिखित अनुसार जैसा कि विचलन प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत है, वित्तीय वर्ष 2020 हेतु आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत एनपीए हेतु आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन पर किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिह्नित विचलनों हेतु संपूर्ण जानकारी अपनी आरएआर रिपोर्ट में प्रदान की है।

4.3 आस्ति पुनर्निमाण हेतु प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1.	खातों की संख्या	2	7
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	0.00	17.51
3.	कुल प्रतिफल	111.43	123.28
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0
5.	निवल खाता-बही मूल्य पर सकल प्राप्ति/ हानि	111.43	105.78

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2021	31.03.2020
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	2.48%	4.77%
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(a)	Opening balance	12152.15	15324.49
(b)	Additions during the year	2202.39	4040.60
(c)	Reductions during the year	6574.86	7212.94
(d)	Closing balance	7779.68	12152.15
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening balance	4145.38	4559.33
	Add: ECGC/DICGC Settled amount	31.01	28.73
	Gross: Opening Balance	4176.39	4588.06
(b)	Additions during the year	1260.85	2110.10
(c)	Reductions during the year	2863.70	2521.77
(d)	Gross closing balance	2573.54	4176.39
	Less ECGC/DICGC Settled amount	29.22	31.01
	Net closing Balance	2544.32	4145.38
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening balance	7973.36	10721.73
(b)	Provisions made during the year	2213.79	2952.94
(c)	Write-back/write off of excess provisions	4982.15	5701.31
(d)	Closing balance	5205.00	7973.36

4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

In terms of the RBI circular no. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2016-19 dated 1st April. 2019, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied: (a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period. As the divergences are within threshold limit as specified above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY2020. However, the bank has fully provided for divergences pointed out by RBI in its RAR report for F. Y. 2019-20.

4.3 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	No. of accounts	2	7
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	17.51
3	Aggregate consideration	111.43	123.28
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0
5	Aggregate gain/loss over net book value.	111.43	105.78

निवल बही मूल्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एआरसी को एनपीए खातों की बिक्री में कोई कमी नहीं आई।

4.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	31.3.2021	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2020
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	0.99	शून्य	0	0.00	0.99	0.00

वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभूति रसीदों में बकाया के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	340.79	327.41
ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	**340.79**	**327.41**

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2019-20 में, रु.37.58 करोड़ हेतु मेसर्स आधुनिक पॉवर एंड नैच्युरल रिसोर्सेस लिमिटेड (एपीएनआरएल) की मानक आस्तियों के विक्रय से प्रतिभूति रसीदों में निवेश को शामिल नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एपीएनआरएल को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसलिए इसे सम्मिलित किया गया।

प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण

(आरबीआई के दिनांक 01/09/2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी की गई एसआर	5 वर्षों से अधिक समय पूर्व में परंतु पिछले 8 वर्षों से भीतर जारी की गयी एसआर	8 वर्षों से अधिक समय पूर्व जारी की गयी एसआर
i) बैंक द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	274.24	63.80	2.75
के लिए धारित प्रावधान	122.59	6.34	2.75
ii) अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii)	**274.24**	**63.80**	**2.75**

4.5 वर्ष के अंत में अन्य आरक्षितियों को नामे अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा और प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रमात्रा के संबंध में प्रकटन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 13.06.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2015-16 के अनुसार)

शून्य (शून्य)

There is no shortfall in sale of NPA accounts to ARCs in the financial year 2020-21 as compared to its Net Book Value.

4.4 Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues

(₹ in Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial insti-tutions/ non-financial companies as underlying		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	31.3.2021	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2020
Book Value of Investment in Security Re-ceipts	0.99	Nil	0	0.00	0.99	0.00

The details of the outstanding at the end of the year in security receipts are as under: (₹ in Crore)

Particulars	As on 31.3.2021	As on 31.3.2020
i) Backed by NPAs sold by Bank as underlying	340.79	327.41
ii) Backed by NPAs sold by other Banks /financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	**340.79**	**327.41**

Note: In FY2019-20, investment in security receipt from sale of standard asset of M/S Adhunik Power and Natural Resources Ltd. (APNRL) for Rs. 37.58 crore were excluded. In FY 2020-21, APNRL was classified as NPI and hence included.

Disclosure of investment in Security Receipts
(As per RBI Circular DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated 01.09.2019)

(₹ in Crore)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by the bank as underlying	274.24	63.80	2.75
Provision held against (i)	122.59	6.34	2.75
ii) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)	**274.24**	**63.80**	**2.75**

4.5 Disclosure regarding quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPA's to securitization Company/ Reconstruction Company and the quantum of unamortized provision debited to other reserves as at the end of the year. (As per RBI Circular DBR No. BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated 13.06.2016)

NIL (NIL)

4.6 अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.7 अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1.	वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	सकल बकाया	0.00	0.00
3.	प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2021 (सं./राशि)	31-03-2020 (सं./राशि)
1	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	शून्य	शून्य
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि		
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि		
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन		
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन		
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन		
	प्रथम हानि		
	अन्य		

4.9 पुनर्संरचीकृत खातों के विवरण

क) **अलग से अनुलग्नक जोड़ा गया है।**

ख) परिपत्र क्र. आरबीआई/2019-20/100 डीबीआर क्र. बीपी. बीसी18/21.04.048/2019-20 दिनांक 01.01.2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्संरचीकृत खातों के विवरण :

(₹ करोड़ में)

पुनर्संरचीकृत खातों की संख्या	राशि
11470	861.98

4.6 Details of non- performing financial assets purchased from other Banks

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2	(a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.7 Details of non- performing financial assets sold to other Banks

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1.	No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	0.00	0.00
3.	Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.8 Disclosure relating to Securitization:

(₹ In Crore)

S. N.	Particulars	31-03-2021 (No./Amt)	31-03-2020 (No./Amt)
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions	Nil	Nil
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank		
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet		
	a) Off-balance sheet exposures		
	First loss		
	Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	First loss		
	Others		
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR		
	a) Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Loss		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First loss		
	Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Others		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First loss		
	Others		

4.9 Particulars of Accounts Restructured

a) **Separate Annexure enclosed**

b) Details of accounts restructured during FY 2020-21 as per Circular No. RBI/2019-20/100 DBR No. BP. BC18/21.04.048/2019-20 dated 01.01.2019:

(₹ in Crores)

No. of Accounts restructured	Amount
11470	861.98

31.03.2021 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021

बैंक का नाम - बैंक ऑफ महाराष्ट्र NAME OF THE BANK: Bank of Maharashtra (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना तंत्र के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति वर्गीकरण Asset Classification →		मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total
	विवरण Details →																					
1	1 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकडे)* Restructured Accounts as on April 1 , 2020 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	5	1	6	14501	1947	271	51	16770	1579	400	185	64	2228	16080	2347	461	116	19004
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	152.48	20.86	173.34	1154.21	113.77	164.02	53.11	1485.11	60.16	99.56	562.16	58.24	780.12	1214.37	213.33	878.66	132.21	2438.57
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	2.58	0.39	0.00	63.57	3.25	0.50	0.00	0.00	3.75	63.84	3.08	0.39	0.00	67.31
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	8689	400	19	37	9,145	5548	218	24	21	5811	14237	618	43	58	14956
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.05	50.28	0.76	0.30	988.39	836.28	10.35	1.53	0.34	848.50	1773.33	60.63	2.29	0.64	1836.89
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	4.83	0.19	0.02	0.00	5.04	4.84	0.19	0.02	0.00	5.05
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी का कोटिउन्नयन Upgradations to restructured standard cat-egory during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	59	-55	18	-22	0	6	-5	7	-8	0	65	-60	25	-30	0
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.36	-12.65	33.64	-49.34	0.01	0.51	-0.50	34.64	-34.65	-	28.87	-13.15	68.28	-83.99	0.01
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्रावधान जरूरी नहीं और/या विशेष वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाना जरूरी नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0				0	-1052				-1052	-347				-347	-1399				-1399
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00				0.00	-41.49				-41.49	-8.45				-8.45	-49.94				-49.94
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00				0.00	-60.35				-60.35	-1.29				-1.29	-61.64				-61.64
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का कोटिअवनयन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-3682	1941	1699	42	-	-289	71	190	28	0	-3971	2012	1889	70	0
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.49	144.41	154.94	2.14	0.00	-8.63	-87.19	88.75	7.07	0.00	-310.12	57.22	243.69	9.21	0.00
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.53	-0.32	0.00	-2.85	0.00	-0.08	0.40	0.00	0.32	0.00	-2.61	0.08	0.00	-2.53
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	-1	-1	-2.00	0	-197	-38	-4	-239	0	-189	-147	-27	-363	0	-386	-186	-32	-604
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	-29.66	-20.86	-50.52	-33.43	-7.24	-18.77	-0.04	-59.48	-1.18	-3.21	-473.45	-1.61	-479.45	-34.61	-10	-521.88	-22.51	-589.45
7	31 मार्च 2021 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकडे)* Restructured Accounts as on 31st March 2021 (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	4	0	4	18515	4036	1969	104	24624	6497	495	259	78	7329	25012	4531	2232	182	31957
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	122.82	0.00	122.82	1743.21	288.57	334.59	6.17	2372.54	878.69	19.01	213.63	29.39	1140.72	2621.90	307.58	671.04	35.56	3636.08
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.05	0.07	0.00	0.38	6.81	0.59	0.42	0.00	7.82	7.07	0.64	0.49	0.00	8.20

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आकड़ों को छोड कर, जिनमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) जरूरी नहीं है. *Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

Writen off accounts included account closed through OTS/ Closed.

Sr No 2 includes ₹ 133.15 crore of fresh/ Additional sanctions to existing restructured accounts.

Sr No 6 includes recovery of ₹ 119.81 crore and fresh write off of Rs 469.64 crore

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

4.10 31.03.2021 को दबावग्रस्त आस्तियां (एस4ए) की सतत संरचना

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.33/21.04.132/2016-17)

(₹ करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या जहां (एस4ए) लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक	2	252.93	248.84	312.46	136.39
एनपीए	2	27.70			

4.11 विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना

(आरबीआई के दिनांक 10.11.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.34/21.04.132/2016-17)

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीलेपन की संरचना के लिए लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीलेपन की संरचना के लिए ली गई ऋण की राशि		लचीली संरचना के लिए उठाए गए ऋणों की अवधि का क्सपोजर भारित औसत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात
विगत वित्तीय वर्ष - 2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वित्तीय वर्ष - 2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.12 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	754.12	621.49
2	फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	2.11	2.75
3	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	6.87	6.47
4	डेरिवेटिव ब्याज दर	शून्य	शून्य
	कुल	**763.10**	**630.71**

नोट :- 'मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों' को तुलन पत्र की अनुसूची संख्या 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधानों-अन्य' के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

4.13 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
क.	अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
ख.	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की प्रमात्रा	0.00	0.00
ग.	लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
घ.	अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.14 बैंक के पास एक ही ग्रुप के 2 उधारकर्ताओं के खातों के साथ ₹ 558.05 करोड़ का एक्सपोजर है। एनसीएलटी, कोलकाता बेंच ऑडर दिनांक 21 अक्तूबर 2020 के अनुसार, बैंक ने इन खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है और आगामी आदेश तक मानक आस्तियों के स्टेटसक्यूओ को बनाए रखा है। विवेकपूर्ण मामले के रूप में अप्राप्य ब्याज आय को रिवर्स कर दिया गया है। बैंक ने अन्य बैंकों के साथ मिलकर एनसीएलटी, कोलकाता बेंच ऑडर के विरूद्ध एक अपील दायर की है और वह अभी लंबित है। चूंकि बैंक के पास कोविड 19 से संबंधित पर्याप्त प्रावधान हैं, अतः इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

4.10 Sustainable structuring of stressed assets (S4A), as on 31.03.2021

(As per RBI circular DBR.No. BP.BC.33/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(₹ in Crore)

Asset Classification	No of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
Standard	2	252.93	248.84	312.46	136.39
NPA	2	27.70			

4.11 Flexible structuring of Existing Loans

(As per RBI circular DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated 10.11.2016)

(₹ in Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous financial year – 2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Current financial year - 2020-21	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.12 Provisions on Standard Assets

(₹ in Crore)

S.N	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Provisions towards Standard Advances	754.12	621.49
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	2.11	2.75
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	6.87	6.47
4	Interest rate derivative	NIL	NIL
	Total	**763.10**	**630.71**

Note:- 'Provisions against Standard Assets', is shown under 'Other Liabilities and Provisions – Others in Schedule No. 5 of the balance sheet.

4.13 Details of floating provision

(₹ in Crore)

SN	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
a	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d	Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

4.14 The Bank has exposure of Rs 558.05 Crores with 2 borrower accounts belonging to the same Group. As per the NCLT, Kolkata Bench Order dated 21 October 2020 the Bank has not declared these accounts as NPA and maintained statusquo of Standard Asset until further orders. As a matter of prudence, the unrealized interest income has been reversed. The Bank along with other Banks have filed an appeal against the NCLT, Kolkata Bench Order and same is pending. As the Bank is maintaining sufficient COVID 19 related provisions, no specific provision is held in this regard.

4.15 एनपीए और प्रावधानों पर आरबीआई के दिनांक 07.06.2019 के परिपत्र क्र. आरबीआई/ 2018-19 डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि (i)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु ऋणों की राशि (ii)	31.03.2021 के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत (ii) में से ऋणों की राशि (iii)	आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (iv)	31.03.2021 द्वारा (iv) में से अभी तक किए गए प्रावधान (v)
1120.44	544.64	544.64	1.50	1.50

4.15 Impact of RBI circular No. RBI/2018-19 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on NPAs & provisions.

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (i)	Amount of Loans to be classified as NPA (ii)	As on 31.03.2020 amount of loans out of (ii) classified as NPA (iii)	Additional Provision required for loans classified as NPA a per RBI Circular impact (iv)	Provision out of (iv) already made by 31.03.2021 (v)
1120.44	544.64	544.64	1.50	1.50

5. कारोबारी अनुपात:

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i	कार्यशील निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	6.42%	6.78%
ii	कार्यकारी निधियों से गैरब्याजी आय का प्रतिशत	1.42%	0.97%
iii	कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	2.14%	1.68%
iv	आस्तियों पर आय	0.30%	0.23%
v	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रूपये करोड़ में)	21.45	19.52
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपये लाख में)	4.19	3.10

5. Business Ratios

S N	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i	Interest Income as a percentage to Working Funds.	6.42%	6.78%
ii	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	1.42%	0.97%
iii	Operating Profit as a percentage to Working Funds.	2.14%	1.68%
iv	Return on Assets	0.30%	0.23%
v	Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore)	21.45	19.52
vi	Profit per Employee (₹ in Lakh)	4.19	3.10

6. आस्ति देयता प्रबंधन:
Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति
Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह 31 days to 2months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months and up to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	1737.62	3071.35	3301.39	6108.52	8807.74	10005.90	21137.21	36172.00	27297.67	19218.45	37147.76	174005.62
अग्रिम Advances	902.91	1669.85	1679.25	4170.62	5451.87	4993.95	9170.54	11811.83	28069.06	22366.55	17367.33	107653.75
निवेश Investments	15.00	194.03	0.00	278.94	248.45	14.61	246.78	2444.66	18923.96	13375.65	32904.64	68646.72
उधारियां Borrowings	81.45	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	8.55	1017.10	1517.35	0.00	1634.92	4267.92
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	372.42	2977.14	32.19	1792.58	869.19	485.93	2495.76	1916.80	0.00	0.00	0.00	10942.01
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	503.50	2051.33	5.63	1799.33	731.44	39.57	2836.37	2741.96	59.85	52.48	0.00	10821.46

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :
Liquidity Coverage Ratio:

मात्रात्मक प्रकटन:
Quantitative Disclosure:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

		2020-21		2019-20	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां High Quality Liquid Assets (HQLAs)					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total High Quality Liquid Assets		56612.98		35774.77
नकदी बहिर्गमन Cash outflows					
2	रिटेल जमाराशियां और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	122474.92	10634.77	120082.37	10370.19
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	32254.50	1612.73	32760.84	1638.04
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	90220.42	9022.04	87321.53	8732.15
3	अरक्षित थोक निधियन, जिनमें से : Unsecure wholesale funding, of which:	20547.34	10932.99	17604.38	9834.94
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	अपरिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	20547.34	10932.99	17604.38	9834.94
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन Secured wholesale funding	4717.69	0.00	3836.37	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	13596.82	1264.25	9423.84	848.09
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivatives exposure and other collateral requirements	6.95	6.95	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	13589.87	1257.31	9423.84	848.09
6	अन्य अनुबंधात्मक निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	371.31	371.31	467.70	467.70
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	14240.51	542.88	1608.29	605.83
8	**कुल नकदी बहिर्गमन Total cash outflows**		**23746.19**		**22126.75**
नकदी अंतर्वाह Cash inflows					
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	8436.03	0.00	3540.67	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	4248.96	3630.59	6238.80	5347.22
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	1802.66	1629.64	300.22	150.11
12	**कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS**		**5260.22**		**5497.33**
13	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां TOTAL HQLA		56612.98		35774.77
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह TOTAL NET CASH OUTFLOWS		18485.97		16629.42
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity coverage ratio (%)		**306.25%**		**215.13%**

गुणात्मक

- तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टाक है, जोकि तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

  एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को विभक्त कर किया जाता है। निवल नकदी बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैर प्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

  भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र क्र. आरबीआई/2019-20/217 डीओआर.बीपी.बीसी.क्र.65/21.04.098/2019-20 दिनांक 17.04.2020 द्वारा एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता में संशोधन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को निम्नानुसार एलसीआर रखने की अनुमति दी है:

दिनांक	न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता
30.09.2020 तक	80.00%
01.10.2020 से 31.03.2021 तक	90.00%
01.04.2021 से	100.00%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम 90.00% की आवश्यकता की तुलना में 306.25% रहा।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	12280.93	6426.30
बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	7.05%	4.28%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	23503.69	13891.61
बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	20.08%	14.64%

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	23755.30	15767.12
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	16.71%	12.65%

Qualitative

- The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a Bank has an adequate stock of un-encumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

  The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

  RBI vide circular RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC. No.65/21.04.098/2019-20 dated 17.04.2020 has amended the minimum requirement of LCR.RBI has now permitted Banks to maintain LCR as under:

Date	Minimum LCR requirement
Till 30.09.2020	80.00%
From 01.10.2020 to 31.03.2021	90.00%
From 01.04.2021	100.00%

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2021 is 306.25%, above RBI prescribed minimum requirement of 90.00%.

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Deposits of Twenty largest Depositors	12280.93	6426.30
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.05%	4.28%

7.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Advances of Twenty largest borrowers	23503.69	13891.61
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	20.08%	14.64%

7.3 Concentration of Exposure

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	23755.30	15767.12
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	16.71%	12.65%

7.4 अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
पहले चार अनर्जक खातों में कुल विगोपन	675.01	2630.38

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)*	12152.15	15324.49
भिन्नताओं के साथ वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियों में) वृद्धि	2202.39	4040.60
उप जोड़ (क)	**14354.54**	**19365.09**
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	185.84	196.90
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	1457.88	1318.44
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	4651.30	5091.82
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	279.83	605.78
उप जोड़ (ख)	**6574.86**	**7212.94**
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	**7779.68**	**12152.15**

*दिनांक 24 सितंबर, 2009 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. क्र.46/21.04.048/2009-10 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार सकल एनपीए

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	13583.29	9188.13
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते + परिवर्तन	4661.96	5094.77
उप जोड़ (क)	18245.25	14282.90
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुई वसूलियां (ख)	1145.54	699.61
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	17099.71	13583.29

7.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to top four NPA accounts	675.01	2630.38

7.5 Movement of Gross NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)*	12152.15	15324.49
Additions (Fresh NPA) during the year including variations	2202.39	4040.60
Sub-total (A)	**14354.54**	**19365.09**
Less:		
(i) Up gradations	185.84	196.90
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1457.88	1318.44
(iii) Technical / Prudential write-off	4651.30	5091.82
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	279.83	605.78
Sub-Total (B)	**6574.86**	**7212.94**
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	**7779.68**	**12152.15**

* Gross NPA as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC. No.46/21.04.048/2009-10 dated September 24, 2009.

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	13583.29	9188.13
Add: Technical / Prudential write –offs during the year + variation	4661.96	5094.77
Sub-Total (A)	18245.25	14282.90
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	1145.54	699.61
Closing balance as at 31st March (A-B)	17099.71	13583.29

7.7 क्षेत्रवार अग्रिम
Sector-Wise Advances:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

क्रमांक S.N.		क्षेत्र Sector	2020-21			2019-20		
			बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
क A		**प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	16201.97	3449.96	21.29	14384.66	3726.37	25.91
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	6327.71	821.10	12.98	4694.45	788.40	16.79
	3	सेवाएं Services	16882.44	1603.08	9.50	12527.51	1532.00	12.23
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	9696.70	335.31	3.46	7293.28	462.09	6.33
		उप-जोड़ (क) Sub-total (A)	**49108.82**	**6209.45**	**12.64**	**38899.90**	**6508.85**	**16.73**
ख B		**गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	61.70	0.00	0.00	349.25	0.00	0.00
	2	उद्योग Industry	18617.68	413.45	2.22	14660.08	3005.29	20.50
	3	सेवाएं Services	20293.01	715.43	3.53	21954.97	2133.86	9.72
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	19572.55	441.35	2.25	19024.78	504.14	2.65
		उप-जोड़ (ख) Sub-total (B)	**58544.94**	**1570.23**	**2.68**	**55989.08**	**5643.30**	**10.08**
		कुल (क+ख) Total (A+B)	**107653.76**	**7779.68**	**7.23**	**94888.98**	**12152.15**	**12.81**

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
कुल आस्तियां	99.19*	38.74
कुल अनर्जक आस्तियां	0.0	शून्य
कुल राजस्व	0.20	0.55

*31.03.2021 को नोस्ट्रो खाते बकाया शेष

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**विदेशी**
शून्य	शून्य

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Assets	99.19*	38.74
Total NPAs	0.0	Nil
Total Revenue	0.20	0.55

Outstanding Balance in NOSTRO Accounts as on 31.03.2021

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
Nil	Nil

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	31.03.2021	31.03.2020
क)	प्रत्यक्ष विगोपन	19697.70	15918.65
i)	आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं; *(प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए)	18080.37 * 9440.64	13904.19 * 6573.58
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं	1 617.34	1770.49
iii)	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
ख)	*अप्रत्यक्ष निवेश* राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	2766.94	5043.02
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	**22464.64**	**20961.67**

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों , ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	68.51	73.60
ii)	व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	0.00	शून्य
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.10	0.22

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

S N	Category	31.03.2021	31.03.2020
a)	Direct exposure	19697.70	15918.65
i)	Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; *(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	18080.37 * 9440.64	13904.19 * 6573.58
ii)	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Expo sure also includes non-fund based (NFB) limits.	1 617.34	1770.49
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	 Nil Nil	 Nil Nil
b)	*Indirect Exposure* Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2766.94	5043.02
	Total Exposure to Real Estate Sector	**22464.64**	**20961.67**

8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

S N	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	68.51	73.60
ii	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	0.00	Nil
iii	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.10	0.22

क्रमांक	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	0.00	0.00
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	4.23	29.21
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण	0.00	शून्य
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	0.00	शून्य
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	0.00	शून्य
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	शून्य
x)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन	118.39	118.84
	पूंजी बाजार में कुल विगोपन	**191.23**	**221.87**

ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश	24	404.28	22	346.47

8.3 31.03.2021 समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

शून्य **(शून्य)**

S N	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
iv	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	0.00
v	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	4.23	29.21
vi	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	0.00	Nil
vii	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.00	Nil
viii	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	0.00	Nil
ix	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	Nil
x	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	118.39	118.84
	Total Exposure to Capital Market	**191.23**	**221.87**

The details of Bank's direct investment in equity shares, on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits, is as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
	No. of accounts	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received / allotted on account of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits	24	404.28	22	346.47

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank for the year ended 31.03.2021

NIL (NIL)

8.4 अंतर-समूह विगोपन:

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है -

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2020-21	2019-20
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	750.00	623.95
2	20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	750.00	623.95
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.58%	0.66%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन:

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	6.87	6.47
2	यूएफसीई पर धारित पूंजी	1.72	3.47

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

क) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु रु.10 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/ या प्राकृतिक रूप से संरक्षित मदों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (वित्तीय संविदा (अर्थात वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

ख) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

ग) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है।

8.6 गैर जमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2021 को गैर जमानती अग्रिमों में रु. 2404.12 करोड़ (रु.1681.56 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों,

8.4 Intra-Group Exposures:

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2020-21	2019-20
1	Total amount of intra-group exposures	750.00	623.95
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	750.00	623.95
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.58%	0.66%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure:

(₹ In Crore)

S N	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Provisioning held on account of UFCE	6.87	6.47
2	Capital held on account of UFCE	1.72	3.47

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

a. Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of ₹ 10.00 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

b. Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

c. Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further the pricing to such constituents is accordingly repriced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advances include ₹ 2404.12 crore (₹ 1681.56 crore) as on 31.03.2021 which is collaterally secured by intangible

लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2021 को अनुमानित मूल्य ₹ 2253.50 करोड़ (₹ 1782.43 करोड़) है।

ईसीजीसी के पास ₹ 97.92 करोड़ (₹ 97.92 करोड़) की राशि के लंबित और अधिमानित दावों को गणना प्रावधान के उद्देश्य से साकार करने योग्य माना गया है।

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश विगोपन

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2021 को विगोपन (निवल)	31 मार्च 2021 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2020 को विगोपन (निवल)	31 मार्च 2020 को धारित प्रावधान
नगण्य जोखिम	358.41	0.00	563.98	0.00
कम जोखिम	425.54	0.00	235.79	0.00
साधारण जोखिम	5.53	0.00	10.65	0.00
साधारणतः कम जोखिम	36.43	0.00	16.31	0.00
साधारणतः उच्च जोखिम	8.08	0.00	2.26	0.00
उच्च जोखिम	0.40	0.00	0.00	0.00
अति उच्च जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋणेतर जोखिम	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**834.39**	**0.00**	**828.99**	**0.00**

8.8 प्रावधान कवरेज अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-2010 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात (पीसीआर) का परिकलन किया है जो 89.86% (पिछले वर्ष 83.97%) है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2021 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है।

9 विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
आयकर हेतु प्रावधान	680.86	शून्य

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	2213.79	2952.94
2	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	641.03	75.44
3	एएफएस/ एचएफटी में निवेश पर मूल्यह्रास	-	3.29
4	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	155.62	53.32
5	निवेश का बट्टे खाते डालना	5.00	-
6	कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान	15	-
7	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.41	-
8	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधान	0.40	-
9	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान - नॉमिनल	2.43	-
10	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	-	1.07

securities such as charge over the rights, licenses, au-thorities etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 2253.50 crore (₹ 1782.43 crore) as on 31.03.2021.

Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹ 97.92 Crore (₹ 97.92 Crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provision.

8.7 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2021	Provision held as at March 31, 2021	Exposure (net) as at March 31, 2020	Provision held as at March 31, 2020
Insignificant Risk	358.41	0.00	563.98	0.00
Low Risk	425.54	0.00	235.79	0.00
Moderate Risk	5.53	0.00	10.65	0.00
Moderately Low Risk	36.43	0.00	16.31	0.00
Moderately High Risk	8.08	0.00	2.26	0.00
High Risk	0.40	0.00	0.00	0.00
Very High Risk	0.00	0.00	0.00	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**834.39**	**0.00**	**828.99**	**0.00**

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 89.86% (P. Y. 83.97%). This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2021.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Provision for Income Tax	680.86	Nil

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Provision towards NPA	2213.79	2952.94
2	Provisions for Standard Advances	641.03	75.44
3	Depreciation on investments in AFS/HFT	-	3.29
4	Provision for Non Performing Investment	155.62	53.32
5	Write off of Investment	5.00	
6	Provision for staff welfare fund	15	-
7	Provisions for Restructured Advances	1.41	-
8	Provision for un-hedged foreign currency exposure	0.40	-
9	Provision for other Assets – Nominal	2.43	-
10	Provision for fraud	-	1.07

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
11	आयकर के लिए प्रावधान	680.86	-
12	अन्य प्रावधान	23.64	-
13	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	-	64.13
	उप जोड़(क)	**3739.18**	**3150.19**
	घटायें : प्रतिलेखन/ समायोजन		
1	एमएटी ऋण के लिए प्रावधान	276.98	-
2	पुनर्संरचित निवेश के लिए प्रावधान का प्रतिलेखन	48.46	1.66
3	एएफएस एचएफटी में निवेश के लिए प्रावधान का प्रतिलेखन	2.40	-
4	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान का प्रतिलेखन	3.73	-
5	आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान का प्रतिलेखन	0.18	-
6	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान का प्रतिलेखन	-	37.07
7	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधान	-	3.98
8	आस्थगित कर आस्ति/ देयता	-	649
	उप जोड़ (ख)	331.75	691.71
	कुल	**3407.43**	**2458.48**

9.3 स्थिर आस्तियां:

9.3.1 एएस-10 ''संपत्ति, संयत्र व उपकरण'' के अनुसरण में स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर वर्ष हेतु ₹ 88.55 करोड़ मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। रू.88.55 (₹ 106.14) करोड़ की समतुल्य राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरण किया गया।

बैंकों के कुछ परिसरों को पुनरीक्षित राशि पर कहा गया है। वर्ष के अंत में परिसर में शामिल ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹ 1261.16 करोड़ और मूल्यह्रास का निवल राशि ₹ 1172.63 करोड़ है।

9.3.2 ₹ 5.60 करोड़ (₹ 7.32 करोड़) की लागत वाले पुनर्मूल्यांकित परिसरों के संबंध में हक विलेखों को कतिपय लंबित विधिक मतभेद/ औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अब तक निष्पादित/ पंजीकृत नहीं किया गया था। ऐसे पट्टे परिसर के मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है, क्योंकि बैंक शाखा परिसर के मालिकों द्वारा पट्टे विलेख की समाप्ति के कारण इन सभी के खिलाफ दायर किए गए मामलों का बचाव कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अपनी देयता के लिए बैंक खाता लगभग ₹ 0.23 करोड़ है।

9.3.3 पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूंजी कार्य में ₹ 34.38 करोड़ की राशि की गणना में बिल्डिंग का निर्माण शामिल है।

9.3.4 स्थिर आस्तियों पर डब्ल्यूडीवी का उपयोग करते हुए मूल्यहास दरें, कंपनी अधिनियम 1956 के सूची XIV के अनुसार ली गई हैं तथा उक्त दरें 5% के शेष मूल्य पर आधारित किए गए हैं। यद्यपि बैंक द्वारा अचल संपत्तियों को कम करने के लिए एक नीति है ताकि पुनः संपत्ति का मूल्य ₹ 1 लिख सकें। बैंक की नीति के अनुसार जीवन की एक अतिरिक्त अवधि में परिसंपत्तियाँ ह्रास हो जाती हैं। बैंक संपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन करने और अवशिष्ट जीवन का निर्धारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास नीति को संशोधित करने की प्रक्रिया के अधीन है।

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम ₹ 761.47 करोड़ (₹ 2712.21 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है।

S. N.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
11	Provision for income tax	680.86	–
12	Other Provisions	23.64	–
13	Other Provisions and Contingencies TIBD-provision for FITL/interest/SR TIBD	–	64.13
	Sub-total (A)	**3739.18**	**3150.19**
	Less: Write back /adjustments		
1	Provision on MAT credit	276.98	–
2	Write back of Provision for restructured Investment	48.46	1.66
3	Write back of Provision for Investment in AFS HFT	2.40	–
4	Write back of Provision for fraud	3.73	–
5	Write back of Provision for contingent liability	0.18	–
6	Write back of Provisions for Restructured Advances	-	37.07
7	Provision for un-hedged foreign currency exposure	-	3.98
8	Deferred tax Asset/ Liability	-	649
	Sub Total (B)	331.75	691.71
	Total	**3407.43**	**2458.48**

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 In accordance with the AS-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of ₹ 88.55 crore for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹88.55 crore (₹ 106.14 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revalua-tion included in premises at the end of the year is ₹ 1261.16 crore and net of depreciation the revaluation amounts to ₹ 1172.63 crore.

9.3.2 The title deed in respect of few revalued premises having cost ₹ 5.60 crore (₹ 7.32 crore) are not yet executed/ registered in favour of the Bank due to certain long pending legal dispute/ formalities. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around ₹ 0.23 crore.

9.3.3 Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to ₹ 34.38 crore in-cludes construction of building.

9.3.4 Depreciation rates on fixed assets using WDV are taken as per Schedule XIV of Companies Act, 1956 and the said rates are based on residual value of 5%. However, Bank has a policy to depreciate fixed assets so as to write down value of assets to Re. 1. According to Bank's policy the assets get depreciated over an additional period of life. The Bank is under the process of revising the depreciation policy to assess the useful life of Assets and determine the residual life of the assets in line with Schedule II of the Companies Act, 2013.

9.4 Contingent Liabilities includes expired Guarantees amount to ₹ 761.47 Crore (₹ 2712.21 Crore), which have not been cancelled because of pending requisite process.

9.5 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है:

(₹ करोड़ में)

अ.क्र.	दंडों की प्रकृति / विवरण	राशि
1	भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	शून्य
2	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड	शून्य
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों पर लगाया गया दंड	0.02
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया अन्य	0.02

9.6 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सभी निपटाई गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार है

क्र.	विवरण	2020-21	2019-20
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	296	145
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3760	8740
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4037	8589
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा वापस की गई शकायतों की संख्या	0	0
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	19	296
ओबीओ की ओर से बैंक को प्राप्त बनाए रखी गई शिकायतें			
5.	ओबीओ की ओर से बैंक को प्राप्त बनाए रखी गई शिकायतों की संख्या	1511	-
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	887	-
5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी किए गए सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से शिकायतों की संख्या	98	-
5.3	5 में से, बैंक के विरुद्ध बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या।	0	-
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं की गई अवार्ड की संख्या (इन की गई अपील के अलावा अन्य)	0	-

बैंक ने अब मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का कार्यान्वयन किया है जो शिकायत प्रबंधन के लिए एक समन्वित प्रणाली है। यह ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें शिकायत की स्थिति अद्यतन, ऑटो टाइम बाउंड एक्सेलेशन, रिपोर्टिंग इत्यादि जैसी विशेषताएं हैं।

9.7 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एटीएम संव्यवहारों के कारण निपटाई गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार ह

क्र.	विवरण	2020-21	2019-20
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	199	19
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1600	3820
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1793	3640
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	6	199

9.5 During the Current Financial year following Penalties have been imposed:

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	NIL
2	Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act,1949	NIL
3	Penalty levied by RBI on currency chests	0.02
4	Others levied by RBI	2.00

9.6 The details of Customer complaints ALL dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2020-21	2019-20
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	296	145
2.	No. of complaints received during the year	3760	8740
3.	No. of complaints redressed during the year	4037	8589
3.1	Of which, no of complaints rejected by the bank	0	0
4.	No. of complaints pending at the end of the year	19	296
Maintainable complaints received by Bank from OBOs			
5.	Number of maintainable complaints received by bank from OBOs	1511	–
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	887	–
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by BOs	98	–
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of awards by BOs against the Bank.	0	–
6.	Number of awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	–

The bank has implemented Standardized Public Grievances Redress System (SPGRS), which is an integrated system for complaint management. It is an online portal for registering customer complaints with features like complaint status update, auto time bound escalation, reporting etc.

9.7 The details of Customer complaints on account of ATM transactions dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2020-21	2019-20
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	199	19
(b)	No. of complaints received during the year	1600	3820
(c)	No. of complaints redressed during the year	1793	3640
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	6	199

9.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2020-21	2019-20
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.9 एटीएम संव्यवहारों के कारण बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों के विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2020-21	2019-20
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.10 कॉर्पोरेट को व्यापार ऋण सुविधा के प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 89.77 करोड़ के 82 ट्रेड क्रेडिट जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया।

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 16.47 करोड़ के 11 ट्रेड क्रेडिट की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 20.16 करोड़ के 21 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे।

9.11 बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन ₹ 22.99 करोड़ (₹ 18.93 करोड़) की आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2020-21	2019-20
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	8.66	6.11
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	13.02	12.33
3	म्युच्युअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	1.31	0.49
	कुल	22.99	18.93

9.12जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ)

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	2020-21	2019-20
डीईएएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	434.96	262.68
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित रकम	69.51	175.33
घटाएं - डीईएएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	3.62	3.05
डीईएएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	500.85*	434.96

*भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी फॉर्म-I के अनुसार

9.8 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

S. N.	Particulars	2020-21	2019-20
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
(c)	No. of Awards implemented during the year.	NIL	NIL
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	NIL	NIL

9.9 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

S. N.	Particulars	2020-21	2019-20
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
(c)	No. of Awards implemented during the year.	NIL	NIL
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	NIL	NIL

9.10 Letter of Comfort (LOCs) issued by Bank for the purpose of Trade Credit Facility to corporate.

During the current year, 82 Trade credits amounting to Rs 89.77 crores were sanctioned by the Bank and No Letters of Comfort was issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st Mar 2021, 21 Trade Credits amounting to Rs 20.16 crores are outstanding as against 11 Trade Credits amounting to Rs 16.47 crores for the year ended 31st March, 2020

9.11 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is ₹ 22.99 crore (₹ 18.93 crore).The details of Bancassurance income is as under:

(₹ in Crore)

S. N.	Nature of Income	2020-21	2019-20
1	For selling life insurance policies	8.66	6.11
2	For selling non-life insurance policies	13.02	12.33
3	For selling Mutual Fund & Others	1.31	0.49
	Total	**22.99**	**18.93**

9.12 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Opening balance of amount transferred to DEAF	434.96	262.68
Add: Amount transferred to DEAF during the year	69.51	175.33
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	3.62	3.05
Closing balance of amount transferred to DEAF	**500.85***	**434.96**

*As per Form-I issued by RBI.

9.13 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं, देय/ प्राप्य सरकारी खाते, डीईएएफ के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/ समाधान/ समापन का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है :

10.1 लेखा मानक 3 - नकद प्रवाह विवरण

बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

10.2 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः वर्ष को दौरान उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया है।

10.3 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों, आय की कुछ मदों की पहचान प्राप्ति/ नकदी आधार पर की जाती है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने तिमाही में लॉकर किराए से आय को पहचानने का तरीका बदल दिया है, जिसमें यह वर्ष के शेष तिमाहियों के समान अनुपात को पहचानने की विधि से प्राप्त होती है।

10.4 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹ 153.34 करोड़ (₹ 164.68 करोड़) रही।

10.5 लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) " कर्मचारी लाभ "

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
क) भविष्य निधि	70.59	28.87
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	15.00	11.66

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क) **पेंशन योजना -** यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

9.13 Work is in progress for adjustment / reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, Government account payable/Receivables, DEAF, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 3- Cash Flow Statement

The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

10.2 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

10.3 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization/ cash basis. During the year ended March 31, 2021, the Bank has changed the method of recognizing the income from locker rent in the quarter in which it is received to method of recognizing the same proportionately over the remaining quarters of the year.

10.4 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the year is ₹ 153.34 crore (₹164.68 crore).

10.5 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
a) Provident Fund	70.59	28.87
b) Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	15.00	11.66

(B) Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences-**This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव: (₹ करोड़ में)
Change in the Present value of Defined Benefit Obligations: (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	6114.28	5740.91	536.30	535.52	272.40	279.00
2	ब्याज लागत Interest Cost	391.17	376.18	32.49	31.72	17.52	17.16
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	367.27	323.21	45.60	26.83	80.47	58.52
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	–	0.00	–	0.00	–
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(569.19)	(450.13)	(138.87)	(119.78)	(41.47)	(43.46)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	145.72	124.10	102.02	62.01	(30.63)	(38.82)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	6449.25	6114.27	577.54	536.30	298.29	272.40

II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव: (₹ करोड़ में)
Change in the Fair Value of Plan Assets: (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	6029.68	5724.33	559.88	533.03
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	449.81	480.84	44.85	45.31
3	किया गया अंशदान Contributions made	300.59	282.85	42.00	102.00
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(569.19)	(450.13)	(138.87)	(119.78)
5	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	(9.74)	(8.21)	(3.87)	(0.68)
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	6201.15	6029.68	503.99	559.88

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम (₹ करोड़ में)
Amount recognized in the Balance Sheet: (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	6449.25	6114.28	577.54	536.31	7026.80	6650.58	298.29	272.40
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(6201.15)	(6029.68)	(503.99)	(559.88)	(6705.14)	(6589.56)	0.00	0.00
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	248.09	84.60	73.55	(23.58)	321.65	61.02	298.29	272.40
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	248.09	84.60	73.55	(23.58)	321.65	61.02	298.29	272.40

IV. लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकम:
Amount recognized in Profit and Loss Account:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

क्र. सं. SN	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	367.27	323.21	45.60	26.83	80.47	58.52
2	ब्याज लागत Interest Cost	391.17	376.18	32.49	31.72	17.52	17.16
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(449.81)	(480.84)	(44.85)	(45.31)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	155.46	132.31	105.89	62.69	(30.63)	(38.82)
5	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
6	**निर्धारित व्यय Expense to be recognized**	**464.09**	**350.86**	**139.14**	**75.93**	**67.36**	**36.86**
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
8	**कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost**	**464.09**	**350.86**	**139.14**	**75.93**	**67.36**	**36.86**

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान
Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

क्र. सं. SN	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	84.59	16.58	(23.57)	2.49	272.40	279.00
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	464.09	350.86	139.14	75.93	67.36	36.86
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/Benefits paid	(300.59)	(282.85)	(42.00)	(102.00)	(41.47)	(43.46)
4	**समापन निवल देयता Closing Net Liability**	**248.09**	**84.59**	**73.57**	**(23.57)**	**298.29**	**272.40**

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय
Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	449.81	480.84	44.85	45.31
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	(9.74)	(8.21)	(3.87)	(0.68)
3	**योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets**	**440.07**	**472.63**	**40.98**	**44.63**

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)
Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	भांजित दर Discount rate	6.71%	6.50%	6.96%	6.67%	6.96%	6.67%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	7.46%	8.40%	8.01%	8.50%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2021	31.03.2020
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.00	0.46
2	छुट्टी किराया रियायत	9.71	7.21
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.03	0.14
	कुल	**9.74**	**7.81**

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crore)

S N	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2021	31.03.2020
1	Resettlement Allowance	0.00	0.46
2	Leave Fare Concession	9.71	7.21
3	Silver Jubilee Award	0.03	0.14
	Total	**9.74**	**7.81**

10.6 लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग
Accounting Standard 17- Segment Reporting

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :
Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र
Part A: Business segments

(₹ करोड़ में)
(₹ in crore)

व्यवसाय क्षेत्र > Business Segments >	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
राजस्व Revenue	5220.87	4984.18	3744.42	3702.54	5170.16	3825.10	358.36	632.85	14493.81	13144.66
परिणाम Result	1657.84	1260.03	(105.57)	(1413.56)	(629.80)	(265.02)	308.64	158.13	1231.11	(260.42)
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0	0
परिचालन लाभ Operating profit									1231.11	(260.42)
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									680.86	(649.00)
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									550.25	388.58
अन्य जानकारियां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	74885.33	64498.34	68381.15	54698.89	36651.23	34620.44	12099.09	11446.15	192016.80	165263.82
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4648.21	3603.36
कुल आस्तियां Total assets									**196665.01**	**168867.18**
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	73629.74	63594.78	64502.50	51836.70	34473.25	32725.61	11282.12	9954.81	183887.61	158111.90
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									644.22	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									12133.18	10755.28
कुल देयताएं Total liabilities									**196665.01**	**168867.18**

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।

ख) संस्थागत /थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मो, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है।

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

ङ) ब्याज आय को थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आवंटित किया जाता है। थोक बैंकिंग के लिए प्राप्त कुल ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले लिया जाता है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income therefrom.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

i. Total average annual turnover less than ₹ 50.00 crore and

ii. Aggregate exposure to one counterparty does not exceed 0.2% of the overall retail port-folio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations.

च) थोक बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे देय नहीं किए गए व्यय का आवंटन किया जाता है। ट्रेजरी परिचलनों के खर्च ट्रेजरी परिचलन से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं

छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

10.7लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

1. संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंधः
   (क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
   (ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
   (ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

(₹ करोड़ में)

अनु क्र	नाम	पद	मानदेय	
			2020-21	2019-20
1	श्री ए. एस राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.30	0.29
2	श्री हेमंत कुमार टम्टा	कार्यपालक निदेशक	0.26	0.25
3	श्री नागेश्वर राव वाई	कार्यपालक निदेशक (21.01.2021 तक)	0.23	-
4	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)	0.02	-
5	श्री वी. पी. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) व महाप्रबंधक, विप्र व लेखा (16.06.2020 तक)	0.06	0.25
6	श्री प्रशांत आर. खटावकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) व महाप्रबंधक, विप्र व लेखा (17.06.2020 से)	0.26	-
		Total	**1.13**	**0.79**

नोट : मुख्य प्रबंधन कर्मियों के रूप में सीएफओ का प्रकटन आरबीआई द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में किया गया है।

2. संबंधित पक्षों से संव्यवहार
   संबंधित पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखा मानक (एएस 18) के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''राज्य नियंत्रित उद्यम'' हैं। एएस 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार शामिल हैं।

10.8 लेखा मानक-19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर (देय राशियों का परिशोधन के पश्चात), जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई गैर-निरस्त परिचालन पट्टे नहीं हैं। इसलिए एएस -19 के तहत अतिरिक्त प्रकटन लागू नहीं है। पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि वर्ष 2020-21 के लिए ₹162.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹152.65 करोड़) है।

f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations.

g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.7 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

1. Name of the Related Parties and their relationship:
   (a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
   (b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
   (c) Key Management Personnel-

(₹ in Crore)

S.N.	Name	Designation	Remuneration	
			2020-21	2019-20
1	Shri A S Rajeev	MD & CEO	0.30	0.29
2	Shri Hemant Kumar Tamta	Executive Director	0.26	0.25
3	Shri Nageswara Rao Y	Executive Director (till 21.01.2021)	0.23	–
4	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (from 10.03.2021)	0.02	–
5	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (CFO) & General Manager, FM&A (till 16.06.2020)	0.06	0.25
6	Shri Prashant R. Khatawkar	Chief Financial Officer (CFO) & General Manager, FM&A (from 17.06.2020)	0.26	–
		Total	**1.13**	**0.79**

Note: The disclosure of CFO as key management personnel has been made as advised by RBI in its risk assessment report for the year 2018-19.

2. Transactions with Related parties

   No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

10.8 Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases:

Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable. The Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to ₹ 162.42 crore for the year 2020-21 (Previous year ₹ 152.65 crore).

10.9 लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
मूल ई.पी.एस.	₹ 0.88	₹ 0.67
अनुकृत ई.पी.एस.	₹ 0.88	₹ 0.67
मूल / अनुकृत ई.पी.एस. की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ (₹ लाख में)	55025	38858
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	62536	58165
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹ 0.88	₹ 0.67
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

10.10 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

10.11 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है, बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण *	859.91	929.79
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	207.65	201.25
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	1857.79	2279.72
4) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	0.00	**74.57**
उप जोड़ (क)	**2925.35**	**3485.33**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	17.24	173.35
उप जोड़ (ख)	**17.24**	**173.35**
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	**2908.11**	**3311.98**

* बैंक ने विवेकपूर्ण मामले के रूप में ₹ 200 करोड़ के संचित घाटे पर डीटीए होने के नाते ₹ 69.88 करोड़ की राशि को प्रत्यावर्तीत की।

10.12लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.13लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि - 3 वर्ष
परिशोधन दर - 33.33%
परिशोधन पध्दति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	24.01	42.21
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	31.25	13.61
वर्ष के दौरान परिशोधन	22.02	31.81
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	33.24	24.01

10.9 Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Basic E.P.S.	₹ 0.88	₹ 0.67
Diluted E.P.S.	₹ 0.88	₹ 0.67
Calculation of Basic /Diluted EPS		
a) Net Profit after Tax (in Lakhs)	55025	38858
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	62536	58165
c) Basic Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 0.88	₹ 0.67
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.10 Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements

The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10.11 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses*	859.91	929.79
2) On account of provisions for Employees benefits	207.65	201.25
3) Other Provisions where DTA is created	1857.79	2279.72
4) On account of depreciation on fixed assets	0.00	**74.57**
Sub-Total (A)	**2925.35**	**3485.33**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1)(viii)	17.24	173.35
Sub-Total (B)	**17.24**	**173.35**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**2908.11**	**3311.98**

*The bank as a matter of prudence reversed an amount of ₹ 69.88 Crore being the DTA on accumulated losses of ₹ 200 Crore.

10.12 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2020-21, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.13 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.
Amortization Rate - 33.33 %
Amortization Method - Straight line at cost

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Software at the beginning of the year	24.01	42.21
Software acquired during the year	31.25	13.61
Amortization during the year	22.02	31.81
Net carrying amount at the end of the year	33.24	24.01

10.14 लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

जब भी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है कि किसी संपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो तो परिसंपत्तियों की वर्ष की समाप्ती पर समीक्षा की जाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति भविष्य की निवल रियायती नकदी प्रवाह के लिए एक परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए एक तुलना द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति द्वारा उत्पन्न होना अपेक्षित है। यदि इस तरह की संपत्ति को अनर्जक माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त होने वाली हानि और उस राशि से मापी जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों को भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - ''आस्ति का अनर्जक होना'' लागू होता है।

10.15 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के खिलाफ दावे

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2020-21	2019-20
बकाया शेष	385.54	383.72
धारित प्रावधान	1.99	2.18

11. ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिति को प्रभारित की जानी है। धोखाधड़ी के लिए बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षिती को नामे परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
804	20	2321.91	335.93	2321.91	-

31.03.2021 वर्ष की समाप्ती पर, बैंक द्वारा 31.03.2021 तक रू.2321.91 करोड़ के धोखाधड़ी के रूप में घोषित खातों के लिए 100% प्रावधान रखा है तथा वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधडियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

10.14 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

10.15 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Claim against the bank not acknowledged as debt on year end

(₹ in Crore)

Category	2020-21	2019-20
Balance Outstanding	385.54	383.72
Provision Held	1.99	2.18

11 Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end. The details of provisions for frauds made by bank are as under:

(₹ in crore)

Up to the year ended 31.03.2021 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2021 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2021 (Amount) of fraud	During the quarter ending 31.03.2021 (Amount) of fraud	Quantum of provision made during the year end-ed 31.03.2021 (Amount)	Quantum of amortised provision debited to "Revenue Re-serves" as at the year ended 31.03.2021 (Amount)
804	20	2321.91	335.93	2321.91	–

As at the end of 31.03.2021, bank holds 100% provision for accounts declared as frauds of ₹ 2321.91 crores up to 31.03.2021 and there is nil amount of un-amortised provision for frauds detected during the year.

12. इंट्रा-समूह विगोपन का विवरण (दिनांक 11 फरवरी, 2014 का भारतीय रिज़र्व बैंक का क्र.डीबी ओडी क्र.बीपी.बीसी6/21.06.102/2013-14)

क्र.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
1	से उधारियां (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	शून्य	शून्य
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको)	शून्य	शून्य
2	को उधार (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	0.00*	13.50
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको)	शून्य	शून्य
3	में निवेश (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	83.38	83 .38
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित)	73.27	73.27
ii.	बॉन्ड/ डिबेंचर	10 .11	10 .11
iii	कोई अन्य (उल्लेख करें)		
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको)	15	15
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित)	15	15

* विद्यमान भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार विगोपन नहीं माना जाता है

15. क) भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र DOR.No.BP.BC.63 / 21.04.048 / 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार, बैंक को ऐसे उधारकर्ता खातों के संबंध में बकाया अग्रिमों का 10% प्रावधान करने की आवश्यकता है जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ लिया गया है। विवरण इस प्रकार हैं :

(खातों की संख्या छोड़कर ₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहां अधिस्थगन बढ़ाया गया था	12,230
एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में राशि जहां अधिस्थगन / परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया (31 मार्च, 2020 तक)	749.35

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान 10% प्रावधान अनिवार्य किया गया	74.94
स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के खिलाफ संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान *	74.94

* कोविड 19 संबंधित प्रावधानों के रूप में शामिल और वर्गीकृत

ख) दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र DOR.No.BP.BC.63 / 21.04.048 / 2019-20 के अनुसार, खातों की संख्या और उन खातों में शामिल राशि का विवरण जहां संकल्प अवधि को वर्ष 31 मार्च, 2021 के लिए विस्तारित किया गया था, जो निम्न प्रकार से हैं :

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनमे संकल्प अवधि बढ़ा दी गई	
शामिल राशि	शून्य

12 Details of Intra-Group Exposure (RBI circular no. DB OD No. BP. BC 6/21.06.102/2013-14 dated 11th Feb 2014

Sr. No.	Particulars	As of 31.03.2021 (₹ in Crore)	As of 31.03.2020 (₹ in Crore)
1	Borrowings from (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	NIL	NIL
b.	Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	NIL	NIL
2	Lending's to (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	0.00*	13.50
b.	Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	NIL	NIL
3	Investment in (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	83.38	83.38
i.	Equity (incl Preference shares)	73.27	73.27
ii.	Bonds /Debentures	10.11	10.11
iii	Any other (specify)		
b.	Maharashtra Executor Trustee& Co (METCO) (Lacs)	15	15
i.	Equity (incl Preference shares) (Lacs)	15	15

*Not considered as exposure as per extant RBI guidelines

13. a) In accordance with RBI Circular DOR.No.BP. BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020, the Bank is required to make provision @10% of outstanding advances in respect of such borrower accounts where asset classification benefit has been taken as per RBI guidelines. The details are as under:

(₹ in crores except no. of accounts)

No. of accounts where moratorium was extended	12,230
Amounts in SMA / overdue categories where moratorium/ asset classification benefit was extended (As of March 31, 2020)	749.35

Mandatory 10% provision made during the quarter ended March 31, 2020	74.94
Provision adjusted during respective accounting periods against slippages and residual provisions *	74.94

* included and classified as COVID 19 related provisions

b) As per RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020, details of the number of accounts and the amount involved in those accounts where the Resolution Period was extended for the year ended March 31, 2021 are as follows:

(₹ in Crores)

No. of accounts in which resolution Period was extended	
Amount involved	NIL

14. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06.08.2020, के DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 परिपत्र के अनुसार COVID-19 से संबंधित तनाव के लिए संकल्प फ्रेमवर्क पर प्रकटीकरण

Disclosure on Resolution Framework for COVID-19-related Stress as per RBI circular ref no. DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020

(₹ In Crores)

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के प्रकटन का प्रारूप Format for disclosures as of quarter ended March 2021	(क) इस विंडो के अंतर्गत जहां संकल्प योजना लागू की गई है, उन खातों की संख्या (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (क) में वर्णित खातों के लिए जोखिम (₹) (B) exposure to accounts men-tioned at (A) before implementation of the plan (₹)	(ग) ऋण की कुल राशि, (ख) के, जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित की गई थी (C) Of (B), aggre-gate amount of debt that was converted into other securities	(घ) योजना के आह्वान और कार्यान्वयन के बीच अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, स्वीकृत (D) Additional funding sanc-tioned, if any, including be-tween invocation of the plan and implementation	(ङ) संकल्प योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि (₹) (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan (₹)
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	5288	602.93	0	0	60.29
कॉर्पोरेट व्यक्ति Corporate persons	1	220.00	0	0	20.13
जिनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	3	103.92	0	75	7.18
अन्य Others	0	0	0	0	
कुल Total	**5292**	**926.85**	**0**	**75**	**87.60**

15. कोविड-19 महामारी का प्रकोप दुनिया भर में फैल रहा है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अस्थिरता है। कोविड -19 महामारी बैंक के परिणाम को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा जो अन्य चीजों के बीच अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिसमें कोविड -19 महामारी के नए स्ट्रेन की गंभीरता और आगे प्रोत्साहन और नियामक पैकेज सहित प्रभाव को कम करें, यदि कोई हो इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई नई जानकारी शामिल है। हालांकि लॉकडाउन के उपायों में ढील के बाद से आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है, मंदी के कारण चुककर्ता-ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप इन प्रावधानों में वृद्धि हो सकती है।

15. The outbreak of COVID-19 pandemic continues to spread across the globe and India resulting in significant volatility in the global and Indian economy. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's result will depend on future development which are highly uncertain including among other things any new information concerning the severity of the new strains of the COVID-19 pandemic and action to contain its spread or mitigate impact including further stimulus and regulatory packages, if any. While there has been an improvement in the economic activity since the easing of the lockdown measures, the slowdown may lead to a rise in the number of customer defaults and resultant increase in the provisions there against.

16. 7 अप्रैल, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बैंक को उन सभी उधारकर्ताओं को 'ब्याज पर ब्याज' को वापस करने / समायोजित करने की आवश्यकता है, जो अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की सुविधाओं का लाभ उठा चुके थे, भले ही अधिस्थगन अवधि रही हो पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया, या नहीं लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा 'ब्याज पर ब्याज की गणना' की पद्धति का प्रसार किया गया है। बैंक इस पद्धति को उपयुक्त रूप से लागू करने की प्रक्रिया में है। 31 मार्च, 2021 तक ब्याज राहत के प्रति देयता की गणना कर, ब्याज आय से इस कम करके और अन्य देयताओं को जमा करते हुए व्यक्तिगत उधारकर्ता खातों के लिए इसके लंबित रिफंड/समायोजन हेतु बैंक ने ₹ 65.00 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

16. In accordance with the instructions in RBI circular dated April 7, 2021 the Bank is required to refund / adjust 'interest on interest' to all the borrowers including those who had availed of working capital facilities during the moratorium period, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. As required by the RBI notification, the methodology for calculation of such 'interest on interest' has been circulated by the Indian Banks' Association (IBA). The bank is in the process of suitably implementing this methodology. As at March 31, 2021, the Bank has made an adhoc provision of ₹ 65.00 Crores, estimating the liability towards interest relief, by reducing the same from interest income and crediting to Other Liabilities, pending refund / adjustment of the same to the individual Borrower accounts.

17. कोविड 19 संबंधित प्रावधानों के रूप में 31 मार्च, 2021 को, बैंक के पास ₹ 753.49 करोड़ की राशि रखी है। (पिछले वर्ष ₹ 75 करोड़)

17. As at March 31, 2021, the Bank holds an amount of ₹ 753.49 Cr as COVID 19 related provisions (P. Y. ₹ 75 Crores).

18. 01/11/2017 से वेतन संशोधन पर द्विपक्षीय समझौता 11/11/2020 को हस्ताक्षरित किया गया था। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 652.22 करोड़ का कुल संचयी प्रावधान बनाते हुए 439.84 करोड़ का प्रावधान किया। बैंक ने वेतन पुनरीक्षण के संबंध में बकाया का भुगतान करना शुरू कर दिया है और ₹ 447.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया और ₹ 204.43 करोड़ की शेष राशि 31 मार्च 2021 तक देय है।

18. BI-Partite Agreement on Wage Revision due from 01/11/2017 was signed on 11/11/2020. During the year ended March 31 2021, the Bank made provision of ₹ 439.84 Crores making total cumulative provision of ₹ 652.22 Crores. Bank has started making payment of arrears in respect of wage revision and sum of ₹ 447.79 Crores was paid and balance amount of ₹ 204.43 Crores is payable as on March 31 2021

19. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया है, वहां पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

19. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

(₹ हजार में) (₹ in lakhs)

विवरण Particulars		31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2021		31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2020	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.		118,68,54		114,95,45	
अन्य आय Other Income		26,25,27	144,93,81	16,49,23	131,44,67
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		69,71,07		72,16,65	
परिचालन व्यय Operating Expenses		35,65,06		30,80,96	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		34,07,43	139,43,56	24,58,48	127,56,09
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**5,50,25**		**3,88,58**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		34,07,43		24,58,48	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		1,88,11		2,10,95	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		-45		-4,81	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		2,89,00	38,84,09	2,64,27	29,28,89
			44,34,34		33,17,47
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			1,84,00		,,
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	**(I)**		**42,50,34**		**33,17,47**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		239,39,21		94,16,32	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings		,63,02		-64,79,14	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-6,64,43		-24,12,85	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		**233,37,80**		**5,24,33**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		103,70,79		-19,56,20	
अग्रिम Advances		155,33,52		42,05,44	
अन्य आस्तियां Other Assets		-7,83,05		8,89,69	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		**251,21,26**		**31,38,93**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	**(II)**		**-17,83,46**		**-26,14,60**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	**(क (A) = I+II)**		**24,66,89**		**7,02,88**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		3,65		14,34	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-1,92,48		-1,23,58	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	**(ख) (B)**		**-1,88,83**		**-1,09,24**

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. Cash Flow From Financing Activities:				
i) बांडो को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		5 ,05 ,70	–	
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS			–	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax			–	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-2 ,89 ,00	-2 ,64 ,27	
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना / (शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Apllication Money)			9 ,62 ,70	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) **Cash Flow From Financing Activities (C)**			**2 ,16 ,70**	**6 ,98 ,43**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह **Total Cash Flow During The Year**	**(क+ख+ग)** **(A+B+C)**		**24 ,94 ,76**	**12 ,92 ,06**

नोटः जहाँ आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध और पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में)
(₹ in lakhs)

ब्योरे Particulars	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष** **Year Ended 31-03-2021**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष** Year Ended 31-03-2020
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य **Cash and Cash equivalents at the beginning of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	**103,53,68**	79,19,99
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**93,28**	12,34,92
	104,46,97	**91,54,90**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य **Cash and Cash equivalents at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	**128,82,48**	103,53,68
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	**59,25**	93,28
	129,41,73	**104,46,97**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**24,94,76**	**12,92,06**

सुनील धूत
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUNIL DHOOT
ASST. GEN. MANAGER, FM & A

पी. आर. खटावकर
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा और मुविअ
P. R. KHATAVKAR
GENERAL MANAGER, FM&A & CFO

ए. बी. विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक
A. B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए बी. मीरा गोपालन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 029471
CA B Meera Gopalan
Partner
Membership No: 029471

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 207867
CA (Mrs) Lalitha Rameswaran
Partner
Membership No: 207867

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 121073
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स के गोपाल राव एंड कंपनी सनदी लेखाकार 21, मूसा स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नै ॐ 600 017	**मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित** 204, नैशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703
मेसर्स अबर्णा एंड अनंथन 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरू - 560 085	**मेसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 282, कपीश हाउस, माता मंदीर रोड खरे टाउन, धरमपेठ, नागपुर - 440010

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति एवं ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र'' के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण एवं लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें उसी दिनांक को संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1007 शाखाओं, हमारे द्वारा प्रधान कार्यालय, 37 अंचल कार्यालयों तथा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और 20 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 2021 के अनुसार किया है। साथ ही, तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 903 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.99%, जमाराशियों में 22.84%, ब्याज आय में 4.6% तथा ब्याज व्यय में 17.74% हिस्सा है।

2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (''अधिनियम''), भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है तथा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा निम्नानुसार है:

   क. तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2021 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;

   ख. लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र हैं तथा हमने आचार संहिता और इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

M/s. K. Gopal Rao & Co. Chartered Accountants, 21, Moosa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.	**M/s. Batliboi & Purohit** 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
M/s. Abarna & Ananthan 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.	**M/s. Rodi Dabir & Co.** Chartered Accountants, 282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur - 440010.

To,

The President of India and Members of
"BANK OF MAHARASHTRA"

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of Maharashtra ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included returns for the year ended on that date, of head office, 37 Zone offices, for the year ended on that date of 20 branches and Treasury and International Banking Division audited by us, and 1007 branches audited by statutory branch auditors of the Bank. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI) vide notification issued by RBI dated March 15th, 2021. Also included in the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 903 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.99% of advances, 22.84% of deposits, 4.6% of interest income and 17.74% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act"), the requirements of the Reserve Bank of India, in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a) in case of Balance Sheet, read with the notes thereon gives true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended March 31, 2021 and

   c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended March 31, 2021.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI

लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का ज़ोर

4. हम नोट संख्या 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में, जो बताता है कि किस हद तक COVID-19 महामारी बैंक के संचालन को प्रभावित करेगी और वित्तीय परिणाम भविष्य के विकास पर निर्भर हैं, जो कि अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक लगातार आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है और इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव अनिश्चित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2021 को बैंक के पोर्टफोलियो में ₹ 102405 करोड़ का शुद्ध अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अग्रिमों से आय, कुल आय का 49.36% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान ₹ 2213.79 करोड़ है जो कुल व्यय का 15.88% बनाता है। आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है।	हमने सिस्टम, आवेदन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्त खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है। हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि

together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note no. 15 In Schedule 18 of the Financial Statements which explains the extent to which COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and financial results are dependent on future developments, which are highly uncertain. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's Operations and financial results is uncertain.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the year ended March 31, 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below as Key Audit Matters to be communicated in our report:

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	**Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:** (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies to the Standalone Financial Statements) The Banks portfolio comprises of Net Advances of ₹ 102405 Crores as at 31st March 2021 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Income from Advances constitutes 49.36% of Total Income. The provision in respect of Non-performing Asset is ₹ 2213.79 Crores which constitutes 15.88% of the total expenditure. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed.	We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports. We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines. We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढ़ंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं।	उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरियों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है। संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए। हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपार्श्विक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है। हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइक्ल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वाराजारी नियामक

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially mis-stated. Hence, we consider this as a Key Audit Matter.	Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies. We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning forf such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retail loans which effectively monitors, controls, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio. We have reviewed the Bank's process for granting moratorium and restructuring to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. With respect to

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। कोविड19 महामारी के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन जैसा कि प्रभाव की सीमा भविष्य की स्थिति पर निर्भर है और उसमें काफी अनिश्चितताएं हैं, हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर विश्वास किया है, जो बैंक की आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है। हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है।
2.	**निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण:** (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) खरीद के समयनिवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुल आय का 28.66% शामिल है जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है।	हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं। हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		additional provision made by the Bank on account of the impact of COVID 19 pandemic, we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for the same but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars. We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications.
2.	**Classification and Valuation of Investments:** (Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements) Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines. Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having a overall significance to the financial results of the Bank. Interest Income from Investment of the Bank comprises 28.66% of the total income in view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.	We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls. We have examined the investment agreement / term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments. Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने भारतीय रिजर्व बैंकके दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यह्रास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूलधन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जांच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा नमूने आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया। हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात 'पूंजीगत आरक्षित खाते' को विनियोजित किया गया। हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यह्रास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि नोटों से खातों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा :** ऑटोमेशन व अपलिकेशन के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के मुख्य व्यवसाय उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन	सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank. We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application / conversion of interest / principal towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank. We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit / debit in the profit and loss account. We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase / sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit / loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account. We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts.
3.	**Information Technology Systems and Control Framework:** The Bank's key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high	Information Technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	कंम्पलेक्स आई आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाता है, जोकि बैंकिंग व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने में बैकबोन के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है। हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं।	विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है। हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है। हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावेजीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुनः प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया। हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया। हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है। हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाइंट सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective. The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes. We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank's business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter.	We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations. We have adopted various techniques such as enquiry, review of documentation, record, reports, observation, and re performance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique. We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology. We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP. We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management. through certain data drill conducted by the Management and scrutinused by us and comparing the required results.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमारे द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया और कोविड-19 की परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतरता तथा वृद्धि सुनिश्चित की। हमने प्रबंधन द्वारा अधिक समग्र, व्यापक तरीके से किए गए सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं।
4.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :** अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 की नोट क्र.10 और अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र.10.15) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
5.	**कोविड-19 प्रकोप के आलोक में अपनाई गई संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि :** कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा हमारे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण भौतिक रूप	कोविड-19 महामारी के कारण हमने लेखापरीक्षा राय बनाने और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि संपादित की। संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को पूरा करने के लिए बैंक ने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखने के लिए बैंक के नेटवर्क पर हमें एक कस्टमाईज्ड

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth under COVID -19 circumstances. We have verified the testing report carried out by the Management on risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective.
4.	**Provisions and Contingent Liability:** Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 10.15 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon; Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.
5.	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:** In view of the COVID-19 pandemic, lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit, the Bank to facilitated carrying out audit remotely as physical access was prohibited,	Due to the COVID-19 Pandemic, we carried out modified audit procedures to obtain reasonable assurance to form an audit opinion. To carry out modified audit procedure, the Bank has made available to us a customized intranet portals hosted on Bank's network enabling us to access reports and documents

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	से शाखा को भेंट देना संभव नहीं था। अतः बैंकों को लेखापरीक्षा अन्य स्थान से करने के निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप बैंक की कई शाखाओं/ अंचलों/ प्रधान कार्यालय के परिसर को भेंट देकर लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकें और शाखाओं/ अंचल/ प्रधान कार्यालय के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकी। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि को अन्य स्थानों से करने के लिए संशोधित किया गया। हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि की पहचान प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।	इंट्रानेट पोर्टल उपलब्ध कराया है। हमारे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल है; 1. कोविड-19 के कारण जहां भौतिक रुप से जाना निषिद्ध था, बैंक की उन शाखाओं/ अंचलों के संबंध में रिमोट एक्सेस/ ई-मेल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया गया। 2. दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां, विलेख, प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया किया गया और प्रतियां प्राप्त की गई। 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवादों और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ई-मेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूछताछ की गई। 4. हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान पदनामित पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने की चर्चा की बजाय टेलीफोन/ ई-मेल के माध्यम से किया गया।

अन्य मामले

6. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1007 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को रु.58487.62 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.4284.18 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं को सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में अब तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 903 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को कुल रु.16138.78 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए एकल वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.970.19 करोड़ दर्शाते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

7. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	therefore audit could not be conducted by visiting the premises of many Branches / Zones / HO of the bank. As we could not obtain audit evidence in person / physically and personal interactions with the officials at the Branches / Zone / Head Office, accordingly our Audit procedures were modified to carry out the Audit remotely. We have identified such modified Audit Procedure as Key Audit Matter.	we sought necessary for the purpose of Audit. Our modified audit procedure included; 1. Conducted verification of necessary records / documents / CBS and other application software electronically through remote access / emails in respect of some of the Branches / zones of the Bank wherever physical access was prohibited due to COVID-19. 2. Obtained and carried out verification of scanned copies of documents, deeds, certificates, and other related records. 3. Made enquiries to obtain necessary audit evidence through video conferencing, dialogues, and discussions over phone calls / conference calls, emails, and similar communication channels. 4. Resolved our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Other Matter

6. We did not audit the financial statements / information of 1007 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / Financial Information reflect total advances of Rs. 58487.62 crores as at March 31, 2021 and total revenue of Rs. 4284.18 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The Financial Statements / Information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Statutory Branch Auditors. Further we did not audit the Financial Statements of 903 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total assets of Rs. 16138.78 Crores as at March 31, 2021 and total revenue of ` 970.19 Crores for the year ended on that date as considered in the Standalone Financial Statements have been drawn by the management.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

7. The Bank's Board of Directors are responsible for other information. The other information comprises the information other than Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट ठअभिशासन हेतु प्रभारितड को करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

8. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त:

- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें वित्तीय

Basel III Disclosure we do not express any form of assurance / conclusion thereon

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matters to 'Those charged with Governance'.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

8. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।
- भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
- हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंधित हैं।
- हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त परिच्छेद 6 तथा 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

    ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

    ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी. क्र..6270/08.91.001/ 2019-20 और उसके बाद के दिनांक 19 मई, 2020 के

- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by sub section 3 of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations

अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित की आवश्यकताओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

ख) वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2021 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2021 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है।

13. **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि**

क) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु उचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई है।

ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है और

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at March 31,2021.

13. **We further report that:**

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए बी. मीरा गोपालन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 029471
CA B. Meera Gopalan
Partner
Membership No: 029471

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 207867
CA (Mrs) Lalitha Rameswaran
Partner
Membership No: 207867

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 121073
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध ''ए''

मेसर्स के गोपाल राव एंड कंपनी सनदी लेखाकार 21, मूसा स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नै ॐ 600 017	**मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित** 204, नैशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703
मेसर्स अबर्णा एंड अनंथन 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरू - 560 085	**मेसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 282, कपीश हाउस, माता मंदीर रोड खरे टाउन, धरमपेठ, नागपुर - 440010

(सम दिनांक को हमारी रिपोर्ट 'अन्य विधि और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 (यथा संशोधित) (''आरबीआई संप्रेषण'') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट।

हमने बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ 31 मार्च, 2021 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक की नीतियों का अनुपालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचाव व रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक (एसए) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और उसे बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

M/s. K. Gopal Rao & Co. Chartered Accountants, 21, Moosa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.	**M/s. Batliboi & Purohit** 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
M/s. Abarna & Ananthan 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.	**M/s. Rodi Dabir & Co.** Chartered Accountants, 282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur - 440010.

(Referred to in paragraph 12 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated **March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of Maharashtra ("the Bank") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial

परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, उचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि संव्यवहारों को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण शामिल हैं या हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की श्रेणी का ह्रास हो सकता है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे थे।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक ??यह 104 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 104 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ कमियां देखी गईं। बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव तथा कुछ और आरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए इस संबंध में हमारी विस्तृत रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत कर दी गई है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the report of the branch auditors, certain deficiencies were noticed by us. Bank needs to further strengthen the process including alteration of the existing Risk Control Matrix (RCM) and designing a few more RCMs. Our detailed report in this regard has been submitted to the Management to further strengthen the internal financial controls over financial reporting of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

सीए (श्रीमती) बी. मीरा गोपालन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 029471
CA (Mrs) B. Meera Gopalan
Partner
Membership No: 029471

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 207867
CA (Mrs) Lalitha Rameswaran
Partner
Membership No: 207867

सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 121073
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

बेसल III - 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से लागू बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक रूप से संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतर्गत 0.625% के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अवधि को 01 अक्तूबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन अर्थात 01 अक्तूबर, 2021, पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी, न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात 8.00% होगा और न्यूनतम इक्विटी टियर-1 अनुपात 9.50% होगा। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकता 7.375% की न्यूनतम सीईटी-1 (सीसीबी सहित) के साथ 10.875% है।

बेसल III ढांचे में तीन आपसी सुदृढ़ पिलर्स शामिल हैं -

(i) पिलर 1 : न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)

(ii) पिलर 2 : पर्यवेक्षकीय समीक्षा और मूल्यांकन (Evaluation) प्रकिया

(iii) पिलर 3 : बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं। ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं।

सारणी डीएफ-1 : अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(i) गुणात्मक प्रकटन :

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines initially provided a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. RBI has extended the transition period for implementing the last tranche of 0.625% under the Capital Conservation Buffer (CCB) up to October 1, 2021. Upon full implementation i.e. as on October 01 2021, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio would be 8.00% and minimum Tier 1 ratio would be 9.50%. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended 31st March 2021 is 10.875% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 7.375%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

(i) Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)

(ii) Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process

(iii) Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of head of the banking group to which framework applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

(i) Qualitative Disclosures:

संस्था का नाम / निगमन देश Name of entity/ Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है. बैंक की सीईटी1 पूंजी से पूंजी निवेश घटाया है. Entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation Capital Investment is deducted from CET1 capital of Bank.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)/ इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है. अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है. निवेश 250% जोखिम भारित है Entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation Investment is risk weighted at 250%.

क. समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

1. The Maharashtra Executors & Trustee Company Private Limited (METCO)
2. Maharashtra Gramin Bank (MGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था की पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

ग) समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

(ii) Quantitative Disclosures

c. List of group entities considered for consolidation (accounting)

(राशि ₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

संस्था का नाम/निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	58.55 (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	177.09
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)/India	बैंकिंग Banking	5393.18 (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	157759.93

घ) सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात, जिनकी कटौति की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2021 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है।

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of Bank which is not included in regulatory scope of consolidation as of March 31, 2021.

ङ) बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम / निगमन देश Name of the insurance entity/ Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनांक 31 मार्च, 2021 को कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है।

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2021.

सारणी डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है। इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है।

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन का प्रशासन समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में किया जाता है। बैंक ने मार्गदर्शन देने तथा तिमाही आधार पर पूंजी स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु पूंजी आयोजना समिति भी गठित की है।

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाब परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल है, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है। व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं अभिनिर्धारण के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है, जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता है:

• तरलता जोखिम	• आईआरआरबीबी
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम	• ऋण जोखिम प्रशमन के संपार्श्विक मूल्य में कमी का जोखिम
• ऋण संकेन्द्रण जोखिम	• निपटान जोखिम
• प्रतिष्ठा-संबंधी जोखिम	• मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम
• रणनीतिक जोखिम	• विधिक जोखिम
• सूप्रौ जोखिम	• समूह जोखिम
• पेंशन दायित्व	• देशीय जोखिम
• अनुपालन जोखिम	• प्रतिभूतिकरण जोखिम
• मॉडल जोखिम	• पूंजी जोखिम

बैंक ने सूप्रौ जोखिम, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम और रणनीतिक जोखिम के लिए स्कोरकार्ड का कार्यान्वयन किया है। बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाब जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रुप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाब परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरुप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है। पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाब जांच की जाती है।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग :

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है। पूंजी पर्याप्तता स्थिति और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण और पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन

ख. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है। ऋण, बाजार

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

Capital Management is administered by Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of Board of Directors. Bank has also formed Capital Planning Committee to provide guidance and assess the capital position on quarterly basis.

Internal Assessment of Capital:

Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines adequate level of capitalisation for Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after identification and evaluation of significance of all risks that Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. Bank considers following Pillar II risks it is exposed to in the normal course of its business and considers them for capital planning:

• Liquidity Risk	• IRRBB
• Risk of under-estimation of credit risk under standardized Approach	• Risk of decline in collateral values of Credit Risk Mitigants
• Credit Concentration Risk	• Settlement Risk
• Reputational Risk	• Currency Induced credit Risk
• Strategic Risk	• Legal Risk
• IT Risk	• Group Risk
• Pension Obligation	• Country Risk
• Compliance Risk	• Securitization Risk
• Model Risk	• Capital Risk

Bank has implemented the scorecard for IT Risk, Reputational Risk and Strategic Risk. Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. Stress tests are used in conjunction with Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of the Bank monitors capital adequacy levels of Bank. An analysis of the capital adequacy position and risk weighted assets and an assessment of various aspects of Basel III on capital and risk management are undertaken by Board on a quarterly basis.

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for

और परिचालनगत जोखिमों के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित की जाने वाली अपेक्षित न्यूनतम पूंजी 7.375% की न्यूनतम सीईटी-1 (सीसीबी सहित) के साथ 10.875% है, जो निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि
(क)	**ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी**		
(i)	मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग	72714.94	
(ii)	प्रतिभूतिकरण विगोपन के लिए	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		**72714.94**
(ख)	**बाजार जोखिम**		
(i)	ब्याज दर जोखिम	4210.64	
(ii)	इक्विटी जोखिम	954.67	
(iii)	विदेशी मुद्रा और स्वर्ण	45.00	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		**5210.31**
(ग)	**परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत (बीआईए)	**8078.70**	
(घ)	**पूंजी अनुपात**	**न्यूनतम विनियामक आवश्यकता**	**स्टैंडअलोन (% में)**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)	**7.375%**	**10.975%**
	टीयर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)	**8.875%**	**10.975%**
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)-सीसीबी सहित	**10.875%**	**14.493%**

(* भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की प्राप्ति हेतु बाजार और परिचालन जोखिम पूंजीगत शुल्क का 12.50% की दर से आरडबल्यूए में अंतरण किया जाता है। डीएफ 7 और डीएफ 8 में विवरण)

सारणी डीएफ-3 : ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है। बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण सीधे चूक से हानि उत्पन्न होती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है। बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं। बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है। इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है।

Operational Risk. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended March 31, 2021 is 10.875% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 7.375% for credit, market and operational risks is given below :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	**Capital Required for Credit Risk**		
(i)	Portfolios subject to Standardized Approach	72714.94	
(ii)	For Securitization Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		**72714.94**
(B)	**Market Risk**		
(i)	Interest Rate Risk	4210.64	
(ii)	Equity Risk	954.67	
(iii)	Forex and Gold	45.00	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		**5210.31**
(C)	**Capital Charge for Operational Risk**		
	As per Basic Indicator Approach (BIA)	**8078.70**	
(D)	**Capital Ratios**	**Min Reg. Required**	**Standalone (In %)**
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)	**7.375%**	**10.975%**
	Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)	**8.875%**	**10.975%**
	Total Capital Ratio(CRAR) – Including CCB	**10.875%**	**14.493%**

(*For market and operational risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines. Details in DF7 and DF 8)

TABLE DF-3: CREDIT RISK - GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as possibility of losses associated with diminution in credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

Bank has comprehensive credit risk management architecture. Board of Directors of Bank endorses its Credit Risk strategy and approves credit risk policies. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across Bank and providing recommendations to RMC.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है। जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है। उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं। बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है।

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

i) ऋण नीति
ii) ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
iii) ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
iv) निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति
v) रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति
vi) बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति

ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं, जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण, अभिनिर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है। नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है। निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति, बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में लागू और विद्यमान हैं।

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं। विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

ऋण अनुमोदन समिति : अति विस्तृत शाखाओं/ अंचल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय में संवर्धन या बिना संवर्धन के नए/ वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने अंचल स्तर पर केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष भी स्थापित किए है।

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर के जोखिमों के सतत परिमापण एवं निगरानी के जरिए करता है। बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना (सीआरआरएफ) और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं। ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और बैंक के ऋण जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है।

Policy & Strategy

Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and strategy of Bank are decided taking into account profit considerations, level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

Bank has put in place following policies approved by Board.

i) Loan Policy
ii) Credit Risk Management Policy
iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
iv) Investment Management Policy and Investment Risk Management Policy
v) Policy for Exposure to Real Estate
vi) Policy for Issuance of Bank Guarantees

Loan Policy, Credit Risk Management Policy defines organizational structure, role and responsibilities and, processes and tools whereby credit risks carried by Bank can be identified, quantified and managed within framework that Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy and Investment Risk Management Policy, Policy on Exposure to Real Estate and Policy for issuance of Bank Guarantee forms an integral part of credit risk management.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored on a quarterly basis.

Credit Approval Committees: Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. Bank has also setup centralized processing cells at zonal level for considering credit proposals above specified limit.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. Bank has in place an internal Credit Risk Rating Framework (CRRF) and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables Bank to accurately assess risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject proposal based on risk appetite of Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है। हर उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है।

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

i) बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण निर्णय करना सुनिश्चित करना।

ii) मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना।

iii) सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना।

iv) आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके।

v) बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना।

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं। प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं। अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है। एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके।

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। बैंक अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किस्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो।
- ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु 'अनियमित' रहा हो।
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो।
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो।
- व्युत्पन्न संव्यवहार के संबंध में यदि अतिदेय प्राप्तियां यदि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार हेतु चिन्हित मूल्य को प्रदर्शित करती है, भुगतान के निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिनों की अवधि के लिए अदत्त शेष रहती है।
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम।

अनियमित स्थिति : एक खाता तब '**अनियमित**' माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है। ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को '**अनियमित**' माना जाएगा।

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक हेतु देय कोई भी राशि अतिदेय होती है, यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत दिनांक पर न किया जाए।

As a measure of robust credit risk management practices, Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in Bank.

Loan review Mechanism: Objectives of Loan Review Mechanism are:

i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with Bank's Loan Policy and delegated lending powers.

ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by Bank are adhered to.

iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favorable impact on profitability of Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.

v) To assess health of credit portfolio of Bank and to apprise Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit is in place.

Loans past due and Impaired:

Regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning. Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- Account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC) for 90 days or more
- Bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- In respect of derivative transaction, if the overdue receivable representing positive mark-to-market value of a derivative contract, remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit/drawing power. In cases where outstanding balance in the principal operating account is less than sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on date of Balance Sheet or credits are not enough to cover interest debited during same period, these accounts are also treated as **'out of order'.**

Overdue: Any amount due to Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on due date fixed by Bank.

मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और जीवन बीमा पॉलिसियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो। अतिदेय किन्तु केन्द्र सरकार गारंटियों द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब लागू करते समय सरकार अपनी गारंटी का परित्याग करे। राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए अग्रिमों और निवेशों पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/ या मूल धन अथवा बैंक हेतु देय की अन्य राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है।

बैंक एनपीए के अभिनिर्धारण और दबावग्रस्त आस्तियों के रिजॉल्यूशन के साथ-साथ पुनर्गठित ऋणों का वर्गीकरण और कोटिउन्नयन के लिए मौजूदा आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करता है।

मात्रात्मक प्रकटन:

1. कुल सकल ऋण विगोपन

(राशि ₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2021
निधिक	1319352.10
गैर-निधिक	135357.20

2. ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण:

(राशि ₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2021	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1319352.10
गैर-निधिक	शून्य	135357.20

3. उद्योगवार वितरण

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.1	**खनन व उत्खनन (कोयला सहित)**		**1026.60**		**157.20**
3.2	**खाद्य प्रसंस्करण**		**1768.20**		**23.50**
3.2.1	चीनी	1468.70		21.50	
3.2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	0.00		0.00	
3.2.3	चाय	0.00		0.00	
3.2.4	अन्य	299.50		2.00	
3.3	**पेय (Beverage) व तंबाकू**		**9.50**		**0.00**
3.4	**वस्त्र**		**23738.30**		**2451.60**
3.4.1	सूती वस्त्र	6128.70		803.00	
3.4.2	पटसन वस्त्र	96.30		0.00	
3.4.3	मानव निर्मित वस्त्र	17.90		0.70	
3.4.4	अन्य वस्त्र	17495.40		1647.90	
3.5	**चमड़ा व चर्म उत्पाद**		**1240.90**		**46.00**
3.6	**लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद**		**1902.70**		**95.60**
3.7	**कागज व कागज उत्पाद**		**4114.40**		**150.80**
3.8	**पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लियर इंधन जिसमें से :**		**6151.60**		**48.70**

Advances against term deposits, National Savings Certificates, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and Life insurance policies need not be treated as NPAs, provided adequate margin is available in the accounts. Credit facilities backed by Central Government Guarantees though overdue may be treated as NPA only when the Government repudiates its guarantee when invoked. State Government guaranteed advances and investments in State Government guaranteed securities would attract asset classification and provisioning norms if interest and /or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days.

The Bank follows extant RBI guidelines for NPA identification and for resolution of stressed assets, including classification and up gradation of restructured loans.

Quantitative Disclosures

1. Total Gross Credit exposure:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2021
Fund Based	1319352.10
Non-Fund Based	135357.20

2. Geographic Distribution of credit exposure :

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2021	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1319352.10
Non-Fund Based	NIL	135357.20

3. Industry-wise Distribution:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.1	**Mining and Quarrying (incl. Coal)**		**1026.60**		**157.20**
3.2	**Food Processing**		**1768.20**		**23.50**
3.2.1	Sugar	1468.70		21.50	
3.2.2	Edible Oil and Vanaspati	0.00		0.00	
3.2.3	Tea	0.00		0.00	
3.2.4	Others	299.50		2.00	
3.3	**Beverage and Tobacco**		**9.50**		**0.00**
3.4	**Textiles**		**23738.30**		**2451.60**
3.4.1	Cotton Textiles	6128.70		803.00	
3.4.2	Jute Textiles	96.30		0.00	
3.4.3	Man-Made Textiles	17.90		0.70	
3.4.4	Other Textiles	17495.40		1647.90	
3.5	**Leather and Leather Products**		**1240.90**		**46.00**
3.6	**Wood and Wood Products**		**1902.70**		**95.60**
3.7	**Paper and Paper Products**		**4114.40**		**150.80**
3.8	**Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels of which:**		**6151.60**		**48.70**

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.8.1	पेट्रोलियम	3608.30		8.30	
3.9	**केमिकल व केमिकल उत्पाद**		**16169.10**		**1112.50**
3.9.1	उर्वरक	1161.10		0.00	
3.9.2	औषध व फार्मास्यूटिकल्स	10708.30		784.50	
3.9.3	पेट्रो केमिकल्स	3368.80		271.30	
3.9.4	अन्य	930.90		56.70	
3.10	**रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पाद**		**8124.70**		**1280.90**
3.11	**कांच और कांच की वस्तुएं**		**1697.80**		**271.80**
3.12	**सीमेंट व सीमेंट उत्पाद**		**4197.90**		**35.20**
3.13	**मूल धातु व धातु उत्पाद**		**22519.40**		**4038.10**
3.13.1	लोहा व इस्पात	13330.50		647.50	
3.13.2	अन्य धातु व धातु उत्पाद	9188.90		3390.60	
3.14	**सभी अभियांत्रिकी**		**18729.20**		**14925.80**
3.14.1	इलेक्ट्रानिक्स	744.60		359.50	
3.14.2	अन्य	17984.60		14566.30	
3.15	**वाहन एवं वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपकरण**		**9250.00**		**1912.50**
3.16	**रत्न और जेवरात**		**3903.50**		**436.30**
3.17	**निर्माण (मूलभूत संरचना के अलावा)**		**1000.70**		**82.40**
3.18	**मूलभूत संरचना**		**190385.10**		**21469.30**
3.18.1	ऊर्जा	85956.50		6294.10	
3.18.2	टेलीकम्यूनिकेशन	0.00		0.00	
3.18.3	सड़क	60822.80		6429.20	
3.18.4	हवाई अड्डा	0.20		0.00	
3.18.5	पोर्ट	891.50		0.00	
3.18.6	रेल्वे (भारतीय रेल्वे के अलावा)	43.90		30.90	
3.18.7	अन्य मूलभूत संरचना	42670.20		8715.10	
3.19	**अन्य उद्योग**		**9974.70**		**3066.90**
3.20	**अवशिष्ट अन्य अग्रिम**		**993447.80**		**83752.10**
	कुल		**1319352.10**		**135357.20**

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है

उद्योग	विगोपन का %
अवसंरचना	14.56%

4. आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(राशि ₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	150.00	9029.10	3724.21
2 से 7 दिन	1940.27	16698.48	29771.36

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.8.1	Petroleum	3608.30		8.30	
3.9	**Chemicals and Chemical Products**		**16169.10**		**1112.50**
3.9.1	Fertiliser	1161.10		0.00	
3.9.2	Drugs & Pharmaceuticals	10708.30		784.50	
3.9.3	Petro Chemicals	3368.80		271.30	
3.9.4	Others	930.90		56.70	
3.10	**Rubber, Plastic & their Products**		**8124.70**		**1280.90**
3.11	**Glass & Glassware**		**1697.80**		**271.80**
3.12	**Cement & Cement Products**		**4197.90**		**35.20**
3.13	**Basic Metal & Metal Product**		**22519.40**		**4038.10**
3.13.1	Iron & Steel	13330.50		647.50	
3.13.2	Other Metal & Metal Product	9188.90		3390.60	
3.14	**All Engineering**		**18729.20**		**14925.80**
3.14.1	Electronics	744.60		359.50	
3.14.2	Others	17984.60		14566.30	
3.15	**Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment**		**9250.00**		**1912.50**
3.16	**Gems & Jewellery**		**3903.50**		**436.30**
3.17	**Construction (other than Infrastructure)**		**1000.70**		**82.40**
3.18	**Infrastructure**		**190385.10**		**21469.30**
3.18.1	Power	85956.50		6294.10	
2.18.2	Telecommunication	0.00		0.00	
3.18.3	Roads	60822.80		6429.20	
3.18.4	Airports	0.20		0.00	
3.18.5	Ports	891.50		0.00	
3.18.6	Railways (other than Indian Railways)	43.90		30.90	
3.18.7	Other Infrastructure	42670.20		8715.10	
3.19	**Other Industries**		**9974.70**		**3066.90**
3.20	**Residuary Other Advances**		**993447.80**		**83752.10**
	Total		**1319352.10**		**135357.20**

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
Infrastructure	14.56%

4. Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 day	150.00	9029.10	3724.21
2 to 7 days	1940.27	16698.48	29771.36

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
8 से 14 दिन	0.00	16792.47	321.94
15 से 30 दिन	2789.39	41706.17	17925.77
31 दिन से 2 महीने	2484.49	54518.74	8691.90
2 महीने से अधिक व 3 महीने तक	146.07	49939.46	4859.34
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	2467.79	91705.38	24957.56
6 महीने से अधिक व 1 वर्ष तक	24446.60	118118.30	19168.03
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	189239.56	280690.64	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	133756.50	223665.50	0.00
5 वर्ष से अधिक	329046.31	173673.25	0.00
कुल	**686466.99**	**1076537.48**	**109420.10**

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन

घरेलू :

(राशि ₹ मिलियन में)

		31.03.2021
(क)	**सकल अनर्जक आस्तियाँ**	
	अवमानक	17903.59
	संदिग्ध 1	16186.15
	संदिग्ध 2	25367.01
	संदिग्ध 3	13579.18
	हानि	4760.86
	कुल	**77796.79**
(ख)	**निवल अजर्नक आस्तियां**	**25443.20**
(ग)	**अनर्जक आस्ति अनुपात**	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	7.23%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	2.48%
(घ)	**सकल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता**	
I	प्रारंभिक शेष	121521.47
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृद्धि	22023.88
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	65748.56
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i+ii-iii)	77796.79
(ङ)	**प्रावधानों की गतिशीलता**	
ङ1	**विशिष्ट प्रावधान**	
i.	प्रारंभिक शेष	78143.76
ii.	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	20137.93
iii.	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	49821.56
iv.	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	0.14
vi.	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	48460.27
ङ2	**सामान्य प्रावधान**	
i.	आरंभिक शेष	1589.21
ii.	अवधि के दौरान किए प्रावधान	2000.48

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
8 to 14 days	0.00	16792.47	321.94
15 to 30 days	2789.39	41706.17	17925.77
31 days to 2 months	2484.49	54518.74	8691.90
Over 2 months to 3 months	146.07	49939.46	4859.34
Over 3 months and up to 6 months	2467.79	91705.38	24957.56
Over 6 months and up to 1 year	24446.60	118118.30	19168.03
Over 1 year and upto 3 years	189239.56	280690.64	0.00
Over 3 years and upto 5 years	133756.50	223665.50	0.00
Over 5 years	329046.31	173673.25	0.00
Total	**686466.99**	**1076537.48**	**109420.10**

5. Disclosures for NPAs & NPIs :

Domestic:

(Amount in ₹ million)

		31.03.2021
(A)	**Gross NPA**	
	Sub-standard	17903.59
	Doubtful 1	16186.15
	Doubtful 2	25367.01
	Doubtful 3	13579.18
	Loss	4760.86
	Total	**77796.79**
(B)	**Net NPA**	**25443.20**
(C)	**NPA Ratios**	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	7.23%
	% of Net NPAs to Net Advances	2.48%
(D)	**Movement of Gross NPA**	
I	Opening Balance	121521.47
II	Add:-Addition during the period	22023.88
III	Less:- Reduction during the period	65748.56
	Closing balance as at the end of period (i +ii-iii)	77796.79
(E)	**Movement of provision**	
E1	**Specific Provision**	
i.	Opening Balance	78143.76
ii.	Provisions made during the period	20137.93
iii.	Write-off made during the period	49821.56
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.14
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	48460.27
E2	**General Provisions**	
i.	Opening Balance	1589.21
ii.	Provisions made during the period	2000.48

		31.03.2021
iii.	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.00
iv.	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	0.00
vi.	समापन शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	3589.69
(च)	**वर्ष के दौरान बट्टे खाते**	**49821.56**
(छ)	**वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए खातों में वसूली**	**8439.49**
(ज)	**अनर्जक निवेश (एनपीआई)**	**4469.69**
(झ)	**अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान**	**3368.54**
(ञ)	**निवेशों के लिए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान का संचलन (अनर्जक निवेशों, एमटीएम मूल्यह्रास और पुनर्संरचित निवेशों के प्रावधान सहित)**	
I	आरंभिक शेष	4304.87
II	अवधि के दौरान किए प्रावधान	1497.90
III	अवधि के दौरान कमी	0.00
IV	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	450.50
V	प्रतिभूति स्थानांतरण के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	1.84
VI	अवधि के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	0.0
	समापन शेष (i+ii-iii-iv-v)	**5350.43**
(ट)	**उद्योग**	
	अनर्जक आस्ति की राशि	12345.60
	विनिर्दिष्ट प्रावधान	9549.90
	सामान्य प्रावधान	0.00
	अवधि के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान	0.00
	अवधि के दौरान बट्टे खाते	0.00

समुद्रपारीय - शून्य

पांच प्रमुख उद्योगों के उद्योगवार प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ मिलियन में)

		एनपीए	प्रावधान
क	कपड़ा	1934.70	1511.10
ख	सभी इंजिनियरिंग	1543.10	1372.70
ग	मूल धातु व धातु उत्पाद	1469.60	833.10
घ	अवसंरचना	1221.70	1202.70
ङ	पेपर और पेपर उत्पाद	550.80	426.10

6. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन :

(राशि ₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2021
1.	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	68.77
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	17.23

		31.03.2021
iii.	Write-off made during the period	0.00
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	3589.69
(F)	**Write off during the period**	**49821.56**
(G)	**Recovery in the written off accounts during the period**	**8439.49**
(H)	**Non Performing Investments (NPI)**	**4469.69**
(I)	**Provisions for NPI**	**3368.54**
(J)	**Movement of provision for depreciation on investments (including provision of NPI, MTM depreciation and Restructured Investments)**	
I	Opening balance	4304.87
II	Provisions made during the period	1497.90
III	Reduction during the period	0.00
IV	Provision for write-off made during the period	450.50
V	Provisions used during shifting securities	1.84
VI	Write back of excess provision made during period	0.0
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	**5350.43**
(K)	**Industries (Major Industries)**	
	Amount of NPAs	12345.60
	Specific Provisions	9549.90
	General Provisions	0.00
	Specific Provisions made during the period	0.00
	Write offs during the period	0.00

Overseas - NIL

The Industry-wise Provision of five major industries is as below

(Amount in ₹ million)

		NPA	Provision
A	Textiles	1934.70	1511.10
B	All Engineering	1543.10	1372.70
C	Basic Metal and Metal Products	1469.60	833.10
D	Infrastructure	1221.70	1202.70
E	Paper and Paper Products	550.80	426.10

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	68.77
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	17.23

सारणी-डीएफ-4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग हेतु ऋण जोखिम प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन :

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए :

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां यह रेटिंग उपलब्ध हैं, वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है।

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग
4. ईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. एसीयूआईटीई (पूर्व में एसएमईआरए)
7. इनफोमेरिक्स मूल्यांकन और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों के लिए उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है।

बैंक की बाह्य रेटिंग अनुप्रयोज्य रेखा को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा उधारकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा।
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के ₹ 5 करोड़ से अधिक के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है, बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्ते कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो।
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ सूचित की हैं। इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।
- बैंक पूंजी प्रदान करने के संबंध में भा रि बैं के वर्तमान दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

अनाहरित विगोपनों से व्यवहार :

विनियामक मानदंडों की अपेक्षानुसार, बैंक ऋण सुविधाओं के अनाहरित भाग के लिए भी पूंजी धारित करता है जो प्रयोज्य ऋण परिवर्तनकारक (सीसीएफ) पर आधारित समकक्ष ऋण प्रकटन में इन ऋणों को परिवर्तित कर बैंक द्वारा पूर्वसूचना के बिना शर्तहीन रूप से निरस्त करने योग्य होते हैं। ऋण सुविधा, जो बिना पूर्व सूचना के बिना शर्त के रद्द की जा सकती है, के लिए बैंक अनाहरित विगोपन पर शून्य प्रतिशत का सीसीएफ लागू करता है।

ख. मात्रात्मक प्रकटन :

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियां, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2021 को विगोपनों राशियाँ निम्नानुसार हैं-

TABLE DF-4 - CREDIT RISK DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under Standardized Approach:

Bank uses standardized approach to measure capital requirements for credit risk. As per Standardized Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. ACUITE (Earlier SMERA)
7. INFOMERICS Valuation and Rating Private Limited

Types of exposures for which each agency is used:

Bank has used solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures. Bank has neither made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Key aspects of Bank's External Ratings application framework are as follows:

- Bank uses ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting borrower's exposures above ₹ 5 crore. Where issuer rating is available Bank uses such ratings unless bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, lower rating, where there are two ratings and second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by credit rating agencies, Bank is guided by Regulatory guidelines.
- Bank is following the RBI's extant guidelines in respect of providing capital.

Treatment of undrawn exposures:

As required by the regulatory norms, Bank holds capital even for the undrawn portion of credit facilities which are not unconditionally cancellable without prior notice by Bank, by converting such exposures into a credit exposure equivalent based on the applicable Credit Conversion Factor (CCF). For credit facilities, which are unconditionally cancellable without prior notice, Bank applies a CCF of zero percent on the undrawn exposure.

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2021 after risk mitigation subject to Standardized Approach, amount of a Bank's outstanding (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets :-

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	शेष विगोपन
i	100% जोखिम भार से कम	1713859.53
ii	100% जोखिम भार	153414.83
iii	100% जोखिम भार से अधिक	169892.36
	उप जोड़	**2037166.72**
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य	69183.13
	कुल विगोपन	**2106349.85**

सारणी-डीएफ-5 - ऋण जोखिम प्रशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

- **ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियां :**

  बैंक के पास संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है, जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है।

- **संपार्श्विक प्रबंधन**

  बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊ पर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित किया है। यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होतीं। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना/ उसे बनाए रखना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बेसल - III दिशानिर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है। बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है, जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों और उनके प्रशासन/ निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है, ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके। बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए।

- **बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण**

  ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

  - बैंकों में नकद जमा
  - बुलियन और आभूषणों सहित स्वर्ण
  - केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
  - किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Exposure Outstanding
i	Below 100 % risk weight	1713859.53
ii	100 % risk weight	153414.83
iii	More than 100 % risk weight	169892.36
	sub total	**2037166.72**
iv	Deducted CRM Value	69183.13
	Total Exposure	**2106349.85**

TABLE DF-5 – CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

- **Policies for Credit Risk Mitigation:**

  Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

- **Collateral Management**

  Bank defines collateral as it is an additional security given, over and above primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to Bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to main business of the borrower or may not be owned by the borrower. Bank ensures that underlying documentation for collateral provides Bank appropriate rights over collateral or other forms of credit enhancement including right to liquidate/retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by counterparty.

- **Collateral Valuation**

  As stipulated by RBI guidelines, Bank uses comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by eligible financial collateral as specified in Basel III guidelines. Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Loan Policy duly approved by Board, which lay down the types of securities normally accepted by Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of Bank so as to minimize risk associated with it. Both fixed and current assets obtained to secure loans granted by Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by Bank. In respect of high value of collateral, valuation from two or more valuers is obtained.

- **Description of main types of collateral taken by Bank**

  For computation of capital requirement for Credit Risk, Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as under:

  - Cash Deposit with bank
  - Gold, including bullion and Jewellery
  - Securities issued by Central and State Governments
  - Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate

- बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- कम-से-कम बीबीबी, ए3 की रेटिंग वाली जमा प्रमाणपत्र सहित ऋण प्रतिभूतियाँ।
- म्यूच्युअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है।

- **प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख**

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अप्रत्यावर्तनीय होती हैं। बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्र सरकार/ ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई/ एनसीजीटीसी द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है।

- **ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि प्रतिपक्ष के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के बीच में कोई तात्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है। सीआरएम (ऋण जोखिम प्रशमन)/ गारंटीपूर्ण विगोपन किसी भी बाजार संबंधी उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं हैं और ये विगोपन वैविध्यपूर्ण हैं। वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन:

क) अलग-अलग रूप से प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या ऑन बैलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ मिलियन में)

	31.03.2021
मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन (तुलनपत्र पूर्व या तुलनपत्र पश्चात समायोजन करने के बाद, जहां कहीं लागू हो)	69183.13

ख) अलग-अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या ऑन बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(₹ मिलियन में)

	31.03.2021
गारंटियों द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन	133625.90

सारणी-डीएफ-6 प्रतिभूतिकरण विगोपन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक ने वर्ष 31 मार्च 2021 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

मात्रात्मक प्रकटन :

प्रतिभूतिकरण आस्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन **लागू नहीं है।**

सारणी डीएफ-7- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

बाजार जोखिम :

बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रुप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां)

- Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
- Debt securities including Certificate of Deposit rated at least BBB,A3
- Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

Wherever required Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE/NCGTC as a security comfort.

- **Concentrations within Credit Risk Mitigation**

RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. The CRM (Credit Risk Mitigation)/ Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diverse. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts

(Amount in ₹ million)

	31.03.2021
Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts	69183.13

(b) For each separately disclosed portfolio total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Amount in ₹ million)

	31.03.2021
Total exposure that is covered by Guarantees	133625.90

TABLE DF-6 SECURITIZATION EXPOSURE

Qualitative Disclosures:

The Bank does not have any case of securitization of its assets as on 31st March 2021

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Securitization Assets is **Not Applicable.**

TABLE DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's

में घरेलू निवेशों (ब्याज से संबंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है। बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति व निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएमएल) विद्यमान है। उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है, जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरुप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो। नीतियों में बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी हेतु रिर्पोटिंग संरचना का भी समावेश है। नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है। प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं और विगोपनों की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रुप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से संबंधित है। बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग-अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रुप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। डीलिंग रुम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रुम के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है। खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है।

ब्याज दर जोखिम की निगरानी अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसिस के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेशन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआर) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित डयूरेशन गैप (जीजीएपी) का प्राक्कलन करता है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाज़ार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे।

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके अर्थात इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो। इस नीति की व्यापकता ''बैंकिंग बही'' के निवेश भाग और बैंक की ''व्यापार बही'' के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है।

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

	जोखिम श्रेणी	31.03.2021	
		जोखिम भारित आस्तियां	पूंजी प्रभार
i.	ब्याज दर जोखिम	52633.00	4210.64
ii.	इक्विटी स्थिति जोखिम	11933.31	954.67
iii.	स्वर्ण और विदेशी मुद्रा विनिमय	500.00	45.00
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार (i+ii)	**65066.31**	**5210.31**

exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

Bank has put in place Board approved Investment Management Policy and Investment Risk Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby market risks carried by Bank are identified, measured, monitored and controlled within policy framework consistent with Bank's risk tolerance. Policies deal with reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for counterparty banks and exposures are monitored on daily basis.

ALM Policy deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by Bank and determines strategy in light of market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor dealing room activities. Mid-Office at Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Interest rate risk is monitored through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities. Bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

Market Risk Management Policy - To ensure that Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage market risks it faces, in Trading or Banking Book.

Bank's Market Risk Management Policy aims to set out broad outlines of processes by which market risks carried by Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from Bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

Quantitative Disclosure:

Capital requirement for Market Risk is as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2021	
		Risk Weighted Assets	Capital Charge
i	Interest Rate Risk	52633.00	4210.64
ii	Equity Position Risk	11933.31	954.67
Iii	Gold and Forex	500.00	45.00
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	**65066.31**	**5210.31**

सारणी डीएफ-8--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

परिचालन जोखिम :

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाली हानियों का जोखिम होता है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु अन्य नीतियां हैं - (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजना नीति (ग) अनुपालन नीति (घ) आउटसोर्सिंग नीति और (ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति।

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं।

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रुप से पुनरीक्षा करता है। जोखिम प्रशमन के उपाय के रुप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रुप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रुप से बीमांकित हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रुपरेखा दी गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/ प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रुप से भूमिकाएं तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिम और बाह्य तत्वों से बढ़ती जोखिम की संभावनाओं के मद्देनजर बैंक ने 'सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति' लागू की है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना को भी लागू किया गया है। प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम नियंत्रण एवं स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) पर संबंधित कार्यशील विभागों के अधिकारियों को निरंतर आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिए किया जाता है।

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार **₹ 8078.70 मिलियन** है ।

सारणी डीएफ-9 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है। ऋण पूर्व भुगतान और गैर-परिपक्वता जमा से संबंधित धारणाओं का भी ध्यान रखा जाता है। ब्याज़ दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है।

(i) **जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) को लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है।

(ii) **इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) डयूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है।

TABLE DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting out of inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with RBI Guidelines. Other policies which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: Operational Risk Management process of Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in Bank.

Bank has been constantly reviewing legal documents to ensure that legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk mitigation, Bank has obtained insurance cover for all assets owned by Bank. It is also ensured that assets financed by Bank are also adequately insured, as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. Basic objective of policy is to closely integrate operational risk management system into day-to-day risk management processes of Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses.

There has been an increasing threat perception from Information Technology related risks and risks from external events and hence Bank has put in place 'Information System Security Policy'. Business Continuity Plan duly approved by the Board is also put in place. Training on Key Risk Indicators (KRI) & Risk Control & Self Assessment (RCSA) is given to the officers of the concerned functional departments on an ongoing basis.

Operational risks in Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is **₹ 8078.70 Million.**

TABLE DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to potential adverse financial impact on Bank's Banking Book from changes in interest rates. The assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits are also taken care of. Interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

(i) **Earnings at Risk:** Impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.

(ii) **Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing impact (as a percentage) on economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with the method suggested by RBI.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंगित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी मासिक आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप के अनुसार) :

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए 100 बीपीएस का समांतर अंतरण	
	31.03.2021	
	(+)100 आधार प्वाइंट	(-)100 आधार प्वाइंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	2308.50	-2308.50

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप के अनुसार) :

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2021	
	(+)200 आधार प्वाइंट	(-)200 आधार प्वाइंट
	-5648.31	5648.31

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है। बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है :

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

वर्तमान में बैंक ऋण डिफॉल्ट सेट स्वैप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं कर रहा है।

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट्स, ओवरनाईट लिमिट और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। इन लिमिट्स का उपयोग निवेश प्रबंधन नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिह्नित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं। बैंक द्वारा इन लिमिट्स का अनुपालन किया गया है।

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है। साथ ही, बैंक नकदी/ बैंक जमाराशियों/ बैंक गारंटियों/ सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है।

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है। अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है।

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है। बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा निवेश प्रबंधन नीति के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

- जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होता है, बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण किया जाएगा।

Impact on Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI. The Economic Value of Equity is measured and monitored on a monthly basis.

Quantitative Disclosure Earning at Risk (As per Traditional Gap):

(Amount in ₹ Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2021	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	2308.50	-2308.50

Economic Value of Equity (As per Duration Gap):

Impact on economic value of equity	31.03.2021	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	-5648.31	5648.31

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, Bank is dealing in following derivative products

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

Bank at present is not undertaking transactions under Credit Default Swaps and Currency options.

Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of Investment Management Policy and RBI/SEBI/Exchanges.

From exchange side, limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Bank is complying with these limits.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with exchange approved Bank for purpose of clearing and settlement of transactions and also maintains margin in the form of cash/bank deposits/ bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. Bank offers to its customers, forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom Bank has set up counterparty exposure limits. Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines and Investment Management Policy.

- Bank will describe methodology and will assign economic capital for counter party credit exposure, as and when Bank migrates to Advanced Approach of measurement of Risk and related Capital requirement.

(क) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2021
1	प्रतिस्थापित लागत	1294.79
2	संभावित वायदा विगोपन	3989.54
3	सकल ऋण तुल्य	5284.33
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	0.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	5284.33
3.5	वस्तु संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	5284.33
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	**निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)**	**5284.33**
7	**घटाएं : संपार्श्विक राशि**	
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	**निवल ऋण तुल्य राशि**	**5284.33**

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं।

(ख) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार -

(₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अनुमानित अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
ऋण चूक अदला-बदली	शून्य	शून्य
कुल अदला-बदली की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

(a) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021
1	Replacement Cost	1294.79
2	Potential Future Exposure	3989.54
3	Gross Credit Equivalent	5284.33
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	0.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	5284.33
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	5284.33
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	**Credit Equivalent Amount after netting (4-5)**	**5284.33**
7	**Less: Collateral Amount**	
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	**Net Credit Equivalent Amount**	**5284.33**

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effect of which have been included in regulatory capital calculations wherever appropriate.

(b) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**

सारणी डीएफ -11 : पूंजी संमिश्र

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.2021 को	संदर्भ क्रमांक
	कॉमन ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां		
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)	66551.09	ए1+बी1
2	रोकी गई आय	521.60	बी8(ए)
3	अन्य समाविष्ट संचयी आय (अन्य आरक्षितियां, मूल्यांकन आरक्षितियां)	43759.22	बी2+बी3+बी4+बी5+बी6(ए)+बी10
4	सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
	दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी**	**110831.91**	
	सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता का निवल)	332.40	के1(बी)
10	संचित हानि के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां (पात्र डीटीएल का निवल)	8599.07	
11	नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षिति	0.00	
12	संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	1.50	
18	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक न हो (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
19	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
	विनियामक समायोजन का निवल सीईटी1	101898.94	
21	अस्थायी अंतरों के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां (जो संचित हानि से संबंधित न हों)	20654.45	
	उपर्युक्त दो समायोजनों के पश्चात सीईटी 1	81244.49	
21 (क)	अस्थायी अंतरों के साथ संबद्ध डीटीए से निवल हेतु पात्र डीटीएल	172.42	
21 (ख)	सीईटी1 में अस्थायी अंतरों के साथ संबद्ध डीटीए की पहचान	10189.89	

TABLE DF-11- COMPOSITION OF CAPITAL

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2021	Ref. No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	66551.09	A1+B1
2	Retained earnings	521.60	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (other reserves, revaluation reserves)	43759.22	B2+B3+B4+B5+B6(a)+B10
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**110831.91**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	332.40	K1(b)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses (net of eligible DTL)	8599.07	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital in reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1.50	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
	CET 1 net of regulatory adjustments	**101898.94**	
21	Deferred tax assets associated with timing differences (other than those related to accumulated losses)	20654.45	
	CET 1 after above two Adjustment	**81244.49**	
21(a)	DTL eligible for netting from DTA associated with timing differences	172.42	
21(b)	Recognition of DTA associated with timing differences in CET 1	10189.89	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.2021 को	संदर्भ क्रमांक
22	प्रारंभिक 15% से अधिक राशि	0.00	
23	जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
24	जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00	
25	जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)	0.00	
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**19225.09**	
29	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**91606.81**	
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखतें	0.00	
30	प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टीयर I लिखतें (31+32)	0.00	
31	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	0.00	
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी1 समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी 1 लिखतें)	0.00	
35	जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
36	**विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी**	0.00	
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	0.00	
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉमन शेयर पूंजी का 10% से अधिक न हो (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
40	बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर1 पूंजी में निवेश	0.00	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2021	Ref. No.
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00	
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	
26a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common Equity Tier1**	**19225.09**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**91606.81**	
	Additional Tier 1 capital: instruments	0.00	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	0.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	0.00	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+ 41b)	0.00	
41a	Of which: Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.2021 को	संदर्भ क्रमांक
41ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर 2 की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी 1)**	0.00	
45	**टीयर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44)**	91606.81	
	टीयर 2 पूंजी : लिखतें और प्रावधान		
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखतें	16057.00	
47	टीयर 2 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	10000.00	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर 2 समूह में अनुमत्य राशि) टीयर 2 लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी 1 लिखतें)	0.00	
49	जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
49 क	निवेष अस्थिर आरक्षिति	4030.00	बी 7
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	8378.50	
50 क	सामान्य प्रावधान	8358.04	
50 ख	55 प्रतिशत की छूट पर आरक्षिति का पुनर्मूल्यांकन (टी-2) (यदि सीईटी 1 के अंतर्गत पहले ही न दिखाया गया हो)	20.46	बी 6 (बी)
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	38465.50	
	टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश	0.00	
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	101.10	
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10% से अधिक न हो (प्रारंभिक 10% से अधिक राशि)	0.00	
55	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क + 56ख)	0.00	
56क	जिसमें से : असमायोजित अनुषंगियों का टीयर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की टीयर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
	राशि के संबंध में टीयर 2 हेतु प्रयुक्त विनियामक समायोजन जो कि पूर्व बेसल III अनुप्रयोग के अध्यधीन है	**9000.00**	
57	**टीयर II पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**9101.10**	
58	**टीयर II पूंजी (टी 2)**	**29364.40**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)**	**120971.21**	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	834693.59	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	668643.09	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	65066.31	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	100984.19	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2021	Ref. No.
41b	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	0.00	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)**	91606.81	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	16057.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000.00	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
49 a	Investment Fluctuation Reserve	4030.00	B 7
50	Provisions & Other Reserves	8378.50	
50 a	General Provisions	8358.04	
50 b	Revaluation reserves at a discount of 55 per cent (T-2) (if not already shown under CET 1)	20.46	B 6 (b)
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**38465.50**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	101.10	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	**9000.00**	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**9101.10**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**29364.40**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45+ 58)**	**120971.21**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**834693.59**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	668643.09	
60b	of which: total market risk weighted assets	65066.31	
60c	of which: total operational risk weighted assets	100984.19	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.2021 को	संदर्भ क्रमांक
	पूंजी अनुपात तथा बफर्स		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	10.975%	
62	टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	10.975%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	14.493%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	0.00	
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.00	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	3.975%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	10.875%	
	कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)	0.00	
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
75	**टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं**		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	13464.52	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	8358.04	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	लागू नहीं	
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2022 तक लागू)		
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.2021	Ref. No.
	Capital ratios and Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.975%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.975%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.493%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	0.00	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.975%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	0.00	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	**Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2**		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	13464.52	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	8358.04	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	ब्यौरे	₹ मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	8599.07
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूंजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर II पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित वित्तीय/गैर-वित्तीय सहायक/संबद्ध कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	0.00
	i) सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	732.71
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1831.78
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर I पूंजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी1 और पंक्ति 44क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर II पूंजी माना गया	0.00
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	8358.04
	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	20.46
	पंक्ति 50 का कुल	8378.50

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	₹ In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	8599.07
	Total as indicated in row 10	
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated financial/non-financial subsidiaries/Associates are not deducted and hence, risk weighted then,	0.00
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	732.71
	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1831.78
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	8358.04
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	20.46
	Total of Row 50	8378.50

सारणी : डीएफ-12 : पूंजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता

चरण 1

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2021 को	31.03.2021 को
क	पूंजी व देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	65601.59	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	55730.20	
	अल्प ब्याज	0.00	
	कुल पूंजी	**121331.79**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	**1740056.19**	
	बैंकों से जमाराशियां	3069.54	
	ग्राहक जमाराशियां (बचत खाता)	754020.18	
	अन्य जमाराशियां	982966.48	

TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENT

Step 1

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statement	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2021
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	65601.59	
	Reserves & Surplus	55730.20	
	Minority Interest	0.00	
	Total Capital	**121331.79**	
ii	Deposits of which:	**1740056.19**	
	Deposits from banks	3069.54	
	Customer deposits (SB)	754020.18	
	Other deposits	982966.48	

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2021 को	31.03.2021 को
iii	उधारियां जिसमें से:	**42387.51**	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	5000.00	
	बैंकों से	0.00	
	अन्य संस्थानों से	515.98	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	36057.00	
	भारत के बाहर से उधारियां	814.53	
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	62874.64	
	कुल पूंजी एवं देयताएं	**1966650.13**	
ख	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और खाता शेष**	**128824.82**	
ii	**बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन**	**592.49**	
iii	**निवेश जिसमें से:**	**681116.45**	
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	611141.69	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
	जिसमें से : शेयर्स	2926.13	
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	49852.30	
	जिसमें से : सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	16462.11	
iv	**ऋण और अग्रिम जिसमें से :**	**1024051.67**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	4.75	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	**1024046.92**	
v	**स्थिर आस्तियां**	**16740.02**	
vi	**अन्य आस्तियां जिसमें से :**	**115324.69**	
vii	समेकन पर साख	0.00	
viii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
	कुल आस्तियां	**1966650.13**	

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statement	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2021
iii	Borrowings of which:	**42387.51**	
	From RBI	5000.00	
	From Banks	0.00	
	From other institutions	515.98	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	36057.00	
	Borrowings from outside India	814.53	
iv	Other Liabilities and Provision	62874.64	
	Total Capital & Liabilities	**1966650.13**	
B	**Assets**		
i	**Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India**	**128824.82**	
ii	**Balance with banks and money at call and short notice**	**592.49**	
iii	**Investments of which:**	**681116.45**	
	of which: Government securities	611141.69	
	of which: Other approved securities	0.00	
	of which: Shares	2926.13	
	of which: Debentures & Bonds	49852.30	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	16462.11	
iv	**Loans and Advances of which:**	**1024051.67**	
	Loans and Advances to banks	4.75	
	Loan and Advances to Customers	1024046.92	
v	**Fixed Assets**	**16740.02**	
vi	**Other Assets of which:**	**115324.69**	
vii	**Goodwill on Consolidation**	**0.00**	
viii	**Debit Balance in Profit and Loss Account**	**0.00**	
	Total Assets	**1966650.13**	

चरण 2

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.2021 को	31.03.2021 को
क	**पूंजी और देयताएं**			
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	65601.59	
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ए1	65601.59	
	एटी 1 हेतु पात्र राशि	ए2	0.00	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	बी	55730.20	
	ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	949.50	
	सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	14872.01	
	पूंजी आरक्षितियां	बी 3	6015.71	
	राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	17102.55	
	विशेष आरक्षितियां	बी 5	512.60	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	बी 6	11726.23	
	सीईटी 1 के लिए पात्र	बी 6(क)	5256.35	
	टीयर II के लिए पात्र	बी 6(ख)	20.46	
	निवेश आरक्षितियां अस्थिर खाता	बी 7	4030.00	
	लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	बी 8	521.60	
	सीईटी 1 हेतु पात्र	बी 8 (ए)	521.60	
	अल्प ब्याज	बी 9	0.00	
	शेयर आवेदन राशि	बी 10	0.00	
	कुल पूंजी	**ए+बी**	**121331.79**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	सी	**1740056.19**	
	बैंकों से जमाराशियां	सी 1	3069.54	
	ग्राहक जमाराशियां	सी 2	754020.18	
	अन्य जमाराशियां	सी 3	982966.48	
iii	उधारियां जिसमें से :	डी	**42387.51**	
	भारतीय रिजर्व बैंक से	डी1	5000.00	
	बैंकों से	डी2	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी3	515.98	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	डी4	36057.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	डी4(ए)	0.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर II हेतु पात्र	डी4(बी)	26057.00	
iv	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	ई	**62874.64**	
	साख संबंधी डीटीएल	ई2	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई3	0.00	
	कुल		**1966650.13**	
ख	**आस्तियां**			
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकद एवं खाता शेष	एफ	**103536.85**	
	भारतीय रिजर्व बैंक में नकद एवं खाता शेष	एफ	**128824.82**	
ii	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	**592.49**	
	निवेश जिसमें से :	एच	**681116.45**	
	सरकारी प्रतिभूतियां	एच 1	611141.69	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच 2	0.00	
	शेयर्स	एच 3	2926.13	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच 4	49852.30	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच 5	734.21	

Step 2

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2021	As on 31.03.2021
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital of which	A	65601.59	
	Amount eligible for CET 1	A1	65601.59	
	Amount eligible for AT1	A2	0.00	
	Reserves & Surplus of which:	B	55730.20	
	Equity Share Premium	B1	949.50	
	Statutory Reserve	B2	14872.01	
	Capital Reserve	B3	6015.71	
	Revenue Reserve and Other Reserves	B4	17102.55	
	Special Reserve	B5	512.60	
	Revaluation Reserve of which:	B6	11726.23	
	Eligible for CET 1	B6(a)	5256.35	
	Eligible for Tier II	B6 (b)	20.46	
	Investment Reserve Fluctuation Account	B7	4030.00	
	Balance in Profit and Loss Account of which	B8	521.60	
	Eligible for CET 1	B8(a)	521.60	
	Minority Interest	B9	0.00	
	Share application money	B10	0.00	
	Total Capital	**A+B**	**121331.79**	
ii	Deposits Of which:	C	**1740056.19**	
	Deposits from banks	C1	3069.54	
	Customer deposits (SB)	C2	754020.18	
	Other deposits	C3	982966.48	
iii	Borrowings of which:	D	**42387.51**	
	From RBI	D1	5000.00	
	From banks	D2	0.00	
	From other institutions & agencies	D3	515.98	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	36057.00	
	Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	0.00	
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	26057.00	
iv	Other Liabilities and Provision of which	E	**62874.64**	
	DTLs related to Goodwill	E2	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E3	0.00	
	Total		**1966650.13**	
B	**Assets**			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	**103536.85**	
	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	**128824.82**	
ii	Balance with banks and money at call and short notice	G	**592.49**	
	Investments of which:	H	681116.45	
	Government Securities	H1	611141.69	
	Other Approved Securities	H2	0.00	
	Shares	H3	2926.13	
	Debentures and Bonds	H4	49852.30	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H5	734.21	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.2021 को	31.03.2021 को
iii	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच 6	16462.11	
	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	आई	**1024051.67**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	4.75	
iv	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	1024046.92	
v	स्थिर आस्तियां	जे	**16740.02**	
	अन्य आस्तियां जिसमें से :	के	**115324.69**	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	के 1	332.40	
	साख	के 1(ए)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1(बी)	332.40	
	निवल आस्थगित कर आस्तियां	के1 (सी)	29081.09	
vi	अपरिशोधित पेंशन	के1 (डी)	0.00	
vii	समेकन पर साख	एल	0.00	
	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	**एम**	**0.00**	
	कुल आस्तियां		**1966650.13**	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2021	As on 31.03.2021
iii	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H6	**16462.11**	
	Loans and Advances of which:	I	1024051.67	
	Loans and Advances to banks	I1	4.75	
iv	Loan and Advances to Customers	I2	**1024046.92**	
v	Fixed Assets	J	**16740.02**	
	Other Assets of which:	K	115324.69	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	332.40	
	Goodwill	K1(a)	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	332.40	
	Net Deferred Tax Assets	K1 (c)	29081.09	
vi	Unamortised Pension	K 1 (d)	0.00	
vii	Goodwill on Consolidation	L	0.00	
	Debit Balance in Profit and Loss Account	M	**0.00**	
	Total Assets		**1966650.13**	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - डीएफ 11			
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	**चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत**
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	66551.09	ए1+बी1
2	रोकी गई आय	521.60	बी 8 (ए)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी	43759.22	बी2 + बी3 + बी4 + बी5 + बी6(ए) + बी10
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी**	**110831.91**	
	समय अंतरों के साथ जुड़े डीटीए को (सीईटी 1 के अधिकतम 10% तक) सीईटी 1 में शामिल किया गया	10189.89	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letter s of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	66551.09	A1+B1
2	Retained earnings	521.60	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income	43759.22	B2+B3+B4+ B5 +B6(a)+B10
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only to non-joint stock co)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**110831.91**	
	DTA associated with timing differences (max up to 10% of CET) included in CET 1	10189.89	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

डीएफ-13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

1	जारीकर्ता Issuer	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
2	विशिष्ट पहचान कर्ता अर्थात (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE457A09199	INE457A08035	INE457A08050	INE457A08068	INE457A08076	INE457A08084
3	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
	नियामक प्रतिपादन ***Regulatory treatment***						
4	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible	पात्र Eligible	पात्र Eligible	पात्र Eligible	पात्र Eligible	पात्र Eligible
6	एकल/समूह/एकल एवं समूहमें पात्र Eligible at solo/group/ group & solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
7	लिखत का प्रकार Instrument type	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	टीयर II -ऋण लिखत Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर II ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments
8	कुल जारी राशि (राशि ₹ मिलियन में) Total Issued Amount (Amount in ₹ million)	10000	5000	6000	2007	2050	1000
	विनियाम पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हाल की रिपोर्टिंग दिनांक को ₹ मिलियन में) Of which : Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1000	5000	6000	2007	2050	1000
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन में) Par value of instrument (₹ in million)	1	1	1	1	1	1
10	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing
11	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	31.12.2012	27.06.2016	06.03.2020	14.12.2020	11.02.2021	23.03.2021
12	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
13	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	31.12.2022	27.09.2026	06.03.2030	12.12.2030	11.02.2031	23.03.2031
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कॉल Issuer call subject to prior supervisory approval	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
16	तदुपरांत कॉल दिनांक, यदि लागू हो Subsequent call dates, if applicable	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कूपन / लाभांश ***Coupons / dividends***						
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन Fixed or floating dividend/coupon	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any related index	9.00% वार्षिक 9.00% pa	9.20% वार्षिक 9.20% pa	8.70% वार्षिक 8.70% pa	7.75% वार्षिक 7.75% pa	8.00% वार्षिक 8.00% pa	8.00% वार्षिक 8.00% pa

19	लाभांश स्टॉपर की उपस्थिति Existence of a dividend stopper	हां Yes	नहीं No	हां Yes	हां Yes	नहीं No	हां Yes
20	पूर्णतः विवेकाधीन / अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	अनिवार्य Mandatory	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary
21	उन्मोचन हेतु कोटिउन्नयन अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
22	असंचयी अथवा संचयी Noncumulative or cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय Convertible or non-convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible, conversion trigger (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः अथवा आंशिक If convertible, fully or partially	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
28	यदि परिवर्तनीय तो यह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
29	यदि परिवर्तनीय लिखत जिसमें परिवर्तित हुआ, के जारीकर्ता का उल्लेख If convertible, specify issuer of instrument it converts into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
30	अवलेखन विशेषता Write-down feature	हां Yes	नहीं No	हां Yes	हां Yes	नहीं No	हां Yes
31	यदि अवलेखन हुआ तो अवलेखन के उत्प्रेरक If write-down, write-down trigger(s)	लागू नहीं NA	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger
32	यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा आंशिक If write-down, full or partial	लागू नहीं NA	पूर्ण Full	पूर्ण Full	पूर्ण Full	लागू नहीं NA	पूर्ण Full
33	यदि अवलेखन हुआ तो स्थायी अथवा अस्थायी If write-down, permanent or temporary	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent
34	यदि अस्थायी अवलेखन तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा If temporary write-down, description of write-up mechanism	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
35	परिसमापन में गौण वरिष्ठता की स्थिति (तत्काल वरिष्ठ लिखत का स्वरूप विनिर्दिष्ट करें) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank
36	गैर-अनुपालित परिवर्ती विशेषताएं Non-compliant transitioned features	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
37	अगर हां तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

सारणी : डीएफ-14 : पूंजी लिखतों की पूर्ण विनियामक शर्तें एवं निबंधन

डीएफ 14 बैंक की वेब साईट www.bankofmaharashtra.in की बेसल III प्रकटन मद के अंतर्गत उपलब्ध है।

सारणी : डीएफ-15 : पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकटन : लागू नही.

सारणी : डीएफ-16 : इक्विटी : बैंक बहि स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

इक्विटी जोखिम के संबंध में आवश्यक सामान्य गुणात्मक प्रकटन।

- निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक की निवेश प्रबंधन नीति के अनुरूप दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्रय की तारीख पर निवेशों का वर्गीकरण 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी), 'विक्रय हेतु उपलब्ध' (एएफएस) तथा 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम) श्रेणियों में किया जाता है। परिपक्वता तक धारित करने हेतु बैंक के प्रयोजन के निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सहायक एवं संयुक्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत करना आवश्यक है। इन्हें रणनितीक संबंध बनाए रखने अथवा रणनितीक व्यवसाय प्रयोजन के उद्देश्यों से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर लिए गये है और उन्हे बाजार पर चिन्हित नहीं किया गया है। इक्विटी निवेशों के मूल्य में गिरावट, अस्थाई गिरावट को छोडकर, का प्रावधान किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर किसी भी हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री से किसी भी लाभ को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 'पूंजी आरक्षिति' के प्रति सांविधिक आरक्षिति और करों के निवल के रुप में समायोजित किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशनुसार, प्रारम्भिक 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश को बैंकिंग बही (एचटीएम श्रेणी) में धारित करने की अनुमति है।

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों के मूल्य

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से भौतिक रूप से अलग हैं
बिना भाव वाले	887.92	887.92	लागू नहीं
भाव वाले	शून्य	शून्य	लागू नहीं

2. निवेशों का प्रकार एवं स्वरूप

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	निजी रूप से धारित
सहायक, संबद्ध और संयुक्त कंपनियां	शून्य	734.21
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य
उद्यम पूंजी निधि	शून्य	153.71

TABLE DF 14 – FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

DF 14 is available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in under the line "Basel III Disclosures"

TABLE DF – 15: DISCLOSURE REQUIREMENT FOR REMUNERATION

Quantitative and Qualitative Disclosures: Not Applicable

TABLE DF – 16: EQUITIES: DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure:

General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with RBI guidelines and in line with Bank's Investment Management Policy on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Bank is allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period.

Quantitative Disclosures

1. Value of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value
Unquoted	887.92	887.92	N.A
Quoted	0.00	0.00	N.A

2. Type and Nature of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures	NIL	734.21
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such	NIL	NIL
Venture Capital Funds	NIL	153.71

3. लाभ/हानि विवरण

(रकम ₹ मिलियन में)

विवरण	रकम
वसूले गए संचयी लाभ (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री एवं नकदीकरण से उद्भूत हानियां)	शून्य
वसूले न गए कुल लाभ (हानियां)	शून्य
कुल अप्रकटित मूल्यांकन लाभ (हानियां)	शून्य
उपर्युक्त में से कोई भी रकम टीयर I एवं टीयर II पूंजी में सम्मिलित है	शून्य

4. बैंकिंग बही हेतु पूंजी आवश्यकता

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	बेसल III के अधीन व्यवहार	विगोपन	जोखिम आधारित आस्तियां	पूंजी आवश्यकता 10.875% की दर से
सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां, उद्यम पूंजी निधियां	250% पर जोखिम भारित	734.21	1835.52	199.61
	150% पर जोखिम भारित	153.71	230.56	25.07
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लिवरेज अनुपात प्रकटन

सारणी डीएफ - 17 - लेखांकन आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय का तुलनात्मक सार		
क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	**1966650.12**
2	बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा तथा वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों का समायोजन जिन्हें लेखांकन प्रयोजनों हेतु समेकित किया है किंतु वे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है (उपर्युक्त 1 में से)	**(0.00)**
3	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त, प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, जिन्हें लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय में शामिल नहीं किया है	**0.00**
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	**5284.30**
5	प्रतिभूति वित्तीय व्यवहारों के लिए समायोजन (यथा रैपो एवं सामान्य प्रतिभूतित उधारी)	**0.00**
6	तुलनपत्र में शामिल न किए गए मदों का समायोजन (यथा तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की राशि के समकक्ष ऋण का परिवर्तन)	**93926.61**
7	अन्य समायोजन (टीयर 1 पूंजी से कटौती की गई अमूर्त आस्तियां)	**(19225.09)**
8	**लिवरेज अनुपात विगोपन**	**2046635.93**

3. Gain/ Loss Statement

(Amount in ₹ million)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL
Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier I and Tier II capital	NIL

4. Capital Requirement for Banking Book

(Amount in ₹ million)

Investments	Treatment under Basel III	Exposure	Risk Weighted Assets	Capital Requirement @10.875%
Subsidiary, Associate and Joint Ventures ,Venture Capital Funds	Risk weighted at 250%	734.21	1835.52	199.61
	Risk weighted at 150%	153.71	230.56	25.07
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL	NIL	NIL

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

Table DF-17 – Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure		
Sr. No.	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	**1966650.12**
2	Adjustments for Investments in Banking, Financial, Insurance and Commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation (Out of 1 above)	**(0.00)**
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	**0.00**
4	Adjustments for derivative financial instruments	**5284.30**
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	**0.00**
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	**93926.61**
7	Other adjustments	**(19225.09)**
8	**Leverage Ratio Exposure**	**2046635.93**

सारणी डीएफ-18 - लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन ढांचा		
क्र.सं.	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र में शामिल विगोपन	
1	तुलनपत्र में शामिल मदें (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोडकर परंतु समर्थक को शामिल करते हुए)	**1911800.12**
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने हेतु कटौती की गई आस्तियों की रकम)	**(192255.09)**
3	**तुलनपत्र में शामिल कुल विगोपन** (व्युत्पन्न एवं एसएफटी के अलावा) (पंक्ति क्र. 1 एवं 2 का जोड)	**1892575.03**
	व्युत्पन्न विगोपन	
4	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध बदली की लागत (यथा पात्र नकद विचलन मार्जिन का निवल)	**3989.50**
5	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध पीएफई की ॲड-ऑन रकम	**1294.80**
6	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में जहां तुलनपत्र आस्तियों से प्रदत्त व्युत्पन्न समर्थक मदों के सकल जोड़ की कटौती की गई है	**0.00**
7	(व्युत्पन्न व्यवहारों में प्रदान किए गए नकद विचलन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती)	**0.00**
8	(ग्राहक द्वारा स्पष्ट किए गए व्यापार विगोपनों में सीसीपी का छूट प्राप्त अंश)	**0.00**
9	बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	**0.00**
10	(बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों के समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ-सेट एवं ॲड-ऑन)	**0.00**
11	**कुल व्युत्पन्न विगोपन (पंक्ति क्र. 4 से 10 का जोड़)**	**5284.30**
	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार विगोपन	
12	विक्री लेखांकन व्यवहारों का समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियों (निवल जोड को मान्यता न देते हुए)	**54850.00**
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय एवं नकद प्राप्यों की निवल रकम)	**0.00**
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर विगोपन	**0.00**
15	एजेंट व्यवहार विगोपन	**0.00**
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार विगोपन (पंक्ति क्र. 12 से 15 का जोड़)**	**54850.00**
	तुलनपत्र में शामिल न किए गए अन्य विगोपन	
17	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की सकल अनुमानित रकम	**263676.20**
18	(ऋण की समकक्ष रकमों में परिवर्तित हेतु समायोजन)	**(169749.59)**
19	**तुलनपत्र में शामिल न की गई मदें (पंक्ति क्र. 17 एवं 18 का जोड़)**	**93926.61**
	पूंजी एवं कुल विगोपन	
20	**टीयर 1 पूंजी**	**91606.80**
21	**कुल विगोपन (पंक्ति क्र. 3, 11, 16 एवं 19 का जोड़)**	**2046635.93**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**4.48%**

Table DF-18 – Leverage Ratio Common Disclosure Template		
Sr. No.	Item	(₹ in million)
	On-Balance Sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	**1911800.12**
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	**(192255.09)**
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**1892575.03**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	**3989.50**
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	**1294.80**
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	**0.00**
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	**0.00**
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	**0.00**
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	**0.00**
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	**0.00**
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**5284.30**
	Securities Financing Transaction Exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	**54850.00**
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	**0.00**
14	CCR exposure for SFT assets	**0.00**
15	Agent transaction exposures	**0.00**
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**54850.00**
	Other Off-Balance Sheet Exposure	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	**263676.20**
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	**(169749.59)**
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**93926.61**
	Capital and total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**91606.80**
21	**Total Exposures (sum of lines 3,11,16 and 19)**	**2046635.93**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III Leverage Ratio**	**4.48%**

तरलता कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

		मार्च 2021 वर्ष		मार्च 2020 वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलएएस)		56612.98		35774.77
नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशिया, जिनमें से :	122474.92	10634.77	120082.37	10370.19
(i)	स्थिर जमाराशियां	32254.5	1612.73	32760.84	1638.04
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	90220.42	9022.04	87321.53	8732.15

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount ₹ in crore)

Amount in ₹ crore		Year Mar 2021		Year Mar 2020	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		56612.98		35774.77
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	122474.92	10634.77	120082.37	10370.19
(i)	Stable deposits	32254.50	1612.73	32760.84	1638.04
(ii)	Less stable deposits	90220.42	9022.04	87321.53	8732.15

3	अप्रत्याभूत थोक निधियन, जिसमें से :	20547.34	10932.99	17604.38	9834.94
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	0	0	0	0
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	20547.34	10932.99	17604.38	9834.94
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0
4	प्रत्याभूत थोक निधियन	4717.69	0	3836.37	0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से :	13596.82	1264.25	9423.84	848.09
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	6.95	6.95	0	0
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद	13589.87	1257.31	9423.84	848.09
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	371.31	371.31	467.7	467.7
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	14240.51	542.88	1608.29	605.83
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**23746.19**		**22126.75**
नकद अंतर्वाह					
9	प्रत्याभूत उधारी (उदाहरणार्थ - प्रति रेपो)	8436.03	0	3540.67	0
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक विगोपन से अंतर्वाह	4248.96	3630.59	6238.8	5347.22
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1802.66	1629.64	300.22	150.11
12	**कुल नकद अंतर्वाह**		**5260.22**		**5497.33**
13	**कुल एचक्यूएलए**		56612.98		35774.77
14	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		18485.97		16629.42
15	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**		**306.25%**		**215.13%**

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक में भाररहित उच्च-गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) का पर्याप्त स्टॉक है, जो कि तरलता अनुपात परिदृष्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) की की राशि को विभाजित किया जाता है। निवल नकद बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैरप्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

दिनांक 17.04.2020 के परिपत्र RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC. No.65/21.04.098/2019-20 के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम तरलता कवरेज अनुपात आवश्यकता का संशोधन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों को निम्नानुसार न्यूनतम तरलता कवरेज अनुपात रखने के लिए अनुमति दी है।

दिनांक	न्यूनतम तरलता कवरेज अनुपात आवश्यकता
30.09.2020 तक	80.00%
01.10.2020 से 31.03.2021 तक	90.00%
01.04.2021 से	100.00%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 306.25% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 90.00% की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

3	Unsecured wholesale funding, of which:	20547.34	10932.99	17604.38	9834.94
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	20547.34	10932.99	17604.38	9834.94
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	4717.69	0.00	3836.37	0.00
5	Additional requirements, of which:	13596.82	1264.25	9423.84	848.09
(i)	*Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	6.95	6.95	0.00	0.00
(ii)	*Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	*Credit and liquidity products*	13589.87	1257.31	9423.84	848.09
6	Other contractual funding obligations	371.31	371.31	467.70	467.70
7	Other contingent funding obligtations	14240.51	542.88	1608.29	605.83
8	**Total Cash Outflows**		**23746.19**		**22126.75**
Cash inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	8436.03	0.00	3540.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	4248.96	3630.59	6238.80	5347.22
11	Other cash inflows	1802.66	1629.64	300.22	150.11
12	**Total Cash Inflows**		**5260.22**		**5497.33**
13	**Total HQLA**		56612.98		35774.77
14	**Total Net Cash Outflows**		18485.97		16629.42
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**306.25%**		**215.13%**

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a Bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

RBI vide circular RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20 dated 17.04.2020 has amended the minimum requirement of LCR. RBI has now permitted Banks to maintain LCR as under:

Date	Minimum LCR requirement
Till 30.09.2020	80.00%
From 01.10.2020 to 31.03.2021	90.00%
From 01.04.2021	100.00%

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2021 is 306.25%, above RBIprescribed minimum requirement of 90.00%.

This page has been intentionally left blank

समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2020 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**6560,15,89**	5824,10,93
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**5748,13,11**	5085,06,86
जमाराशियां Deposits	3	**173989,29,67**	150050,01,88
उधारियां Borrowings	4	**4238,75,12**	3670,03,18
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**6298,77,34**	4388,30,33
जोड़ TOTAL		**196835,11,13**	**169017,53,18**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**12882,48,44**	10353,68,78
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**59,29,56**	93,33,30
निवेश Investments	8	**68281,44,38**	57890,59,14
अग्रिम Advances	9	**102405,16,68**	86871,65,09
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1674,00,39**	1676,19,16
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**11532,71,68**	12132,07,71
जोड़ TOTAL		**196835,11,13**	**169017,53,18**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**31127,72,44**	29491,84,83
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**4988,84,18**	7037,69,24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों के अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर. तामोधरन
निदेशक
R. THAMODHARAN
Director

वंदिता कौल
निदेशक
VANDITA KAUL
Director

एम. के. वर्मा
निदेशक
M. K. Verma
Director

ए. बी. विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक
A. B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

सुनील धूत
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUNIL DHOOT
ASST. GEN. MANAGER, FM & A

पी. आर. खटावकर
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा और मुविअ
P. R. KHATAVKAR
GENERAL MANAGER, FM&A & CFO

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**11868 ,63 ,01**	11495 ,52 ,98
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		**20 ,05 ,89**	9 ,51 ,72
अन्य आय Other Income	14	**2626 ,52 ,64**	1650 ,22 ,81
जोड़ TOTAL		**14515 ,21 ,54**	13155 ,27 ,51
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**6970 ,18 ,36**	7215 ,73 ,11
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**3565 ,90 ,68**	3081 ,95 ,99
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**3407 ,66 ,10**	2458 ,74 ,51
जोड़ TOTAL		**13943 ,75 ,14**	12756 ,43 ,61
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		**571 ,46 ,40**	398 ,83 ,90
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-7254 ,91 ,63**	-7275 ,96 ,55
जोड़ें : शेयर प्रीमियम और विशेष आरक्षिती के समक्ष शेष अग्रेषित समेकित हानियां Add: b/.f losses adjusted against Share premium and Special Reserve		**7349 ,50 ,08**	–
जोड़ TOTAL		**666 ,04 ,85**	**-6877 ,12 ,65**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**137 ,56 ,29**	97 ,14 ,52
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**184 ,52 ,91**	53 ,64 ,46
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**–**	–
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**–**	–
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		**176 ,00 ,00**	227 ,00 ,00
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**–**	–
लाभांश पर कर (अनुषंगी) Tax on Dividend (Subsidary)			–
तुलनपत्र में आगे ले जाया गया शेष Balance carried over to Balance Sheet		**167 ,95 ,65**	-7254 ,91 ,63
जोड़ TOTAL		**666 ,04 ,85**	**-6877 ,12 ,65**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाईल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		**0.91**	0.69

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **As per our report of even date attached.**

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी **एफआरएन: 000956एस** **सनदी लेखाकार** **for M/s. K Gopal Rao & Co** **FRN: 000956S** **Chartered Accountants**	**कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित** **एफआरएन: 101048 डब्ल्यू** **सनदी लेखाकार** **for M/s. Batliboi & Purohit** **FRN: 101048W** **Chartered Accountants**	**कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन** **एफआरएन: 000003एस** **सनदी लेखाकार** **for M/s. Abarna & Ananthan** **FRN: 000003S** **Chartered Accountants**	**कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी** **एफआरएन: 108846डब्ल्यू** **सनदी लेखाकार** **for M/s. Rodi Dabir & Co.** **FRN:108846W** **Chartered Accountants**
सीए बी. मीरा गोपालन भागीदार सदस्यता क्र.: 029471 **CA B. Meera Gopalan** Partner Membership No: 029471	**सीए रमन हंगेकर** भागीदार सदस्यता क्र.: 030615 **CA Raman Hangekar** Partner Membership No: 030615	**सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन** भागीदार सदस्यता क्र.: 207867 **CA (Mrs) Lalitha Rameswaran** Partner Membership No: 207867	**सीए आशीष बडगे** भागीदार सदस्यता क्र.: 121073 **CA Aashish Badge** Partner Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10000,00,00) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 10000,00,00) of ₹ 10/- each		**10000,00,00**		10000,00,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
प्रत्येक ₹ 10/- के 656,01,58,901 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 582,41,09,300) 656,01,58,901 Equity Shares (Previous year 582,41,09,300) of ₹ 10/- each		**6560,15,89**		5824,10,93
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government प्रत्येक ₹ 10/- के 612,26,27,927 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 538,65,78,326) 612,26,27,927 (Previous year 538,65,78,326) Equity shares of ₹ 10/- each	**6122,62,79**		5386,57,83	
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others प्रत्येक ₹ 10/- के 43,75,30,974 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 43,75,30,974) 43,75,30,974 (Previous year 43,75,30,974) Equity Shares of ₹ 10/- each	**437,53,10**		437,53,10	
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	**–**	**6560,15,89**	–	5824,10,93
		6560,15,89		5824,10,93
जोड़ TOTAL		**6560,15,89**		5824,10,93

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	**सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1369 ,36 ,00**		1272 ,21 ,48	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**137 ,56 ,29**	**1506 ,92 ,29**	97 ,14 ,52	1369 ,36 ,00
II.	**पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**417 ,04 ,16**		363 ,39 ,70	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**184 ,52 ,91**		53 ,64 ,46	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**601 ,57 ,07**	–	417 ,04 ,16
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**6902 ,76 ,10**		5343 ,99 ,89	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**94 ,95 ,04**		1558 ,76 ,21	
	iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Deduction during the year - Utilised for writing off of b/f. losses	**6902 ,76 ,10**	**94 ,95 ,04**	–	6902 ,76 ,10
IV.	**राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
	क) **राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE**				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1661 ,30 ,06**		1555 ,16 ,07	
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**88 ,54 ,64**		106 ,13 ,99	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**1749 ,84 ,70**	–	1661 ,30 ,06

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
ख)	**विशेष आरक्षिति b) SPECIAL RESERVE**				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		–	
iii)	वर्ष के दौरान वृद्धि-शेष अग्रेषित हानियों के बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त Deduction during the year - Utilised for writing off of b/f. losses	**446,73,96**	**51,26,04**	–	498,00,00
ग)	**पुनर्मूल्यन आरक्षिति c) REVALUATION RESERVE**				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1264,52,17**		1373,10,41	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		–	
iii)	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**91,89,85**	**1172,62,32**	108,58,24	1264,52,17
घ)	**निवेश आरक्षिति खाता**				
d)	**INVESTMENT FLUETUATION RESERVE ACCOUNT**				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**227,00,00**		–	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**176,00,00**		227,00,00	
iii)	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**403,00,00**	–	227,00,00
V.	**लाभ व हानि खाते में शेष**				
	BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	**-7254,91,63**		-7275,96,55	
ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**73,37,20**		21,04,92	
iii)	वर्ष के दौरान वृद्धि-शेष अग्रेषित हानियों के बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त Deduction during the year - Utilised for writing off of b/f. losses	**7349,50,08**	**167,95,65**	–	-7254,91,63
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV & V)		**5748,13,11**		5085,06,86

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
क A.	**मांग जमाराशियां**				
	DEMAND DEPOSITS				
i)	बैंकों से From Banks	**64,56,44**		83,84,03	
ii)	अन्यों से From others	**18478,23,50**	**18542,79,94**	14304,31,50	14388,15,53
II.	**बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**75401,53,00**		61085,29,73
III.	**मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
i)	बैंकों से From Banks	**242,38,92**		205,97,69	
ii)	अन्यों से From others	**79802,57,81**	**80044,96,73**	74370,58,93	74576,56,62
	जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		**173989,29,67**		150050,01,88
ख B. (i)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		**–**		–
(ii)	भारत से बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		**–**		–
(iii)	मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent		**173989,29,67**		150050,01,88
	जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		**173989,29,67**		150050,01,88
ग C. (i)	मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां Deposits of parent in India		**173989,29,67**		150050,01,88
(ii)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of subsidiaries in India		**–**		–
(iii)	भारत में कुल जमाराशियां Total Deposits in India (i + ii)		**173989,29,67**		150050,01,88
(iv)	मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of parent outside India		**–**		–
(v)	सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of subsidiaries outside India		**–**		–
(vi)	भारत से बाहर कुल जमाराशियां Total Deposits outside India (iv + v)		**–**		–
	जोड़ TOTAL (III & VI)		**–**		–
	जोड़ TOTAL (C iii + C vi)		**173989,29,67**		150050,01,88

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	**भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**				
	i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank of India	**500,00,00**		478,00,00	
	ii) अन्य बैंकों से Other Banks	**–**		–	
	iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	**51,59,79**		85,79,79	
	iv) डिबेंचर Debenture	**–**		–	
	v) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**–**		–	
	ख) b) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**–**		–	
	ग) c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds	**2605,70,00**		2100,00,00	
	घ) d) इंफ्रा बांड Infra Bonds	**1000,00,00**	**4157,29,79**	1000,00,00	3663,79,79
II.	भारत के बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**81,45,33**		6,23,39
	जोड़ TOTAL (I & II)		**4238,75,12**		3670,03,18
III.	उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		**500,04,79**		478,04,79

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		**726,94,18**		486,92,01
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
	a. मूल कंपनी Parent Company		**644,22,49**		–
	b. सहायक कंपनी Subsidiary		**–**		–
III.	अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)		**–**		–
IV.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**318,25,89**		309,52,38
V.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	a. मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	**1339,57,47**		698,54,47	
	b. अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	**3269,77,31**	**4609,34,78**	2893,31,47	3591,85,94
	जोड़ TOTAL		**6298,77,34**		4388,30,33

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)		**1006,85,77**		812,11,48
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**6390,62,67**		3741,57,30	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**5485,00,00**	**11875,62,67**	5800,00,00	9541,57,30
	जोड़ TOTAL (I & II)		**12882,48,44**		10353,68,78

अनुसूची - 7 : बैंको में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में				
	(a) Current Accounts	**26,19,79**		39,40,69	
	(ख) अन्य जमा खातों में				
	(b) Other Deposit Accounts	**15,18,57**	**41,38,36**	15,18,56	54,59,25
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
	(क) बैंकों के पास				
	(a) With Banks	**–**		–	
	(ख) अन्य संस्थानों के पास				
	(b) With Other Institutions	**–**	–	–	–
	जोड़ TOTAL (i & ii)		**41,38,36**		54,59,25
II.	भारत के बाहर Outside India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में				
	(a) Current Accounts	**–**		–	
	(ख) अन्य जमा खातों में				
	(b) Other Deposit Accounts	**17,91,20**		38,74,05	
	(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	(c) Money at Call & Short Notice	**–**	**17,91,20**	–	38,74,05
	जोड़ TOTAL		**17,91,20**		38,74,05
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**59,29,56**		93,33,30

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I.	**भारत में निवेश Investments in India in**				
	क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)				
	a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		**61115,15,64**		45639,06,48
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
	b) Other approved securities		–		–
	ग) शेयर्स				
	c) Shares		**292,61,34**		277,71,29
	घ) डिबेंचर्स और बांड				
	d) Debentures and Bonds		**4985,23,01**		2547,27,47
	ड़) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822)				
	e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)		**242,23,28**		222,17,39
	च) अन्य				
	f) Others				
	i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**373,36,27**		384,77,13	
	ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**1272,84,84**		8819,59,38	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**–**		–	
	iv) पीटीसी PTCs	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	**1646,21,11**	–	9204,36,51
	जोड़ TOTAL		**68281,44,38**		57890,59,14
II.	**भारत से बाहर निवेश Investments outside India**				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)		**–**		–
	ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**–**		–
	iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)		**–**		–
	जोड़ TOTAL		**–**		–
	कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)		**68281,44,38**		57890,59,14
III	**भारत में सकल निवेश Investments in India**				
	i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments		**68816,49,80**		58321,07,88
	ii) मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधानों का जोड Aggregate of Provisions for Depreciation		**535,05,42**		430,48,74
	iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)		**68281,44,38**		57890,59,14
	निवेशों के विवरण Details of Investments:				
	i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**242,23,28**		222,17,39
	ii) अन्य निवेश Other Investments		**68039,21,10**		57668,41,75
	जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)		**68281,44,38**		57890,59,14

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**801,41,17**		494,70,10	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**34428,65,34**		39427,00,65	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	**67175,10,17**		46949,94,34	
	iv) प्राप्य लीज Lease Receivable	**–**	**102405,16,68**	–	86871,65,09
	जोड़ TOTAL		**102405,16,68**		86871,65,09
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**87752,12,98**		71104,64,03	
	ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**476,47,29**		204,07,43	
	iii) असंरक्षित Unsecured	**14176,56,41**	**102405,16,68**	15562,93,63	86871,65,09
	जोड़ TOTAL		**102405,16,68**		86871,65,09
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**45549,81,00**		35908,48,14	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**15264,01,06**		8006,79,63	
	iii) बैंक Banks	**47,50**		6,29,07	
	iv) अन्य Others	**41590,87,12**	**102405,16,68**	42950,08,25	86871,65,09
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
	i) बैंकों से देय Due from banks	**–**		–	
	ii) अन्यों से देय Due from others	**–**		–	
	iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**–**		–	
	iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	–	–	–
	जोड़ TOTAL (C.I & C.II)		**102405,16,68**		86871,65,09

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	**1661,51,26**		1663,97,11	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**42,61,37**		,8,46	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	**–**		–	
		1704,12,63		1664,05,57	
	4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	–		2,54,31	
		1704,12,63		1661,51,26	
	5 अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**402,10,25**	**1302,02,38**	310,98,61	1350,52,65
II	**प्रक्रियाधीन पंजीगत कार्य Capital Work in progress**		**52,01,01**		71,77,44

III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1384,86,26**		1328,71,25	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**166,27,84**		76,32,64	
		1551,14,10		1405,03,89	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**22,69,17**		20,17,79	
		1528,44,93		1384,86,10	
	4 अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**1208,47,93**	**319,97,00**	1130,97,03	253,89,07
	जोड़ TOTAL (I & II)		**1674,00,39**		**1676,19,16**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
	क a. मूल कंपनी Parent Company	**–**	657,94,63
	ख b. सहायक कंपनी Subsidiaries Company	**–**	–
II	उपचित ब्याज Interest accrued	**1409,20,71**	1088,41,79
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**1740,08,19**	291,67,74
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	**2,45,36**	3,19,64
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**–**	–
VI.	अन्य* (आरआईडीएफ सहित) Others * (incl RIDF)	**8380,97,42**	10090,83,91
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	**11532,71,68**	12132,07,71

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.
*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

			31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2020 (Previous Year)
I.	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts		**1396,64,66**		1062,30,50
II.	आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		**–**		–
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		**19947,68,29**		18636,28,47
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	**7959,46,35**		8352,25,64	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	**76,72,98**	**8036,19,33**	122,16,63	8474,42,27
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations		**1252,30,69**		889,77,57
VI.	अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		**494,89,47**		429,06,02
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		**31127,72,44**		29491,84,83

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		**7153,92,92**		6409,27,01
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	**4296,73,46**		4321,32,97	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	**143,24,07**	**4153,49,39**	118,55,92	4202,77,05
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		**315,07,38**		240,98,13
IV	अन्य Others (incl RZOF)		**246,13,32**		642,50,79
	जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)		**11868,63,01**		**11495,52,98**

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Current Year)		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		**1001,50,45**		851,24,28
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**602,09,48**		358,52,93	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**35,93,60**	**566,15,88**	19,14,89	339,38,04
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**–**		–	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**–**	**–**	–	–
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**2,15,15**		6,55,03	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,70,27**	**,44,88**	1,74,10	4,80,93
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**153,34,10**		164,68,16	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	,,	**153,34,10**	,,14	164,68,02
VI.	भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**1,35,27**		1,71,56
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**903,72,06**		288,39,98
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		**2626,52,64**		1650,22,81

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**6525,06,37**	6756,27,03
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**49,65,06**	20,56,03
III.	अन्य Others	**395,46,93**	438,90,05
	जोड़ TOTAL (I, II & III)	**6970,18,36**	7215,73,11

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Current Year)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2020 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**2255 ,77 ,54**	1744 ,59 ,49
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**218 ,23 ,32**	214 ,97 ,71
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**17 ,69 ,06**	21 ,62 ,66
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**39 ,29 ,07**	25 ,69 ,61
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (मूल्य-ह्रास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	**188 ,11 ,12**	210 ,94 ,81
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**,33 ,46**	77 ,75
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**19 ,59 ,87**	17 ,58 ,48
VIII	विधि प्रभार Law Charges	**18 ,35 ,88**	19 ,65 ,84
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**56 ,70 ,52**	54 ,55 ,03
X	मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	**168 ,26 ,01**	180 ,30 ,08
XI	बीमा Insurance	**198 ,67 ,14**	151 ,03 ,12
XII	अन्य व्यय Other expenditure	**384 ,87 ,69**	440 ,21 ,41
	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI & XII)	**3565 ,90 ,68**	3081 ,95 ,99

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

1.2 **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 के अनुसार बनाये गये हैं।

2. समेकन के सिद्धांत

क. मूल इकाई : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।

ख. संबद्ध इकाई

लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/ आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कपनी प्रा.लि. (अब मेटको के रुप में निर्दिष्ट)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100%

लेखा मानक 23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी पध्दति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/ आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35%

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021.)

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2021.

2. Principles of Consolidation:

A. Parent Entity: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B. Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं :-

i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

ii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार मूल के संबंधित मदों सहित और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/ संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी प्रत्येक मद को लाइन-दर-लाइन आधार पर समूहन किया गया है।

iii) आईसीएआई द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" लेखा मानक 23 के अनुसार ''इक्विटी पद्धति'' के अधीन ''सहायक प्रतिष्ठानों'' में निवेश हेतु लेखांकन।

iv) सहायक इकाईयों में अपने समूह निवेश के लिए लागत तथा प्रतिष्ठानों के ईक्विटी में सामूहिक हिस्से के बीच अंतर साख/ पूंजी आरक्षित के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं।

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पध्दति से अलग पध्दति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैंI

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबध्द किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए ''नियतआय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया हैI पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

4.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

C. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact

The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of : -

i. Audited financial statement of Bank of Maharashtra.

ii. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiary with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iii. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.

iv. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

4.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)

b. Available for sale (AFS)

c. Held for trading (HFT)

4.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म-ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

घ. डिबेंचर तथा बांड

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

4.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। ''व्यापार हेतु धारित'' से ''बिक्री हेतुउपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। ''व्यापार के लिए धारित'' श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाज़ार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

4.4 रेपो/ रिवर्स रेपो :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

4.5 लागत भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय

प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा।

निवेश की खरीद/ बिक्री के समय ब्रोकरेज/ प्राप्त/ प्रदत्त निवेश को निवेश की राशि से काटा/ जोड़ा गया है।

4.6 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।

ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ लागू कर और

4.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

a. Government Securities

b. Other approved Securities

c. Shares

d. Debentures and Bonds

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

4.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

4.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

4.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

4.6 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

i. Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate

सांविधिक आरक्षिति हेतु आनुपातिक अंतरण का निवल को 'आरक्षित पूंजी खाते' में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. **बिक्री हेतु उपलब्ध :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ठनियतआय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघड (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है।

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, ज़ीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है।

(iii) जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है।

ग. **व्यापार हेतु धारित :**

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ''नियतआय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) द्वारा घोषित बाज़ार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दरों से किया गया है।

ii. बट्टागत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है। म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

iii. निवल श्रेणीवार मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है। यदि निवल transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

b. **Available for Sale:**

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

i. If it results in appreciation, the same is ignored.

ii. If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

iii. The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

i. The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net

अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

iv. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. पुनर्निवेशों सहित लागत का प्रावधान एवं वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है।

4.7 **डेरिवेटिव :**

च. **ब्याज दर स्वैप :**

i. **मूल्यांकन :**

क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) नहीं है।

ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) है।

(ii) **डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:**

क) हेजिंग स्वैप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वैप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

(iii) **स्वैप निरसन पर लाभ या हानि का लेखा**

क) हेजिंग स्वैप : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वैप : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

4.8 **निवेश अस्थिर आरक्षिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 अप्रैल 2018 के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.क्र.बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू आय में बढ़ोत्तरी के समक्ष बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षित बनाने के लिए निवेश अस्थिर आरक्षित (आईएफआर) निर्मित किया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और आईएफएस पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

5. अग्रिम:

5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं।

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

अवमानक - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

4.7 **Derivatives:**

f. **Interest Rate Swaps:**

i. **Valuation:**

a. Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

b. Trading Swaps: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. **Accounting of income on derivative deals:**

a. Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

b. Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. **Accounting of gain or loss on termination of swaps:**

a. Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

b. Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4.8 **Investment Fluctuation Reserve:**

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP BC .102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields with effect from FY 2018-19.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

5. Advances:

5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

5.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

5.3 मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोडकर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को ''अन्य देयताएं व प्रावधान'' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

5.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है।

एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान के जाएंगे।

5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया जाए।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (एसआरएस/ पीटीसी के मोचन) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है. अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस पर प्राप्त नकद आस्ति के एनबीवी से अधिक हो जाता है।

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

6.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

6.2 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य रुपया एक लिखा जा सके।

क्रमांक	आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)	मूल्यह्रास की पद्धति
1	भवन एवं परिसर	5.00	डीबीएम
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	18.10	डीबीएम
3	विद्युत उपकरण	13.91	डीबीएम
4	कार्यालय मशीनरी	13.91	डीबीएम
5	मोटर वाहन	25.89	डीबीएम
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91	डीबीएम
7	सायकिल	20.00	डीबीएम
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप	33.33	एसएलएम
9	एटीएम	14.29	एसएलएम
10	यूपीएस	20.00	एसएलएम
11	बीएनए	14.29	एसएलएम
12	कैश रि-साइकलर	14.29	एसएलएम

* डीबीएम अर्थात ह्रासमान शेष पद्धति

* एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धती

5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

5.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. Fixed Assets and Depreciation:

6.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)	Method of depreciation
1	Building & Premises	5.00	DBM
2	General items including Safe	18.10	DBM
3	Electrical Equipment's	13.91	DBM
4	Office Machinery	13.91	DBM
5	Motor Vehicles	25.89	DBM
6	Safe Deposit Vault	13.91	DBM
7	Bicycle	20.00	DBM
8	Computer & Laptops	33.33	SLM
9	ATM	14.29	SLM
10	UPS	20.00	SLM
11	BNA	14.29	SLM
12	Cash Re-cycler	14.29	SLM

*DBM means Diminishing Balance Method

*SLM means Straight Line Method

6.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

6.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षिति को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यह्रास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षिति की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित कर दी जाती है।

6.5 पट्टे पर दिए गए परिसरों के मामले में, पट्टे का प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन है।

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.6 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है। इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं। बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यह्रास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई। आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए ह्रासमान शेष पध्दति से मूल्यह्रास लगाया गया है।

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबध्द मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है :

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ख. कमीशन अर्थात गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, म्युच्युअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए से आय.

ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ बीमा दावे.

ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.

च. प्रोसेसिंग शुल्क.

छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.

ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है।

7.3 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लॉकर किराए से प्राप्त आय

6.3 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

6.4 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

6.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis.

In case of the subsidiary:

6.6 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual Maintenance Charges for cards and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at saving bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7.3 During the year ended March 31, 2021, the Bank has

के उसी तिमाही में निर्धारण की पद्धति को वर्ष की शेष तिमाहियों में इसे आनुपातिक रूप से निर्धारित करने की पद्धति में परिवर्तित कर किया है।

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एएस -15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

9. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

10. आस्तियों की हानि

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 - ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबध्दता के लिए प्रावधान करता है. यह संभावित है कि जब प्रतिबद्धता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबध्दताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो.

12. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

13. आयकर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

changed the method of recognizing the income from locker rent in the quarter in which it is received to method of recognizing the same proportionately over the remaining quarters of the year.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity and Pension schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave fare Concession, Privilege Leave, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

9. Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

10. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event not it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

12. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

13. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रबंधन निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्राप्त और पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, चाहे जैसे भी हो उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यह्रास या कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब उच्च न्यायालय द्वारा मांग को उचित ठहराया गया।

14. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld by High Court.

14. Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः ''परिपक्वता पर धारित'', ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' और ''विपणन हेतु धारित'' में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ से निवेश अस्थिर आरक्षिति (IFR) को ₹ 176 करोड़ रुपये (₹ 225 करोड़) का विनियोजन किया है।

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबध्द किया गया है।

2.2. लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में दी गई लेखांकन नीति 7.1 के अनुसार आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लॉकर किराए से प्राप्त आय को उसी तिमाही में, जिसमें वह प्राप्त हुई है, निर्धारित करने की पद्धति को परिवर्तित कर वर्ष की शेष तिमाहियों में आनुपातिक रूप से निर्धारित करने की पद्धति को अपनाया है।

3. अचल संपत्ति

3.1 चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रासित कुल राशि ₹ 88.55 करोड़ (₹ 106.14 करोड़) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती से राजस्व आरक्षिति में राशि के इसी स्थानांतरण के साथ लाभ हानि खाते में नामे किया गया है। ₹ 88.55 करोड़ (₹ 106.14 करोड़) की समतुल्य राशि को पूनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित किया गया है।

3.2 कुछ पुनर्गठित परिसरों के संबंध में हक विलेख, जिनकी लागत ₹ 650 करोड़ (₹ 7.32 करोड़) है, लंबे समय से कानूनी विवाद / औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित / पंजीकृत नहीं हैं। ये पट्टे परिसर के वे लंबित मामले हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है, क्योंकि बैंक शाखा परिसरों के स्वामियों द्वारा पट्टे के अवधि की समाप्ति के कारण बैंक के खिलाफ दायर किए गए मामलों का बचाव कर रहा है। ऐसे मामलों में, बैंक खाता बहियों में ₹ 0.23 करोड़ की सहमत देयता के लिए जिम्मेदार है।

3.1 प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। ₹ 34.38 करोड़ की राशि के प्रगतिधीन पूंजी कार्य में भवन का निर्माण शामिल है।

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - ''कर्मचारी अनुलाभ'' (मूल बैंक)

क. <u>परिभाषित अंशदान योजना</u> :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
क. भविष्य निधि	70.59	28.87
ख. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	15.00	11.66

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क. **पेंशन योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(*Note: Figures in bracket relate to previous year*)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

The Bank has made an appropriation of ₹ 176 crores (₹ 225 crores) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year.

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization/ cash basis. During the year ended March 31, 2021, the Bank has changed the method of recognizing the income from locker rent in the quarter in which it is received to method of recognizing the same proportionately over the remaining quarters of the year.

3. Fixed Assets

3.1 Depreciation of ₹ 88.55 (₹ 106.14) crore for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to profit and loss account. Equivalent amount of ₹ 88.55 (₹ 106.14) crore has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

3.2 The title deed in respect of few revalued premises having cost ₹ 5.60 crore (₹ 7.32 crore) are not yet executed/ registered in favour of the Bank due to certain long pending legal dispute/ formalities. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. In such cases, Bank has accounted for agreed liability of ₹ 0.23 crore in the books of account.

3.3 Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to ₹ 34.38 crore includes construction of building.

4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)

A. <u>Defined Contribution Plans</u>:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
a. Provident Fund	70.59	28.87
b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	15.00	11.66

B. <u>Defined Benefit Plans:</u>

a) **Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

ख. **उपदान योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग. **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह गैर-निधिगत योजना है।

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences-** This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. **परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	6114.28	5740.91	536.30	536.21	272.40	279.00
2	ब्याज लागत Interest Cost	391.17	376.18	32.49	31.77	17.52	17.16
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	367.27	323.21	45.60	26.85	80.47	58.52
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	–	0.00	–	0.00	–
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(569.19)	(450.13)	(138.87)	(119.83)	(41.47)	(43.46)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	145.72	124.10	102.02	62.17	(30.63)	(38.82)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	**6449.25**	**6114.27**	**577.54**	**537.18**	**298.29**	**272.40**

II. **योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in the Fair Value of Plan Assets:**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	6029.68	5724.33	559.88	533.72
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	449.81	480.84	44.85	45.36
3	दिया गया अंशदान Contributions made	300.59	282.85	42.00	102.16
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(569.19)	(450.13)	(138.87)	(119.83)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	(9.74)	(8.21)	(3.87)	(0.67)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	**6201.15**	**6029.68**	**503.99**	**560.74**

III. तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	6449.25	6114.27	577.54	537.18	7026.80	6651.45	298.29	272.40
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(6201.15)	(6029.68)	(503.99)	(560.74)	(6705.14)	(6590.42)	0.00	0.00
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	248.09	84.59	73.55	(23.56)	321.65	61.03	298.29	272.40
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	248.09	84.59	73.55	(23.56)	321.65	61.03	298.29	272.40

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	367.27	323.21	45.60	26.85	80.47	58.52
2	ब्याज लागत Interest Cost	391.17	376.18	32.49	31.72	17.52	17.16
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(449.81)	(480.84)	(44.85)	(45.31)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	155.46	132.31	105.89	62.84	(30.63)	(38.82)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
6	**मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized**	**464.09**	**350.86**	**139.14**	**76.10**	**67.36**	**36.86**
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
8	**लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost**	**464.09**	**350.86**	**139.14**	**76.10**	**67.36**	**36.86**

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	84.59	16.58	(23.57)	2.50	272.40	279.00
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	464.09	350.86	139.14	76.10	67.36	36.86
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(300.59)	(282.85)	(42.00)	(102.17)	(41.47)	(43.46)
4	**अंतिम निवल देयता Closing Net Liability**	**248.09**	**84.59**	**73.57**	**(23.57)**	**298.29**	**272.40**

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	449.81	480.84	44.85	45.36
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	(9.74)	(8.21)	(3.87)	(0.67)
3	**योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets**	**440.07**	**472.63**	**40.98**	**44.69**

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	बट्टा दर Discount rate	6.71%	6.50%	6.96%	6.67%	6.96%	6.67%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	7.46%	8.40%	8.01%	8.50%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

महामारी की परिस्थितियों के कारण उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए अनुषंगी कंपनी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर्स एंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से संबंधित कर्मचारियों के लाभ की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी इसलिए, METCO के मामले में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, तदर्थ आधार पर क्रमशः ₹ 2,00,000 और ₹ 10,000 किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन का खुलासा केवल मूल बैंक से संबंधित है।

Due to pandemic situation, Actuarial valuation reports of employees benefits related to subsidiary company i.e. Maharashtra Executors & Trustee Company Ltd. for Gratuity and leave Encashment could not be obtained. Hence, provision for Gratuity and Leave Encashment for F. Y. 2020-21, in case of METCO has been made at ₹ 2,00,000 and ₹ 10,000 respectively on adhoc basis. The disclosure of Actuarial valuation is only pertaining to Parent Bank.

5. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments >	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other bankin Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व Revenue	5220.87	4984.18	3744.42	3702.54	5170.16	3825.10	379.77	643.45	14515.22	13155.26
परिणाम Result	1657.84	1260.03	(105.20)	(1413.11)	(629.29)	(264.55)	329.20	167.73	1252.55	(249.90)
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									0	0
परिचालनगत लाभ Operating profit									1252.55	(249.90)
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									681.09	(648.74)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									571.46	398.84
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	74885.33	64498.34	68381.15	54698.89	36651.23	34620.44	12269.19	11596.50	192186.90	165414.17
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4648.21	3603.36
कुल आस्तियां Total assets									**196835.11**	**169017.53**
खंड देयताएं Segment liabilities	73629.74	63594.78	64502.50	51836.70	34473.25	32725.61	11277.11	9951.26	183882.60	158108.35
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									644.22	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									12308.29	10909.18
कुल देयताएं Total liabilities									**196835.11**	**169017.53**

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

i. कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और

ii. किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और

iii. एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

ङ) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है।

च) थोक बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे पात्र नहीं होने वाले व्यय आवंटित किए जाते हैं। खजाना परिचालनों के खर्च ट्रेजरी

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

i. Total average annual turnover less than ₹ 50.00 crore and

ii. Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations

f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking

ऑपरेशंस से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं।

छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की आस्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का परिचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

6. लेखा मानक 18- संबध्द पक्ष प्रकटन:

इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:
   - क. बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
   - ख. बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
   - घ. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

(₹ करोड़ में)

क्र	नाम	पदनाम	मानदेय	
			2020-21	2019-20
1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.30	0.29
2	श्री हेमन्त कुमार टम्टा	कार्यपालक निदेशक	0.26	0.25
3	श्री नागेश्वर राव वाई.	कार्यपालक निदेशक (21.01.2021 तक)	0.23	*
4	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)	0.02	-
5	श्री वी. पी. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) तथा महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा (16.06.2020 तक)	0.06	0.25
6	श्री प्रशांत आर. खटावकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) तथा महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा (16.06.2020 से)	0.26	-
		कुल	**1.13**	**0.79**

7. लेखा मानक 19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके अंतर्गत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी उपचित आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य (उचित ऋण परिशोधन के बाद), जो भी कम हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कोई गैर निरसन योग्य परिचालन लीज नहीं है। अतः ए एस 19 के अंतर्गत कोई अतिरिक्त विगोपन नहीं है। पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। परिचालन पट्टों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित पट्टा भुगतान की राशि ₹ 162.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 152.65 करोड़) है।

segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations

g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

1. Name of the Related Parties and their relationship:
   - (a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
   - (b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
   - (c) Key Management Personnel-

(₹ in Crores)

S.N.	Name	Designation	Remuneration	
			2020-21	2019-20
1	Shri A S Rajeev	MD & CEO	0.30	0.29
2	Shri Hemant Kumar Tamta	Executive Director	0.26	0.25
3	Shri Nageswara Rao Y	Executive Director (till 21.01.2021)	0.23	–
4	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (from 10.03.2021)	0.02	–
5	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (CFO) & General Manager, FM&A (till 16.06.2020)	0.06	0.25
6	Shri Prashant R. Khatawkar	Chief Financial Officer (CFO) & General Manager, FM&A (from 16.06.2020)	0.26	–
		Total	**1.13**	**0.79**

7. Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases:

Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable. The Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to ₹ 162.42 crore for the year 2020-21 (Previous year ₹ 152.65 crore).

8. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
मूल प्रति शेयर आय	₹ 0.88	₹ 0.67
डायलुटेड प्रति शेयर आय	₹ 0.88	₹ 0.67
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	55025	38858
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	62563	58165
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 0.88	₹ 0.67

9. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक 21 और लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी में निवेश के लिए लेखांकन

अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण मान्य किए हैं।

सहायक इकाई अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में निवेशों का लेखांकन लेखा मानक 23 के अनुपालन में समेकित वित्तीय विवरणों में किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण मान्य किए हैं।

10. आय पर करों का लेखांकन (एएस-22)

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने एएस-22 के अनुपालन में आय पर करों की गणना की गई है. तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण*	859.91	929.79
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	207.65	201.25
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	1857.91	2279.72
4) अचल आस्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	0.00	74.57
कुल	**2925.47**	**3485.33**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	17.24	173.35
2) निवेश में ह्रास के कारण	0.00	0.00
3) अचल आस्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	0.00	0.00
4) अन्य प्रावधान जहां डीटीएस तैयार किया गया है	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)	**17.24**	**173.35**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (क-ख)	**2908.23**	**3311.98**

* बैंक ने विवेकपूर्ण मामले के रूप में ₹ 200 करोड़ की संचयी हानी पर डीटीए के रूप में ₹ 69.88 करोड़ की राशि प्रत्यावर्तित की।

8. Accounting Standard 20- Earning per Share

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Basic E.P.S.	₹ 0.88	₹ 0.67
Diluted E.P.S.	₹ 0.88	₹ 0.67
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (in Lakhs)	55025	38858
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	62563	58165
c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 0.88	₹ 0.67

9. Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements & Accounting Standard – 23 Accounting for Investment in Associate in Consolidated Financial Statement

The financial results of subsidiary i.e. Maharashtra Executor & Trustee Company Limited has been consolidated in accordance with Accounting Standard 21. The audited Financial Statements are considered for this purpose.

The accounting of investment in associate i.e. Maharashtra Gramin Bank has been made in Consolidated Financial Statement in accordance with Accounting Standard 23.The unaudited Financial Statements are considered for this purpose

10. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2020-21, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses*	859.91	929.79
2) On account of provisions for Employees benefits	207.65	201.25
3) Other Provisions where DTA is created	1857.91	2279.72
4) On account of depreciation on fixed assets	0.00	74.57
Sub-Total (A)	**2925.47**	**3485.33**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	17.24	173.35
2) On account of Depreciation on Investment	0.00	0.00
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	0.00
Sub-Total (B)	**17.24**	**173.35**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**2908.23**	**3311.98**

*The bank as a matter of prudence reversed an amount of ₹ 69.88 Crore being the DTA on accumulated losses of ₹ 200 Crore.

11. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि - 3 वर्ष
परिशोधन दर - 33.33%
परिशोधन पद्धति - लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	24.01	42.21
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	31.25	13.61
वर्ष के दौरान परिशोधन	22.02	31.81
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	33.24	24.01

12. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक-28):

जब भी किसी घटना या परिस्थितियों में यह बदलाव होता है कि किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है तो आस्तियों की समीक्षा की जाती है। किसी आस्ति की धारणीयता और उपयोगिता आस्ति द्वारा भविष्य की निवल रियायती नकदी प्रवाह के लिए किसी आस्ति की वहन राशि की तुलना द्वारा मापी जाती है, जो आस्ति द्वारा उत्पन्न होने की उम्मीद है। यदि इस तरह की आस्ति को अनर्जक हुआ माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त होने वाली हानि और उस राशि से मापी जाती है जिसके द्वारा आस्ति की वहन राशि आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालाँकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आस्तियों को भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - ''आस्ति का अनर्जक होना'' लागू होता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए ₹ 0.18 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

14. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों, डीईएएफ, सरकारी खाता देय/ प्राप्तियाँ, अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य अब भी प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

15. ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामलों हेतु प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी. बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिती को प्रभारित की जानी है।

11. Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.
Amortization Rate - 33.33 %
Amortization Method - Straight line at cost

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Software at the beginning of the year	24.01	42.21
Software acquired during the year	31.25	13.61
Amortization during the year	22.02	31.81
Net carrying amount at the end of the year	33.24	24.01

12. Impairment of Assets (AS-28):

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

13. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

A provision of ₹ 0.18 Crores has been made against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

14. Work is in progress for adjustment / reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, Government account payable/Receivables, DEAF, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

15. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end. The details of provisions for frauds made by bank are as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या) Up to the year ended 31.03.2021 (No. of Cases)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या) During the quarter ended 31.03.2021 (No. of Cases)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक (राशि) Up to the year ended 31.03.2021 (Amount) of fraud	31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि) During the quarter ending 31.03.2021 (Amount) of fraud	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of provision held as on 31.03.2021 (Amount)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षिती को नामे परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2021 (Amount)
804	20	2321.91	335.93	2321.91	–

16. COVID-19 महामारी का प्रकोप दुनिया भर में फैल रहा है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय अस्थिरता है। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणाम को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य

16. The outbreak of COVID-19 pandemic continues to spread across the globe and India resulting in significant volatility in the global and Indian economy. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's result will depend on future development

के विकास पर निर्भर करेगा, जो अन्य कई चीजों के बीच अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिसमें COVID-19 महामारी के नए स्ट्रेन की गंभीरता से संबन्धित कोई नई जानकारी और आगे प्रोत्साहन और नियामक पैकेज, यदि कोई हो, सहित इसके प्रसार को रोकने या प्रभाव का प्रशमन करने के लिए कार्रवाई शामिल है। लॉकडाउन उपायों में ढील के बाद से आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है, मंदी के कारण चूककर्ता ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप इन पर प्रावधानों में वृद्धि हो सकती है।

17. 7 अप्रैल, 2021 के आरबीआई के परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बैंक को सभी उधारकर्ताओं को 'ब्याज पर ब्याज' को वापस करने / समायोजित करने की आवश्यकता है, जिनमें वे उधारकर्ता भी शामिल हैं जिन्होनें अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की सुविधाओं का लाभ उठाया, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना की अधिस्थगन अवधि का पूरी तरह या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया या उठाया हीं नहीं गया हो। भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा 'ब्याज पर ब्याज' की गणना की पद्धति को परिचालित किया गया है।बैंक इस पद्धति को उपयुक्त रूप से लागू करने की प्रक्रिया में है।31 मार्च, 2021 तक ब्याज राहत के प्रति देयता का अनुमान लगाते हुए, ब्याज आय से इसे कम करके और अन्य देयताओं को जमा करते हुए व्यक्तिगत उधारकर्ता खातों के लिए इसके लंबित रिफंड / समायोजन हेतु बैंक ने ₹ 65.00 का तदर्थ प्रावधान किया है।

18. 31 मार्च 2021 को बैंक के पास कोविड -19 संबन्धित प्रावधानों के रूप में ₹ 753. 49 करोड़ की राशि है (31.03.2020 को ₹ 75 करोड़)।

19. खातों पर अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में निर्धारित किए अनुसार खातों पर टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों पर भी लागू हैं।

20. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके।

which are highly uncertain including among other things any new information concerning the severity of the new strains of the COVID-19 pandemic and action to contain its spread or mitigate impact including further stimulus and regulatory packages, if any. While there has been an improvement in the economic activity since the easing of the lockdown measures, the slowdown may lead to a rise in the number of customer defaults and resultant increase in the provisions there against.

17. In accordance with the instructions in RBI circular dated April 7, 2021 the Bank is required to refund / adjust 'interest on interest' to all the borrowers including those who had availed of working capital facilities during the moratorium period, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. As required by the RBI notification, the methodology for calculation of such 'interest on interest' has been circulated by the Indian Banks' Association (IBA). The bank is in the process of suitably implementing this methodology. As on March 31, 2021, the Bank has made an adhoc provision of ₹ 65.00 Crores, estimating the liability towards interest relief, by reducing the same from interest income and crediting to Other Liabilities, pending refund / adjustment of the same to the individual Borrower accounts.

18. As on March 31, 2021, the Bank holds an amount of ₹ 753.49 Cr as COVID 19 related provisions (₹ 75 Cr as at 31-03-2020).

19. Other significant Notes on Accounts.

The "Notes on Accounts" as set out in the standalone financial statements of the bank are also applicable to Consolidated Financial Statement.

20. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

(₹ हजार में) (₹ in lakhs)

विवरण Particulars		31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2021		31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2020	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.		118,68,63		114,95,53	
आय का हिस्सा/सहयोगी संस्था में हानि Share of earnings/ loss in Associates		,20,06		9,52	
अन्य आय Other Income		26,26,53	**145,15,22**	16,50,23	**131,55,28**
घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		69,70,18		72,15,73	
परिचालन व्यय Operating Expenses		35,65,91		30,81,96	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		34,07,66	**139,43,75**	24,58,75	**127,56,44**
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**5,71,47**		**3,98,84**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		34,07,66		24,58,75	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		1,88,11		2,10,95	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		-,,45		-,4,81	
आय का हिस्सा / सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates		-,20,06		-,9,52	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		2,89,00	**38,64,26**	2,64,27	**29,19,64**
			44,35,73		**33,18,48**
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			**1,84,24**		**,,18**
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	**(I)**		**42,51,50**		**33,18,30**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		239,39,28		94,13,79	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings		,63,02		-64,79,14	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-6,66,19		-24,11,43	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		**233,36,11**		**5,23,22**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		103,90,85		-19,46,68	
अग्रिम Advances		155,33,52		42,05,44	
अन्य आस्तियां Other Assets		-7,83,59		8,89,40	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		**251,40,77**		**31,48,15**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	**(II)**		**-18,04,67**		**-26,24,93**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	**(क (A) = I+II)**		**24,46,83**		**6,93,36**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		3,66		14,34	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-1,92,48		-1,23,58	
आय का हिस्सा/सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates		20,06		9,52	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	**(ख) (B)**		**-1,68,77**		**-,99,73**

(₹ हजार में) (₹ in lakhs)

विवरण Particulars		31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2021	31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2020
ग C. Cash Flow From Financing Activities:			
i) बांडों को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		5,05,70	–
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		–	–
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		–	–
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-2,89,00	-2,64,27
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना/(शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Apllication Money)			9,62,70
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		**2,16,70**	**6,98,43**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**(क+ख+ग) (A+B+C)**	**24,94,76**	**12,92,07**

Note : जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित और पुन:वर्गीकृत किया गया है। Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2021	31.03.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	**103,53,69**	79,19,99
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**93,33**	12,34,97
	104,47,02	**91,54,96**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	**128,82,48**	103,53,69
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	**59,30**	,93,33
	129,41,78	**104,47,02**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**24,94,76**	**12,92,07**

सुनील धूत
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SUNIL DHOOT
ASST. GEN. MANAGER, FM & A

पी. आर. खटावकर
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा और मुविअ
P. R. KHATAVKAR
GENERAL MANAGER, FM&A & CFO

ए. बी. विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक
A. B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

हेमन्त टम्टा
कार्यपालक निदेशक
HEMANT TAMTA
EXECUTIVE DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए मीरा गोपालन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 029471
CA B Meera Gopalan
Partner
Membership No: 029471

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 207867
CA (Mrs) Lalitha Rameswaran
Partner
Membership No: 207867

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

सीए आशीष बाडगे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 121073
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मेसर्स के गोपाल राव एंड कंपनी सनदी लेखाकार 21, मूसा स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नै - 600 017	**मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित** 204, नैशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703
मेसर्स अबर्णा एंड अनंथन 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरू - 560 085	**मेसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 282, कपीश हाउस, माता मंदिर रोड खरे टाउन, धरमपेठ, नागपुर - 440010

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति एवं ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र'' के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (''बैंक'') के समेकित वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल है -

   क. बैंक के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण

   ख. एक अनुषंगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

   ग. एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहयोगी) के अलेखपरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी

   बैंक अपनी अनुषंगी के साथ ''समूह'' के रूप में संदर्भित है।

2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (''अधिनियम''), भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है तथा निम्नानुसार प्रदान करता है:

   क. तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2021 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;

   ख. लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र हैं तथा हमने आचार संहिता और इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले पर ज़ोर

4. हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में, नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो बताता है कि किस हद तक कोविड-19 महामारी बैंक के

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

M/s. K. Gopal Rao & Co. Chartered Accountants, 21, Moosa Street, T Nagar, Chennai- 600 017.	**M/s. Batliboi & Purohit** 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
M/s. Abarna & Ananthan 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.	**M/s. Rodi Dabir & Co.** Chartered Accountants, 282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur - 440010.

To,

President of India and Members of "BANK OF MAHARASHTRA"

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –

   a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

   b. Audited Financial Statements of one Subsidiary,

   c. Unaudited financial statements / financial information of 1 Regional Rural Bank (Associate),

   The Bank together with its Subsidiary are referred to as the "Group".

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act"), the requirements of the Reserve Bank of India, in the manner so required for bank and give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India including accounting standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and give,

   a. in case of Balance Sheet, read with the notes thereon gives true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended March 31, 2021 and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended March 31st, 2021.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group, its associate in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the Provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Consolidated Financial Statements.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note no. 16 in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements which explains extent to

संचालन को प्रभावित करेगी और वित्तीय परिणाम भविष्य के विकास पर निर्भर हैं, जो कि अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक लगातार आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है और बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव अनिश्चित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में सम्प्रेषण हेतु बैंक के मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	**अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:** (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2021 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.102405 करोड़ का शुद्ध अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं। अग्रिमों से आय, कुल आय का 49.35% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2213.79 करोड़ है जो कुल व्यय का 15.88% बनाता है। आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है।	हमने सिस्टम, एप्लिकेशन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्त खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है। हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार आईआरएसी मानदंडों के लागू किए जाने का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरियों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।

which COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and financial results are dependent on future developments, which are highly uncertain. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's Operations and financial results is uncertain.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	**Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:** (Refer Note No. 5 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Consolidated Financial Statements) The Group's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 102405 Crores as at March 31, 2021 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines. Income from Advances constitutes 49.35% of Total Income. The provision in respect of Non-performing Asset is Rs. 2213.79 Crores which constitutes 15.88% of the total expenditure. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed. The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of	We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports. We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines. We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं।	संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए। हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपार्श्विक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है। हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially misstated. Hence we consider this as a Key Audit Matter.	Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls. We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies. We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning forf such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retail loans which effectively monitors, controls, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वाराजारी नियामक पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। कोविड19 महामारी के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन जैसा कि प्रभाव की सीमा भविष्य की स्थिति पर निर्भर है और उसमें काफी अनिश्चितताएं हैं, हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर विश्वास किया है, जो बैंक की आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है। हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है।
2.	**निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण:** (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।	हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं। हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have reviewed the Bank's process for granting moratorium and restructuring to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. With respect to additional provision made by the Bank on account of the impact of COVID 19 pandemic, we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for the same but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars. We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications.
2.	**Classification and Valuation of Investments:** (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting policy to the Consolidated Financial Statements) Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines.	We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls. We have examined the investment agreement / term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है। बैंक के निवेश से आय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुल आय का 28.65% शामिल है जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है।	बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया है। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यह्रास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूलधन के रूपांतरण/ लागूकरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जांच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा नमूने आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया। हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात 'पूंजीगत आरक्षित खाते' को विनियोजित किया गया।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having a overall significance to the financial results of the Bank. Interest Income from Investment of the Bank comprises 28.65% of the total income in view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.	Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process. We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank. We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application / conversion of interest / principal towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank. We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit / debit in the profit and loss account. We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase / sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit / loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यह्रास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि नोटों से खातों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा** ऑटोमेशन व एपलिकेशन के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के मुख्य व्यवसाय उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन कंम्पलेक्स आई आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाता है, जोकि बैंकिंग व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने में बैकबोन के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है। हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं।	सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है। हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है। हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावेजीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुनः प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया। हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts.
3.	**Information Technology Systems and Control Framework:** The Banks key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective. The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes. We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank's business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter.	Information Technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank. We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations. We have adopted various techniques such as enquiry, review of documentation, record, reports, observation, and re performance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique. We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है। हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाइंट सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है। हमारे द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया और कोविड-19 की परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतरता तथा वृद्धि सुनिश्चित की। हमने प्रबंधन द्वारा अधिक समग्र, व्यापक तरीके से किए गए सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं।
4.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :** अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन।(अनुसूची 17 की नोट क्र.11)	हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP. We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management. through certain data drill conducted by the Management and scrutinused by us and comparing the required results. We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth under COVID -19 circumstances. We have verified the testing report carried out by the Management on risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective.
4.	**Provisions and Contingent Liability:** Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17)	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon;

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
5.	**कोविड-19 प्रकोप के आलोक में अपनाई गई संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि :** कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा हमारे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण भौतिक रूप से शाखा को भेंट देना संभव नहीं था। अतः बैंकों को लेखापरीक्षा अन्य स्थान से करने के निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप बैंक की कई शाखाओं/ अंचलों/ प्रधान कार्यालय के परिसर को भेंट देकर लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकें और शाखाओं/ अंचल/ प्रधान कार्यालय के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकी। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि को अन्य स्थानों से करने के लिए संशोधित किया गया। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि की पहचान प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।	कोविड-19 महामारी के कारण हमने लेखापरीक्षा राय बनाने और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि संपादित की। संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को पूरा करने के लिए बैंक ने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखने के लिए बैंक के नेटवर्क पर हमें एक कस्टमाईज्ड इंट्रानेट पोर्टल उपलब्ध कराया है। हमारे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल है; 1. कोविड-19 के कारण जहां भौतिक रुप से जाना निषिद्ध था, बैंक की उन शाखाओं/ अंचलों के संबंध में रिमोट एक्सेस/ ई-मेल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया गया। 2. दस्तावेजों, विलेख, प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियां प्राप्त की गई और प्रतियों का सत्यापन किया गया । 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवादों और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ई-मेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूछताछ की गई।

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.
5.	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:** In view of the COVID-19 pandemic, lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit, the Bank to facilitated carrying out audit remotely as physical access was prohibited, therefore audit could not be conducted by visiting the premises of many Branches / Zones / HO of the bank. As we could not obtain audit evidence in person / physically and personal interactions with the officials at the Branches / Zone / Head Office, accordingly our Audit procedures were modified to carry out the Audit remotely. We have identified such modified Audit Procedure as Key Audit Matter.	Due to the COVID-19 Pandemic, we carried out modified audit procedures to obtain reasonable assurance to form an audit opinion. To carry out modified audit procedure, the Bank has made available to us a customized intranet portals hosted on Bank's network enabling us to access reports and documents we sought necessary for the purpose of Audit. Our modified audit procedure included; 1. Conducted verification of necessary records / documents / CBS and other application software electronically through remote access / emails in respect of some of the Branches / zones of the Bank wherever physical access was prohibited due to COVID-19. 2. Obtained and carried out verification of scanned copies of documents, deeds, certificates, and other related records. 3. Made enquiries to obtain necessary audit evidence through video conferencing, dialogues, and discussions over phone calls / conference calls, emails, and similar communication channels.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		4. हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान पदनामित पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने की चर्चा की बजाय टेलीफोन/ ई-मेल के माध्यम से किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर III प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट ठअभिशासन हेतु प्रभारितड को करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय समेकित विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समूह और इसकी सहयोगी कंपनी सहित इसकी समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 21 - ठसमेकित वित्तीय विवरणड और लेखा मानक 23 - ठसमेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकनड सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। समूह और इसके सहयोगी सहित संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी

S. No	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		4. Resolved our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Consolidated Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosures.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar III disclosures under Basel III Disclosures we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matters to 'Those charged with Governance'.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group including its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the group and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid .

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate are responsible for assessing the ability

कंपनियों को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार, करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

समूह और सहयोगियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल भी, समूह और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या समेकित वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्तः

- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं या इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंधित पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं,

of the Group and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intend to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of the associate is also responsible for overseeing the Financial Reporting process of the Group and its associate.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associate's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the Financial Statements of such entity included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other subsidiary entity

जिनके समेकित वित्तीय विवरणों के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य अनुषंगी इकाई और सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और सहयोगी कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लेखा परीक्षा मत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों और इस तरह की अन्य इकाइयों के साथ संवाद करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिसके लिए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंध में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1007 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को रु.58487.62 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.4284.18 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं को सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में अब तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 903 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को कुल ₹ 16541.77 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 970.19 करोड़ दर्शाते हैं।

इसके साथ ही, हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार रु.17.71 करोड़ की कुल आस्तियां प्रदर्शित करती है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.2.23 करोड़ है। समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है और कंपनी के सहायक प्रतिष्ठान द्वारा प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार

and associate included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditor and the unaudited financials approved by management of the associate, such other auditor and the management of the associate remains responsible for direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with Those charged with governance of the Bank included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the Financial Statements / information of 1007 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / financial information reflect total advances of Rs. 58,487.62 Crores as at March 31, 2021 and total revenue of Rs. 4,284.18 Crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Financial Statements / information of these branches have been audited by the Statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Statutory branch auditors. Further we did not audit the Financial Statements of 903 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total assets of ₹ 16,541.77 Crores as at March 31, 2021 and total revenue of ₹ 970.19 Crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements have been drawn by the management.

Also, we did not audit the Financial Statements of the subsidiary company whose Financial Statement / financial information reflects total assets of Rs. 17.71 Crores as at March 31, 2021, Total revenue of Rs. 2.23 Crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's

किए अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रु.20.06 करोड़ के कर पश्चात निवल लाभ की समूह की साझेदारी को भी शामिल किया गया है। सहयोगी कंपनी और सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और सहायक प्रतिष्ठान कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है, जिनकी रिपोर्ट और विवरण प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है तथा इस सहायक प्रतिष्ठान और सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत संबद्ध है तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट उक्त सहायक कंपनियों और सहायक प्रतिष्ठान से संबंधित है, वह सहायक कंपनियों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और सहायक प्रतिष्ठान कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी द्वारा इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त परिच्छेद 6 तथा 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग कंपनिया (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि

    क. हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

    ख. बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

    ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

share of Net Profit after tax of Rs. 20.06 Crores for the year ended March 31, 2021 as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose Financial Statements / financial information have not been audited by us. The Financial Statements/financial information of the subsidiary company has been audited by the other auditors, whose reports and statements have been furnished to us by the management, the Financial Statements / financial information of the associate has not been audited and approved and furnished to us by the Management, and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary and associate and our report in terms of sub section (3) of sec 143 of the Act, in so far it relates to the aforesaid subsidiary and associate, is based solely on the reports of the other auditors in respect of subsidiary company and the unaudited financial information / results as approved and furnished by the management of the associate.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of these matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors and the Financial Statements / financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

कृते मैसर्स के. गोपाल राव एंड कंपनी
एफआरएन: 000956एस
सनदी लेखाकार
for M/s. K Gopal Rao & Co
FRN: 000956S
Chartered Accountants

सीए (श्रीमती) बी. मीरा गोपालन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 029471
CA (Mrs) B. Meera Gopalan
Partner
Membership No: 029471

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र.: 030615
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

सीए (श्रीमती) ललिता रामेश्वरन
भागीदार
सदस्यता क्र.: 207867
CA (Mrs) Lalitha Rameswaran
Partner
Membership No: 207867

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 121073
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2021

Place : Pune
Date : 29th April, 2021

लाभांश वितरण नीति (डीडीपी)

उद्देश्यः नीति का उद्देश्य वित्तीय वर्ष के लिए अपने शेयरधारकों को लाभांश की सिफारिश करने से पहले बैंक के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी के दिशानिर्देशों और बैंक पर लागू अन्य नियमों के अनुपालन में विचार किए जाने वाले मानदंड निर्धारित करना है।

लाभांश की सिफारिश करने से पहले विचार किए जाने वाले मानदंड;

निदेशक मंडल लाभांश की सिफारिश करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा ;

क) सांविधिक और विनियामक अनुपालन;

बैंक केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी लाभांश घोषणा पर नियामक दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और यथा संशोधित तथा बैंकिंग कंपनियों पर लागू सीमा तक सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही लाभांश की घोषणा करेगा।

ख) वित्तीय मानदंड जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा:

बैंक की पूंजी पर्याप्तता (नियामक न्यूनतम आवश्यकता से कम से कम अधिक होनी चाहिए और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी/व्यापार योजना के अनुसार पूंजी का ध्यान रखना चाहिए);

वर्ष के दौरान आस्ति पर रिटर्न (आरओए) जिस वर्ष के लिए लाभांश घोषित किया गया है (0.25% या अधिक होना चाहिए और अंतरिम लाभांश के मामले में, चालू वर्ष की तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के लिए वार्षिक आरओए कम से कम 0.25% होना चाहिए);

विनियामक और अन्य अनिवार्य आरक्षितियों के विनियोग के बाद वितरण योग्य लाभ और अधिमानी लाभांश, यदि कोई हो, प्रदत्त पूंजी के कम से कम 5% के बराबर लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है;

अन्य सभी वित्तीय मानदंड जिन्हें विनियामक (कों)/सरकार द्वारा अनिवार्य माना जाना अपेक्षित है।

ग) लाभांश की घोषणा के लिए जिन आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार किया जाएगा:

शेयरधारक अपेक्षाएं;

बैंक की पूंजी संरचना, प्रचलित पूंजी पर्याप्तता अनुपात और साथ ही भविष्य की आवश्यकताएं;

कोई संचित हानि नहीं है;

आंतरिक उपार्जन के माध्यम से पूंजी निर्माण की आवश्यकता की सीमा;

घरेलू/ वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ जिनका बैंक के व्यवसाय, लाभप्रदता, पूंजी आवश्यकता और भविष्य की व्यावसायिक रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

घ) परिस्थितियां जिन में बैंक के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं:

लाभांश वितरण से संबंधित सभी मौजूदा विनियामक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है;

बैंक की पूंजी की आवश्यकता, नियामक और भविष्य के व्यापार विकास दोनों के लिए, पूरी की जाती है;

कोई संचित हानि नहीं है;

घरेलू/वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ जिनका बैंक के व्यवसाय, लाभप्रदता, पूंजी आवश्यकता और भविष्य की व्यावसायिक रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

ङ) प्रतिधारित अर्जनों का उपयोग :

संचित हानियों को कवर करने, पूंजी/ व्यवसाय योजना के अनुसार पूंजी निर्माण और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य आवश्यकता के अनुसार प्रतिधारित अर्जनों को विनियोजित किया जाएगा।

च) शेयरों के विभिन्न वर्गों के लिए पैरामीटर:

लागू नहीं है क्योंकि वर्तमान में शेयरों का केवल एक वर्ग है, अर्थात् साधारण शेयर पूंजी।

पॉलिसी बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है

Dividend Distribution Policy (DDP)

Objective: The objective of the policy is to lay down the criteria to be considered by the Board of directors of the Bank before recommending dividend to its shareholders for a financial year. In compliance with the RBI, GoI and SEBI guidelines and other regulations applicable to the Bank.

Criteria to be considered before recommending Dividend;

The Board will consider following factors recommending dividends;

a) Statutory and Regulatory Compliance;

The Bank shall declare dividend only after ensuring compliance with the Banking Regulation Act, 1949, regulatory guidelines on dividend declaration issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and to the extent applicable to Banking Companies.

b) The financial parameters that shall be considered while declaring dividend:

Capital adequacy of the Bank (should be at least more than regulatory minimum requirement and takes care of capital as per the Bank's Board approved capital/ business plan);

Return on assets (ROA) during the year for which the dividend is declared (should be 0.25% or more and in case of interim dividend, annualised ROA for the immediate preceding period of the running year should be at least 0.25%);

Distributable profit, after appropriation towards statutory & other mandatory reserves and preferential dividend, if any, is sufficient to pay dividend equivalent to at least 5% of paid up capital;

All other financial parameters as required to be considered as mandated by the regulator(s)/ the government.

c) Internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend:

Shareholder expectations;

Bank's capital structure, capital adequacy ratios prevalent as well as future requirements;

There are no accumulated losses;

Extent of need to build capital through internal accrual;

Domestic/ global economic conditions bearing material impact on the Bank's business, profitability, capital requirement and future business strategy.

d) The circumstances under which shareholders of the Bank may or may not expect dividend:

All extant regulatory/ GOI guidelines related to dividend distribution are complied with;

Capital requirement of the Bank, both regulatory and for future business growth, are met;

There are no accumulated losses;

Domestic/ global economic conditions bearing material impact on the Bank's business, profitability, capital requirement and future business strategy.

e) Utilization of retained earnings:

Retained earnings will be appropriated towards covering accumulated losses, building capital as per capital/ business plan and any other need as approved by the Board of Directors from time to time.

f) Parameters for various classes of shares:

Not applicable as there is only one class of shares at present, namely ordinary share capital.

The policy is also available on the Bank's website

टिप्पणियाँ
Notes

टिप्पणियाँ
Notes

टिप्पणियाँ
Notes

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Mahabank Fight against Covid-19

2020-2021 के दौरान बैंक द्वारा संपन्न सीएसआर गतिविधियां
CSR activities Done by Bank during 2020-2021

पीएम केयर्स निधि तथा मुख्यमंत्री राहत निधि में अंशदान
Contributions to PM Cares and CM Relief Funds
PM CARE FUNDS Rs. 5 Crores

U.P. Rs. 3 Lakhs

M.P. Rs. 5 Lakhs

Karnataka Rs. 5 Lakhs

Maharashtra Rs 1 crore

Chhatisgarh Rs. 1 Lakh

Telangana Rs. 3 Lakhs

महाबैंक सेवाभावना - पुलिसकर्मियों और स्वच्छता कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइज़र और खाद्य-पैकेटों का वितरण
Mahabank Altruism Provides Masks,Sanitizers, & Food Packets to Police Personnel & Sanitary Workers.

Doorstep Banking Service to Senior Citizen and Differently Abled

Bank BC Providing services at Rathhnapur Village

Bank BC Point Lakhalgaon Village

Bank BC Point Kohor Village

बैंकिंग कहीं भी
BANKING ANYWHERE

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Tol Free No. 1800 233 4526 | www.bankofmaharashtra.in | Follow us: @mahabank